त्रयोदश माला, खंड 30, अंक 22

गुरुवार, 19 दिसम्बर, 2002
28 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. ________
Date ________

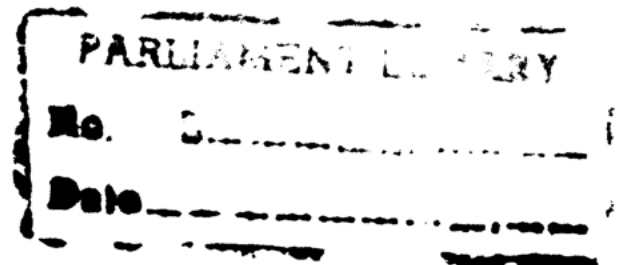

(खंड 30 में अंक 21 से 23 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोकसभा वाद - विवाद (हिन्दी सम्करण)

गुरुवार, 19 दिसम्बर, 2002/28 अग्रहायण, 1924 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

- - - - -

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
287	20वी पंक्ति के पश्चात		"(एक) प्रनिवेटन" जोडिए।
	23वीं पंक्ति के पश्चात्		"(दो) साक्ष्य" जोडिए।
306	पंक्ति 30 के पश्चात		"(व्यवधान)" जोडिए।
374	19	श्री मेनका गांधी	श्रीमती मनका गांधी
402	21	अपराह्न 6.00 बजे	सायं 6.00 बजे

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 30, ग्यारहवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 22, गुरुवार, 19 दिसम्बर, 2002/28 अग्रहायण, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
निधन संबंधी उल्लेख	1–2
सदस्यों द्वारा निवेदन	
तहलका जांच आयोग के बारे में	2–8, 305–315
श्री सोमनाथ चटर्जी	2–3
श्री एस. जयपाल रेड्डी	4
डा. विजय कुमार मल्होत्रा	4–6
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	6, 307, 312
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 423 से 425	9–28
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 422 और 426 से 441	29–50
अतारांकित प्रश्न संख्या 4643 से 4872	50–274
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
आधे घंटे की चर्चा के बारे में	275
सभा पटल पर रखे गए पत्र	275–285
राज्य सभा से संदेश	286
लोक लेखा समिति	
चालीसवां, इकतालीसवां और बयालीसवां प्रतिवेदन	286–287
याचिका समिति	
तेईसवां प्रतिवेदन	287
शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त समिति	287
(एक) प्रतिवेदन	287
(दो) साक्ष्य	287

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
पैंतीसवां, छत्तीसवां, सैंतीसवां, अड़तीसवां और उनतालीसवां प्रतिवेदन	288
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
इकतीसवां प्रतिवेदन	289
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	289
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
तैंतीसवां, चौंतीसवां, पैंतीसवां, छत्तीसवां, सैंतीसवां और अड़तीसवां प्रतिवेदन	289–290
खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
बीसवां प्रतिवेदन	290
रेल अभिसमय समिति	
छठा प्रतिवेदन	290–291
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
बानवेवां से एक सौ दसवां प्रतिवेदन	291–293
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	294–305
श्री प्रभुनाथ सिंह	294, 296–298
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	295–296, 303–305
श्री बसुदेव आचार्य	298
श्री रघुनाथ झा	298–299
श्री रामविलास पासवान	299
श्री सालखन मुर्मू	299–300
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	300–301
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	301
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	301
डा. जयन्त रंगपी	301–302
सरदार सिमरनजीत सिंह मान	302
श्री चन्द्रशेखर	302–303
नियम 377 के अधीन मामले	316–324
(एक) बिहार में झूला (चकिया)-केसरिया-डुमरिया-अरेराज-हरसिद्धि-सुगौली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राधा मोहन सिंह	316–317

विषय		कॉलम
(दो)	छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इन्दौर-नर्मदा एक्सप्रेस का सल्का रोड पर तथा दुर्गा-भोपाल-अमरकंटक एक्सप्रेस का बेलगहजा में ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री पुन्नू लाल मोहले	317
(तीन)	राजस्थान में स्वरूपसर-श्रीगंगानगर के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता	
	श्री निहाल चन्द चौहान	317
(चार)	हिमाचल प्रदेश में खेलों के विकास के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुरेश चन्देल	318
(पांच)	हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री महेश्वर सिंह	318
(छह)	मेहगांव-सबलगढ़-श्योपुर-सवाई माधोपुर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अशोक अर्गल	319
(सात)	राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में गैस टरबाइन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
	कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी	319
(आठ)	उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए वहां उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह	319–320
(नौ)	छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा धान की दुर्लभ किस्म के जीनों को एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी को सौंपने से रोके जाने की आवश्यकता	
	डा. चरणदास महन्त	320–321
(दस)	पंजाब और देश के अन्य भागों में जल संरक्षण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती संतोष चौधरी	321
(ग्यारह)	पश्चिमी बंगाल में आसनसोल और रानीगंज रेलवे स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री विकास चौधरी	321–322
(बारह)	आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और तिरुपति के बीच चलने वाली तिरुमाला एक्सप्रेस रेलगाड़ी के मार्ग में परिवर्तन किये जाने के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की आवश्यकता	
	डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति	322
(तेरह)	महाराष्ट्र में नासिक रोड स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बनाए जाने तथा मुम्बई और मेवाड़ के बीच एक नई ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता	
	श्री उत्तमराव ढिकले	322

विषय	कॉलम
(चौदह) तमिलनाडु में सेलम में रेलवे मंडल खोले जाने और उसे चालू किए जाने की आवश्यकता	
डा. वी. सरोजा	323
(पन्द्रह) पश्चिमी बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मडंल	323–324
वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक	329–377
विचार करने के लिए प्रस्ताव	329
श्री टी.आर. बालू	329, 331–334, 369–374
श्री रमेश चेन्नितला	334–338
श्रीमती मेनका गांधी	338–345
श्री महबूब जाहेदी	345–348
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	348–351
श्री अनन्त गुढे	351–354
श्री विजय हान्दिक	354–356
श्री बिक्रम केशरी देव	356–359
श्री रघुनाथ झा	359–360
श्री के.पी. सिंह देव	360–363
श्रीमती जसकौर मीणा	363–364
श्री लक्ष्मण सिंह	364–367
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	367–369
खंड 2 से 38 और 1	374–376
पारित करने के लिए प्रस्ताव	377
नियम 193 के अधीन चर्चा	
देश में गन्ना किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं	377–414
श्री प्रबोध पण्डा	378–381
श्री राम नगीना मिश्र	381–385
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	385–389
श्री शरद पवार	389–393
श्री श्रीराम चौहान	393–395
श्री मुलायम सिंह यादव	395–405
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	408–409
श्री सईदुज्जमा	405
श्री महबूब जाहेदी	405–407
श्री सुरेश रामराव जाधव	407–408

लोक सभा

गुरुवार, 19 दिसम्बर, 2002/28 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब महासचिव द्वारा शपथ ग्रहण करने या प्रतिज्ञान करने के लिए सदस्य का नाम पुकारा जाएगा।

पूर्वाह्न 11.0$^{1}/_{2}$ बजे

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री ठाकोर पुंजाजी सदाजी (मेहसाना)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने पूर्व साथी श्री एन. सुन्दराजन के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री एन. सुन्दराजन सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने वर्ष 1980 से 1989 तक तमिलनाडु के शिवकाशी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वर्ष 1980-81 के दौरान, श्री सुन्दराजन याचिका समिति और वर्ष 1989 के दौरान पर्यावरण और वन समिति तथा प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। वह वर्ष 1985 के दौरान पंजाब राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1984 के तहत गठित परामर्शदात्री समिति तथा 1986 से 1989 तक नैशनल चिल्ड्रन बोर्ड के सदस्य भी रहे।

श्री सुन्दराजन व्यवसाय से कृषक और वकील थे। उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए अथक रूप से कार्य किया और वह अनेक सहकारी समितियों का गठन करने में भी सक्रिय रहे। वह 'चिन्मक्कामपथी स्मॉल मैच प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, सत्तूर' के मानद अध्यक्ष थे। वह 'मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, उप्पातूर' के अध्यक्ष भी रहे।

वह अक्तूबर, 1986 में अर्जेंटीना के बुइनस आइरेस में आयोजित 76वें अंतर-संसदीय सम्मेलन में गए भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य भी थे।

श्री सुन्दराजन का निधन 20 नवम्बर, 2002 को कुछ समय बीमार रहने के बाद 54 वर्ष की आयु में तमिलनाडु के विरुदुनगर में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

तहलका जांच आयोग के बारे में

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, हमने प्रश्न काल के निलंबन की सूचना दी है। तहलका जांच आयोग का क्या होगा? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न काल के बाद यह मुद्दा उठा सकते हैं। इसमें क्या कठिनाई है?

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। यह सत्र कल समाप्त हो रहा है। हम महसूस करते हैं कि इस मामले को इस सभा में उठाना हमारा परम कर्त्तव्य है क्योंकि सरकार इस बारे में बिलकुल मौन है। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हमेशा की तरह, देश में अधिकांश महत्वपूर्ण मामलों के

संबंध में सरकार ने सभा में इन पर सामान्यत: चर्चा नहीं कराई है। विपक्ष के साथ कठोरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। इस दृष्टिकोण से वे अनेक महत्वपूर्ण मामलों तथा घोटालों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें अपने कर्त्तव्य का पालन भी करना है। महोदय, मैं तहलका जैसे मामले पर आपका हस्तक्षेप चाहता हूं जिसके संबंध में सरकार महसूस करती है कि आयोग नियुक्त करना वांछनीय और आवश्यक था और उस आयोग ने अपना काम पूरा नहीं किया है। उस आयोग ने अपना काम क्यों नहीं किया अथवा क्यों नहीं कर पाया—मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा। देशभर यह बात जानता है। लेकिन मुद्दा यह है कि अब क्या होगा? आज हमने देखा है कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कोई नया न्यायाधीश नियुक्त करने से मना कर दिया है। तो क्या यह आयोग अपने आप समाप्त हो सकता है?

यह ऐसा मुद्दा है जिससे समाज के सही सोच वाले सदस्यों को काफी चिंता हुई है क्योंकि यह मुद्दा रक्षा मामलों से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा कि रक्षा सामानों की खरीद किस तरह की जाती है। यह बात सीधे इससे जुड़ी हुई है।

महोदय, महत्वपूर्ण व्यक्ति पहले ही इस मामले से निकाले जा चुके हैं। यह एक गंभीर मामला है कि इस देश में मीडिया के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया है। जब मीडिया के कुछ लोगों ने उच्चतम स्तर पर व्याप्त इस तरह के भ्रष्टाचार को उजागर करने का साहस किया तो सरकार उनके पीछे पड़ गई और उनकी स्थिति लगभग गौण की जा रही है। आज, तहलका मामले को लगभग समाप्त कर दिया गया है। उनके विरुद्ध एक के बाद एक मामला दर्ज किया गया है। उन्हें वित्तीय सहायता देने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं इस बात पर नहीं जाता कि उन्हें गिरफ्तार करना सही है अथवा गलत, लेकिन बात यह है कि कोई न कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। यह निर्णय कौन लेगा?

महोदय, जब हमने पहले संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त करने की मांग की थी, तो सरकार का उत्तर था, 'नहीं', हम अधिनियम के अधीन जांच आयोग नियुक्त करेंगे। सरकार ऐसा करने में पूर्णत: असफल रही है। अत:, हम मांग करते हैं कि इस मामले की जांच हेतु तत्काल संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए। प्राप्त हो चुकी सामग्री के आधार पर इस मामले की कार्यवाही शुरू की जाए। अन्यथा हम यह समझेंगे कि सरकार इस घोटाले को उजागर नहीं करना चाहती है और दोषी व्यक्तियों को सजा नहीं देना चाहती और वह इस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना चाहती है। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री जयपाल रेड्डी बोलेंगे। हम केवल एक सीमित मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रश्न काल को क्यों निलंबित किया जाए और इस विशेष मुद्दे को प्राथमिकता क्यों दी जाए। मैं इस पर लम्बा भाषण देने की अनुमति नहीं दूंगा। आप केवल अपनी बात रखिए।

...(व्यवधान)

रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): महोदय, वे शून्य काल में मुद्दा उठा सकते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं भी यही कह रहा हूं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा कही गई बात से, पूर्णत: सहमत हूं। आज, यह जांच अधर में लटकी हुई है। श्री सोमनाथ चटर्जी ने रिपोर्ट का उल्लेख किया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक न्यायाधीश नामित करने से इंकार कर दिया। समाचारपत्रों में यह खबर छपी है। क्या सभा को इस बारे में मालूम होना चाहिए अथवा नहीं? क्या सरकार को सभा को अंधेरे में रखना चाहिए? यह प्रश्न है। सरकार के दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि उसकी जांच आगे बढ़ाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है।

मुझे याद है कि आरंभ से ही हमने सोचा था कि यह विशेष तहलका प्रकरण की जांच किसी अन्य निकाय से न कराकर केवल संयुक्त संसदीय समिति से ही कराई जा सकती है। अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की जा सकती है और जांच प्रक्रिया में तेजी लाने की दृष्टि से वहीं से जांच फिर शुरू की जाए जहां वेंकटस्वामी आयोग ने जांच कार्य छोड़ा था। अत:, सरकार द्वारा वक्तव्य दिए जाने की आवश्यकता है। कल सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो रही है, इसलिए सरकार के लिए आवश्यक है कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करे। मैं समझता हूं कि सरकार को धीमी गति से कार्यवाही करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं नहीं समझता कि सरकार शुतुरमुर्ग की तरह शर्म से अपना मुंह छिपा सकती है।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, प्रश्न काल को सस्पेंड करने की बात की गई है। मेरी राय में इसका सवाल पैदा नहीं होता। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो स्थिति पैदा हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई, अखबारों में भी छप रहा है कि कोई जज नियुक्त होने को तैयार नहीं इसलिए किसी जज की नियुक्ति नहीं की जा रही है। उसके लिए

जो जिम्मेदार हैं, वे यह सवाल उठा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* पूरा विपक्ष जिम्मेदार है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम मामले पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): क्या वह सरकार की ओर से उत्तर दे रहे हैं?

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: हमने इनको आराम से सुना है, इनको भी हमें आराम से सुनना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: वह कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष जिम्मेदार है? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या वह सरकार की ओर से उत्तर दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, वह सरकार की ओर से उत्तर नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक नाम दिया, उस जज को नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद उसकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाया गया। यह कहा गया कि उसको खरीद लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बेइज्जत किया गया, उस जज को बेइज्जत किया गया। ऐसे में कोई ईमानदार जज कैसे अपने को इस तरह कठिनाई में डालेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: हमने सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा अन्य पर किसी तरह का कोई आक्षेप नहीं लगाया है। हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। हमने बार-बार यह कहा है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: यह जो हालात पैदा हुए, मेरा खुला आरोप है कि विपक्ष इसका फैसला नहीं चाहता। वह चाहता है कि यह मामला दो साल तक लटका रहे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उन्हें मामला संयुक्त संसदीय समिति को सौंपने में क्या कठिनाई है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा। ये चाहते हैं कि दो साल तक ये गलत आरोप लगाते रहें ...*(व्यवधान)* हमारे डिफेंस मिनिस्टर को यहां रिकोग्नाइज न करे। इतना गैर-लोकतांत्रिक तरीका है। एक साजिश के तहत इन्होंने आरोप लगाया और आरोप लगाने के बाद उस जज ने इस्तीफा दे दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: साजिश चल रही है, हमने कोई आरोप नहीं लगाया ...*(व्यवधान)* ये गलतबयानी कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। उन्हें अपना मुद्दा तो रखने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज आप लोग बैठिए। मल्होत्रा जी, आप भी बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार तब संयुक्त संसदीय समिति गठित करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्लीज आप बैठिए, आपका नोटिस नहीं है। मैं खड़ा हूं, थोड़ा डिसीप्लीन रखिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य यह जानते हैं कि सभा में तहलका के मुद्दे पर चर्चा की गई थी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी, आप भी बैठिए। आप तो चेयरमैन के पैनल में हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं विपक्षी पार्टियों की उत्सुकता को समझ सकता हूं। यह इस उस समाचार के कारण है, जो प्रेस में प्रकाशित हुआ है, कि वे यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई नया जज नियुक्त किया जायेगा अथवा इस मुद्दे पर कोई संसदीय समिति नियुक्त की जायेगी। आपने यह मुद्दा उठाया है, मैंने अपनी बात को सावधानी से सुना है। मैं आपको 'शून्यकाल' के दौरान बोलने का अवसर प्रदान कर रहा हूं। इसी दौरान, मैं सरकार से यह कहूंगा कि वह इस विशिष्ट मुद्दे पर किसी जिम्मेवार मंत्री से इस समय नहीं बल्कि 'शून्य काल' के दौरान वक्तव्य देने के लिए कहे। अब मैं प्रश्न काल की कार्यवाही आगे बढ़ाता हूं। 'शून्य काल' के दौरान आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): हम लोगों को भी अवसर दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उस समय आपको भी इजाजत दी जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): हम लोगों की बात सुनिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उस समय आपकी बात सुनूंगा। देखिए, मैं आपकी भावना इस विषय में समझ सकता हूं और मेरी आपसे विनती है कि प्रश्नकाल के लिए लोगों ने बहुत पहले से प्रश्न दिए हैं और इसीलिए प्रश्नकाल होने के बाद इस विषय में जो भी मंत्री जी होंगे, इस विषय में उत्तर देंगे और मंत्री जी के सामने ही आप अपनी भूमिका रखिएगा, उसका ज्यादा उपयोग आपको होगा। अभी आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह सवाल समता पार्टी के नेता रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीज से जुड़ा हुआ है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैं आपको इजाजत देने वाला हूं।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, हम एक बात कहना चाहते हैं कि जेपीसी की जो ये डिमाण्ड करते हैं, हमें मंजूर है लेकिन उसके साथ जो *...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे मैं कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं कर रहा हूं।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: देखिए, मैंने इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया है, आप अनावश्यक रूप से क्यों बोलना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं करूंगा। आपने जो कुछ भी कहा है। मैंने इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने कुछ रिकार्ड नहीं किया है। आप फिक्र क्यों करते हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है। आपको 'शून्य काल' के दौरान बोलने की अनुमति दी जाएगी। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.17 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सांविधिक बकायों के समाशोधन हेतु कोष का गठन

***423. श्री नरेश पुगलिया:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों द्वारा देय करोड़ों रुपये के सांविधिक बकायों के समाशोधन को सुनिश्चित करने हेतु एक समर्पित कोष गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से कोष का गठन किया जाएगा;

(ग) इससे सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को कितना लाभ होगा;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों में उत्तरदायी प्रणाली आरम्भ करने हेतु दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों द्वारा देय सांविधिक देयताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित कोष स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 के अंतर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपा जाता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों की पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन योजनाएं औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के निर्देश तथा पर्यवेक्षण के अंतर्गत तैयार की जाती है, जो कि रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन का परिवीक्षण करने के लिए प्राधिकृत है। इसके अलावा, प्रशासनिक मंत्रालय सरकारी क्षेत्र के संबंधित रुग्ण उपक्रम के कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षा भी करते हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि मंत्रालय के कहने के बावजूद सीसीआई अधिकारियों ने एनटीपीसी की इकाई पीटीपीएस का जो पर्यावरण संगत प्रस्ताव है, पिछले एक वर्ष से उस पर कार्रवाई न करके उसे नष्ट करने की ठान रखी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि पिछले कुछ समय से सीसीआई का विनिवेश सिकुड़ता चला गया है, वहीं इनके पदाधिकारियों के ऊपर किये गये खर्चों में विस्तार हुआ है। सरकार के निर्देश की अवहेला करते हुए पदाधिकारियों ने अपने ऊपर ब्लू-चिप कंपनी की तरफ खर्च किया है और सरकार की ओर से उस पर अंकुश नहीं लगाया गया है। क्या यह सत्य है? *...(व्यवधान)*

डॉ. वल्लभ भाई कथीरिया: इस प्रश्न का आज के प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यदि माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वे अलग से सूचना दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सीसीआई के कुछ उच्च पदाधिकारियों एवं सरकार का गलत फैसला सीसीआई के पतन का कारण है जबकि इसका खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले 6 माह से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। पर पदाधिकारी अपने एशो-आराम पर लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। क्या सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई की है? क्या कर्मचारियों के हित में ध्यान दिया गया है? इसमें सरकार क्या उपाय कर रही है? *...(व्यवधान)*

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया: अध्यक्ष महोदय, सीसीआई के बारे में हमारे माननीय सदस्य जानना चाहते हैं। मैं कहूंगा कि सीसीआई अभी डिसइंवेस्टमेंट प्रोसैस में है। हमारे दो यूनिट उनमें वैसे भी गये हैं और सीसीआई के कर्मचारियों को सैलरी भी दी जा रही है लेकिन फाइनेंशियल कांस्ट्रेंट्स की वजह से सीसीआई के जो अपने पीएसयूज हैं, उनको अपने इंटरनल रिसोर्सेज से सैलरी देनी होती है फिर भी वे नहीं दे पाते हैं.

इसलिए हम बजटरी सपोर्ट से हम बार-बार सैलरी देते रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बार-बार नहीं, कभी-कभी देते हैं। आपको तो मालूम नहीं है। मुझे मालूम है।

...*(व्यवधान)*

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया: कभी-कभी देते हैं लेकिन दो-तीन बार हमें देनी पड़ी है। ...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया: महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सारे भारतवर्ष में सैन्ट्रल गवर्नमेंट के करीबन 76 पब्लिक सैक्टर इंडरटेकिंग्स बन्द होने के रास्ते पर हैं और हजारों मजदूरों का प्रश्न इन अंडरटेंकिंग्स से जुड़ा हुआ है। देश के हालात को देखते हुए पिछले चार-पांच सालों में आपको पता है, अध्यक्ष जो आप भी उस मंत्रालय के मंत्री रहे हैं, कि केन्द्रीय सरकार सीरियस नहीं है। बार-बार सदन में इस प्रश्न को उठाने के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी ने तीन मंत्रियों—फाइनेंस मिनिस्टर, इन्डस्ट्री मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर, की कमेटी श्री के.सी. पंत जी की अध्यक्षता में बनाई। इन 73 पब्लिक सैक्टर इंडरटेंकिंग्स में वालन्ट्री रिटायरमेंट स्कीम्स और सैलरीज के अन्दर 2 हजार 70 करोड़ रुपये मजदूरों का देना बाकी है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है-इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों द्वारा भुगतान हेतु सांविधिक बकाया के निपटान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सभी के लिए समर्पित निधि जुटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने टोटल नैगेटिव उत्तर दिया है। कई सालों से इन पब्लिक सैक्टर अंडरटेंकिंग्स में कामगार काम कर रहे हैं और केन्द्रीय सरकार की गलत नीतियों की वजह से वहां बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। केन्द्रीय सरकार सीरियस न होने की वजह से मजदूरों को वेतन और पीआरएस का पैसा नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन 73 पब्लिक सैक्टर अंडरटेंकिंग्स के अन्दर 2 हजार 70 करोड़ रुपए मजदूरों का देना बकाया है, इस राशि का आप कब तक भुगातन करेंगे और इसके साथ ही डिसइन्वैस्टमेंट के अन्दर सरकार ने अरबों रुपया जमा किया है, क्या इस पैसे से वीआरएस और वेजेज देने की व्यवस्था करेंगे? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है-जो पब्लिक सैक्टर अंडरटेंकिंग्स सिक होने जा रही हैं, उनकी जांच करने के लिए क्या सरकार एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएगी, जिसके माध्यम से समस्या का समाधान निकल सके?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): महोदय, इनका कहना सही है कि स्पैसिफिक डैडिकेशन का प्रश्न इसमें है, जो अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन इनका कहना ठीक नहीं है कि सरकार सीरियस नहीं है। 71 पीएसयूज ऐसी हैं, जिनमें 1627 करोड़ रुपया स्टैचुटरी रिड्युस का बकाया है। सीरियस होने के कारण ही पिछले पांच सालों में सरकार ने 4827 करोड़ रुपए बजटरी सपोर्ट दी है और स्टैचुटरी रिड्युस के लिए 107.57 करोड़ रुपया दिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय आप भी इस मंत्रालय के मंत्री रहे हैं, कि बीआईएफआर के माध्यम से 68 कम्पनीज का स्टेटस आया है, उनके अनुसार-

[अनुवाद]

कम्पनियां जांचाधीन हैं, कम्पनियों की प्रारूप योजना परिचालित की गई है, 17 कम्पनियों की पुनरुद्धार योजना स्वीकृत की गई है, 1 कम्पनी विफल हुई और पुन: शुरू की गई, 12 कम्पनियों को बंद करने की अधिसूचना जारी की गई, 18 कम्पनियों को बंद करने की सिफारिश की गई, 5 कम्पनियों को अव्यवहार्य मानकर रद्द किया गया, 2 कम्पनियों को रुग्ण न होने की घोषणा की गई।

[हिन्दी]

हम कोशिश कर रहे हैं और रिवाइवल पैकेज दिया है।

तीसरी बात, आपने सरकार के सीरियस न होने की कही है, मैं बताना चाहता हूं कि सन् 2000 में जीओएम तय हुआ था। सैक्रेटरीज की मीटिंग, जब आप इस विभाग में मंत्री थे, हुई। प्रापर्टी एटैच करके अधिकारी कार्यवाही करें। इस हिसाब से टोटल यूनिट 232 हैं। इन पर कार्यवाही कर टोटल एमाउन्ट 478 करोड़ है और रिकवर्ड 125.99 करोड़ रुपए। बीआईएफआर के पास 106 यूनिट हैं और एमाउन्ट रिकवर्ड 265.65 करोड़ रुपए हैं। 9 कोर्ट केसेज में एमाउन्ट 18 करोड़ रुपये है। रिलाइजेबल एरियर्स 117 यूनिट में 194.74 करोड़ आ गए हैं। टोटल नम्बर ऑफ मेम्बर्स, यानी एम्पलाइज लगभग दो लाख 50 हजार हैं, लेकिन सब मिला कर स्टेचुटरी ड्यूस वाले, इंडियन एयरलाइंस का कम होने के कारण लगभग दो लाख 35 हजार हुआ है। सैक्शन आठ में 23 के ऊपर कार्यवाही हुई है, प्रोसिक्यूशन तीन लोगों के ऊपर चल रहा है। सैक्शन 8एफ के लिए जो अकाउंट सील कर जाते हैं, वह 45 हैं और सैक्शन 406-409 में जो मिस एप्रोप्रिएशन होता है, इसमें 45 के ऊपर कार्यवाही की है और दस के ऊपर भी मिस-एप्रोप्रिएशन के लिए कार्यवाही की है। केसेस फॉर विच प्रोसिक्यूशन परमिशन साउट, पांच के ऊपर एचएमटी ऐसे हैं, इंस्ट्रुमेंटेशन है, हिन्दुस्तान कोपर लि. में पांच के ऊपर कार्यवाही के लिए परमिशन मांगी है। केसेस फॉर सीपी 25 प्लस चार के ऊपर है और केसेस फॉर सीपी 1 प्लस 12 हैं। सरकार प्रोपर्टी

अटेच करने के अलावा भी प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी कार्यवाही कर रही है। हम चाहते हैं कि मजदूरों की रक्षा हो, इसमें कोई रुकावट न हो। स्टेचुटरी ड्यूस के लिए आपको पता है, आप खुद ही ट्रेड यूनियन के लीडर हैं। अध्यक्ष जी, आप भी उसमें नेता थे और अभी भी हैं। जिनका पैसा बकाया है, उसे इंटरस्ट के साथ दिया जाता है। तुरंत जितना भुगतान होना चाहिए, उतना नहीं हुआ, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार इसके लिए कुछ बजटरी सपोर्ट से कोशिश कर रही है। आपको पता है कि जब बीआईएफआर के साथ केस हो जाता है तो वह कई सालों तक चलता है, क्योंकि इसके बगैर निपटारा होना बड़ा मुश्किल है। *...(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया: महोदय, मेरे बी पार्ट का उत्तर नहीं मिला। मैंने कहा कि इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एपाइंट करने की कोशिश करेंगे।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई है, वह रिवाइज हो गई है और एक फाइनल रिकोमेंडेशन एक-डेढ़ महीने के अंदर हो जाएगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, इस सभा में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और कामगारों को सांविधिक बकाया के भुगतान का प्रश्न कई बार उठाया गया है।

महोदय, आज कुल राशि 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक है जिसमें वीआरएस का भुगतान, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और वेतन भी शामिल है। सांविधिक बकाया में ग्रेच्युटी, भविष्यनिधि और वेतन भी शामिल है।

महोदय, कल हमने एनजेएमसी के कामगारों द्वारा आत्महत्या करने का मुद्दा उठाया था। हमने बर्न स्टेण्डर्ड के कामगारों द्वारा आत्महत्या करने का मुद्दा भी उठाया था।

मंत्रियों का दल इस मुद्दे की जांच कब करेगा और सांविधिक बकाया के भुगतान के संबध में त्वरित कार्यवाही कब करेगा? मंत्रियों का दल अगस्त माह में गठित किया गया था।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रशासनिक मंत्रालय को ऐसे कामगारों, जो सेवानिवृत्त हुए हों और जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली हो, को बिना किसी और विलम्ब के सांविधिक बकाया निपटाने हेतु कोई निदेश दिया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय विशेष कर भारी उद्योग मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र से सेवानिवृत्त और इसके साथ ही उनमें कार्यरत कार्यवाहियों और कामगारों का सांविधिक बकाया शीघ्र निपटाने के संबंध में क्या कार्यवाही की है?

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों में फर्क हो सकता है। 1627 करोड़ रुपए बकाया हैं। वीआरएस के पैसे हम तुरंत दे सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक स्टेचुटरी ड्यूस का सवाल है, मैंने अभी कहा है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की फाइनल मीटिंग हो रही है, उसमें सारा निर्णय होगा। अभी तक यह हो रहा है कि सभी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज अपने असेट या प्रोपर्टी बेच कर, जितना स्टेचुटरी ड्यूस देना चाहते हैं, वे दे रहे हैं। बीआईएफआर के पास भी केस भेजे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: उपदान और भविष्य निधि के भुगतान के मामलों को बीआईएफआर को क्यों सौंपा जा रहा है? उपदान और भविष्यनिधि के भुगतान के संबंध में बीआईएफआर क्या करेगा?

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष जी, जब रिवाइवल पैकेज होता है माननीय सदस्य को पता है कि रिवाइवल पैकेज में ये सब बातें कही जाती हैं, इसलिए उसमें अंतर हो जाता है। जहां रिवाइवल पैकेज की जरूरत है, वहां प्रोपर्टी और असेट बेच कर पैसा देने की कोशिश हो रही है। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: जब वह मर जाएगा तब होगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस: महोदय, माननीय मंत्री ने बड़ी सरलता से यह विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया कि सभी रुग्ण उद्योगों को बीआईएफआर को सौंप दिया गया है। बीआईएफआर सभी रुग्ण उद्योगों का अंतिम पड़ाव जैसा है क्योंकि यह मामला वहां पांच अथवा छः वर्षों से लम्बित है। कई उद्योगों में कामगारों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। आप पुनर्वास पैकेज और अन्य बातों के बारे में बात कर रहे हैं। परन्तु कामगारों के वेतन का क्या होगा? कामगारों का वेतन प्रबंधन के लिए समान रूप से सांविधिक दायित्व है। कामगार लोग पुनर्वास पैकेज आने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। बीआईएफआर और पुनर्वास पैकेज के विचाराधीन रहते हुए भी कामगारों की भविष्य निधि और अन्य सांविधिक दायित्वों की तरह वेतन का भुगतान किया जा सकता है। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से यह प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या सरकार

पुनर्वास पैकेज लम्बित होने पर कामगारों को वेतन का भुगतान करने के लिए तैयार है?

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष जी, साधारणत: रिसोर्सेज के अंतर्गत सैलरी पे की जाती है। दो-तीन कंपनियों की सैलरी तीन से छ: महीने की बाकी है लेकिन बाकी की पेमैंट हो रही है। हम तो चाहते हैं कि वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले। आपका कोई स्पैसिफिक केस हो तो आप मुझे बताइये, हम उसका ख्याल रखेंगे।

श्री चन्द्रकांत खैरे: माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर कोई स्पैसिफिक केस हो तो बताइये। मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद के सम्भाजी नगर में एचएमटी कंपनी है और उसकी सिस्टर कंसर्न्स कंपनियां हैं जिनमें घड़ियां, ट्रैक्टर और मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं। हमारे यहां जो एचएमटी की यूनिट है उसका डिस-इंवैस्टमेंट हो रहा था जिसको हमने एजीटेशन करके रोका। वह कंपनी लाभ में भी आई है। उसमें 25 एकड़ जमीन है। एचएमटी की जो दूसरी यूनिट है अगर उसमें भी ट्रैक्टर का निर्माण किया जाए तो वह भी लाभ में आ सकती है और एचएमटी कारपोरेशन चल सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है?

दूसरा, बीआईएफआर के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसमें 10 साल का समय लगता है। क्या ऐसा कोई प्रस्ताव आपकी मिनिस्टरी से वित्त मंत्रालय को जाएगा जिससे बीआईएफआर को जजमेंट देने के लिए टाइम-लिमिट, एक साल या दो साल रखी जाए। क्या आप इस बारे में कुछ सजैशन देंगे?

श्री बालासाहिब विखे पाटील: सर, औरंगाबाद यूनिट को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मैंने वहां खुद विजिट किया है और उसमें अच्छा काम कैसे हो सकता है, इस कोशिश में हम लगे हुए हैं। यह भी कोशिश है कि सरकारी यूनिट को बीआईएफआर से बाहर कैसे लें। लोक सभा में जो कंप्टीशन-लॉ पास हुआ है उसमें ट्रिब्यूनल की बात आ जाती है। इसलिए बीआईएफआर में वह नहीं लेंगे।

श्री चन्द्रकांत खैरे: जजमेंट के लिए समय-सीमा होनी चाहिए।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: नया कानून बन जाएगा, तब करेंगे।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल शोधक कारखानों की क्षमता का उपयोग

***424. श्री पवन सिंह घाटोवार:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी तेल शोधक कारखाने अपनी अधिष्ठापित क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास पूर्वोत्तर के तेल क्षेत्रों के अन्वेषण में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि तेल शोधक कारखानों को बचाने के लिए और उन्हें अर्थक्षम बनाकर पूरी क्षमता से संचालित किया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इन तेल शोधक कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था के उपरांत उत्तर पूर्व रिफाइनरियों की व्यवहार्यता उनके अल्प-मितव्ययी आकार पूर्ण क्षमता उपयोग के लिए कच्चे तेल की अनुपलब्धता तथा उस क्षेत्र में उत्पादों की कम मांग के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

उत्तर पूर्व क्षेत्र में शीघ्रता से तेल एवं गैस का पता लगाने तथा तेल एवं गैस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नांकित उपाय किए गए हैं:

(1) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) जो निवेशकों को आकर्षक राजकोषीय पैकेज तथा संविदा शर्तें उपलब्ध कराती है, के माध्यम से अन्वेषण कार्य में तेजी लाना।

(2) उत्पादनशील क्षेत्रों से निकासी घटक में वृद्धि करने तथा कच्चे तेल के उत्पादन में कमी को काबू करने के लिए वर्द्धित तेल निकासी (ईओआर) तथा उन्नत तेल निकासी (आई ओ आर) परियोजनाएं आरम्भ करना।

(3) उत्पादन सुधारने के लिए वर्कओवर प्रचालनों में वृद्धि करना।

(4) विद्यमान क्षेत्रों से उत्पादन इष्टतम करने के लिए रिजर्वायर प्रबंधन को सुधारना।

(5) अन्वेषण एवं उत्पादन प्रयासों को बढ़ाने के लिए पर्यावरणीय एवं अन्य प्रचालन संबंधी मुद्दों का समाधान करना।

उत्तर पूर्व रिफाइनरियों की व्यवहार्यता को सुधारने के लिए सरकार ने इन रिफाइनरियों के उत्पादन पर 50% उत्पाद शुल्क छूट प्रदान की है। आगे, इन रिफाइनरियों में संसाधन के लिए इस क्षेत्र के बाहर से कम गंधक अंश वाला कच्चा तेल जुटाने संबंधी मुद्दा भी विचाराधीन है।

श्री पवन सिंह घाटोवार: महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि उपआर्थिक आकार, शोधनशालाओं की व्यवहार्यता जैसे विभिन्न कारणों के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

मैं निजी तौर पर यह महसूस करता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्या का सर्वोत्तम समाधान स्वदेशी कच्चा तेल होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कच्चा तेल प्राप्त करने की व्यापक संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो साधनों की दृष्टि से दुर्गम क्षेत्र है, के अन्वेषण किए जाने वाले क्षेत्रों में 5500 मीटर की गहराई और इससे भी कम ऊंचाई पर तेल संसाधन उपलब्ध हैं।

भूगर्भीय सर्वेक्षण के माध्यम से ऐसी गहराई में स्थित भंडारों की पहचान करने और अन्वेषणात्मक खनन द्वारा गहराई में स्थित भंडारों के परीक्षण हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और अधिक लागत वाले आदान दोनों ही अपेक्षित होंगे। जटिल और दुर्गम भौगोलिक स्थापना और कुएं की गहराई के कारण इसकी खनन लागत बढ़ जाएगी। इस वजह से आयल इंडिया लिमिटेड और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम सीमांत के सुविधा की दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों में अन्वेषण कार्यकलापों को बढ़ाने में बहुत इच्छुक नहीं हैं।

तेल क्षेत्रों में आईओआर और ईओआर कार्यकलापों से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और इसके साथ-साथ राज्य सरकार को रायल्टी भी मिलेगी जो कि आय का एक प्रमुख स्रोत है। बढ़ते हुए आयात शुल्क, जो कि 45000 करोड़ रुपये से भी अधिक है, को देखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के इन दुर्गम और गहराई वाले क्षेत्र में अन्वेषण हेतु आयल इंडिया लिमिटेड और तेल और प्राकृतिक गैस निगम को कुछ और प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र की शोधनशालाओं को कच्चा तेल कब तक उपलब्ध करायेंगे।

श्री राम नाईक: महोदय, पहले मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत गलत आंकड़ों को सही करता हूं। हमारा आयात 45000 करोड़ रुपये का नहीं है बल्कि, गत वर्ष हमारा आयात 78000 करोड़ रुपये था। जहां तक अन्वेषण और उत्पादन बढ़ाने का संबंध है, हमने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति तैयार की है। उस नीति के अंतर्गत दूसरे दौर में हमने एक ब्लाक दिया है; और तीसरे दौर में हमने चार ब्लाक दिए हैं। इस प्रकार अन्वेषण के लिए हमने और पांच ब्लाक दिए हैं।

जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराये जाने का संबंध है, मैं केवल दो आंकड़े दे रहा हूं। नौवीं पंचवर्षीय योजना में, पूर्वोत्तर और अन्य क्षेत्रों में शोधनशालाओं का कुल परिव्यय 4,500 करोड़ रुपये था। इसके विपरीत हम दसवीं पंच-वर्षीय योजना—जो पारित हो जाएगा मुझे उम्मीद है कि एनडीसी इसे कल पारित कर देगा—में 6,688 करोड़ रुपये का प्रस्ताव कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें 2200 करोड़ रुपये अथवा 50 प्रतिशत अतिरिक्त परिव्यय है। यदि मैं इसकी पिछले 40 वर्षों से तुलना करता हूं जब कुल 12,367 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई थी और यह 6688 करोड़ रुपये का यह आवंटन उस राशि से पचास प्रतिशत से भी अधिक है जो गत 40 अथवा 45 वर्षों में व्यय की गई। हम अपनी सर्वोत्तम कोशिश कर रहे हैं।

जहां तक रव्वा कच्चे तेल के बारे में माननीय सदस्य द्वारा संदर्भ का संबंध है, इस समय पूर्वोत्तर उत्पादन पर्याप्त नहीं है। अधिष्ठापित क्षमता अत्यधिक है। यह 7 मिलियन मीट्रिक टन है। हमें थोड़ा कच्चा तेल बाहर से लाना होगा। हम इस प्रस्ताव की जांच कर रहे हैं। यदि हम उतनी मात्रा में रव्वा कच्चा तेल लाएंगे तो प्रसंस्करण के लिएं अधिक कच्चा तेल उपलब्ध होगा। यह मुद्दा विचाराधीन है।

श्री पवन सिंह घाटोवार: माननीय मंत्री ने निजी तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा किया है और उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में लघु शोधनशालाओं की कठिनाइयों को कम करने में रुचि प्रदर्शित की है।

माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में पूर्वोत्तर क्षेत्र को 50 प्रतिशत उत्पाद शुल्क की राहत देने के बारे में उल्लेख किया है। हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं परन्तु इसमें एक अन्याय किया गया है। 21 और 22 जनवरी को पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में, और जहां माननीय वित्त मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष उपस्थित थे, माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद नई उद्योग नीति के एक

हिस्से के रूप में नुमालीगढ़ शोधनशाला के लिए उत्पाद शुल्क में राहत लागू की गई।

महोदय, नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाने को एक वर्ष के लिए उत्पाद शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिली है। उसे दस वर्ष के लिए घोषित किया गया था। लेकिन, माननीय वित्त मंत्री ने अचानक उस राहत को 100 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को गलत संदेश मिला है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपना प्रश्न पूछेंगे?

श्री पवन सिंह घाटोवार: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाने को तुरंत उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करने पर विचार करेगी?

श्री राम नाईक: महोदय, मैं माननीय संसद सदस्य को आश्वस्त कर दूं कि ऐसा नहीं है कि सरकार विचार करेगी अपितु सरकार वर्तमान में ही इस पर विचार कर रही है कि किस प्रकार उत्पाद शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाए। यह मुद्दा विचाराधीन है और मुझे आशा है कि इसे संतोषजनक रूप से हल कर लिया जाएगा।

श्री पी.एच. पांडियन: धन्यवाद महोदय, ओ.एन.जी.सी. सरकारी क्षेत्र का एक उत्कृष्ट उपक्रम है जो कि अच्छा कार्य कर रहा है। हजारों कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की मांग कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन अधिकारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करेगी जिन्होंने इस योजना को चुना है।

श्री राम नाईक: महोदय, यह मुद्दा मुख्य प्रश्न से शायद ही संबंधित है। लेकिन हम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के बारे में ओ.एन.जी.सी. के प्रस्ताव की जांच कर रहे हैं। ओ.एन.जी.सी. में क्या यह हुआ है कि एक अधिकारी के लिए दो कनिष्ठ व्यक्ति हैं। अत: अधिकारियों का प्रतिशत बहुत बढ़ गया है। इसीलिए सरकार द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के ओ.एन.जी.सी. के इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

श्री के.ए. सांगतम: महोदय, अभी-अभी माननीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि कच्चे तेल की कमी के कारण वे बाहर से कच्चे तेल का आयात कर सकते हैं। मैं इसके विरोधस्वरूप यह कहना चाहूंगा कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को असम की सीमा पर स्थित नागालैंड की तलहटी में कच्चे तेल के बड़े भंडार मिले हैं।

मैं माननीय मंत्री जी को यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि निजी भू-स्वामी, जिनकी जमीन में ये भंडार हैं थोड़ी सी कमीशन लेकर राज्य सरकार से वहां खनन हेतु सहमति जता चुके हैं। क्या माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री सदन को सूचित करेंगे कि क्या सरकार द्वारा नागालैंड की तलहटी में कच्चे तेल की खोज और खनन का कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है?

श्री राम नाईक: महोदय, सदन को ज्ञात है और सारा देश भी यह बात जानता है कि नागालैंड में समस्या के कारण 1994 से वहां काम बंद है। हां कुछ सीमा तक वहां यह प्रयास किया जा रहा है कि हमारे लोग वहां जाएं और वहां कच्चे तेल की खोज और खनन का प्रयास करें और हम इस दिशा में अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी की स्थिति के अनुसार वहां कार्य करने से पूर्व अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। पिछले महीने ही वहां गए कुछ अधिकारियों को कत्ल कर दिया गया था। बिना अतिरिक्त परेशानी पैदा किए, यदि यह प्रयास सफल रहता है तो हम निश्चित रूप से पूर्वोत्तर राज्यों से अधिक कच्चा तेल प्राप्त कर पाएंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सोमैया जी, प्रश्न पूछिए।

श्री किरीट सोमैया: अभी नहीं, एक मिनट बाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। अब श्री प्रियरंजन दासमुंशी अपना प्रश्न पूछेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, चूंकि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि हमारा वर्तमान आयात बिल 78,000 करोड़ रुपये का है तो क्या माननीय मंत्री जी इस सदन को सूचित करेंगे कि क्या उनके मंत्रालय ने दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हमारे आयात बिल को घटाने और आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की दिशा में घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने हेतु भविष्य के लिए कोई योजना बनाई है? इसको ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि गत कई वर्षों के अथक प्रयासों के बाद ओ.एन.जी.सी. को पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में नए भंडारों का पता लगा है और यदि हां, तो तत्संबंधी कार्य कब तक आरंभ हो जाएगा।

श्री राम नाईक: पुन: पूर्वोत्तर से बाहर जाना मेरे लिए एक समस्या रही है। मैं आंकड़े तो नहीं दे सकता लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि हम अपना आयात घटाने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी इस नई अन्वेषण नीति के माध्यम से हमने गत 10 वर्षों

में दिए गए 22 खण्डों (ब्लाक) की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान 70 खण्ड (ब्लाक) दिए हैं। हम 1 जनवरी, 2003 से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना भी आरंभ कर रहे हैं।

नौ प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में हम पांच प्रतिशत इथेनॉल मिलाना आरंभ करेंगे। हमने सी.बी.एम. खण्ड (ब्लाक) भी दिए हैं। जहां तक उनके द्वारा सुन्दरवन के बारे में पूछे गए प्रश्न का संबंध है तो मुझे उसके बारे में देखना पड़ेगा। मैं माननीय संसद सदस्य को इस बारे में अलग से पत्र लिखकर सूचित कर दूंगा।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: मैं यह बताना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र से कच्चे तेल की कमी के कारण बरौनी तेल-शोधक कारखाने की तो बात ही क्या बोंगाईगांव तेल-शोधक कारखाने को भी पूर्वोत्तर क्षेत्र से कच्चा तेल नहीं मिल रहा है। इन दोनों तेल शोधक कारखानों को हल्दिया से प्राप्त आयातित कच्चा तेल उपलब्ध कराकर सारा काम किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों की मांग को पूरा करने हेतु म्यांमार से कच्चा तेल आयात करने का कोई प्रस्ताव है।

श्री राम नाईक: जहां तक म्यांमार से हमारे प्रयासों का संबंध है हम उन्हें अपना कुछ पेट्रोल और डीजल निर्यात करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने वहां भी अन्वेषण हेतु एक खण्ड (ब्लाक) लिया है। अत: हम यह प्रयास कर रहे हैं। हम इन प्रयासों को जारी रखे हुए हैं। जैसे ही हमें उस खण्ड में तेल मिलेगा, जो कि हमें म्यांमार में दिया गया है, हम वह करने का प्रयास करेंगे।

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, पूर्वोत्तर में घुसपैठ हो रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित प्रश्न में भी घुसपैठ की बात ...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं लेकिन मैं एक प्रश्न के बारे में विशेष रूप से पूछना चाहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र, सिल्चर, में भी खुदाई का काम जारी है और स्थानीय अधिकारियों ने मुझे बताया है कि बहुत सकारात्मक परिणाम मिलने की आशा है। कच्चे तेल की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या वे सिल्चर में वाणिज्यिक स्तर पर खुदाई करेंगे? यही मेरा प्रश्न है।

श्री राम नाईक: महोदय, मैंने व्यक्तिगत रूप से इनके निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं किया है। अत: मुझे नहीं पता कि वे वास्तव में किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे विचार से मैं एक दिन वहां जाऊंगा और देखने का प्रयास करूंगा। यदि कहीं भी और अधिक तेल उपलब्ध है तो हम वहां अवश्य खुदाई कराएंगे। लेकिन पहले अन्वेषण का कार्य होगा। उसके बाद ही व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन आरंभ किया जा सकता है। एक दिन हम साथ-साथ वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं कि अच्छे से अच्छा क्या किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 425, श्री ए. नरेन्द्र।

श्री ए. नरेन्द्र: महोदय, प्रश्न संख्या 425।

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): महोदय, सीमा सड़क संगठन अभी तक कुल 222 स्थायी पुलों का निर्माण कर चुका है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, हम यह महसूस करते हैं कि जब तक संयुक्त संसदीय समिति का गठन नहीं हो जाता तब तक हम इन्हें मंत्री के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। अत: हम बहिर्गमन कर रहे हैं।

पूर्वाह्न 11.47 बजे

(इस समय, श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय संसद सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकर्ता को उसके प्रश्न का उत्तर सुनने दिया जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय, यह देश की सुरक्षा का सवाल है और देश की रक्षा के लिए देश के नौजवान अपनी जान को कुर्बान करते हैं। जिस प्रकार से पिछले चार-पांच महीने से विपक्ष माननीय रक्षा मंत्री महोदय के साथ व्यवहार कर रहा है, वह बहुत आपत्तिजनक है। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवाजी माने: अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के इस प्रकार के व्यवहार को देखते हुए हम भी नेता प्रतिपक्ष को नहीं सुनेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए।

प्रो. रासासिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, विपक्ष अप्रजातांत्रिक, अलोकतांत्रिक व्यवहार कर रहा है। यह ठीक नहीं है। यह असहनीय है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय मंत्री जी को श्री ए. नरेन्द्र के प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं विपक्ष से इस मुद्दे पर एक लंबे समय से चर्चा कर रहा हूं। इस मुद्दों को आपसी बातचीत से हल किया जा सकता है। तब तक मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं और आप सभी को उनके साथ सहयोग करना चाहिए। जो उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी: अध्यक्ष महोदय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप विपक्ष के इस अप्रजातांत्रिक एवं अलोकतांत्रिक व्यवहार के लिए उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री जी से उत्तर जानना चाहते हैं या नहीं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। हम विपक्ष के नेता को भी नहीं सुनेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया जाना

*425. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एवं महानिदेशक, सीमा सड़क संगठन द्वारा स्वीकृत सीमा पर स्थित सड़कों पर बने पुलों को कई वर्षों के बाद भी पूरा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस असामान्य विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन पुलों के निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन पुलों के निर्माण कार्य को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) सीमा सड़क संगठन ने अभी तक कुल 222 स्थायी पुलों का निर्माण किया है। इस समय 89 पुल निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से निम्नलिखित 7 पुलों के निर्माण में 5 वर्षों से अधिक का विलंब हुआ है:

अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट, लोहित एवं तवांगचू; जम्मू व कश्मीर में चेनाब, वोयिल और किजीपोरा; हिमाचल प्रदेश में खुरदंगमा।

विलंब के मुख्य कारण हैं—दुर्गम्यता, अत्यधिक प्रतिकूल मौसम, बार-बार बाढ़ आना, नदी के तल में फाउंडेशन कुएं स्थापित करने में कठिनाई, आतंकवाद तथा ठेकेदारों द्वारा काम छोड़ देना।

(ग) सभी पुलों के निर्माण कार्य की गहन मानीटरी की जा रही है ताकि यह कार्य जल्दी पूरा हो जाए। सीमा सड़क संगठन द्वारा किए गए उपायों में उपयुक्त स्थल का चयन, अधिकारियों एवं अधीनस्थ कार्मिकों को ड्यूटी के दौरान प्रशिक्षण, कंप्यूटर की सहायता से बने डिजाइनों की शुरुआत करना आदि शामिल है।

(घ) वोयिल तथा किजीपोरा पुलों के मामले को छोड़कर, जहां निर्माण-कार्य न्यायालय के मुकदमों की वजह से रुक गया है, अन्य पुलों के निर्माण-कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा किए जाने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। ऊपर पैरा (क) और (ख) में दिए गए उत्तर में उल्लिखित कठिनाइयों की वजह से कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: रक्षा मंत्री जी कृपया आप प्रश्न का उत्तर दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अब आप सब लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए। आप मंत्री महोदय के भाषण में व्यवधान कैसे डाल सकते हैं?

...(व्यवधान)

श्री लाल मुनी चौबे: अध्यक्ष महोदय, ...*उस संबंध में कोई मामला सदन में नहीं आया, इससे सदन की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। दूसरा नम्बर था कि एक लैटर यहां आया ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, हमें ये सुनने नहीं दे रहे हैं। अगर वे आयें जो वाक आउट कर गये हैं और बोलें तो आप मत बोलने देना, लेकिन अभी मंत्री महोदय बोल रहे हैं तो आप सुनने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। सदन में सदस्य उनका उत्तर सुनना चाहते हैं। मैंने आपको इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठिए। प्रश्नोत्तर काल में प्रश्न का उत्तर आ जायेगा। इस विषय में आप जो कुछ कहना चाहते हैं, बाद में जीरो ऑवर में बोल सकते हैं। प्रश्नकाल में मैं कैसे आपको इजाजत दे सकता हूं। जिन लोगों को उत्तर सुनना है, वे बैठें, जिनको नहीं सुनना है, वे बाहर जायें।

श्री मुलायम सिंह यादव: यह गम्भीर मामला है, वे आज वाक आउट कर गये हैं, अब हम सुनना चाहते हैं, लेकिन ये हमें सुनने नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको सुनने देना चाहिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव: अगर यही बात है तो जब वे आयें तो उनको मत बोलने देना। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो नहीं सुनना चाहते हैं, वे बाहर जायें। वे सुनना चाहते हैं तो आपको मंत्री जी को सुनना पड़ेगा। जी हां, मंत्री महोदय आप अपना उत्तर जारी रखें। आपको प्रश्न उठाना है तो जीरो ऑवर में उठाइये।

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा: माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह मैंने यह मुद्दा उठाया था कि सीपीआईएम और कांग्रेस के बीच बेमेल गठबंधन है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री पांजा, मैं इस स्तर पर किसी को कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइए। आप बाहर जाकर उनसे सभा से बाहर जाने का कारण पूछ सकते हैं और फिर सभा में आकर बता सकते हैं।

श्री ए. नरेन्द्र : महोदय, मंत्रीजी ने मुझे लिखित उत्तर दे दिया है। मैं अपना पहला अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

मैं समझता हूं कि सीमा सड़क संगठन को गृह मंत्रालय द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ सड़क के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। यदि ऐसा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और परियोजना का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सीमा सड़क संगठन ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 को बेहतर बनाने, उसके दोहरीकरण और रखरखाव के लिए कोई समयबद्ध कार्ययोजना बनाई है क्योंकि यह त्रिपुरा को बाकि देश से जोड़ने हेतु एकमात्र राजमार्ग है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: महोदय, इस तरह के विशेष मामलों और उनकी प्रगति संबंधी उत्तर देने के लिए मुझे इस समय सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ए. नरेन्द्र: मेरा दूसरा सप्लीमेंट नहीं हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बैसीमुथियारी, क्या आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं? उनका प्रश्न अधूरा रह गया है।

श्री ए. नरेन्द्र: मुझे उत्तर से यह बात समझ में आई है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 की कुल 904 कि.मी. लंबाई में से करीब 567 कि.मी. खराब हालत में है। बीआरओ ने सड़कों की हालत सुधारने हेतु क्या कदम उठाए हैं ताकि सीमा से लगी हमारी सड़कें परिवहन विशेषकर सेना के कार्य के लिए अच्छी हालत में रहें?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: जहां कहीं भी बीआरओ को कार्यभार सौंपा है, वे अपना कार्य करेंगे। जो भी विशेष प्रश्न माननीय सदस्य के मन में है, जैसाकि मैंने उनके पहले प्रश्न के उत्तर में कहा है। मुझे जब तक सूचना नहीं मिलेगी तब तक मैं प्रत्येक सड़क और पुल की हालत के बारे में नहीं बता पाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: सही है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुखियारी: माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आज प्रश्न काल के दौरान बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं। काफी साल पहले भारत सरकार और असम सरकार ने बोडोलैंड ऑटोनॉमस रिजन में कुछ रास्ते और ब्रिजेज बनाने के लिए बीआरओ को दायित्व दिया था। लेकिन सम्पूर्ण रुपया नहीं मिलने की वजह से वह काम आज तक पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि आज तक उस एरिया में रास्ते और ब्रिजेज का काम क्यों नहीं पूरा हो पाया है? बोडोलैंड बहुत पिछड़ा हुआ अंचल है। वहां आतंकवाद के कारण भयानक स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन आज तक हिन्दुस्तान की सरकार की तरफ से चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे असम सरकार के पी.डब्ल्यू.डी. हो या होम मिनिस्ट्री हो, उस एरिया में किसी रास्ते और ब्रिज को बनाने का काम अपने हाथ में नहीं लिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप उत्तर चाहते हैं तो आपको संक्षेप में और सटीक प्रश्न पूछने पड़ेंगे। कृपया अब आप बैठ जाइए। समय समाप्त हो जाएगा और आपको मंत्री महोदय से उत्तर नहीं मिलेगा। कृपया अब आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुखियारी: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां सस्ता और ब्रिजेज बनाने का काम कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: महोदय, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि निधि की कमी के कारण उनके क्षेत्र बोडोलैंड की एक विशेष परियोजना शुरू नहीं हो पायी है। मुझे ऐसी किसी परियोजना की जानकारी नहीं है। मैं निश्चित ही पता लगाऊंगा कि वो परियोजना कौन सी है। मुझे नहीं लगता कि निधि की कमी के कारण पूर्वोत्तर या संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में जहां आमतौर पर सीमा सड़क संगठन का कार्य चलता है, किसी परियोजना को रोका गया हो।

महोदय, यदि विलम्ब होता है तो वह उन कारणों से होता है जिन पर न तो बीआरओ का और न ही रक्षा मंत्रालय का नियंत्रण रहता है। इसका कारण वहां का मौसम, हिमखंड या बर्फबारी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अलगाववाद और अन्य तरह की समस्याएं वहां काम करने वाले कर्मकारों के समक्ष आती हैं। औसतन हम रोजाना 300 से 400 कर्मकारों को प्रति वर्ष खोते हैं। वे या तो अलगाववादियों का निशाना बनते हैं या वहां की कठिन जलवायु को झेल नहीं पाते हैं। हमारे आदमी वहां यथासंभव बेहतर कार्य कर रहे हैं।

श्री के. मलयसामी: महोदय, मंत्रीजी ने यह माना है कि कार्य में असामान्य विलम्ब हुआ है। बहुत ही खूबसूरत नौकरशाही वाला उत्तर दिया गया है। विलम्ब के कारण और सरकार द्वारा कार्य को पूरा न कर सकने के कारण उत्तर में दिए गये हैं। परन्तु आश्चर्य इस बात का है कि उत्तर यह है 'कोई निर्धारित समय-सीमा तय नहीं की जा सकती'। हमें यह जानकर खेद हुआ। भगवान के काम में भी हम समय-सीमा तय कर सकते हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

यदि वे निश्चित समय सीमा तय नहीं कर पा रहे हैं तो उन परियोजनाओं के लिए कम से कम अस्थायी समय सीमा ही निर्धारित करें जो कई वर्षों से विलंबित हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: मैंने पहले भी कहा है कि उस क्षेत्र में जहां सीमा सड़क संगठन का कार्य होता है निश्चित समय-सीमा या अस्थायी समय-सारणी तय करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आप किसी परिस्थिति में कार्य आरंभ करते हैं कार्य आरंभ करने के बाद जब आपका कार्य किसी निश्चित मुकाम पर पहुंचता है और बाद में अचानक आपको पता चलता है कि मिट्टी की अवस्था ऐसी है कि उस दिशा में कार्य जारी रखना असंभव है। आपको अलगाववाद जैसी परिस्थिति का सामना भी करना पड़ता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कें कई महीनों तक बंद रहती है। ऐसी परिस्थितियों में, किसी का भी उठ कर यह कहना कि 'मैं आपको इतनी निश्चित तारीख या अस्थायी तारीख दे रहा हूं' सही नहीं होगा। जब कोई परियोजना तैयार की जाती है तो उस निविदा या उस समझौता ज्ञापन में परियोजना को पूरा करने की एक निश्चित तारीख लिखी जाती है जो अपरिवर्तनीय होती है। तथापि, पूर्वोत्तर या हिमाचल के क्षेत्र में किसी भी निर्धारित वचनबद्धता का पालन करना आसान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 426, श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा —उपस्थित नहीं हैं।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विदेशी वकीलों का प्रवेश

***422. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विदेशी वकीलों को प्रवेश की अनुमति देने हेतु बार काउंसिल नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विधि आयोग ने सरकार से बार काऊंसिल नियमों में आमूल-चूल परिवर्तन न करने का आग्रह किया है;

(घ) क्या बार काऊंसिल नियमों में प्रस्तावित संशोधन को अंतिम रूप देने के दौरान विधि आयोग की सलाह पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन भारतीय विधिज्ञ परिषद् को अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त किया गया है। जिसे केवल उक्त परिषद् ही संशोधित कर सकती है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने यह सूचित किया है कि उसने देश में विदेशी वकीलों के प्रवेश के संबंध में कोई नियम नहीं बनाए हैं और परिषद् विदेशी वकीलों के प्रवेश का घोर विरोध करती रही है। तथापि, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कोई विदेशी राष्ट्रिक भारत में अधिवक्ता के रूप में केवल तभी नामांकित किए जाने का हकदार है जब उसके देश में भारतीय नागरिकों को विधि व्यवसाय करने की अनुमति दी जाती है और यह कि यदि भारत के किसी नागरिक को किसी देश में विधि वृत्ति का व्यवसाय करने से रोका जाता है या उस देश में उसके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो ऐसे देश का कोई भी नागरिक भारत में विधि वृत्ति का व्यवसाय करने के लिए हकदार नहीं है। अत:, विदेशी राष्ट्रिकों को भारत में विधि व्यवसाय करने के लिए केवल पारस्परिक आधार पर ही अनुज्ञा दी जाती है। तथापि, अधिनियम में ऐसे किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत में विधिवृत्ति में व्यवसाय करने के लिए उपबंध नहीं है जो अधिनियम के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं है।

(ग) से (ङ) विधि आयोग ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का अध्ययन आरंभ किया है और इसके पुनर्विलोकन के संबंध में विभिन्न संस्थाओं को, जिनके अंतर्गत भारतीय विधिज्ञ परिषद् भी है, एक कार्य पत्र, टीका-टिप्पणियों के लिए परिचालित किया है। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है।

राज्यों के साथ संयुक्त उद्यम

***426. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार लागत भागीदारी आधार पर लंबित परियोजनाओं को पूरा करने हेतु राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे राज्य कौन से हैं जिन्होंने ऐसा संयुक्त उद्यम बनाने के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकार कर लिया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त संयुक्त उद्यमों को बनाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (घ) जी हां। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों ने रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ क्रमश: मुंबई में उपनगरीय परिवहन परियोजनाओं, कर्नाटक में चार चिन्हित रेल परियोजनाओं और हैदराबाद में मल्टी मोडल परिवहन प्रणाली का काम शुरू करने के लिए संयुक्त उद्यम की स्थापना के प्रस्ताव पेश किए हैं। समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने के पश्चात महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना करने के लिए कार्रवाई, परामर्शदाता द्वारा तैयार किये जा रहे विस्तृत व्यावहारिकता अध्ययन और निवेश बैंकिंग रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने के बाद, की जाएगी। बहरहाल, हैदराबाद में परियोजना के चरण-I का कार्य, रेल मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच लागत में 50 : 50 की हिस्सेदारी के आधार पर, प्रगति पर है। इसके अलावा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडको), झारखंड सरकार, कर्नाटक सरकार, तमिलनाडु सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ लागत में हिस्सेदारी के आधार पर परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वायु सीमा का उल्लंघन

***427. श्री रामदास आठवले:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तानी सैन्य वायुयानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वायु सीमा मानदंडों का उल्लंघन किये जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002 के दौरान इन मानदंडों का माहवार कितनी बार उल्लंघन किया गया था; और

(ग) भारत की तरफ से इस उल्लंघन पर क्या कार्रवाई शुरू की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा के उल्लंघन किए जाने की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2002 के दौरान अभी तक उल्लंघन की कुल सात घटनाएं हुई हैं। इनमें से पांच घटनाएं जनवरी में तथा दो घटनाएं फरवरी में हुई थीं।

इन उल्लंघनों को रोकने के लिए मौजूद वायु सुरक्षा संबंधी समुचित प्रक्रियाएं अपनाई गई थीं।

[अनुवाद]

कच्चे तेल पर रॉयल्टी

***428. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:**
श्री सवशीभाई मकवाना:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कच्चे तेल पर रॉयल्टी की नई योजना बनाने हेतु गठित की गई समिति की सिफारिशों की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) कच्चे तेल पर रॉयल्टी में संशोधन करने संबंधी निर्णय को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने 1993 से 1998 तक की अवधि के लिए कच्चे तेल की रायल्टी दरों को अंतिम रूप नहीं दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) सरकार ने 1 अप्रैल, 1998 से स्वदेशी कच्चे तेल पर रायल्टी की नई योजना तैयार करने के लिए एक समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो सरकार के विचाराधीन है। तथापि, कच्चे तेल पर देय रायल्टी की दरों को अंतिम रूप दिये जाने के लंबित रहते, अक्तूबर, 1999 से अब तक इसकी दर 578 रुपये प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 850 रुपये प्रति मीट्रिक टन करके तीन अवसरों पर तदर्थ आधार पर संशोधित की गई है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1993 से 1998 तक की अवधि के लिए स्वदेशी कच्चे तेल पर देय रायल्टी दर के नियतन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित की गई पद्धति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा विधिवत अनुमोदित आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) की उत्पादन लागत पर आधारित थी। ओ एन जी सी तथा ओ आई एल की लेखापरीक्षित उत्पादन लागत के आधार पर वर्ष, 1993 से 1996 तक की अवधि के लिए रायल्टी की दर को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है। वर्ष, 1996 से 1998 तक की अवधि से संबंधित परीक्षक के साथ लेखापरीक्षा टिप्पणियों के समाधान के पश्चात अंतिम रूप दिया जाएगा।

विद्युत की कमी

***429. श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्रीमती प्रभा राव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों को उनकी मांग के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सन्दर्भ में विभिन्न राज्यों के द्वारा मांगी गई सहायता का स्वरूप क्या है और इसकी मात्रा कितनी है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में विद्युत की कमी के मामले में आवश्यकताओं को पूरा करने पर सहमत हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की विद्युत आवश्यकता कितनी है;

(च) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा राज्य सरकारों को किस दर पर विद्युत की आपूर्ति की जानी है;

(छ) क्या राज्य सरकारें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से विद्युत प्राप्त करने के प्रति अनिच्छुक हैं; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) जी नहीं। केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादक केन्द्रों से महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों को उनके हिस्से की विद्युत आपूर्ति की जाती है।

(ख) महाराष्ट्र और अन्य राज्यों को चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादक केन्द्रों से आपूर्ति विद्युत (नवम्बर, 2002 तक) के ब्यौरे विवरण में हैं।

(ग) केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों में केन्द्र सरकार के विवेकाधीन 15% अनावंटित कोटे से विद्युत आवंटित किये जाने हेतु समय-समय पर राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विद्युत की कमी तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की आपातकालीन/मौसमी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरोध की जांच की जाती है तथा अनावंटित कोटे से समय-समय पर विद्युत आवंटित की जाती है।

(घ) जी हां। एनटीपीसी एक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम तैयार करने की योजना बना रहा है, जिससे सभी राज्यों समेत महाराष्ट्र की विद्युत आवश्यकताओं की आंशिक रूप से पूर्ति की जा सकेगी। 10वीं योजना के दौरान एनटीपीसी की 9160 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि की योजना है जिसमें से 2480 मे.वा. पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित की जानी है और इसमें से 792 मे.वा. विद्युत महाराष्ट्र को प्रस्तावित किया गया था। इसके अलावा 10वीं योजना के बाद पश्चिमी क्षेत्र में चालू की जाने वाली इन विद्युत संयंत्रों की यूनिटों से 370 मे.वा. तथा पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी की मेगा परियोजनाओं से 300 मेगावाट प्रस्तावित किया गया था।

(ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार 16वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे रिपोर्ट में 10वीं योजना के अंत तक देश में व्यस्ततम समय में कुल विद्युत मांग और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रमश: 1,15,705 मे.वा. और 7,19,087 मिलियन यूनिट विद्युत की आवश्यकता बतायी गयी है।

(च) नई विद्युत परियोजनाओं की विद्युत की लागत विभिन्न तथ्यों पर आधारित है, यथा ईंधन की लागत और प्रकार, पिटहैड से पावर प्रोजेक्ट की दूरी, प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, वित्त पोषण का तरीका, करावधि आदि। तथापि, एनटीपीसी की इन सभी परियोजनाओं के शुल्क का निर्धारण समय-समय पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाएगा।

वर्ष 2001-02 के लिए एनटीपीसी के वर्तमान विद्युत स्टेशनों के विद्युत शुल्क का औसत 142.84 पैसे/कि.वा. घं. था।

(छ) और (ज) सामान्यत:, राज्य विद्युत यूटिलिटियां एनटीपीसी से विद्युत लेने के प्रति अनिच्छुक नहीं है क्योंकि एनटीपीसी के संयंत्र उच्च पीएलएफ पर संचालित होते हैं तथा उचित दर पर विद्युत आपूर्ति करते हैं। तथापि, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने अगस्त, 2001 में एनटीपीसी को पत्र लिखकर किसी भी नई योजना, भले ही वह एनटीपीसी का हो, के लिए विद्युत क्रय करार करने के प्रति अनिच्छा व्यक्त की थी। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एनटीपीसी के सिपत स्थित प्रस्तावित संयंत्र से 850 मे.वा. विद्युत लेने की इच्छा व्यक्त की है (12 दिसम्बर, 2002)।

विवरण

अप्रैल-नवम्बर, 2002 की अवधि में केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्रों से राज्य-वार पात्रता की तुलना में वास्तविक आहरण

(सभी आंकड़े मि.यू. में)

राज्य/यूटी	पात्रता	आहरण
1	2	3
चंडीगढ़	376.2	322.4
दिल्ली	7389.3	7223.3
हरियाणा	4535.7	5043.5
हिमाचल प्रदेश	1026.6	1055.5
जम्मू-कश्मीर	3458.7	3788.5
पंजाब	5653.1	5537.9
राजस्थान	6076.3	6336.2
उत्तर प्रदेश	10352.1	9642.6
उत्तरांचल	1135.8	1053.9
कुल उत्तरी क्षेत्र	40003.8	40003.8
छत्तीसगढ़	1861	1613.6

1	2	3
गुजरात	9325.3	10027.6
मध्य प्रदेश	6191.8	5900.7
महाराष्ट्र	10453.3	10503.00
गोवा	1231.8	1018.4
कुल पश्चिमी क्षेत्र	29063.2	29063.3
आंध्र प्रदेश	4788.2	4353.2
कर्नाटक	4192.2	4760.6
केरल	2304.3	2430.1
तमिलनाडु	5985.8	5888.9
गोवा	494.5	416.1
पांडिचेरी	862.8	778.9
कुल दक्षिणी क्षेत्र	18627.8	18627.8
बिहार	2954.1	3897.2
डीवीसी	838.4	506.2
झारखण्ड	10.5	75.2
उड़ीसा	2113.0	2267.4
पश्चिमी बंगाल	2391.7	1006.8
सिक्किम	107.7	47.8
मध्य प्रदेश	1187.7	1243.9
गुजरात	201.8	214.3
केरल	418.5	439.4
तमिलनाडु	468.2	627.7
पांडिचेरी	27.3	41.6
कर्नाटक	453.0	934.0
उत्तर प्रदेश	265.1	237.6
आंध्र प्रदेश	769.1	702.9

1	2	3
असम	450.8	449.5
हरियाणा	67.3	63.2
चण्डीगढ़	67.6	60.0
जम्मू-कश्मीर	67.6	60.0
राजस्थान	67.6	59.9
हिमाचल प्रदेश	67.6	60.0
कुल पूर्वी क्षेत्र	12994.6	12994.6
अरुणाचल प्रदेश	160.9	93.6
असम	297.4	303.0
मणिपुर	1081.5	1224.6
मेघालय	241.8	170.9
मिजोरम	160.2	180.6
नागालैंड	181.1	180.2
त्रिपुरा	272.3	242.3
कुल-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2395.2	2395.2

आईआरईडीए द्वारा लघु विद्युत संयंत्रों को वित्तीय सहायता

*430. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई आर ई डी ए (इरेडा) एवं अन्य एजेंसियां लघु विद्युत संयंत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले दो वर्षों के दौरान, वर्षवार, कितने आवेदनों को मंजूरी दी गई है;

(ग) सरकार उक्त इकाइयों को किन शर्तों पर सहायता प्रदान करती है;

(घ) क्या सरकार ने सभी योग्य आवेदकों को एक समान रूप से सहायता प्रदान नहीं की है; और

(ङ) यदि हां, तो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा-उत्पादन करने वाली उक्त इकाइयों का वित्तपोषण करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी हां। इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) पवन ऊर्जा, लघु पनबिजली, बायोऊर्जा और सौर ऊर्जा पर आधारित लघु विद्युत संयंत्रों को ऋण देती है। वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भी उनके अपने मानदंडों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इरेडा ने अब तक वर्ष 2000-01 के दौरान 151 परियोजनाओं और वर्ष 2001-02 के दौरान 116 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। क्षेत्रवार विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) विभिन्न योजनाओं के पात्रता मानदंडों, तकनीकी संभाव्यता और आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए बजटीय प्रावधानों के अध्यधीन पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी के रूप में एक समान रूप से सरकार द्वारा ऐसी यूनिटों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान इरेडा द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का क्षेत्रवार ब्यौरा

क्षेत्र	2000-01	2001-02
1	2	3
पवन ऊर्जा	43	33
लघु पन बिजली	19	10
ऊर्जा कुशलता एवं संरक्षण	8	4
सौर प्रकाशवोल्टीय	33	16
सौर तापीय	27	31
सहउत्पादन	8	3
बायोमास विद्युत	8	9
ब्रिकेटिंग	4	1
बायोमैथेनेशन	1	–
अपशिष्ट से ऊर्जा	–	4
बायोमास गैसीफायर	–	1
लघु बायोगैस	–	2
विविध	–	2
कुल	151	116

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का विदेशों में संयुक्त उद्यम

***431. श्री तूफानी सरोज:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलौर विदेशों में साझेदार की तलाश कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने देश और विदेश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विदेशों में साझेदारों की तलाश नहीं कर रहा है। तथापि, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, भारत तथा विश्व बाजारों के लिए इंजन के हिस्से-पुर्जों तथा एसेंबलियों का विनिर्माण करने के लिए, बेंगलूर में एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए मैसर्स स्नेक्मा, फ्रांस के साथ बातचीत शुरू की है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट

***432. श्री रामजी मांझी:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाहन ईंधनों में की जाने वाली मिलावट का पता लगाने की कोई त्रुटिहीन प्रक्रिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मिलावट का पता लगाने हेतु भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश अपर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या वाहन ईंधनों में अभी भी बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो देश में वाहन ईंधनों में की जा रही मिलावट की रोकथाम हेतु क्या अन्य कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट किए जाने के विरुद्ध सरकार को राज्यवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) पेट्रोलियम उत्पादों के विनिर्देश निर्धारित करता है और विनिर्देशों में निर्दिष्ट किसी मानक के संबंध में किसी विचलन से अपमिश्रक/अपमिश्रकों की उपस्थिति का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इस प्रकार उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करना एक सतत प्रक्रिया है और यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है कि मिलावट का पता लगाने के लिए कोई त्रुटिरहित तरीका नहीं है। बी आई एस द्वारा निर्धारित विनिर्देश पर्याप्त हैं और बी आई एस अपेक्षा के अनुसार आवधिक रूप से विनिर्देशों में परिवर्तन भी करता है।

राज्य सरकार प्राधिकारी, तेल विपणन कंपनियां और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मार्च, 2001 में स्थापित मिलावट रोधी प्रकोष्ठ पेट्रोलियम उत्पादों की गुणवत्ता का आवधिक रूप से निरीक्षण करते हैं और इसकी जांच करते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों, डीलरशिप करार और/या विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के निबंधनों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ङ) पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट के विरुद्ध शिकायतें राज्य सरकार, तेल विपणन कंपनियों और भारत सरकार के मिलावट रोधी प्रकोष्ठ को प्राप्त होती है। मार्च, 2001, जब मिलावट रोधी प्रकोष्ठ का गठन किया गया था के बाद से प्रकोष्ठ ने अधिकांशत: शिकायतें प्राप्त होने के परिणामस्वरूप 402 निरीक्षण किए। मिलावट रोधी प्रकोष्ठ द्वारा किए गए क्षेत्रवार निरीक्षणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	उत्तर	पश्चिम	दक्षिण	पूर्व	योग
निरीक्षित खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या	123	82	115	82	402
फेल हुए नमूनों की संख्या	14	30	04	01	49

शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा संकलन के बाद सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

खरीद प्रक्रियाओं का वर्गीकरण समाप्त करना

***433. श्रीमती श्यामा सिंह:**
डा. वी. सरोजा:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आज की तिथि तक गोपनीय रूप से चिन्हित किये जा रहे रक्षा संबंधी उपस्करों और प्लेटफार्मों की खरीद प्रक्रिया के वर्गीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया है जैसाकि 24 नवंबर, 2002 के 'दि हिन्दू' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा संबंधी उत्पादों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या रक्षा संबंधी उत्पादन क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने से पहले सुरक्षा पहलू का आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) सरकार ने खरीद प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद उन्हें अवर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। इन्हें बनाए जाने संबंधी कार्य चल रहा है।

2. सरकारी क्षेत्र के लिए मई 2001 में आरक्षित रक्षा उद्योग क्षेत्र को, 26 प्रतिशत तक के अनुमत्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ भारतीय निजी क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत खोल दिया गया है, परंतु इन दोनों के लिए लाइसेंस आवश्यक है। इसमें सभी तरह के रक्षा उपस्कर शामिल हैं। लाइसेंस प्रदान किये जाने हेतु आदेश पत्रों पर विचार करने के लिए, रक्षा मंत्रालय तथा औद्योगिक संघों के साथ परामर्श करने के बाद औद्योगिक नीति एवं संवर्धन

विभाग द्वारा, जनवरी 2002 में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

3. दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित प्रावधान शामिल करके सुरक्षा चिंताओं के समुचित रूप से निवारण की व्यवस्था कर ली गई है:

(1) एक बार लाइसेंस प्रदान कर दिए जाने तथा उत्पादन शुरू हो जाने पर लाइसेंसधारी द्वारा पर्याप्त बचाव तथा सुरक्षा प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। इनको प्राधिकृत सरकारी एजेंसियों द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होगा।

(2) निजी विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित शस्त्रास्त्र और गोला-बारूद मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय को बेचे जाएंगे। ये मदें रक्षा मंत्रालय की पूर्व मंजूरी लेकर गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन अन्य सरकारी संस्थाओं को भी बेची जा सकेंगी। ऐसी मदें देश के अंदर अन्य किसी व्यक्ति अथवा संस्था को नहीं बेची जाएंगी। विनिर्मित मदों का निर्यात आयुध निर्माणियों तथा सरकारी उपक्रमों पर लागू नीति और दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके गैर-घातक मदों को केन्द्र तथा राज्य सरकारों से भिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं को बेचे जाने की अनुमति दी जाएगी। लाइसेंसधारियों को अपनी निर्माणियों से सभी सामग्री बाहर ले जाए जाने से संबंधित एक सत्यापन योग्य व्यवस्था बनाने की जरूरत होगी। इन प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है।

(3) सरकार के पास विदेशी सहयोगियों और स्वदेशी उद्यमियों की आर्थिक स्थिति तथा विश्व बाजार में उनकी विश्वसनीयता सहित उनके पूर्ववृत्तों की जांच का अधिकार भी सुरक्षित है।

[हिन्दी]

हथियारों का निर्यात

***434. श्रीमती जसकौर मीणा:**
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व बाजार में रक्षा संबंधी उपकरणों के संबंध में अग्रणीय रूप से उभरा है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रक्षा संबंधी उपकरणों के निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) आयुध निर्माणी बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद अपने कुछ उत्पाद कई वर्षों से मुख्य रूप से एशियाई और अफ्रीकी देशों तथा कुछ यूरोप और उत्तरी अमरीका को निर्यात करते रहे हैं।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के साथ हुए समझौता ज्ञापनों के आधार पर तथा आयुध निर्माणी बोर्ड के साथ परामर्श के अनुसार वर्ष 2002-03 में रक्षा निर्यात का लक्ष्य 230 करोड़ रुपए रखा गया है।

[अनुवाद]

सुपर ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार

***435. श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में स्थित कुछ सुपर ताप विद्युत संयंत्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या तलचर स्थित सुपर ताप विद्युत संयंत्र को भी विस्तार प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त सुपर ताप विद्युत संयंत्र में कितनी अतिरिक्त इकाईयां स्थापित की जा रही हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) 10वीं योजनावधि के दौरान लाभार्जन की दृष्टि से एनटीपीसी द्वारा निम्नलिखित सुपर थर्मल पावर संयंत्र संचालित किये जा रहे हैं:

क्र.सं.	परियोजना की स्थानस्थिति	वर्तमान क्षमता (मे.वा.)	अभिवृद्धि की जाने वाली क्षमता (मे.वा.)
1.	तलचर एसटीपीपी, उड़ीसा	1000	चरण-2 में 2000
2.	रिहन्द एसटीपीपी, उत्तर प्रदेश	1000	चरण-2 में 1000
3.	रामागुंडम एसटीपीपी, आंध्र प्रदेश	2100	चरण-3 में 500

इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी की निम्नलिखित सुपर थर्मल पावर परियोजनाओं का कार्य शुरू/विस्तार करने की योजना है जिनके लिए स्वीकृति मिलनी ही शेष है। स्वीकृति मिलने के बाद इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से 10वीं और 11वीं योजना में लाभार्जन की आशा है।

क्र.सं.	परियोजना की स्थानस्थिति	वर्तमान क्षमता (मे.वा.)	अभिवृद्धि की जाने वाली क्षमता (मे.वा.)
1.	सिपत एसटीपीपी, छत्तीसगढ़	–	चरण-1 में 1980 तथा चरण-2 में 660
2.	बाढ़ एसटीपीपी, बिहार	–	1980
3.	विंध्याचल एसटीपीपी, मध्य प्रदेश	2260	चरण-3 में 1000
4.	कहलगांव एसटीपीपी, बिहार	840	चरण-2 में 1000
5.	फिरोज गांधी ऊंचाहार टीपीपी, उत्तर प्रदेश	840	चरण-3 में 210
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पावर प्रोजेक्ट-दादरी, उत्तर प्रदेश	840	490
7.	उत्तरी करनपुरा एसटीपीपी, झारखंड	–	1980

नोट: एसटीपीपी - सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट
टीपीपी - थर्मल पावर प्रोजेक्ट

इसके अलावा, एनटीपीसी ने उपयुक्त स्थल के चयन और व्यवहार्यता के आधार पर 2000 मे.वा. क्षमता का विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए दिनांक 18.2.2002 को रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तमिलनाडु में एन्नौर में 1000 मेगावाट क्षमता का विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के साथ भी 12.7.2002 को एनटीपीसी ने एक समझौता किया है।

एनटीपीसी ने अपने कायमकुलम कंबाइंड साइकल पावर प्रोजेक्ट सहित वर्तमान की परियोजनाओं के लिए तरल प्राकृतिक गैस/ प्राकृतिक गैस/पुन: गैसीकृत तरल प्राकृतिक गैस की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली लगाई है। उचित दर/शर्त पर एलएनजी की उपलब्धता और केन्द्र से विद्युत क्रय के प्रति लाभार्थियों की प्रतिबद्धता पर ही इन परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जाना निर्भर है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) 500 मेगावाट क्षमता प्रत्येक की चार अतिरिक्त यूनिटें तलचर एसटीपीपी चरण-2 स्थल पर स्थापित की जा रही हैं जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	परियोजना	यूनिट की क्षमता (मे.वा.)	प्रारंभ होने की तिथि
1.	तलचर एसटीपीपी, चरण-2	यूनिट-3-500	यूनिट, 3-नवम्बर, 03
	(4 × 500 मे.वा.), उड़ीसा	यूनिट-4-500	यूनिट, 4-अगस्त, 04
		यूनिट-5-500	यूनिट, 5-मई, 05
		यूनिट-6-500	यूनिट, 6-फरवरी, 06

केन्द्रीय सड़क कोष से हस्तांतरण

*436. **प्रो. ए.के. प्रेमाजम:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सड़क कोष के गठन से आज तक रेल मंत्रालय को कुल कितनी धनराशि हस्तांतरित की गई है;

(ख) 31 मार्च, 2002 तक देश में कितने रेल ओवर/अंडर ब्रिजों का निर्माण किया गया है/किया जा रहा है और इन परियोजनाओं पर इस कोष से कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या बिना चौकीदार वाले समपारों पर सुरक्षा कार्यों को उपलब्ध कराने के लिए भी इस कोष का उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार कितने बिना चौकीदार वाले समपारों में उन्नत सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) अपनी स्थापना के समय से केन्द्रीय सड़क कोष से प्राप्त राशि का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	रुपए (करोड़ में)
1999-2000	200
2000-01	300
2001-02	300
2002-03 (बजट अनुमान)	450

(ख) केन्द्रीय सड़क कोष से मिलने वाली निधियों का उपयोग, व्यस्त समपारों के स्थान पर लागत में हिस्सेदारी के आधार पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण करने में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रेलवे के हिस्से की लागत को वहन करने के लिए किया जाता है। इस समय, लागत में हिस्सेदारी के आधार पर 385 ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण किया जा रहा है जो विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन है। पिछले दो वर्षों के दौरान अर्थात् 2000-01 और 2001-02 के दौरान क्रमश: 21 और 13 ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। केन्द्रीय सड़क कोष द्वारा वित्त पोषित रेल संरक्षा विशेष निधि में से पिछले दो वर्षों के दौरान खर्च की गई निधियां निम्नलिखित हैं:

वर्ष	खर्च (रुपए करोड़ में)
2000-2001	47.87
2001-2002	87.01

(ग) जी हां। बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार की व्यवस्था करने के लिए भी इन निधियों का उपयोग किया जाता है।

(घ) चौकीदार वाले समपारों की संख्या के आंकड़े रेलवे-वार रखे जाते हैं न कि राज्य-वार, पिछले दो वर्षों के दौरान जिन बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार की व्यवस्था की गई है, उनका विवरण निम्नलिखित है:

रेलवे	2000-01	2001-02
मध्य	0	116
पूर्व	9	15
उत्तर	9	2
पूर्वोत्तर	9	14
पूर्वोत्तर-सीमा	1	26
दक्षिण	7	3
दक्षिण-मध्य	12	49
दक्षिण-पूर्व	14	53
पश्चिम	6	9
कुल	67	287

शहरों में यू.एल.एस.डी. एवं यू.एल.एस.यू.पी. की आपूर्ति

*437. **डा. एन. वेंकटस्वामी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोलियम बिक्री केन्द्रों के माध्यम से कितने शहरों में अल्ट्रा लो सल्फर डीजल (यू.एल.एस.डी.) एवं अल्ट्रा लो सल्फर अनलीडेड पेट्रोल (यू.एल.एस.यू.पी.) की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या सरकार के पास सभी प्रमुख शहरों एवं राज्यों की राजधानियों में "यू.एल.एस.डी." एवं "यू.एल.एस.यू.पी." की आपूर्ति आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास इन उत्पादों की बढ़ती मांग के मद्देनजर यू.एल.एस.डी. एवं यू.एल.एस.यू.पी. के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु एक योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) 1.2.2000 से पूरे देश में केवल सीसारहित पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के महानगरों में अधिकतम 0.05% सल्फर मात्रा वाले पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति की जा रही है।

(ख) और (ग) सरकार ने निम्न नगरों में 0.05% अधिकतम सल्फर मात्रा वाले पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है:

हैदराबाद/सिकन्दराबाद	–	16.12.2002 से
बंगलौर	–	1.4.2003 से
अहमदाबाद	–	1.4.2003 से
कानपुर	–	1.4.2003 से
पुणे	–	1.4.2003 से

(घ) और (ङ) सरकार का उपर्युक्त निर्णय तेल कंपनियों को सूचित कर दिया गया है, जिन्होंने सरकारी निर्णय के अनुसार 0.05% अधिकतम गंधक मात्रा की मांग को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाई हैं।

विद्युत संयंत्रों हेतु बाह्य एजेंसियों से सहायता

***438. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बाह्य एजेंसियों की सहायता एवं सहयोग से देश में कुछ विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों की राज्यवार संख्या और स्थानवार ब्यौरा क्या-क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआईसी) ने वित्तपोषण के उद्देश्य से बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना (प. बंगाल) का मूल्यांकन किया है।

लारजी एचईपी, 126 मेगावाट (हिमाचल प्रदेश) का सहायता हेतु मूल्यांकन कुवैत फण्ड फॉर अरब इकोनॉमिक डेवलपमेंट द्वारा किया गया है।

जर्मनी के क्रेडिटेनेस्टाल्ट फॉर विदेरफदू (केएफडब्ल्यू) ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तथा मध्य प्रदेश के अमरकंटक में ताप विद्युत केन्द्रों के विस्तार हेतु सहायता उपलब्ध कराने में रुचि दर्शायी है।

अनुसंधान और सामाजिक विपणन संबंधी दूरदर्शन की समिति

***439. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने गुणात्मक अनुसंधान और सामाजिक विपणन पर सलाह देने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति और इसके उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाहरी रेटिंग एजेंसियां इस विषय में दूरदर्शन का उचित मार्गदर्शन करने में असमर्थ हैं;

(घ) यदि हां, तो दूरदर्शन के प्रत्येक कार्यक्रम की पहुंच का आकलन करने के बाद अपने कार्यक्रम को उचित रूप से केन्द्रित करने के लिए दूरदर्शन की क्षमता को बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों/संभावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दूरदर्शन की बाजार में हिस्सेदारी को बनाए रखने के लिए इसका पुनर्गठन करने के लिए कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है/उठाए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने आंतरिक परीक्षण को मजबूत करने तथा कार्यक्रम की विषयवस्तु/गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए संचार अनुसंधान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक अनुसंधान सलाहकार समिति का गठन किया है।

(ग) प्रसार भारती का यह सुविचारित मत है कि रेटिंग एजेंसियों के आंकड़े दूरदर्शन की दर्शनीयता को पर्याप्त रूप से प्रस्तुत नहीं करते हैं। बाह्य रेटिंग एजेंसियों के नमूने सिर्फ 27 नगरों/शहरों तक सीमित होते हैं जबकि दूरदर्शन की पहुंच छोटे शहरों तथा गांवों में भी है।

(घ) समुचित निर्धारण कराने तथा प्रतिपुष्टि तंत्र को शामिल करने के लिए दर्शकों की आवश्यकताओं व वरीयताओं के अनुरूप कार्यक्रमों की विषय-वस्तु तथा रूपरेखा के पुनर्निर्माण में सक्षम बनाने के लिए दूरदर्शन की अनुसंधान इकाई का पुनर्गठन किया जा रहा है।

(ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि बाजार-परिदृश्य में हुए परिवर्तनों से आई चुनौतियों का सामना करने के लिए आने वाले वर्षों में अपनी दर्शनीयता को बढ़ाने तथा राजस्व बढ़ाने के लिए दूरदर्शन ने विभिन्न कदम उठाये हैं। इनमें चैनलों की सामग्री की गुणवत्ता और प्रस्तुति में सुधार, प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार, प्रतियोगितात्मक बाजार वाले माहौल की चुनौतियों से निपटने हेतु और अधिक लचीले रेट कार्ड का प्रयोग, दूरदर्शन के चैनलों तथा कार्यक्रमों के विज्ञापन के लिए प्रभावी तंत्र बनाना शामिल हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के संपूर्ण वाणिज्यिक दोहन के लिए भी कदम उठाए गए हैं। विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों की देखभाल के लिए दूरदर्शन ने अपना बाजार तथा एक अलग विकास संचार प्रभाग की स्थापना की है।

[हिन्दी]

भारतीय प्रेस परिषद की शक्तियों का विस्तार

***440. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव भारतीय प्रेस परिषद (पी.सी.आई.) के कार्यकरण का विस्तार करने और उसकी शक्तियों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रेस परिषद को आपराधिक तथा मानहानि के मामलों की सुनवाई के संबंध में शक्तियां दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस समय भारतीय प्रेस परिषद को क्या अधिकार और कार्य सौंपे गए हैं;

(च) क्या विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों में झूठे आरोप लगाने के कारण हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद के विरुद्ध शिकायतों में वृद्धि हुई है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा झूठे और निराधार समाचार प्रकाशित करने में शामिल ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) भारतीय प्रेस परिषद से प्राप्त प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत में प्रेस की आजादी को सुरक्षित रखने तथा समाचार-पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखने तथा उसे सुधारने के लिए गठित भारतीय प्रेस परिषद के अधिकार भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14, 15 और 16 तथा इसके कार्य इसी अधिनियम की धारा 13 के साथ-साथ दिए गए हैं।

(च) और (छ) भारतीय प्रेस परिषद के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जैव ईंधन नीति

***441. श्री वाई.जी. महाजन:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जैव-ईंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) इस नीति का ब्यौरा और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) सरकार ने पेट्रोल में एथेनोल के मिश्रण के संबंध में पहले ही एक नीतिगत निर्णय ले लिया है और 1 जनवरी, 2003 से आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों और चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में 5% एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति अनिवार्य कर दी है। पेट्रोल में 10% एथेनोल का मिश्रण करने और डीजल में 5% एथेनोल का मिश्रण करने के संबंध में अनुसंधान और विकास कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इसके अलावा डीजल में जैव-ईंधन के मिश्रण के बारे में अनुसंधान और विकास अध्ययन किये जा रहे हैं। बायो-डीजल के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं की भी योजना बनाई जा रही है।

[अनुवाद]

रेल पुल

4643. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व रेल मंत्री ने उन पुलों के ब्यौरों वाली सूची प्रस्तुत की थी। जिनकी मरम्मत शीघ्र किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चंडीगढ़ में बिजली कनेक्शन

4644. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में विभिन्न गांवों और श्रम कालोनियों के निवासियों ने बिजली कनेक्शन देने और मीटर से विद्युत आपूर्ति करने की मांग की है;

(ख) क्या ऐसे कनेक्शन देने से अवैध ''कुंडी'' कनेक्शन की घटनाओं में तेजी से कमी आयेगी; और

(ग) यदि हां, तो निवासियों द्वारा मांगे गए ऐसे नियमित कनेक्शन प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) चण्डीगढ़ प्रशासन ने 'लाल डोरा' के बाहर स्थित झुग्गी-झोपड़ी/अनधिकृत कालोनियों में सिंगल डिलिवरी प्रणाली के तहत बड़ी संख्या में विद्युत कनेक्शन दिए जाने संबंधी एक नीति 18.4.2002 को अधिसूचित किया है। इस नीति के तहत अग्रणी व्यक्ति को सिंगल प्वाइंट डिलिवरी कनेक्शन के एक या अधिक प्वाइंट का प्रावधान है। अग्रणी व्यक्ति को आवासीय कल्याण संघ या प्राधिकृत अग्रणी व्यक्ति या सक्षम कंपनी या ठेकेदार के रूप में परिभाषित किया गया है। निवासियों को एक प्वांइट से अधिक विद्युत कनेक्शन दिया जाना इन अग्रणी व्यक्तियों पर ही निर्भर है। चण्डीगढ़ प्रशासन के अनुसार यह नीतिगत उपाय पूर्व में व्यक्तिगत विद्युत कनेक्शन दिए जाने की नीति में सुधार स्वरूप है जिस कारण अवैध कुंडी कनेक्शन की संख्या में वृद्धि हुई थी।

न्यायालयों में भ्रष्टाचार

4645. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली में विभिन्न न्यायालयों में फैले भ्रष्टाचार से अवगत है जैसाकि दिनांक 11 अगस्त, 2002 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) न्यायालयों में फैले भ्रष्टाचार को रोकने हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) जी हां। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में जिला न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। दिल्ली में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त की गई किसी शिकायत को समुचित कार्रवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को भेजा जाता है।

मुख्य न्यायमूर्ति निरीक्षण और सतर्कता मामलों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष अपने सीधे अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन न्यायिक अधिकारियों के एक समूह को नामनिर्दिष्ट करते हैं।

भ्रष्टाचार निरोध शाखा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विनिर्दिष्ट शिकायतों पर छापे डालने, प्रेस में विज्ञापन जारी करके जनसाधारण में जागरूकता पैदा करने और यह सुनिश्चित करने जैसे उपाय करती है कि विभाग में भ्रष्टाचार निरोध शाखा के ऐसे अधिकारियों के नाम और फोन नंबर उपदर्शित करने वाले बोर्ड लगाए जाएं, जिनको भ्रष्टाचार के मामले रिपोर्ट किये जा सकते हैं।

[हिन्दी]

नासिक स्टेशन का आधुनिकीकरण

4646. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नासिक, महाराष्ट्र में वर्ष 2003 में आयोजित होने वाले ''कुम्भ मेले'' को ध्यान में रखते हुए नासिक रोड स्टेशन और ओधा स्टेशन के नवीनीकरण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन स्टेशनों के नवीनीकरण कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी हां। मेले के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नासिक स्टेशन पर बेहतर सुविधाओं के लिए निम्नलिखित कार्यों की योजना है:

(1) प्लेटफार्म पर अतिरिक्त जल व्यवस्था के लिए पाइप लाइन की व्यवस्था।

(2) हाई प्रेशर की व्यवस्था।

(3) नासिक रोड में अस्थायी प्रतीक्षालय।

(4) नासिक रोड में मूत्रालय/शौचालय/स्नानागार

(5) ओधा में अस्थाई प्रतीक्षालय, बुकिंग कार्यालय।

ये सभी कार्य सिंहस्थ मेला शुरू होने से पहले पूरे कर लिए जाने की योजना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र के लिए योजना

4647. श्री सुनील खां: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत क्षेत्र के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ में कोई भेदभाव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए किसी धनराशि का आवंटन न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) जी, नहीं। योजना आयोग ने 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) के लिए 32,226 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनएचपीसी की परियोजनाओं के लिए 9,070.05 करोड़ रुपये (सिक्किम के लिए 1,868.33 करोड़ रुपये समेत) सुनिर्धारित किए हैं। इसके अलावा नीपको के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10वीं पंचवर्षीय योजना में परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 4,224 करोड़ रुपये सुनिर्धारित किए गए हैं। योजना आयोग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10वीं योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए प्रस्तुत राज्य-वार योजनागत परिव्यय विवरण में दिया गया है।

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र (राज्यवार) के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) हेतु अनुमानित परिव्यय—विद्युत क्षेत्र

(लाख रुपये में)

राज्य	अनुमानित परिव्यय
अरुणाचल प्रदेश	49,119.00
असम	83,542.00
मणिपुर	22,886.00
मेघालय	50,137.00
मिजोरम	19,280.00
नागालैंड	24,795.00
त्रिपुरा	22,330.00
कुल (उ.पू. क्षेत्र)	2,72,089.00
सिक्किम	24,000.00
कुल	2,96,089.00

धनबाद में ऊपरि पुल का निर्माण

4648. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **रेल मंत्री** धनबाद में ऊपरि पुलों का निर्माण के बारे में 29.11.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1850 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में धनबाद स्टेशन पर पुराना बाजार तक ऊपरि पुल का विस्तार करने में कितनी लागत लगेगी;

(ख) क्या अस्वीकृति के पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) ऊपरि रेल पुल का पूर्णा बाजार तक विस्तार करने पर 1.5 करोड़ रु. की लागत आएगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रबंध निदेशकों द्वारा विदेशी दौरे

4649. श्री राममूर्ति सिंह वर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों द्वारा किन देशों का दौरा किया गया और वे वहां कितने दिनों तक रहे;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नकद और ट्रैवलर्स चेक दोनों रूप में उनको कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया;

(ग) नकदी के लिए प्रस्तुत न किए गए ट्रैवलर्स चेकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन प्रबंध निदेशकों द्वारा बचाई गई सार्वजनिक धनराशि और उसकी वसूली न किए जाने और दुरुपयोग के क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रबंध निदेशकों द्वारा बचाई गई राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1.4.1999 से 31.3.2002 के दौरान प्रबंध निदेशकों द्वारा विदेशों में किए गए दौरों और वहां ठहरने की अवधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	देश का नाम	ठहरने की अवधि	भुगतान की गई विदेशी मुद्रा की राशि
इरकॉन इन्टरनेशनल लि.	बंगलादेश, मलेशिया, तुर्की, सीरिया और ईरान	114 दिन	23550 अमेरिकी डॉलर
राइट्स लि.	श्रीलंका, यू.के. मलेशिया, सिंगापुर, कोलंबिया, जमैका, बंगलादेश, बोत्सवाना, द. अफ्रीका, नाम्बिया, यू.ए.ई., शारजहां, अल्जेरिया और म्यांमार	64 दिन	22,060 अमेरिकी डॉलर
भारतीय कंटेनर निगम लि.	स्वीटजरलैंड, यू.के., ऑस्ट्रिया, जर्मनी, यू.एस.ए., हांगकांग, सिंगापुर, हालैंड, फ्रांस और ईरान	37 दिन	15,250 अमेरिकी डॉलर
भारतीय रेल वित्त निगम लि.	यू.एस.ए., जर्मनी, कनाडा और यू.के.	15 दिन	4688.75 अमेरिकी डॉलर
कोंकण रेल निगम लि.	यू.के. मलेशिया, ईराक और हांगकांग	43 दिन	48,780 अमेरिकी डॉलर
मुंबई रेल विकास निगम लि.	थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया	14 दिन	4300 अमेरिकी डॉलर
भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम लि.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
भारतीय रेल टेल निगम लि.	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(ग) भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रबंध निदेशकों के लिए निर्धारित हकदारी के अनुसार यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाता है। वापसी पर प्रबंध निदेशकों द्वारा किए गए दौरों का संपूर्ण विवरण देते हुए यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी विदेशी मुद्रा, जिसका उपयोग नहीं किया जाता, वापसी पर वापस कर दिया जाता है। अत: प्रबंध निदेशकों से कोई राशि वसूल की जानी बकाया नहीं है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

एच.एम.टी. द्वारा भूमि की बिक्री

4650. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच.एम.टी. लिमिटेड की पिछले तीन महीनों से कोई वेतन न पाने वाले घड़ी संभाग के 3,400 कर्मचारियों को भुगतान करने हेतु धन जुटाने के लिए अपनी अनुषंगी कंपनी एच.एम.टी. वाचिस की अप्रयोज्य आस्तियों को बेचने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले कई वर्षों से एच.एम.टी. घड़ियों का बाजार चोर बाजार में सस्ती घड़ियों की उपलब्धता और कड़े मुकाबले के कारण बहुत लुढ़क गया है और उत्पादन में भारी कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बंगलौर में करीब 150 एकड़ भूमि के स्वामित्व वाली एच.एम.टी. वाचिस ने अब शहर में फैक्ट्री से सम्बद्ध 32 एकड़ कीमती भूमि की बिक्री करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) वर्ष 2000 में अनुमोदित टर्न अराउन्ड प्लान के अनुसार एचएमटी की अप्रचलनात्मक परिसम्पत्तियों को इसकी देयताओं को पूरा करने और ऋण भार को कम करने के लिए बेचा जाना प्रस्तावित है।

(ख) और (ग) प्रतिस्पर्द्धा, नकली और विभिन्न प्रकार की सस्ती घड़ियों की उपलब्धता तथा धन की कमी के कारण उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है। उत्पादन और बिक्री के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	उत्पादन	बिक्री
1999-2000	120.26	110.24
2000-2001	144.08	126.23
2001-2002	79.05	96.08
2002-2003 (31.10.2002 तक)	25.48	30.26

(घ) और (ङ) एचएमटी वाचेज लि. द्वारा बैंगलोर में 150 एकड़ भूमि में से कुछ भवनों सहित 32 एकड़ अतिरिक्त भूमि को बेचने के लिए विज्ञापन दिया गया है।

[हिन्दी]

पार्सल कार्यालय

4651. श्री रामजी मांझी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली बुकिंग कार्यालय में अप्रशिक्षित गुड्स क्लर्कों को पदस्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अप्रशिक्षित गुड्स क्लर्कों (पार्सल ऑफिस) को पदस्थापित करने से भ्रष्टाचार में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो पार्सल कार्यालय में प्रशिक्षित वाणिज्यिक क्लर्कों को पदस्थापित न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सही है कि ये गुड्स क्लर्क पिछले दस वर्षों से पार्सल कार्यालय में कार्यरत हैं लेकिन उनको अन्य स्टेशन पर पदस्थापित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो नई दिल्ली पार्सल कार्यालय में उनको पदस्थापित करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या यह सही है कि इन गुड्स क्लर्कों को चार वर्षों बाद अन्य स्टेशन पर समय-समय पर स्थानांतरण किया जाना चाहिए; और

(छ) गुड्स क्लर्कों के साथ प्रशासन द्वारा भेद-भाव किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) 1993 से, वाणिज्यिक लिपिक सामान्य कोटि के अंतर्गत भर्ती किए जाते हैं और इनका उपयोग कोचिंग, पार्सल और गुड्स कार्यालयों में किया गया है। उन्हें विभिन्न कोटियों में कार्यभार और कर्मचारियों की भर्ती के आधार पर एक कोटि से दूसरी कोटि में पुन: तैनात किया जाता है। पिछले लगभग दो वर्षों से प्रशिक्षित वाणिज्यिक लिपिक अधिक कार्यभार को सम्हालने के लिए नई दिल्ली में बुकिंग कार्यालय में पुन: तैनात किए गए हैं और प्रशिक्षित गुड्स लिपिकों का पार्सल कार्यालय में कार्य करने के लिए उपयोग किया गया है।

(च) जी हां।

(छ) कोई भेदभाव नहीं है।

[अनुवाद]

नेदुबंसारी रेलवे स्टेशन

4652. श्री टी. गोविन्दन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को चालू वर्ष के दौरान नेदुबंसारी रेलवे स्टेशन को शुरू करने हेतु केरल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) अंगामली और चोवारा स्टेशनों के बीच नेदुंबसारी में हाल्ट स्टेशन खोलने के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और इसे वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

वायु सैनिकों और अधिकारियों की भर्ती

4653. श्री राम नायडू दग्गुबाटि: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना में वायु सैनिकों और अधिकारियों की कमी के मद्देनजर अंग्रेजी भाषा सहित क्षेत्रीय भाषाओं की जानकारी रखने वाले वायु सैनिकों की भर्ती की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय वायु सैनिकों और अधिकारियों के संवर्ग में रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) इस समय अधिकारियों की 630 और वायुसैनिकों की 8715 रिक्तियां हैं।

[हिन्दी]

आई.ओ.सी.एल. और अदानी पत्तन के बीच समझौता

4654. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुद्रा (कच्छ-गुजरात) में कच्चे तेल के लिए आई.ओ.सी.एल. और अदानी पत्तन लिमिटेड के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) ने मुन्द्रा बंदरगाह पर कच्चे तेल की संभाल करने के लिए मैसर्स गुजरात अदानी पोर्ट लि. के साथ एक बंदरगाह सेवा करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) इस करार में मुद्रा बंदरगाह पर आई ओ सी एल की पानीपत रिफाइनरी की कच्चे तेल की प्रतिवर्ष 6 मिलियन टन अतिरिक्त आवश्यकता की प्राप्ति के विषय में विचार किया गया है।

[अनुवाद]

आकाशवाणी परभनी का कार्यकरण

4655. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी परभनी अपने कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस केन्द्र को अपने कार्यक्रम तैयार करने और प्रसारित करने में समर्थ बनाने और पूर्ण रेडियो स्टेशन बनाने हेतु क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि तकनीकी रूप से पूरी

तरह से सुसज्जित केन्द्र आकाशवाणी परभनी पहले ही अपने कुछ कार्यक्रमों को प्रसारित कर रहा है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि इस केन्द्र का आकाशवाणी, औरंगाबाद से संबंध विच्छेद कर दिया जाएगा और यह केन्द्र स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू कर देगा।

नागपुर रेलवे स्टेशन पर सैनिकों के लिए पृथक प्रतीक्षा कक्ष

4656. श्री सुबोध मोहिते: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय को रक्षा मंत्रालय द्वारा नागपुर रेलवे स्टेशन पर सैनिकों के लिए एक पृथक प्रतीक्षा कक्ष बनाने हेतु की गई मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मांग पर कार्रवाई करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) मांग को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) मूवमेंट कंट्रोल आर्गेनाइजेशन (एमसीओ) से एम.सी.ओ. के कार्यालय के समीप सैनिकों के लिए प्रतीक्षा कक्ष की मांग प्राप्त हुई थी। यह कार्य वर्ष 2002-03 में निष्पादन के लिए स्वीकृत कर दिया गया है।

अपशिष्टों के निपटान से ऊर्जा उत्पादन

4657. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने अपशिष्टों के निपटाने से ऊर्जा उत्पादन के लिए परियोजनाएं आरंभ करवाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हैदराबाद स्थित परियोजना पूरी की जा चुकी है और इसने कार्य करना शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी नहीं। निजी उद्यमियों, उद्योगों, गैर-सरकारी संगठनों, शहरी स्थानीय निकायों इत्यादि द्वारा 'बनाओ, अपनाओ और चलाओ' आधार पर अपशिष्टों के निपटान के लिए उनसे ऊर्जा का उत्पादन करने हेतु परियोजनाएं आरंभ की गई हैं। तथापि, दस राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति के लिए परियोजनाओं का संवर्धन करने हेतु परियोजना स्थल पर अपशिष्टों की मुफ्त आपूर्ति, नाममात्र के लीज भाड़े पर भूमि का प्रावधान और बिजली की व्हीलिंग, बैंकिंग, खरीद एवं तीसरी पार्टी को बिक्री के लिए विद्युत की निकासी हेतु सुविधाओं के संबंध में नीति दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(ग) और (घ) हैदराबाद शहर के म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट का लगभग 700 टीपीडी से 210 टन प्रतिदिन (टीपीडी) ईंधन गुटिकाओं के उत्पादन के लिए परियोजना वर्ष 2001-02 में पूरी हो गई। इस संयंत्र से वर्तमान में सीमित बाजार के कारण लगभग 150 टीपीडी म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट से लगभग 50 टीपीडी ईंधन गुटिकाओं/ब्रिकेटों का उत्पादन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए रसोई गैस एजेंसियों/पेट्रोल पम्पों का आवंटन

4658. श्री राजो सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में ऐसे अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की संख्या कितनी है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों का आवंटन किया गया;

(ख) अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए डीलरशिप आबंटन में आरक्षण का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या बिहार में उनके लिए आरक्षित कोटा पूरा हो चुका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) गत तीन वर्षों में, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने बिहार राज्य में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को 4 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और 12 खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित किए हैं। तथापि इनमें से 1.1.2000 से डीलर चयन बोर्डों (डी एस बीज) की सिफारिशों पर कि किये गये आबंटनों

के निरस्त करने पर सरकारी निर्णय के अनुसरण में तेल विपणन कंपनियों ने 1 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 10 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के आशय-पत्र वापस ले लिए हैं।

(ख) से (घ) गत तीन वर्षों में बनाई गई सभी विपणन योजनाओं में, सभी राज्यों के संबंध में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की श्रेणी हेतु तेल विपणन कंपनियों की 5% आरक्षण प्रदान करने की नीति अपनाना अपेक्षित है और आरक्षण का प्रतिशत, इस उद्देश्य के लिए बनाए गए 100 बिन्दु रोस्टर प्रणाली के अनुसार सुनिश्चित किया जाता है। तेल विपणन कंपनियों ने बिहार में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की श्रेणी हेतु निर्धारित कोटा को अभी तक पूरा नहीं किया है।

[अनुवाद]

मनखुर्द-वासी रेल लाइन के निकट 784 पेड़ों का काटा जाना

4659. श्री किरीट सोमैया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय रेलवे, मुम्बई ने नवम्बर के दूसरे सप्ताह में मनखुर्द-वासी रेल लाइनों के निकट 784 पेड़ों को काटे जाने पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या ऐसा संदेह है कि नए होर्डिंग लगाने और उनको दिखने योग्य बनाने के क्रम में एक निजी रेलवे एडवरटाइजिंग एजेंसी इन पेड़ों को काट रही है;

(ग) क्या रेलवे को इस संबंध में संसद सदस्यों, गैर-सरकारी संगठनों, बी.पी.सी.एल. आदि से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या रेलवे को उन पेड़ों को हटाने के लिए वाणिज्य विभाग और विज्ञापन एजेंसियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या इन होर्डिंगों को सी.आर.जेड. क्षेत्र में लगाया गया है;

(ज) क्या इन होर्डिंगों को स्थापित करने के लिए कुछ वनस्पतियों को क्षतिग्रस्त किया गया है;

(झ) वाणिज्य विभाग द्वारा किस आधार पर ऐसी अनुमति दी गई;

(ञ) क्या वाणिज्य विभाग या अन्य संबंधित विभागों के विरुद्ध कोई जांच/कार्रवाई की गई है; और

(ट) यदि हां, तो सरकार की कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां, बहरहाल काटे गए पेड़ रेलवे भूमि पर नहीं थे।

(ख) से (ट) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ पिछड़े वर्गों के रिक्त पद

4660. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों के कितने रिक्त पद हैं और ये पद उनके मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कब से बगैर भरे हुए पड़े हुए हैं; और

(ख) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) इस मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के निम्नलिखित रिक्त पद मौजूद हैं तथा उन्हें भरने के लिए उठाए जा रहे कदम निम्न प्रकार से हैं:

वैज्ञानिक 'ख' (समूह 'क') के ग्रेड में अनुसूचित जनजातयों के लिए आरक्षित एक पद दिनांक 1.8.2001 से रिक्त है। इस पद को इम्पलॉयमैंट न्यूज/रोजगार समाचार में दिनांक 26.10.2002 को विज्ञप्ति किया गया है।

सौर ऊर्जा केन्द्र में अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग') के ग्रेड में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित एक पद दिनांक 16.4.2002 से रिक्त है। इस पद के लिए अन्य पिछड़े वर्गों से एक अभ्यर्थी के नामांकन के लिए अनुरोध किया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय, भोपाल में दिनांक 28.1.2002 से चपरासी ग्रेड (समूह 'घ') में एक पद रिक्त है जो अनुसूचित जातियों के

लिए आरक्षित है, रोजगार कार्यालय के माध्यम से पद को भरने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है।

मंत्रालय में दिनांक 16.9.2002 से चपरासी ग्रेड (समूह 'घ') में एक पद रिक्त है जो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित है। इस पद को माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, मुख्य पीठ, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए स्थगन आदेश के कारण भरा नहीं गया है।

विशाखापत्तनम आकाशवाणी द्वारा कार्यक्रम

4661. श्री बी. वेंकटेस्वरलु: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी का विशाखापत्तनम स्टेशन कार्यक्रम तैयार करने के लिए और अधिक कलाकारों को आकृष्ट करने हेतु कुछ नवीन कार्यक्रम शुरू कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो शुरू किए गए/शुरू किए जाने वाले नए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि श्रोताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी केन्द्रों में नवीनतम कार्यक्रमों की शुरुआत करना एक सतत् प्रक्रिया है। आकाशवाणी विशाखापत्तनम भी संगीत (आदि शंकराचार्य की 'सौंदर्य लहरी'' का स्वरांकन, नाटक (''मालविकाग्निमित्रम, कुमारसंभवम्'' आदि जैसे पुराने ग्रंथ), रोमांटकि संगीत (मधुरातिमधुरम् नामक एक श्रृंखला के अंतर्गत), तेलगु साहित्य के विकास पर एक श्रृंखला, लोक संगीत आदि जैसी विभिन्न शैलियों में बहुत से नवीनतम कार्यक्रमों को शुरू कर रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली-अजमेर शताब्दी रेलगाड़ी को घाटा

4662. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-अजमेर शताब्दी घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रेलगाड़ी के बजाए इस मार्ग पर जन शताब्दी चलाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) लाभदायकता, आमदनी तथा खर्च के गाड़ी-वार आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते हैं। अत: दिल्ली-अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी के संबंध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (ङ) इस समय इस मार्ग पर जनशताब्दी एक्सप्रेस सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि दिल्ली को अजमेर से जोड़ने वाली नौ सेवाएं (सात बड़ी लाइन की तथा दो मीटर लाइन की) हैं, जिन्हें यहां के यातायात के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

[अनुवाद]

कच्चे तेल के भण्डार

4663. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कच्चे तेल के भंडार का पता लगाने के लिए किन-किन स्थानों पर सर्वेक्षण किए गए हैं;

(ख) उक्तावधि के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सर्वेक्षण अवधि के दौरान कच्चे तेल के भंडारों का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन ओ सीज), अर्थात् आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ एन जी सी) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) एवं विभिन्न निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों ने निम्नांकित बेसिनों के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए-

असम-अराकान, असम-शेल्फ, बंगाल, कैम्बे, कावेरी, गंगा, हिमालय की तलहटी, राजस्थान, कृष्णा-गोदावरी, सतपुड़ा, विध्यंन, ऊपरी असम, पूर्वी एवं पश्चिमी अपतट।

इसके अतिरिक्त हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी जी एच) ने गहरे समुद्र समेत पूर्वी-तट अपतट, अंडमान अपतट तथा भारतीय अपतट के दक्षिणी छोर में टोही सर्वेक्षण किए।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है, तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

प्राकृतिक गैस नीति

4664. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य के लिए अपनी निजी प्राकृतिक गैस नीति और विनियामक माडल तैयार करने के बारे में प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गैस संबंधी मामलों पर विधान बनाने के लिए राज्य सरकार की संवैधानिक शक्तियों के बारे में कोई विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार 'प्राकृतिक गैस' विषय पर कानून बनाने के लिए विचार कर रही है। तथापि, भारत संघ का मानना है कि ''प्राकृतिक गैस'' ''खनिज तेल'' एवं ''पेट्रोलियम'' की परिभाषा में ही शामिल हैं जोकि संविधान की सातवीं अनुसूची की संघीय सूची की प्रविष्टि संख्या 53 में संघ के विषय के रूप में उल्लिखित हैं, अत: राज्य विधान सभाएं प्राकृतिक गैस संबंधी मामलों पर कोई कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं हैं। इस संबंध में, उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए कि क्या ''प्राकृतिक गैस'' संबंधी मुद्दा राज्य का संघ का विषय है, राष्ट्रपति जी ने उच्चतम न्यायालय को लिखा है।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं के संबंध में पश्चिमी बंगाल के प्रस्ताव

4665. श्री सनत कुमार मंडल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास अनुमोदनार्थ लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लंबित प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. से सागर दीघी टीपीपी चरण-1 (यूनिट-1 तथा 2) (2 × 250 मे.वा.) की स्थापना के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अक्तूबर 2001 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में प्राप्त हुई थी। निवेश/स्वीकृतियों यथा जल उपलब्धता, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय आदि से स्वीकृति के अभाव में और पुन: प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से इसे 15.11.2001 को परियोजना अधिकारियों को वापस कर दिया गया था।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों के पुनर्वास हेतु योजना

4666. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छंटनी से प्रभावित हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों के पुनर्वास के संबंध में कुछ विशेष योजनाएं चल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के उन कर्मचारियों के परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन के लिए एक योजना तैयार की है, जिन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अथवा छंटनी सहित पुनर्गठन के किसी अन्य तरीके के अंतर्गत यौक्तिकीकृत किया गया है। इस योजना को वर्ष 2001-2002 से लागू किया गया है। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- अल्पाधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से यौक्तिकीकृत कर्मचारियों का पुनर्नियोजन/स्व रोजगार।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने से पहले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/इसके एकक के परिसर में सुग्राही कैम्प।
- कर्मचारियों के लिए स्व रोजगार आधार पर आय अर्जित करने के कार्यकलापों में लगने तथा उत्पादक प्रक्रिया को फिर से अपनाने के लिए अवसरों का प्रावधान।

[हिन्दी]

इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा फरीदाबाद में अधिगृहीत भूमि

4667. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक परियोजना के लिए हरियाणा के फरीदाबाद जिले के आस्वती और प्याला ग्रामों में भूमि अधिग्रहीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने मुआवजे की थोड़ी धनराशि दी है जबकि अन्य तेल कंपनियों ने भूमि खोने वाले लोगों को रोजगार देने के अतिरिक्त पर्याप्त मुआवजा राशि दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा आस्वती और प्याला ग्रामों के भूमि खोने वाले लोगों को उचित मुआवजा और रोजगार प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है और यह कार्य कब तक किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (च) इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) ने अपने स्नेहक मिश्रण संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पलवल के माध्यम से आसोती (आसावती) गांव में भूमि का अधिग्रहण किया है। एस डी ओ, सिविल, भूमि अधिग्रहण समाहर्ता, पलवल द्वारा पंचाट के अनुसार आई ओ सी ने अधिग्रहीत भूमि के लिए पूरे मुआवजे के बतौर 1.68 करोड़ रुपए (लगभग) की राशि का भुगतान किया है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार भूमि खोने वालों के लिए वर्धित मुआवजा, जो लगभग 3.84 करोड़ रुपए है, उस न्यायालय के पंजीयक के माध्यम से बैंक में जमा करा दिया गया है। इस प्रकार जबकि आई ओ सी ने सरकार के निर्णय और उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया है, भर्ती की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वांछित जनशक्ति आंतरिक रूप से जुटा ली गई है।

[अनुवाद]

एफ टी एल द्वारा परीक्षा परिणाम

4668. श्री अधीर चौधरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूरेलाल समिति द्वारा भेजे गए नमूनों के परीक्षण के दौरान एफ टी एल द्वारा परीक्षण परिणामों में कुछ गलतियों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या एम डी जी और पेट्रोलियम अधिनियम के उपबंधों के अनुसार डीलरों को अन्य प्रयोगशालाओं में इसके नमूने की जांच कराने का अधिकार है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या डीलरों को ऐसे अपराधों के लिए दंडित किया जाता है जो उन्होंने नहीं किए हैं और जो प्रयोगशाला तकनीशियनों की ही गलती होती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कोई निर्देश जारी करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) विश्लेषण में किसी भी त्रुटि का संदर्भ अभी तक एफ टी एल को नहीं दिया गया है।

(ख) विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले के गुणावगुण को देखते हुए नमूने की पुनर्जांच संबंधी डीलर के अनुरोध पर विचार किया जाता है और किसी एक प्राधिकृत प्रयोगशाला में नमूने की पुन: जांच की जाती है। नमूना लेने के मामले में पेट्रोलियम अधिनियम लागू नहीं होता है।

(ग) से (ङ) विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

सेक्स स्कैन्डल में लिप्त न्यायाधीश

4669. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश सैक्स स्कैन्डल में लिप्त पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इन न्यायाधीशों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय से विचार-विमर्श किया है। न्यायालय ने निम्नानुसार सूचित किया है:

"भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई इन-हाऊस प्रक्रिया के अनुसार, कर्नाटक उच्च न्यायालय

के तीन न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोपित अभियोग की जांच करने के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा पहले ही एक तथ्य निष्कर्ष समिति गठित की जा चुकी है। मामले में कार्यवाही चल रही है और इन-हाउस प्रक्रिया में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विनिश्चय किया जाएगा।"

अबोहर-फाजिल्का के बीच नई लाइन

4670. श्री जे.एस. बराड़: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब में अबोहर और फाजिल्का के बीच नई रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) रेल लाइन बिछाने के कार्य को कब तक शुरू किये जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) अबोहर से फाजिल्का (42.717 किमी.) तक एक नई बड़ी रेल लाइन का प्रारंभिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण दिसम्बर, 1997 में पूरा हो गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना की लागत प्रतिफल की (-) 7.44 प्रतिशत दर सहित 73.15 करोड़ रु. आंकी गई है, इस परियोजना को 1997-98 के बजट में इस शर्त के साथ शामिल किया गया था कि आवश्यक स्वीकृतियां जो सितम्बर, 2001 में प्राप्त हो गई हैं, के पश्चात् शुरू किया जाएगा। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य नीति निर्धारित नहीं की गई है।

रायफलें

4671. श्री सिमरनजीत सिंह मान: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंसास रायफलें युद्ध में जाम हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इंसास राइफलों की मैगजीनें युद्ध का दबाव झेलने में काफी सख्त होती हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) युद्ध में इंसास राइफलों के जाम हो जाने की कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इंसास राइफल की मैगजीन युद्ध का दबाव झेलने के लिए काफी मजबूत होती है। तथापि, चूंकि मैगजीन वजन कम करने के लिए प्लास्टिक सामग्री की बनाई जाती है इसलिए इसका शेल्फ कार्यकाल छह वर्ष रखा गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गया-मुगलसराय सेक्शन पर हाल्ट स्टेशन

4672. श्रीमती कान्ति सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार के औरंगाबाद जिले में मुगलसराय रेल डिवीजन में गया-मुगलसराय सेक्शन के संपार संख्या-24 पर हाल्ट स्टेशन की स्थापना के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त हाल्ट स्टेशन की स्थापना के लिए सातवें दशक के उत्तरार्द्ध में सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अलावा इस संबंध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) उक्त हाल्ट स्टेशन कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) गया-मुगलसराय खण्ड पर रेलवे क्रासिंग नं. 24 पर हाल्ट स्टेशन खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। प्रस्ताव की जांच की गई है और इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

बलात्कार से संबंधित कानून में परिवर्तन

4673. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ महिला संगठनों ने बलात्कार से संबंधित कानून में परिवर्तन करने का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के विधि आयोग ने भी उपर्युक्त कानून में परिवर्तन किये जाने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बायोमास के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन

4674. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बायोमास के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पंचवर्षीय योजना के दौरान बायोमास के माध्यम से विद्युत उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या बायोमास गैसीफायरों के विनिर्माताओं और इन किटों की खरीद हेतु उपभोक्ताओं को भी राजसहायता प्रदान की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या पूर्वोत्तर राज्यों को बायोमास गैसीफायर आधारित ऊर्जा के उत्पादन हेतु कोई राजसहायता दी जा रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार के पास अन्य राज्यों को भी बायोमास गैसीफायर संबंधी राजसहायता देने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(झ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय बायोमास विद्युत उत्पादन, खोई सहउत्पादन और बायोमास गैसीकरण संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 502 मेगावाट की क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है। दसवीं योजना के दौरान, परियोजना के प्रकार पर निर्भर करते हुए पूंजीगत सब्सिडी अथवा ब्याज सब्सिडी के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजनाओं के विकास, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन के लिए अन्य संवर्धनात्मक प्रोत्साहन भी उपलब्ध होंगे।

(ग) दसवीं योजना के लिए बायोमास के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए 775 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(घ) और (ङ) संयंत्र की क्षमता और उपयोगकर्त्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर निर्भर करते हुए इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल और थर्मल अनुप्रयोगों के बायोमास गैसीफायरों हेतु पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए भी सब्सिडी उपलब्ध है। बायोमास गैसीफायर उपकरण के विनिर्माताओं को कोई प्रत्यक्ष सब्सिडी नहीं दी जाती है।

(च) और (छ) बायोमास गैसीफायर आधारित ऊर्जा उत्पादन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों हेतु अपेक्षाकृत अधिक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्यमान डीजल विद्युत संयंत्रों को बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत केन्द्रों में बदलने के लिए अनुदान भी उपलब्ध हैं।

(ज) और (झ) राज्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए उन्हें सब्सिडी पहले से ही उपलब्ध कराई जा रही है। किन्हीं अन्य संगठन अथवा एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के लिए राज्यों के माध्यम से भी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती हैं।

[हिन्दी]

हिन्डन वायु सैनिक अड्डे पर मांस की दुकानें

4675. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्डन वायु सैनिक अड्डे के आस-पास सुरक्षा के पहलू की अनदेखी करते हुए मांस की अनेक दुकानें खोली जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा हिन्डन वायु सैनिक अड्डे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हिंडन वायुसेना बेस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्धारित सुरक्षा उपाय लागू कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

पारिवारिक सदस्यों को फोटो पहचान-पत्र

4676. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और फौज के वरिष्ठ नागरिकों को यह सुविधा दी गयी है उनके परिवार के सदस्य उनके फोटो पहचान-पत्र द्वारा शराब ले सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब से प्रारम्भ की गई है और क्या इसके प्रभावी होने की सूचना सभी कैंटीन प्रबंधनों को दे दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) फोटो पहचान पत्रधारी को कैंटीन से शराब मिलने की प्रक्रिया क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) जी, नहीं। दिनांक 12 अप्रैल, 1996 के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार केवल अशक्त पूर्व-सैन्य कर्मी ही अपनी ओर से शराब लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों को प्राधिकृत कर सकते हैं। तथापि, इस तरह के सभी अशक्त पूर्व-सैन्य कर्मियों को सशस्त्र सेना चिकित्सा प्राधिकारियों से यह प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है कि वे अशक्त हैं तथा कैंटीन तक जाने में असमर्थ हैं। आश्रितों को कोई फोटो पहचान-पत्र जारी नहीं किए गए हैं।

दीव के लिए स्थायी न्यायाधीश

4677. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र शासित प्रदेश दमन और दीव के लिए स्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की है;

(ख) क्या कार्य संचालन के लिए अधिक न्यायाधीश दमन से आते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या दमन और दीव के बीच 750 कि.मी. की असामान्य दूरी के कारण लोगों को अति आवश्यक और सही मामलों में भी जमानत प्राप्त करने के अधिकार से वंचित होना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो दमन में स्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) यह नियुक्ति कब तक हो जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। एक सिविल न्यायाधीश (ज्येष्ठ प्रभाग) और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को मास में एक सप्ताह के लिए दीव में आसीन होने के लिए तैनात किया गया है। इसी प्रकार, एक जिला और सेशन न्यायाधीश (अंशकालिक) को तीन मास में एक बार 5 आनुक्रमिक दिनों के लिए दीव में आसीन होने के लिए तैनात किया गया है।

(घ) और (ङ) इस समय, केन्द्रीय सरकार के पास दीव के लिए अनन्य रूप से एक न्यायाधीश की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत में अमरीकी कंपनियों के समक्ष आ रही समस्यायें

4678. श्री वाई.वी. राव: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में अमेरिकी विद्युत कंपनियों के समक्ष आ रही समस्याओं पर अमेरिका ने चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी हां।

(ख) और (ग) विद्युत मंत्री द्वारा अक्टूबर, 2002 के पूर्वार्ध में अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका की ऊर्जा सहायक सचिव सुश्री विकी वैली ने एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान आई.पी.पी. (स्वतंत्र विद्युत उत्पादन) के अमेरिकी निवेश के मामले में कतिपय संविदात्मक एवं भुगतान समस्याओं के कारण भारतीय विद्युत क्षेत्र के बारे में अमेरिकी विद्युत व्यवसाय समुदाय के बीच विश्वास का अभाव है। उन्होंने कहा कि भारतीय विद्युत क्षेत्र में संरचनात्मक मामलों का हल किए बिना भारत अमेरिकी निवेशकों के लिए निवेश करना काफी मुश्किल होगा। मुख्य मामला दाभोल विद्युत परियोजना से संबंधित है जो दाभोल पावर कंपनी (डीपीसी) एवं महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी) द्वारा हस्ताक्षरित विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) के आधार पर स्थापित

की गई थी। एमएसईबी द्वारा डीपीसी से विवाद के बाद 29 मई, 2001 से दाभोल संयंत्र (740 मे.वा.) के चरण-1 से बिजली लेना बंद कर देने के कारण संयंत्र को बंद कर दिया गया है। डीपीसी एवं एमएसईबी दोनों ने पीपीए के विभिन्न प्रावधानों पर एक दूसरे के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की है और मामला कोर्ट, आबिट्रेटर और महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष विचाराधीन है। विवादों को मुख्यत: इन दोनों पार्टियों द्वारा हल किया जाना है तथा बाद में इन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा, जिसने विभिन्न कानूनी कार्रवाईयों के आधार पर अंतिम आदेशों की शर्त पर पीपीए के अंतर्गत एमएसईबी के बकायों का डीपीसी को भुगतान करने की गारंटी दी है, हल किया जाना है। भारत सरकार ने विभिन्न मामलों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सहायता देने की सहमति दी है ताकि दाभोल विद्युत परियोजना को पुन: चालू/पुनर्गठित किया जा सके।

हाल में सचिव (विद्युत) के साथ आयोजित एक बैठक में चार अमेरिकी कंपनियों, यथा पीएसईबी इंडिया, सीएमएस इंडिया, कोवान्टा एशिया पैसिफिक और एल पासो इंडिया के प्रतिनिधियों ने तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के साथ अपने बकायों, बीजक (इनवॉइस) भुगतान तथा पीपीए के अंतर्गत अपेक्षित सुरक्षा तंत्र स्थापित करने संबंधी अपनी समस्याओं पर चर्चा की। इन कंपनियों की समस्याओं पर राज्य सरकार के साथ चर्चा की गई है, जो इन मामलों के हल के लिए समुचित उपाय कर रहे हैं।

नेवेली विद्युत संयंत्र से कर्नाटक को विद्युत आपूर्ति

4679. श्री के.ई. कृष्णामूर्ति: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी से पानी न छोड़े जाने के कारण नेवेली विद्युत संयंत्र ने कर्नाटक को विद्युत की आपूर्ति बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार को कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) तमिल उग्रवादियों द्वारा नैवेली लिग्नाइट का. पावर स्टेशन से विद्युत आपूर्ति रोकने की धमकी के मद्देनजर कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) से केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादन केन्द्र से विद्युत आवंटित करने का अनुरोध किया है। सीईए ने सूचित किया है कि राज्यों को दक्षिण क्षेत्र ग्रिड से जुड़े नेवेली ताप विद्युत केन्द्र-2 (1470 मे.वा.) से कर्नाटक को पूरी बिजली दी जा रही है ऐसे में कर्नाटक राज्य को विद्युत आपूर्ति एकाएक रोकना संभव नहीं होगा। इस केन्द्र के उत्पादन कार्य को रोकने से इस क्षेत्र के अन्य राज्य भी प्रभावित होंगे।

[हिन्दी]

विद्युत की खपत

4680. श्री जयभान सिंह पवैया: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में विद्युत की अत्यधिक खपत को रोकने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) ऊर्जा के सदुपयोग और इसके संरक्षण तथा इनसे जुड़े मुद्दों की व्यवस्था के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (2001 का 52) अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार को निम्नलिखित शक्तियां प्रदत्त हैं:

* विद्युत अभिमुख उद्योगों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य प्रतिष्ठानों को उपभोक्ता अधिसूचित करना।
* अधिसूचित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत के मानक का निर्धारण
* अधिसूचित उपभोक्ताओं को निर्देश देना कि-
  - ऊर्जा सदुपयोग और इसके संरक्षण संबंधी कार्यों के लिए प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक प्रभारी नियुक्त करना,
  - निर्धारित समय और ढंग से मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा कराना,
  - मान्यताप्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक की अनुशंसाओं पर विद्युत खपत के संदर्भ में की गयी कार्यवाही की सूचना अधिसूचित एजेंसियों को करना,

- ऊर्जा खपत संबंधी मानकों का अनुपालन करना और यदि अनुपालना संभव न हो तो ऊर्जा के सदुपयोग और संरक्षण हेतु स्कीमें तैयार कर कार्य रूप देना,

- अधिसूचित उपस्करों और उपकरणों पर अनिवार्य रूप से लेबल लगाने संबंधी निर्देश देना,

- अधिसूचित उपस्करों और उपकरणों पर विद्युत खपत संबंधी मानकों का आवश्यक उल्लेख किये जाने के आशय का निर्देश दिया जाना,

- अधिसूचित उपस्करों और उपकरणों के उत्पादकों के उन उत्पादों के क्रय एवं विक्रय पर रोक लगाना जो निर्धारित मानकों के अनुरूप न हों।

इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को भी कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, यथा–

- वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा के सदुपयोग एवं संरक्षण के लिए एनर्जी कंजरवेशन बिल्डिंग कोड का निर्धारण करना,

- क्षेत्रीय एवं स्थानीय जलवायु स्थिति के अनुकूल एनर्जी कंजरवेशन बिल्डिंग कोड में संशोधन करना,

- एनर्जी कंजरवेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की अनुपालना हेतु वाणिज्यिक भवनों के स्वामियों और कब्जाधारियों को निर्देश देना।

निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन

4681. श्री महेश्वर सिंह:
श्री सुरेश चन्देल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गठित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी कमीशन हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पूर्व अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा;

(ख) यदि हां, तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को अनारक्षित किया जाएगा और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) भारत निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर हिमाचल प्रदेश राज्य की बाबत परिसीमन का कार्य परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा और फरवरी, 2003 में उस राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के पूरा होने के पश्चात् उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसलिए साधारण निर्वाचनों से पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण/अनारक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता।

कल्याण योजनाएं

4682. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैटरीचालित वाहनों के लिए ऋण/अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार ने क्या सूत्र अपनाया है और इन योजनाओं के लिए अन्य सरकारों द्वारा दिए गए योगदान का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षों में राजस्थान में राजस्थान सरकार और अन्य किसी स्वयंसेवी संगठन द्वारा लागू की गई इन योजनाओं से संबंधित ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय वर्ष 2002-03 के दौरान समूचे देश में राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में राज्य नोडल एजेंसियों तथा विभागों के माध्यम से बैटरी चालित वाहनों (बीओवी) पर प्रदर्शन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित प्रकार के बीओवी के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराता है:

(1) बैटरी चालित बसों/मिनी बसों (10 और उससे अधिक सीटों वाली) के लिए वाहन की लागत (उत्पाद शुल्क, बिक्री कर तथा अन्य वसूलियों को छोड़कर) का 33% अथवा 3.50 लाख रु. प्रति वाहन, जो भी कम हो, की दर से केन्द्रीय सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।

(2) बैटरी चालित सवारी तिपहिया गाड़ियों (8 और उससे अधिक सीटों वाली) के लिए वाहन की लागत (उत्पाद शुल्क, बिक्री कर तथा सभी अन्य वसूलियों को छोड़कर) का 33% अथवा 80,000 रु. प्रति वाहन, जो भी कम हो, की दर से केन्द्रीय सब्सिडी।

(3) बैटरी चालित सवारी कारों (चार सीट वाली) के लिए वाहन की लागत का 33% (उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य सभी वसूलियों को छोड़कर) अथवा 75,000 रु. प्रति वाहन, जो भी कम हो, की दर से केन्द्रीय सब्सिडी।

(ख) राजस्थान सरकार और राजस्थान में किसी अन्य स्वैच्छिक संगठन ने पिछले तीन वर्षों के दौरान बैटरी चालित वाहनों के लिए अब तक मंत्रालय की योजना का लाभ नहीं उठाया है।

[अनुवाद]

पावर यूनिट्स केपेबल आफ ब्रेक

4683. श्री नरेश पुगलिया:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 नवम्बर, 2002 को 'स्टैट्समैन' में ''पावर यूनिट्स केपेबल आप ब्रेक इवन बाई 2005-06'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तरह ठप्प होने वाली विद्युत परियोजनाओं को बचाने के लिए सरकार ने क्या योजनायें बनाई हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां।

(ख) यह समाचार दिनांक 26.10.2002 को नई दिल्ली में सम्पन्न चहुंमुखी (टर्नअराउन्ड) रणनीति पर राज्यों के ऊर्जा एवं वित्त सचिवों तथा यूटिलिटीज के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला से संबंधित है। पहले 27.3.2002 को, सरकार ने श्री दीपक पारिख, अध्यक्ष, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फायनेंस कंपनी (आई डी एफ सी) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की थी, जो विद्युत क्षेत्र की वित्तीय क्षमता को शीघ्रता से पुन: प्रतिष्ठापित करने तथा बनाए रखने हेतु राज्य विशिष्ट सुधार कार्यक्रम के विकास में मदद तथा ए.पी.डी.आर.पी. एवं अन्य स्रोतों से फंडों को कारगर ढंग से दोहन करने में मदद करती है। सितम्बर, 2002 में, समिति ने त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के पुनर्निर्माण, राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबीज) के वित्तीय पुनर्संरचना के ढांचे एवं सिद्धांतों में सुधार से संबंधित अपनी रिपोर्ट का पहला भाग प्रस्तुत किया था। समिति की मुख्य सिफारिशें यहां नीचे दी गई हैं:

* केन्द्र सरकार को इस कार्यक्रम के वित्तीय सहायता स्तर को तुरंत पूरा करना चाहिए तथा परिभाषित वार्षिक आबंटन के माध्यम से इसे अंतरित करने हेतु राजी होनी चाहिए।

* ए.पी.डी.आर.पी. फंड से सहायता की दो धाराएं होंगी: एक निवेश की तथा दूसरी आपूर्ति की यूनिट लागत तथा राजस्व वसूली के बीच अंतर की कमी पर आधारित प्रोत्साहन राशि के तौर पर (खरीदी गई यूनिटों की संख्या के आधार पर परिकलित)।

* सुधार लाने की शुरुआत करने हेतु राज्यों को समर्थ बनाने हेतु ए.पी.डी.आर.पी. फंडों के पहले वर्ष के आबंटन का 50% अर्थात् 1750 करोड़ रु. निवेश हेतु राज्यों को उपलब्ध कराया जाना।

* इस योजनान्तर्गत सहायता को राज्यों से समान अंशदान लेकर समंजित करना चाहिए अर्थात् परियोजना के लिए अपेक्षित 50% फंड को फंड द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए, परियोजना में शेष 50% फंड को राज्यों से लेना चाहिए।

* इस खंड के अंतर्गत प्रयास प्रथमत: बेहतर व त्वरित परिणामों के लिए संकेन्द्रीकृत अंचलों में किये जाने चाहिए।

* उन निवेशों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए जिनसे कम वाणिज्यिक हानियां हों।

* फंड से शेष सहायता अर्थात् पहले वर्ष से 1750 करोड़ रु. तथा प्रोत्साहन योजानान्तर्गत शेष वर्षों के लिए आबंटन आपूर्ति की यूनिट लागत तथा राजस्व वसूली के बीच अंतर में कमी पर आधारित दो के लिए एक मैचिंग अनुदान को संवितरित किया जाना चाहिए।

* उन कारकों के समायोजन के बाद जो परिचालन निष्पादन हेतु असंगत हैं, उद्यम स्तर पर अंतर में समग्र रूप से कमी लाने हेतु, प्रोत्साहन राशि को 1:2 के अनुपात में मैच किया जाएगा (अर्थात् प्रत्येक दो रु. की हानि कमी के लिए प्रोत्साहन राशि एक रुपया होगा)। तथापि, फंडों की उपलब्धता की समीक्षा के बाद प्रोत्साहन राशि के इस हिस्से को सुधार हेतु माना जा सकेगा।

* वित्तीय वर्ष 2000-2001 को संदर्भ के तौर पर आधार वर्ष लेते हुए उचित समय अवधि पर निष्पादन हेतु वार्षिक आधार पर तथा निष्पादन प्रगति के लिए पात्र सुधारों का आकलन किया जाना चाहिए।

राज्य विशिष्ट सुधारों को तैयार करने हेतु रिपोर्ट के दूसरे भाग के लिए, संदर्भित कार्यशाला सुधार तथा चहुंमुखी रणनीति पर राज्य

प्राधिकारियों को मंतव्य जानने के लिए एक कार्यशाला 26 अक्तूबर, 2002 को आयोजित की गई थी। कार्यशाला में हिस्सा लेने वाले राज्यों द्वारा चहुंमुखी रणनीति पर किए गए प्रस्तुतीकरण के अलावा, क्रेडिट रेटिंग इन्फार्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लि. (क्रिसिल) तथा इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लि. (इसरा) द्वारा विद्युत बोर्डों की रेटिंग करने तथा ए.पी.डी.आर.पी. के कार्यान्वयन पर भी चर्चाएं की गई थीं। चूंकि प्राप्त सूचनाएं अपर्याप्त थीं, राज्य सरकारों से उनकी चहुंमुखी रणनीति तथा योजना पर सूचना भेजने हेतु कहा गया है। यह सूचना अधिकांश राज्यों से प्रतीक्षित है।

(ग) उक्त सूचना मिलने के बाद, दीपक पारिख समिति राज्य-विशिष्ट सुधारों के अपने दूसरे भाग के रिपोर्ट को सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

राज्य विद्युत बोर्डों के ऋण भार

4684. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्ड ऋण भार कम करने के केन्द्र सरकार के बकायों का भुगतान करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने चूककर्त्ता राज्यों के लिए बकाया राशि का भुगतान आसान बनाने के लिए बकाया वसूली हेतु उदार पुन:सर्जित पैकेज बनाने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या निगम चूककर्त्ता राज्यों को स्वीकार्य पैकेज तैयार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) ने चूककर्त्ता राज्यों को लचीला पुन:निर्धारित पैकेज प्रस्तावित किया है। इस पुन:निर्धारित पैकेज का स्वरूप एवं कार्यावधि चूक की मात्रा तथा भुगतान करने की राज्य विद्युत यूटिलिटियों की क्षमता के आधार पर राज्य-दर-राज्य भिन्न हो सकती है। आरईसी के पुन:निर्धारित पैकेज की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- 31.3.2002 तक के नियत समय के बाद के ब्याज को रोककर इसका जनवरी, 2003 से 60 बराबर मासिक किश्तों में बिना कोई अगला ब्याज लगाए भुगतान किया जाएगा।

- नियत समय के बाद मूलधन का जनवरी, 2008 से आरईसी के चालू औसत ऋण दर पर 15 वर्षों में भुगतान।

- शेष ऋण का जनवरी, 2008 से आरईसी के चालू औसत ऋण दर पर 15 वर्षों में बराबर मासिक किश्तों में भुगतान (वर्तमान मूल्य और निवल वर्तमान मूल्य के बीच 50% अंतर को छोड़कर 50% का उपयोग किया जाएगा)।

- 31.3.2002 तक के दंडस्वरूप ब्याज को रोककर इसे चरणों में माफ किया जाएगा।

- पूरे बकाए पर 31.3.2002 से 31.12.2002 तक कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा और इन्हें क्रमिक रूप से माफ कर दिया जाएगा।

पुन:निर्धारित पैकेज चूककर्त्ता राज्यों, अर्थात् असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और प. बंगाल को पुन:निर्धारित पैकेज प्रस्तावित किए गए हैं।

[हिन्दी]

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अवैध गतिविधियां

4685. श्री सुबोध राय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज मेन गेट से आरक्षण कार्यालय तक की रेलवे की भूमि फेरी वालों के अवैध कब्जे में है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे फेरीवालों की सूची बनाई है जिन्होंने गैर-कानूनन रेलवे भूमि पर कब्जा कर रखा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, उन फेरीवालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आरक्षण कार्यालय पर दलाल रेलवे टिकट बेच रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन दलालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज मुख्य द्वार से आरक्षण कार्यालय तक की भूमि रेलवे की सीमा से बाहर है और राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य सरकार से संबंधित है। अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) कुछ घटनाएं ध्यान में आई हैं। वाणिज्यिक और सतर्कता विभागों द्वारा जांचें की जाती हैं और समय-समय पर पुलिस भी सहायता करती है। पकड़े गए व्यक्तियों के संबंध में कानून के संबद्ध उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

महिला अधिकारिता पर फिल्म

4686. श्री सईदुज्जमा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामाजिक मुद्दों पर बहुत कम फिल्में बनायी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का ध्यान पैगम्बर हुसैन की शहादत पर केन्द्रीय ''स्वराज द लिटल रिपब्लिक'' नामक उत्कृष्ट फिल्म की ओर दिलाया गया है और जिसमें पंचायती राज और उच्च ख्याति के पुरुषों के ऐसी महिलाओं के विरुद्ध दुष्कृत्यों को दिखाया गया है जो तमाम विषमताओं के बावजूद राजस्थान प्रशासन की मदद से अपने गांव के लिए पानी प्राप्त करने में सफल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या फिल्म ने तमाम विषमताओं के बावजूद महिला अधिकारिता के लिए लड़ने वाली चार महिलाओं के माध्यम से न्याय और कानून की उम्मीद जगायी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी फिल्मों को पूर्ण समर्थन और उनका निर्माण और दूरदर्शन इत्यादि पर प्रसारण सुनिश्चित करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) भारत में फिल्मों का निर्माण निजी क्षेत्र में किया जाता है और सरकार द्वारा इस बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, ''सामाजिक'' रूप में वर्गीकृत फिल्मों के पिछले तीन वर्ष के सांख्यिकी आंकड़े दर्शाते हैं कि ऐसी फिल्मों का निर्माण बढ़ा है:

1999	–	593
2000	–	702
2001	–	816

इसके अतिरिक्त, फिल्म प्रभाग और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. जो इस मंत्रालय से सम्बद्ध संस्थान हैं भी सामाजिक विषयों और महिला अधिकारिता पर फिल्मों, वृत्तचित्रों आदि का निर्माण करते हैं।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा मई, 2002 में ''यू'' प्रमाणपत्र के साथ 'स्वराज' (द लिटिल रिपब्लिक) को मंजूर किया गया था। इस फिल्म को भारतीय पैनोरमा, 2002 के अंतर्गत चुना गया था और इसे नई दिल्ली में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के अधीन फिल्म समारोह निदेशालय ने मान्ट्रियल अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, साओ पॉलो अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, कैरो अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, कोलकाता फिल्म समारोह, मुम्बई फिल्म समारोह, पुणे फिल्म समारोह में अपनी भागीदारी की व्यवस्था की थी। इस फिल्म को मुनिच अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, फ्रिबर्ग अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और पाम स्प्रिंग अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भी आमंत्रित किया गया है।

यह फिल्म दिल्ली में दिनांक 10.12.2002 को संसद सदस्यों और अन्य व्यक्तियों को दिखायी गयी थी। जहां तक इस फिल्म को दूरदर्शन पर दिखाने का संबंध है, प्रसार भारती एक स्वायत्तशासी निकाय है, इसलिए निर्माता प्रसार भारती द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अपनी फिल्म को चैनल पर दिखाने के लिए स्वतंत्र है।

राज्यों को मिट्टी का तेल

4687. श्री पी.सी. थामस: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य को दिया जाने वाला मिट्टी के तेल का मासिक कोटा कितना है;

(ख) क्या केरल सरकार ने अपना कोटा बढ़ाने और पूर्ववर्ती मासिक कोटा बहाल रखने का अनुरोध किया है और इसे घटाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सरकार द्वारा माह दिसम्बर, 2002 के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु किया गया मिट्टी तेल का मासिक आवंटन विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अक्तूबर, 2000 से नवम्बर, 2001 तक के दौरान जारी

किए गए एल पी जी कनेक्शनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष, 2002-2003 के लिए केरल समेत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मिट्टी तेल के आबंटन में कटौती कर दी है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	माह दिसम्बर, 2002 के लिए मिट्टी तेल का आबंटन (मीट्रिक टन में)
1	2
अंदमान और निकोबार द्वीप	476
आंध्र प्रदेश	45517
अरुणाचल प्रदेश	816
असम	21757
बिहार	53885
चंडीगढ़	1174
छत्तीसगढ़	12332
दादर और नागर हवेली	250
दमण व दीव	190
दिल्ली	15738
गोआ	1833
गुजरात	65098
हरियाणा	12994
हिमाचल प्रदेश	4709
जम्मू-कश्मीर	8441
झारखंड	18064
कर्नाटक	41719
केरल	19730
लक्षद्वीप	73
मध्य प्रदेश	41477
महाराष्ट्र	113936
मणिपुर	1738
मेघालय	1717
मिजोरम	563
नागालैंड	1111
उड़ीसा	26453
पांडिचेरी	1109
पंजाब	22678
राजस्थान	34767
सिक्किम	533
तमिलनाडु	48560
त्रिपुरा	2629
उत्तर प्रदेश	105094
उत्तरांचल	8204
पश्चिमी बंगाल	64898
अखिल भारत (योग)	800263

पंजाब में मिट्टी के तेल के विक्रय-केन्द्र

4688. श्री भान सिंह भौरा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पंजाब में मिट्टी के तेल के नये विक्रय-केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विक्रय केन्द्रों के कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) 1.4.2002 से प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) के समापन के बाद तेल कंपनियां पंजाब सहित देश के विभिन्न भागों में आर्थिक संभाव्यता के आधार पर एस के ओ/एल डी ओ वितरण केन्द्र स्थापित करने के लिए और स्थान चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।

शील्डों में स्वर्ण-मात्रा में कटौती

4689. श्री जी.ऐस. बसवराज: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टीवल समिति द्वारा दिये जाने वाले स्वर्णकमल जैसे पुरस्कारों में स्वर्ण मात्रा घटाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे इन पुरस्कारों की महत्ता कम हो जायेगी और इससे सरकार और प्राप्तकर्त्ता दोनों का सम्मान कम होगा; और

(ग) शील्डों, पुरस्कारों और मेडल्स में स्वर्ण-मात्रा घटाने से अनुमानत: कितनी बचत होगी और इससे बजटीय घाटे का भार किस सीमा तक कम होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों और भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के प्रतिस्पर्द्धा खण्ड के लिए पुरस्कारों हेतु स्वर्ण/रजत का प्रयोग करने की बजाय एक ट्राफी देने और नकद पुरस्कारों की राशि को बढ़ाने का सुझाव दिया गया था। तथापि, इस परिवर्तन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

उच्च गति के गश्ती जहाज

4690. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्च गति के गश्ती जहाजों का परीक्षण कराया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे होने वाले फायदे क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) मैसर्स ए बी जी शिपयार्ड के निर्मित उच्च गति की दो अन्तर्रोधी नावों का तटरक्षक द्वारा उनकी गति की अनुमोदित डिजाइन विनिर्दिष्टियों की तुलना में जांच करने के लिए व्यापक रूप से परीक्षण किया गया था। इन नावों ने परीक्षणों के दौरान वांछित गति प्राप्त की।

(ग) उच्च गति की अन्तर्रोधी नावों को शामिल किए जाने से तटरक्षक को गश्त लगाने, खोज और बचाव, उल्लंघन करने वाले जलपोतों आदि को रोकने जैसे कार्यों के निष्पादन में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति

4691. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन फिर भी इन्हें रेलवे अस्पतालों में नहीं अपनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चिकित्सा की आयुर्वेद पद्धति को रेलवे अस्पतालों में आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कदम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) आयुर्वेद एक जांची-परखी पद्धति है और यह देश में काफी समय से प्रचलन में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको मान्यता दी है। बहरहाल, रेलवे के अस्पतालों में आयुर्वेद पद्धति को नहीं अपनाया गया है।

रेलवे संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर विगत 150 वर्षों में भारतीय रेलों पर चिकित्सा सुविधाएं विकसित हुई हैं और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, पूरे देश में फैले विस्तृत औद्योगिक कार्यदल को आरोग्य प्रमाणपत्र प्रदान करना जो आधुनिक निदान एवं चिकित्सीय मानदंड पर आधारित है, रेल लाभार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता सुविधाएं, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली पर आधारित स्वास्थ्य संबंधी रोकथाम एवं स्वास्थ्यवर्धन आदि पर आधारित है। आयुर्वेद इन विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं होगी। आयुर्वेद में समानांतर चिकित्सा सेवाओं को विकसित करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि नागरिक अवसंरचना पहले ही मौजूद है। पर्याप्त संख्या में इस प्रकार की कई आयुर्वेद सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं। आज की तारीख में मंत्रालय के समक्ष रेलवे अस्पताल में उपचार के लिए आयुर्वेद पद्धति को अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भूतपूर्व सैनिकों को पुन: रोजगार दिए जाने के लिए मानदंड

4692. श्री विक्रम केशरी देव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूतपूर्व सैनिकों को पुन: भर्त्ती करने/रोजगार देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों को आसानी से पुन: रोजगार देने पर अधिक बल देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में विभिन्न विभागों/राज्य सरकारों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) सिविल विभागों में भूतपूर्व सैनिकों को पुन: नियोजन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार ने उनके लिए समूह 'ग' और समूह 'घ' रिक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। रक्षा सुरक्षा कोर में शतप्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। अर्द्ध सैन्य बलों में सहायक कमांडेंट की 10% रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राष्ट्रीय बैंक भी समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों में आरक्षण उपलब्ध कराते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भरती में शैक्षिक योग्यता और निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में कुछ छूट की व्यवस्था की गई है। केन्द्र सरकार की तर्ज पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण और अन्य रियायतों की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है। यद्यपि, सिविल में नौकरियों के कम होते जा रहे अवसरों के कारण नौकरी चाहने वाले सभी भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

बचाव कार्य में काम आने वाली पुनडुब्बी के उत्पादन में अनियमितताएं

4693. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बचाव कार्य में काम आने वाली पनडुब्बियों के उत्पादन में हुई अनियमितताओं के संबंध में कोई सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में जवाबदेही तय की है और यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से लोग उत्तरदायी पाए गए; और

(घ) जवाबदेही तय करने के पश्चात् सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) देश में अभी तक किसी भी बचाव पनडुब्बी का निर्माण नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण/विस्तार

4694. श्री भर्तृहरि महताब: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कटक में उच्च न्यायालय के भवन के निर्माण/विस्तार और माननीय न्यायाधीशों तथा अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय इकाइयों के लिए वित्तीय आवंटन के संबंध में उड़ीसा सरकार का कोई प्रस्ताव कई महीनों से केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को कब तक अनुमोदित किये जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार का यह प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वह अपने उच्च न्यायालय/अधीनस्थ न्यायालयों के लिए

अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराए। तथापि, न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत आने वाले न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और निवास स्थान का निर्माण आता है, न कि कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण। उड़ीसा राज्य सरकार, उच्च न्यायालय भवन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आवासीय एककों के निर्माण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन आबंटित निधियों का उपयोग कर सकती है। स्कीम के मानदंडों के अनुसार, राज्य सरकार से यह अपेक्षित है कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई निधियों के संबंध में समतुल्य अंश का अभिदाय करे।

न्याय विभाग को उच्च न्यायालयों के निर्माण/विस्तार के लिए 648.47 करोड़ रुपए की, जिसके अंतर्गत कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के भवन के निर्माण/विस्तार के लिए 20.30 करोड़ रुपये की मांग भी है, निधियों के प्रावधान के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

वर्ष 2002-03 के दौरान, विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्माण/विस्तार के लिए योजना आयोग द्वारा 18.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। इसमें से 27.01 लाख रुपए की राशि उड़ीसा सरकार को कटक में उच्च न्यायालय भवन के निर्माण/विस्तार के लिए अनंतिम रूप से निर्दिष्ट की गई है।

बिहार को एपीडीआरपी के अंतर्गत शामिल किया जाना

4695. श्री अरुण कुमार: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के कुछ नक्सल प्रभावित जिलों सहित कुछ अन्य जिलों को त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत शामिल करने के लिए बिहार सरकार और संसद सदस्यों की ओर से केन्द्र सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो बिहार में एपीडीआरपी के अंतर्गत अब तक शामिल किए गए जिलों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां। बहरहाल त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत बिहार की स्कीमों की मंजूरी पर विचार करते समय नक्सल प्रभावित और नक्सल से अप्रभावित जिलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

(ख) एपीडीआरपी के अंतर्गत शामिल बिहार के जिलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

परियोजना क्षेत्र	स्कीम लागत (करोड़ रुपये में)
1	2
पीईएसयू (पूर्व)	43.85
पटना	46.49
मुजफ्फरपुर	63.55
पीईएसयू (पश्चिम)	46.63
गया	80.35
भागलपुर	35.61
छपरा	72.40
दरभंगा	59.86
रोहतास	72.82
सहरसा	45.61
पूर्णिया	69.38
अतिरिक्त मीटरिंग (पीईएसयू(पूर्व) पटना तथा मुजफ्फरपुर)	81.02
कुल	717.57

मिलावट रोधी प्रकोष्ठ (एन्टी-एडल्ट्रेशन सेल) बनाया जाना

4696. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चेन्नई में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल आदि में मिलावट को रोकने के लिए एक मिलावटरोधी प्रकोष्ठ (एन्टी-एडल्ट्रेशन सेल) बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक के उपभोक्ताओं को मिलावट संबंधी अपनी शिकायतों को चेन्नई कार्यालय में दर्ज कारना होगा;

(ग) कर्नाटक में पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्रों और एलपीजी डीलरों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बंगलौर में एक प्रकोष्ठ (सेल) बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मिलावट रोधी प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और चार क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्तमान में कर्नाटक में 1,111 पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र और 451 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें हैं।

(घ) से (च) चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय, कर्नाटक राज्य सहित सारे दक्षिणी राज्यों का प्रभारी है और बंगलौर में किसी प्रकोष्ठ को स्थापित करने की योजना नहीं है।

दिल्ली में बी.पी.सी.एल. की एल.पी.जी. की बेनामी एजेंसियां

4697. **श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** 18 जुलाई, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 722 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतिम विचार को ध्यान में रखते हुए बी.पी.सी.एल. से कतिपय ब्यौरा मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) चूंकि कंपनी ने संगत विवरणों की अभी तक प्रतीक्षा है, अत: सरकार ने मामले में कोई अंतिम विचार नहीं बनाया है।

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ सी बी आई के मामले

4698. **श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी बी आई ने भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के उन पूर्व और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिन्होंने राजकोष को घाटा पहुंचाकर एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने का षडयंत्र रचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है जो एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने और राजकोष को घाटा पहुंचाने में लिप्त पाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सी बी आई ने गेल के कुछ पदाधिकारियों और पूर्व-पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(घ) के साथ पठित आई पी सी की धारा 120ख के तहत एक मामला संख्या 63(ए)/2002 डी एल आई, दिनांक 14 नवम्बर, 2002 पंजीकृत किया है।

चूंकि मामले की अभी जांच-पड़ताल चल रही है अत: सरकार द्वारा इस अवस्था में आरोपित पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

लोको रनिंग स्टॉफ

4699. **डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में, विशेषकर दक्षिण-पूर्व रेलवे में, वर्तमान लोको रनिंग स्टॉफ के अतिरिक्त काम करने से उन्हें थकान हो जाती है और इस कारण यात्री सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं। यात्री गाड़ियों में चलने वाले रनिंग कर्मचारियों का रोस्टर क्रू लिंक के अनुसार बनाया जाता है, जिसमें आराम और कार्य के घंटों के सांविधिक प्रावधानों का पालन किया जाता है।

बहरहाल, दुर्घटना, बाढ़, आंदोलन, उपस्करों की खराबी आदि की आपवादिक तात्कालिक स्थितियों में रनिंग स्टाफ को लिंक में निर्धारित ड्यूटी समय से ज्यादा भी काम करना पड़ सकता है।

संपूर्ण रेलवे के लोको स्टाफ के ड्यूटी घंटों को लगातार मॉनीटर किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलमार्गों का दोहरीकरण और विद्युतीकरण

4700. श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उन रेल लाइनों का जोनवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनका दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया गया;

(ख) परियोजनावार किन-किन रेल लाइनों का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया जा रहा है और इनको कब तक पूरा कर लिया जाएगा और इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इन पर परियोजनावार कितना खर्च आया है;

(घ) उन रेल लाइनों का परियोजनावार ब्यौरा क्या है जिनके दोहरीकरण और विद्युतीकरण के संबंध में सर्वेक्षण कराया गया है;

(ङ) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान रेल लाइनों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए कतिपय अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मझगांव डॉक लिमिटेड से पनडुब्बी की खरीद

4701. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री शिवाजी माने:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मझगांव डॉक लिमिटेड को गत तीन वर्षों के दौरान आज तक भारतीय नौसेना से या किसी अन्य देश से पनडुब्बियों की खरीद के ऑर्डर मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त कम्पनी को पनडुब्बयों की खरीद के अधिक से अधिक आर्डर मिले, क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) सरकार ने पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण और पनडुब्बी निर्माण में राष्ट्रीय सक्षमता हासिल करने के लिए एक दीर्घकालिक संदर्शी योजना अनुमोदित की है। परियोजना 75 इस योजना का हिस्सा है। फ्रांसीसी कंपनी के साथ बातचीत के सफलतापूर्वक समापन पर अंतत: फ्रांसीसी डिजायन की स्कोर्पीन पनडुब्बियों का निर्माण करने वाले यार्ड के रूप में माझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई का पता लगाया गया है। तथापि, इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) माझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई सहित शिपयार्डों को जलपोतों/पनडुब्बियों के निर्माण के लिए सप्लाई आर्डर दिये जाते हैं जो संसाधनों की उपलब्धता और शिपयार्डों की तकनीकी सक्षमताओं पर निर्भर होते हैं।

[अनुवाद]

दसवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का लगाया जाना

4702. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री वाई.जी. महाजन:
डा. (श्रीमती) सुधा यादव:
श्री रामदास रुपला गावीत:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री अनन्त नायक:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार अलग-अलग क्षमता के उच्च शक्ति वाले कितने ट्रांसमीटर लगाए गए;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में इस पर कितना खर्च आया;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार किन-किन स्थानों पर अलग-अलग क्षमता के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को लगाए जाने वाले कितने निम्न शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में बदले जाने का प्रस्ताव है;

(घ) उक्त प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके लिए कितना परिव्यय दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को स्थानवार कब तक लगाए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरदर्शन के 58 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा आकाशवाणी के 28 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर चालू किए गए थे। उपर्युक्त उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों पर हुए खर्च का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन के दसवीं योजना के प्रस्ताव अभी अनुमोदित किये जाने हैं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा राज्य-वार योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं।

(ङ) इस समय कार्यान्वयनाधीन उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों के आगामी 3-4 वर्षों के दौरान चरणबद्ध रूप से पूरा हो जाने की आशा है।

विवरण

9वीं योजना के दौरान लगाए गए उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों पर किया गया व्यय

(क) दूरदर्शन

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	व्यय (लाख रुपये में)
आंध्र प्रदेश	1139.47
असम	882.65
बिहार	540.27
छत्तीसगढ़	214.90
गोआ	214.95
हिमाचल प्रदेश	232.83
जम्मू-कश्मीर	2116.63
झारखंड	684.80
कर्नाटक	1339.60
केरल	1176.24
मध्य प्रदेश	1927.85
महाराष्ट्र	413.00
मणिपुर	228.02
मेघालय	225.88
उड़ीसा	1787.24
पांडिचेरी	587.02
पंजाब	1354.54
राजस्थान	1606.77
तमिलनाडु	582.22
त्रिपुरा	430.87
उत्तर प्रदेश	3201.46
उत्तरांचल	297.71
पश्चिमी बंगाल	2167.60

(ख) आकाशवाणी

क्र.सं.	राज्य	स्थान	शक्ति	प्रतिस्थापन/नया	पूंजी निवेश (मार्च, 2002 तक व्यय लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	200 कि.वा.मी.वे.	50 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन	550.59
2.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट-ब्लेयर	100 कि.वा.मी.वे.	20 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन	300.59
3.	असम	गुवाहाटी	100 कि.वा.मी.वे.	50 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन	284.50
4.	छत्तीसगढ़	जगदलपुर	100 कि.वा.मी.वे.	10 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन	349.35
5.	दिल्ली	खामपुर	250 कि.वा.शा.वे.	50 कि.वा.शा.वे. का प्रतिस्थापन	2249.01
6.	दिल्ली	खामपुर	250 कि.वा.शा.वे.	50 कि.वा.शा.वे. का प्रतिस्थापन	
7.*	दिल्ली	खामपुर	250 कि.वा.शा.वे.	100 कि.वा.शा.वे. का प्रतिस्थापन	
8.*	दिल्ली	खामपुर	250 कि.वा.शा.वे.	100 कि.वा.शा.वे. का प्रतिस्थापन	2981.42
9.*	दिल्ली	खामपुर	250 कि.वा.शा.वे.	100 कि.वा.शा.वे. का प्रतिस्थापन	
10.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर	300 कि.वा.मी.वे.	200 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन	1054.86
11.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू	50 कि.वा.शा.वे.	2 कि.वा.शा.वे. का प्रतिस्थापन	116.40
12.*	जम्मू-कश्मीर	कारगिल	200 कि.वा.मी.वे.	नया	606.16
13.	झारखंड	रांची	50 कि.वा.शा.वे.	20 कि.वा.शा.वे. का प्रतिस्थापन	507.89
14.	केरल	अलेप्पी	200 कि.वा.मी.वे.	100 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन	458.65
15.	मध्य प्रदेश	इंदौर	200 कि.वा.मी.वे.	100 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन	750.34
16.	महाराष्ट्र	नागपुर	300 कि.वा.मी.वे.	100 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन	894.94
17.	मणिपुर	इम्फाल	300 कि.वा.मी.वे.	50 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन	697.48
18.	नागालैंड	कोहिमा	100 कि.वा.मी.वे.	50 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन	273.04
19.	उड़ीसा	कटक	300 कि.वा.मी.वे.	100 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन	785.79
20.	उड़ीसा	सम्बलपुर	100 कि.वा.मी.वे.	20 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन	345.00
21.	उड़ीसा	जैपोर	50 कि.वा.शा.वे.	नया	605.00

1	2	3	4	5	6
22.	पंजाब	जालंधर	200 कि.वा.मी.वे.	50 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन	401.65
23.	राजस्थान	जोधपुर	300 कि.वा.मी.वे.	100 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन	859.85
24.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	100 कि.वा.मी.वे.	100 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन	282.96
25.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	2×250 कि.वा.शा.वे.	2×50 कि.वा.शा.वे. का प्रतिस्थापन	2077.83
26.*	उत्तर प्रदेश	नजीबाबाद	200 कि.वा.मी.वे.	100 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन	98.42
27.	पश्चिमी बंगाल	कोलकाता	200 कि.वा.मी.वे.	100 कि.वा.मी.वे. का प्रतिस्थापन	466.15
28.	पश्चिमी बंगाल	कुर्सियांग	50 कि.वा.शा.वे.	20 कि.वा.शा.वे. का प्रतिस्थापन	418.85

*कार्यान्वयनाधीन स्कीमें

[हिन्दी]

एचईसी के कार्यनिष्पादन में सुधार

4703. श्री राम टहल चौधरी:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) के कार्यनिष्पादन में गिरावट को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन प्रणाली के कार्यों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस उद्योग के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) सरकार हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) और इसके उच्च प्रबंधन के कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करती रहती है। कम्पनी के निष्पादन में 2000-2001 की तुलना में 2001-2002 के दौरान मामूली (मार्जिनल) सुधार हुआ है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपये में)

निष्पादन	2001-02	2000-01
उत्पादन	162.00	147.00
शुद्ध बिक्री	152.00	145.00
शुद्ध घाटा	173.78	189.26

(घ) यह मंत्रालय आवधिक समीक्षा करने के अलावा हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) को सभी संभव सहायता मुहैया कराता है। इसके अलावा, मौजूदा व्यापार परिदृश्य में इस विभाग के तहत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए देशीय तथा विश्व स्तरीय अवसरों का पता लगाने और उनकी क्षमताओं और अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों में एचआईवी पॉजिटिव के मामले

4704. श्री अमर राय प्रधान: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय सशस्त्र सेना में हजारों जवान एच आई वी पॉजिटिव से संग्रसित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जवानों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या इसके कारणों का गहराई से कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) ऐसे गतिविधियों में सैन्य कर्मियों के लिप्त न होने और उनमें इस खतरनाक रोग के फैलने से रोकने के लिए सैन्य कर्मियों को प्रेरित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) एड्स नियंत्रण संगठन, ए एफ एम सी पुणे, एच आई वी/एड्स के लिए तीनों सेनाओं के रेफरल केन्द्रों और प्रबंधन सूचना प्रणाली संगठन (चिकित्सा और स्वास्थ्य) के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों से भारतीय सशस्त्र सेनाओं के जवानों में एच आई वी पोजिटिव केसों के विद्यमान होने का पता चला है। तथापि, सशस्त्र सेनाओं में ऐसे मामलों की संख्या राष्ट्रीय औसत से कम है।

सशस्त्र सेना कार्मिकों में इस रोग को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए निवारात्मक उपायों में दृश्य-श्रव्य और अन्य माध्यमों के जरिये एच आई वी/एड्स के निवारण और नियंत्रण संबंधी स्वास्थ्य शिक्षा क्रियाकलापों में वृद्धि किया जाना शामिल है। ऐसे क्रियाकलाप सभी स्तरों पर चिकित्सा, परिचर्या, पैरा-मेडिकल स्टाफ और कमांडरों द्वारा तथा धार्मिक शिक्षकों द्वारा किये जाते हैं। सशस्त्र सेना कार्मिकों में एच आई वी/एड्स के कारणों और निवारण को विशेष रूप से दर्शाने वाली एक वीडियो फिल्म बनाई गई है और प्रदर्शन के लिए सभी यूनिटों में वितरित की गई है।

समरजन रेल पुल

4705. श्रीमती रानी नरह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम के धेमाजी जिले में सरमजन रेल पुल बाढ़ में बह गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समरजन रेल पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितना खर्च आने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) समरजन क्षेत्र में कोई रेलवे पुल नहीं बहा था। बहरहाल, वर्ष 2002 की बाढ़ के दौरान गोगामुख और धेमाजी के बीच पाइल पुल (पुल सं. 347-सी) के पहुंच मार्ग का छोर बह गया था। पहुंच मार्ग के छोर की पुन: बहाली लगभग 23.50 लाख रु. के खर्च से पूरी हो गई है।

[हिन्दी]

मिलिट्री स्कूलों का खोला जाना

4706. डा. (श्रीमती) सुधा यादव: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को हरियाणा सरकार से मिलिट्री और सैनिक स्कूलों को खोले जाने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को कब तक मंजूर किये जाने की संभावना है;

(घ) उक्त प्रस्ताव को आज तक मंजूर न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) निकट भविष्य में देश में राज्यवार कितने मिलिट्री और सैनिक स्कूल खोले जाएंगे?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) किसी राज्य में सैनिक स्कूल तभी खोला जाता है जब संबंधित राज्य सरकार से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त हो और उक्त सरकार सैनिक स्कूल स्थापित करने तथा चलाने के लिए भूमि, भवनों और उपस्करों आदि के रूप में अपेक्षित अवसंरचना और विशेष अनुदान सहायता मुहैया कराने के लिए सहमत हो।

हरियाणा सरकार से दो सैनिक स्कूल (गांव माटनहेल, जिला झज्जर और गांव पाल्ली गोठड़ा, जिला रेवाड़ी में) और चौधरी देवी लाल की याद में एक मिलिट्री स्कूल हरियाणा में खोले जाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) हरियाणा में सैनिक स्कूलों के खोले जाने तथा चलाए जाने के लिए आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराने और पूर्ण वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा किये जाने के संबंध में हरियाणा सरकार की ओर से अभी स्वीकृति दी जानी है। कहीं भी नया मिलिटरी स्कूल खोले जाने पर विचार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) बिहार में दो सैनिक स्कूल खोले जाने से संबंधित प्रस्ताव को छोड़कर, निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले, अन्य कोई प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

आई.ओ.सी.एल द्वारा ए.टी.एफ./एच.एस.डी. के कार्य आदेशों को जारी करना

4707. श्री अधीर चौधरी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेल कंपनियां विशेषकर आई.ओ.सी.एल. मात्र 24 के.एल. हेक्सेन की क्षमता वाले ऐसे अनुमति प्राप्त टैंक प्राप्त टैंकरों को ए.टी.एफ./ एच.एस.डी. के कार्य आदेश जारी करती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विस्फोटक नियमों, मोटरयान अधिनियम, प्रदूषण नियमों और तेल कंपनियों के ढुलाई संबंधी दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन नहीं है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे गलत कार्य आदेशों को जारी करने के लिए जिम्मेदार तेल निगम के अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(घ) ऐसे उल्लंघन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विभिन्न राज्यों, जिन्हें 24 कि.ली. हैक्सेन, जो श्रेणी "क" (खतरनाक उत्पाद) पेट्रोलियम उत्पाद है, के लिए अनुमति प्राप्त है, में टैंक ट्रकों के उपयोग के लिए कार्य आदेश दिए गए थे। ऐसे टैंक ट्रक; जिन्हें श्रेणी "क" पेट्रोलियम उत्पाद लाने-ले जाने की अनुमति थी, आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए ए टी एफ, जो श्रेणी "ख" (जो खतरनाक नहीं है) पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए उपयोग में लाए गए थे।

(ख) ऐसे टैंक ट्रक, जिन्हें हेक्सेन (श्रेणी "क") लाने ले जाने के लिए विस्फोटक विभाग की अनुमति प्राप्त है, ए टी एफ/ एच एस डी जैसे पेट्रोलियम उत्पाद (श्रेणी "ख") जो खतरनाक नहीं हैं, के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करना परिवहनकर्ता का उत्तरदायित्व है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की खरीद

4708. श्री रामचन्द्र पासवान: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में हुई विभिन्न अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के संबंध में संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियमों का उल्लंघन करके एक विशिष्ट कंपनी को कंप्यूटरों के रखरखाव का ठेका दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) संसद सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर सरकार/ ओ.एन.जी.सी. द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राख का उपयोग

4709. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन से प्रतिदिन कितनी राख निकलती है और इस विद्युत केन्द्र के चारों ओर इस समय कितनी राख पड़ी हुई है;

(ख) कौन-कौन से ताप विद्युत केन्द्रों से भारी मात्रा में राख निकलती है;

(ग) क्या सरकार ने इस राख के उचित उपयोग के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अनुसार राजस्थान

के सूरतगढ़ सुपर ताप विद्युत केन्द्र से प्रतिदिन 4100 मैट्रिक टन उड़न राख पैदा होता है। अक्तूबर, 2002 तक इस विद्युत केन्द्र में 28.366 लाख मैट्रिक टन उड़न राख जमा हुआ।

(ख) वृहत् मात्रा में राख उत्पन्न करने वाले अन्य ताप विद्युत केन्द्रों के नाम संलग्न विवरण दिए गए हैं।

(ग) जी हां। देश में उड़न राख के समुपयोजन को बढ़ावा देने हेतु इसके व्यवहार्य माध्यमों के संबंध में उपभोक्ता एजेंसियों में विश्वास पैदा करने के लिए 1994 में एक फ्लाई ऐश मिशन स्थापित किया गया। देश में उड़न राख के उपयोग में वृद्धि करने के लिए मिशन महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। वर्तमान में देश में 19 मिलियन टन, जो देश में उत्पादित कुल राख का 22% है, का उपयोग हो रहा है। यह उपयोग 1995-96 में 2.739 मिलियन टन राख के उपयोग, अर्थात् लगभग 6.61% बढ़ा है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने उड़न राख के उपयोग के संबंध में 14.9.1999 को एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ 9 वर्षों के भीतर सभी नए विद्युत संयंत्रों के लिए 100% उड़न राख का समुपयोजन तथा 15 वर्षों के भीतर मौजूदा सभी विद्युत संयंत्रों के उड़न राख का उपयोग अपेक्षित है। अधिसूचना में ताप विद्युत संयंत्रों की उड़न राख के समुपयोजन/निपटान के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने के लिए सचिव (इ एंड एफ) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

विवरण

उड़न राख उत्सर्जित कर रहे ताप विद्युत केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य/यूटिलिटी	टीपीएस का नाम
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कं. (एपीजेनको)	कोठागुडम
2.	उपरोक्त	कोठागुडम वी
3.	उपरोक्त	निल्लोर
4.	उपरोक्त	रामागुंडम बी
5.	उपरोक्त	रायलसीमा
6.	उपरोक्त	विजयवाड़ा
7.	राष्ट्रीय ताप विद्युत कारपोरेशन लि. (एनटीपीसी)	रामागुंडम
	असम	
8.	असम राज्य विद्युत बोर्ड	बोंगाईगांव
	बिहार	
9.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	बरौनी
10.	उपरोक्त	मुजफ्फरपुर
11.	तेनुघाट विद्युत निगम लि.	तेनुघाट
12.	एनटीपीसी	कहलगांव
	छत्तीसगढ़	
13.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	कोरबा पूर्वी
14.	उपरोक्त	कोरबा पश्चिमी
15.	एनटीपीसी	बाल्को
16.	उपरोक्त	कोरबा
	दिल्ली	
17.	दिल्ली विद्युत बोर्ड	इन्द्रप्रस्थ
18.	उपरोक्त	राजघाट
19.	एनटीपीसी	बदरपुर
	गुजरात	
20.	अहमदाबाद विद्युत कं.	साबरमती
21.	गुजरात विद्युत बोर्ड	वानकबोरी
22.	उपरोक्त	गांधीनगर
23.	उपरोक्त	कच्छ
24.	उपरोक्त	सिक्का
25.	उपरोक्त	उकई

1	2	3
26.	गुजरात औद्योगिक पावर कारपोरेशन लि. (जीआईपीसीएल)	सूरत लिग्नाइट
हरियाणा		
27.	हरियाणा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.	फरीदाबाद
28.	उपरोक्त	पानीपत
झारखंड		
29.	दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी)	बोकारो 'ए'
30.	उपरोक्त	बोकारो 'बी'
31.	उपरोक्त	चन्द्रपुरा
32.	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी)	पटराटू
33.	ट्रांबे पावर कं.	जोजोबेरा
कर्नाटक		
34.	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. (केपीसीएल)	रायचूर
मध्य प्रदेश		
35.	एनटीपीसी	विंध्याचल
36.	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एमपीएसईबी)	सतपुड़ा
37.	उपरोक्त	अमरकंटक
38.	उपरोक्त	संजय गांधी
महाराष्ट्र		
39.	बोम्बे उपनगरीय विद्युत आपूर्ति लि. (बीएसईएस)	दहानू
40.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी)	बहसावल

1	2	3
41.	उपरोक्त	चन्द्रपुर
42.	उपरोक्त	कापरखेड़ा
43.	उपरोक्त	कोराडी
44.	उपरोक्त	नासिक
45.	उपरोक्त	पारस
46.	उपरोक्त	पारली
47.	ट्राम्बे पावर कं.	ट्राम्बे
उड़ीसा		
48.	उड़ीसा पावर जेनरेशन कं. लि. (ओपीजीसीएल)	आईबी
49.	एनटीपीसी	तलचेर कनीहा
50.	उपरोक्त	तलचेर थर्मल
पंजाब		
51.	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पीएसईबी)	भटिंडा
52.	उपरोक्त	लेहरा मोहाबत
53.	उपरोक्त	रोपड़
	राजस्थान	
54.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरआरवीयूएनएल)	कोटा
55.	उपरोक्त	सूरतगढ़
तमिलनाडु		
56.	नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी)	नेयवली-1
57.	उपरोक्त	नेयवली-2
58.	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी)	तूतीकोरिन

1	2	3
59.	उपरोक्त	मेत्तूर
60.	उपरोक्त	नॉर्थ चेन्नई
61.	उपरोक्त	एन्नोर
उत्तर प्रदेश		
62.	एनटीपीसी	दादरी
63.	उपरोक्त	रिहन्द
64.	उपरोक्त	सिंगरौली
65.	उपरोक्त	ऊंचाहार
66.	उपरोक्त	टांडा
67.	यू.पी. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (यूपीआरवीयूएलएल)	हरदुआगंज
68.	उपरोक्त	ओबरा
69.	उपरोक्त	पनकी
70.	उपरोक्त	अनपरा
71.	उपरोक्त	परीच्छा
पश्चिम बंगाल		
72.	कलकत्ता विद्युत आपूर्ति कं. (सीईएसई)	बी.बी.जी.एस.
73.	उपरोक्त	एस.जी.एस.
74.	उपरोक्त	टी.जी.एस.
75.	एनटीपीसी	फरक्का
76.	पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	बांडेल
77.	उपरोक्त	सनतालदीह
78.	उपरोक्त	कोलाघाट
79.	उपरोक्त	बकरेश्वर
80.	दुर्गापुर पावर लि. (डीपीएल)	दुर्गापुर
81.	उपरोक्त	मेजिया
82.	दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी)	दुर्गापुर

भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड में किया गया पूंजी निवेश

4710. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड में इकाई-वार कुल कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ख) इन प्रत्येक इकाईयों में इसके बाद कितना पूंजी निवेश किया गया; और

(ग) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार कुल कितना पूंजी निवेश किया और इसमें सरकार का हिस्सा कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (बीपीसीएल) में सरकार द्वारा प्रारम्भ में किया गया कुल पूंजीगत निवेश 25.72 करोड़ रुपए था, तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (एच पी सी एल) में 36.39 करोड़ रुपए था।

(ख) बी पी सी एल में वर्ष 1983-84 में आंशिक रूप से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों के भुगतान के संबंध में 2.04 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी थी।

(ग) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार सरकार की एच पी सी एल में इक्विटी धारिता प्रत्येक 10 रुपए के 17,30,76,750 इक्विटी शेयर थी जो जारी की गई शेयर पूंजी का 51 प्रतिशत बनते हैं, तथा बी पी सी एल में इक्विटी धारिता प्रत्येक 10 रुपए के 9.93 करोड़ इक्विटी शेयर थी जो प्रदत्त पूंजी का 66.20 प्रतिशत बनते हैं।

[अनुवाद]

सेवा कर का भुगतान

4711. श्रीमती प्रभा राव: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न निजी चैनल विज्ञापन से प्राप्त भुगतान पर 5 प्रतिशत सेवा कर देने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 5 प्रतिशत सेवा कर कब से देय है और प्रत्येक चैनल पर कितनी धनराशि देय है; और

(घ) बकाया देयों की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम में अधिकारियों की संख्या

4712. श्री चाडा सुरेश रेड्डी:
श्री के. येरननायडू:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम में वर्करों की अपेक्षा अधिक अधिकारी हैं जिसके परिणामस्वरूप कतिपय श्रेणियों में असंतोष व्याप्त है; और

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस निगम के उच्च स्तरीय संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) 1 अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) की मानवशक्ति संख्या 23,734 कार्यपालक तथा 16,093 गैर-कार्यपालक कर्मचारियों की है। ओ एन जी सी ने बताया है कि वहां कोई अशान्त स्थिति नहीं है तथा औद्योगिक संबंध पूर्णतया शांतिपूर्ण हैं। तथापि, नई बढ़ रही प्रतिस्पर्धा तथा चुनौतीपूर्ण वातावरण को ध्यान में रखते हुए ओ एन जी सी ने नैगम नवीकरण अभियान के माध्यम से मानवशक्ति की उपलब्धता तथा जरूरत में असंतुलनों का समाधान करने के लिए एक संगठनात्मक पुनर्संरचना प्रक्रिया आरम्भ की है।

मेघालय में ग्रामीण विद्युतीकरण

4713. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मेघालय सरकार से दसवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए धनराशि आवंटन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड (एमइएसईबी) ने 2007 तक सभी गांवों का विद्युतीकरण करने तथा 2012 तक सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से 3 मार्च, 2001 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में किए गए संकल्प के आलोक में एक कार्य योजना तैयार की है। एमइएसईबी ने 10वीं योजना में 323.69 करोड़ रु. के अनुमानित परिव्यय पर 2904 गांवों एवं 2904 जनजातीय बस्तियों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव रखा।

(ग) एमईएसईबी ने ग्राम विद्युतीकरण के लिए निधि संबंधी आवश्यकताओं को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) के अंतर्गत पूरा करने का प्रस्ताव रखा। सरकार ने जनजातीय गांवों के विद्युतीकरण के लिए 2001-02 के दौरान गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल से मेघालय को 75.00 लाख रुपये जारी किए हैं।

- 2002-03 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण समेत सभी छह घटकों के लिए 4112.00 लाख रुपये के आवंटन की तुलना में मेघालय को पहले किश्त (50%) के रूप में।

- 2055.98 लाख रुपये जारी किए गए हैं। 2002-03 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 6.00 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं।

- 2002-03 के लिए एमएनपी के अंतर्गत 30 करोड़ रु. के आवंटन की तुलना में सरकार ने मेघालय को 15.00 करोड़ रु. जारी किए हैं।

- कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ग्रामीण संरचनात्मक विकास (आरआईडीएफ) तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) से भी निधि प्राप्त कर सकते हैं।

- रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ने कम ब्याज दर पर दलित बस्तियों एवं कस्बों के विद्युतीकरण के लिए नई योजनाएं तैयार की हैं।

[हिन्दी]

नयी तकनीक वाले इंजन

4714. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सवारी रेलगाड़ियों की बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर नया इंजन विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन सी रेलगाड़ियों में नयी तकनीक वाले इंजन लगाए जाएंगे; और

(घ) देश में ऐसे कुल कितने इंजनों की आवश्यकता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं। बहरहाल, थकान कम करने तथा काम की स्थिति में सुधार लाने के लिए इस समय कर्मीदल के अनुकूल ऐसी विशेषताओं/सुविधाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिन्हें ड्राइवरों के केब में मुहैया कराया जा सकता है। इन विशेषताओं से ड्राइवर के सतर्क रहने और थकान रहित रहने की संभावना है और इस प्रकार परिचालन की सुरक्षित स्थिति सृजित होगी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित करने हेतु संविधान समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग

4715. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अक्षमता और दुर्व्यवहार की शिकायतों पर विचार करने हेतु और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में हुई प्रगति के संबंध में ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) यद्यपि, राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग ने केवल उच्चतम न्यायालय के लिए संविधान के अधीन एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना की सिफारिश की है तथापि, सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों के साथ ही न्यायाधीशों के लिए आचार-संहिता बनाने के लिए भी एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध है। चूंकि इसमें सांविधानिक संशोधन अंतर्ग्रस्त है, अत: राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श जारी है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

4716. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनिवासी भारतीयों को विनेश के लिए आकृष्ट करने के लिए योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) विदेशी निवेशकों/कंपनियों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए उपलब्ध सामान्य नीति तथा सुविधा प्रवासी भारतीयों के लिए भी लागू है। इसके अलावा सरकार ने प्रवासी भारतीयों तथा उन विदेशी निगम निकायों को विशेष रूप से रियायत भी दी है, जिनमें प्रवासी भारतीयों की शेयरधारिता 60% से अधिक है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं (1) स्थायी सम्पत्ति एवं आवासीय क्षेत्र तथा घरेलू एयरलाईन्स में प्रवासी भारतीयों/विदेशी नगम निकायों को 100% निवेश की अनुमति, (2) बैंकिंग क्षेत्र में प्रवासी भारतीयों तथा विदेशी निगम निकायों को 40% निवेश की अनुमति, तथा (3) लघुस्तरीय उद्योगों में प्रत्येक प्रवासी भारतीय पहली बार 24% से अधिक निवेश कर सकते हैं, बशर्ते कि किसी अन्य औद्योगिक क्षेत्र में उसकी कोई शेयरधारिता न हो।

[अनुवाद]

पाइपलाइनों के जरिये रसोई गैस

4717. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न शहरों में परिवारों को सीधे गैस की आपूर्ति करने हेतु एल.पी.जी. पाइप लाइनें बिछाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पाइप लाइनों को असामाजिक तत्वों और आतंकवादियों की तोड़फोड़ से बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) आग लगने की किसी अनपेक्षित घटनाओं से गैस आपूर्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने देश के कुछ नगरों में प्रायोगिक आधार पर घरेलू ग्राहकों को थोक एल पी जी/ सिलेन्डर बहुविध स्थापना (पाइप्ड/रिटिक्यूलेटेड प्रणाली) के माध्यम से एल पी जी आपूर्ति करने के लिए पहलें की हैं।

(ख) और (ग) ऊपर उल्लिखित प्रणाली प्रयोक्ता आवास परिसर के लिए आंतरिक है और इस तक जनता की पहुंच नहीं होती है. इसलिए असामाजिक तत्वों/उग्रवादियों द्वारा तोड़-फोड़ लागू नहीं होती।

ऑटो पायलट

4718. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना के जगुआर विमान में ऑटो पायलट न होने के कारण 141.40 करोड़ रुपए के मूल्य के चार विमान गंवाने पड़े और तीन पायलटों को अपने प्राण देने पड़े;

(ख) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण सुविधा की खरीद में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उपकरणों और जीवन क्षति के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका के साथ रक्षा संबंध

4719. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री अनन्त नायक:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास संयुक्त राज्य अमरीका के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विस्तार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास संयुक्त राज्य अमरीका के साथ वाणिज्यिक रक्षा संबंधों की संभावनाओं का पता लगाने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग 1995 में गठित भारत-अमरीकी रक्षा नीति समूह के जरिए बढ़ाया जा रहा है। सेना से सेना सहयोग सहित अधिक संख्या/क्षेत्रों में रक्षा सहयोग पर चर्चा करने के लिए पिछले सात वर्षों में रक्षा नीति समूह की चार बैठकें हुई हैं। ऐसे रक्षा सहयोग का पूर्ण ब्यौरा देना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(ग) जी, हां।

(घ) अमेरिका के साथ वाणिज्यिक रक्षा संबंधों पर चर्चा अभी प्रारंभिक चरण में है। इस तरह की चर्चाओं के बारे में और ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

छावनी क्षेत्र का विस्तार

4720. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छावनी बोर्ड ने जबलपुर छावनी क्षेत्र का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कारगिल में परियोजना की प्रगति

4721. श्री इसम खान: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कारगिल जिले की चुटोक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या लेह जिले की निभो-बाजगो परियोजना को अब आल्ची-सासपोल स्थान पर परिवर्तित कर दिया गया है; और

(ग) लद्दाख की इन दोनों परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो 1999-2000 में एन.एच.पी.सी. द्वारा ली गई थी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) जम्मू व कश्मीर सरकार ने कारगिल जिले में चुटक जल विद्युत परियोजना (18 मे.वा.) तथा लेह जिले में निम्मू बाजगो परियोजना (24 मे.वा.) के क्रियान्वयन का काम जम्मू व कश्मीर सरकार और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसरण में जुलाई, 2000 में केन्द्रीय क्षेत्र में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन को सौंपा।

चुटक जल विद्युत परियोजना के संबंध में पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए हाइड्रो परियोजना विकास के चरण-1 के अंतर्गत सर्वेक्षण एवं जांच कार्य जारी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने आवश्यक सर्वेक्षण एवं जांच कार्य करने तथा पर्यावरणीय आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए परियोजना हेतु चरण-1 की स्थल स्वीकृति प्रदान कर दी है।

व्यापक डेस्क अध्ययन करने के पश्चात् एनएचपीसी ने पुराने स्थल पर उच्च परियोजना एवं उत्पादन लागत के मद्देनजर निम्मू बाजगो जल विद्युत परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थल की पहचान कर ली है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पावरग्रिड तथा जम्मू एवं कश्मीर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने प्रस्तावित नए स्थल का निरीक्षण किया और यह निष्कर्ष सामने आया कि यह स्थल बांध एवं पावर हाउस निर्माण के लिए उपयुक्त है। अल्ची के निकट नए स्थल पर परियोजना की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक जांच कार्य अब पूरा होने की अवस्था में है।

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा चलायी जा रही रसोई गैस परियोजनाओं को घाटे

4722. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा चलायी जा रही रसोई गैस परियोजनाओं को इन परियोजनाओं के उत्पादों को बेचने में इसकी अक्षमता के कारण भारी घाटे उठाने पड़ेंगे;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के गत छः महीनों के दौरान परियोजनावार ओ.एन.जी.सी. को कुल कितना घाटा हुआ और परियोजनावार उन उत्पादों के नाम क्या हैं;

(ग) कौन-कौन सी संस्थाओं का इन परियोजनाओं के साथ खरीद समझौता है; और

(घ) कौन-कौन सी संस्थाएं उपरोक्त समझौते का उल्लंघन कर रही हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) इस समय आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) द्वारा उत्पादित तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) का विपणन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा किया जा रहा है तथा इन तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सी) द्वारा एल पी जी का सुधार ओ एन जी सी द्वारा उत्पादन के अनुमानित आंकड़ों, वास्तविक उत्पादन तथा बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है।

अशिक्षित ग्रामीण यात्रियों के साथ धोखाधड़ी किया जाना और उन्हें गुमराह किया जाना

4723. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और छपड़ा पर दलालों द्वारा यात्रियों और विशेषकर अशिक्षित ग्रामीण मजदूरों के साथ धोखाधड़ी की जाने और उन्हें गुमराह किये जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन एजेंटों और टिकट संग्राहकों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) कुछ घटनाएं ध्यान में आई हैं। इस प्रकार के कदाचारों में लिप्त दलालों और असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए बिहार

के पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और छपरा स्टेशनों सहित सभी बड़े स्टेशनों पर वाणिज्य और सतर्कता विभागों द्वारा और कभी-कभी पुलिस के सहयोग से बहुधा जांचें की जाती हैं। ऐसे कदाचारों में लिप्त पाए व्यक्तियों को पकड़ा जाता है और कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाता है। रेल कर्मचारी, यदि ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाये जाते हैं, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं

4724. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में बिना चौकीदार वाले समपारों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में बिना चौकीदार वाले समपारों पर राज्यवार कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गये/घायल हुये और प्रत्येक मामले में कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को चौकीदार वाले समपारों में बदलने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान मारे गए/घायल व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	मारे गए	घायल
1999-00	201	228
2000-01	138	152
2001-02	163	197*

*आंकड़े अनंतिम हैं।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के निर्णय के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान चौकीदार रहित समपारों पर दुर्घटनाओं में दो सड़क उपयोगकर्त्ताओं के आश्रितों को 2,43,725 रु. की राशि का भुगतान किया गया है। पहले मामले में 91,186 रु. की राशि का भुगतान किया गया है तथा दूसरे मामले में 1,52,539 रु. का भुगतान किया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) कोडल प्रावधानों के अनुसार, सड़क यातायात में वृद्धि होने के कारण समपारों पर चौकीदार तैनात करने की आवश्यकता को साधारणतया राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण की लागत पर पूरा किया जाता है। बहरहाल, चौकीदार रहित समपारों पर दुर्घटनाओं के गंभीर परिणामों को ध्यान में रखकर रेल मंत्रालय ने वर्ष 1999 में यातायात की मात्रा तथा दृश्यता के लिहाज आदि के अध्यधीन, को रेलवे की लागत से 4449 भेद्य/खतरनाक समपारों पर चौकीदार तैनात करने का निर्णय लिया है बशर्ते निधियां उपलब्ध हों।

(क) ***विवरण***

राज्य	बिना चौकीदार वाले रेलवे क्रासिंग
1	2
असम	431
आंध्र प्रदेश	1516
बिहार	1864
दिल्ली	2
गुजरात	2862
हरियाणा	378
हिमाचल प्रदेश	290
जम्मू-कश्मीर	34
कर्नाटक	947
केरल	313
मध्य प्रदेश	1694
महाराष्ट्र	1476
मणिपुर	1

1	2
मिजोरम	1
उड़ीसा	1157
पंजाब	1019
राजस्थान	2115
तमिलनाडु	1305
त्रिपुरा	19
उत्तर प्रदेश	3138
पश्चिमी बंगाल	1491
चंडीगढ़	1
पांडिचेरी	9
गोवा	2
नागालैण्ड	1

(ख) बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं के आंकड़े राज्य-वार रखे जाते हैं न कि जोन-वार विगत तीन वर्षों में रेलों पर दुर्घटनाओं की संख्या इस प्रकार हैं:

रेलवे	1999-00	2000-01	2001-02*
मध्य	7	5	6
पूर्व	–	–	–
उत्तर	14	25	27
पूर्वोत्तर	14	13	15
पूर्वोत्तर सीमा	4	5	2
दक्षिण	8	6	9
दक्षिण मध्य	12	12	10
दक्षिण पूर्व	5	5	8
पश्चिम	3	1	3
कोंकण	–	1	–
जोड़	67	73	80

*आंकड़े अनंतिम हैं।

[हिन्दी]

निजी कंपनियों द्वारा नाफ्था और विलयक का आयात

4725. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी कंपनियों को नाफ्था और विलयक के आयात की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उक्त पेट्रोलियम उत्पादों के आयात हेतु अनुमति दी गई निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी मात्रा में विलयक और नाफ्था का आयात किया गया और उन पत्तनों के नाम क्या हैं जहां इन उत्पादों को उतारा गया;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इन निजी कंपनियों से उक्त आयातित पेट्रोलियम उत्पादों की उपयोगिता रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) निर्यात एवं आयात संबंधी आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2002-07 के अनुसार नाफ्था मुक्त रूप से आयात किए जाने वाला उत्पाद है। ऐसी मद, जो मुक्त रूप से आयात योग्य है, अन्य औपचारिकताएं एक साथ पूरी करके किसी भी व्यक्ति/कंपनी द्वारा बगैर अनुज्ञप्ति के आयात की जा सकती है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत उत्पादन हेतु विदेशी निवेश

4726. श्री बीर सिंह महतो: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु विदेशों और संगठनों से कोई सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज तक योजनावार कितने प्रतिशत कार्य पूरा किया गया है;

(घ) क्या किसी देश ने विद्युत उत्पादन संबंधी कार्य के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां। देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए विद्युत क्षेत्र को विदेशों व विदेशी संगठनों से सहायता प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) विगत 3 वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए विदेशी फंडिंग एजेंसियों से प्राप्त सहायता के स्कीम-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

विगत 3 वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में विदेशी सहायता का उपयोग (करोड़ रुपये)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	वित्तपोषक एजेंसी	1999-2000			2000-01			2001-02			क्रियान्वयन कार्यक्रम
				बजट अनुमान (करोड़ रु.)	संशोधित अनुमान (करोड़ रु.)	वास्तविक अनुमान (करोड़ रु.)	बजट अनुमान (करोड़ रु.)	संशोधित अनुमान (करोड़ रु.)	वास्तविक अनुमान (करोड़ रु.)	बजट अनुमान (करोड़ रु.)	संशोधित अनुमान (करोड़ रु.)	वास्तविक उपयोग (करोड़ रु.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	सिम्हाद्री टीपीपी	एनटीपीसी	जेबीआईसी (जेबाई)	329.04	355.82	355.89	103.69	546.00	827.43	44.10	491.00	1055.29	पूरी हो गयी
2.	फरीदाबाद गैस आधारित परियोजना	एनटीपीसी	जेबीआईसी (जेबाई)	262.38	262.36	262.71	116.98	116.98	127.80	0.00	0.00	0.00	पूरी हो गयी
3.	ऊंचाहार-2 टीपीपी	एनटीपीसी	एडीबी (यूएसडी)	65.76	20.50	20.56	30.90	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	पूरी हो गयी
4.	दुलहस्ती एचईपी	एनएचपीसी	जेबीआईसी (जेबाई)	23.00	26.24	33.45	46.95	73.00	69.62	95.53	86.05	86.05	दिसम्बर, 2003
5.	धौलीगंगा एचईपी	एनएचपीसी	जेबीआईसी (जेबाई)	167.00	140.00	103.69	222.00	141.00	136.00	311.92	203.95	190.32	मार्च, 2005
6.	तुरियल एचईपी	नीपको	जेबीआईसी (जेबाई)	30.00	30.00	9.55	60.00	60.00	7.80	86.72	50.00	7.68	जून, 2006
7.	असम गैस आधारित परियोजना	नीपको	जेबीआईसी (जेबाई)	16.00	16.00	19.65	37.00	37.00	23.45	0.00	0.00	0.00	पूरी हो गयी
8.	नाथपा-झाकड़ी एचईपी	एनजेपीसी	आईबीआरडी (यूएसडी)	171.00	100.00	102.85	127.00	74.00	74.00	83.00	94.00	113.00	दिसम्बर, 2003
9.	श्रीसैलम लेफ्ट बैंक एचईपी	एपीजेनको	जेबीआईसी (जेबाई)	200.00	205.00	203.20	177.00	177.00	180.76	122.44	112.28	122.57	अक्टूबर, 2003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	घाटघर पम्पड स्टोरेज प्रोजेक्ट	सिंचाई विभाग/जी ओएम	जेबीआईसी (जेवाई)	30.00	25.00	27.73	40.00	87.20	84.06	149.59	149.59	128.45	सितम्बर, 2004
11.	नॉर्थ मद्रास टीपीपी	टीएनईबी	एडीबी (यूएसडी)	33.00	62.55	82.60	40.46	40.46	40.67	0.00	0.00	0.00	पूरी हो गयी
12.	बक्रेश्वर टीपीपी	डब्ल्यूबीपी डीसीएल	जेबीआईसी (जेवाई)	583.74	460.00	631.19	322.00	328.00	248.00	130.00	130.00	153.00	पूरी हो गयी
13.	पुरूलिया पम्पड स्टोरेज प्रोजेक्ट	डब्ल्यूबीएस ईबी	जेबीआईसी (जेवाई)	224.75	102.95	11.93	171.00	53.18	60.33	162.10	106.98	92.32	दिसम्बर, 2006
14.	तीस्ता कैनाल एचईपी	डब्ल्यूबीएस ईबी	जेबीआईसी (जेवाई)	9.62	9.62	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	पूरी हो गयी
			कुल	2144.69	1816.04	1887.51	1495.13	1763.71	1909.81	1185.40	1423.85	1948.68	

[अनुवाद]

विदेशी टी.वी. चैनलों द्वारा राजस्व का भुगतान

4727. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विदेशी टेलीविजन चैनल कंपनियां भारतीय टेलीविजन चैनल कंपनियों के मुकाबले बहुत कम राजस्व का भुगतान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी टेलीविजन चैनल कंपनियों से राजस्व राशि बढ़ाने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या विदेशी टेलीविजन चैनलों पर केन्द्रीय राजस्व की भारी धनराशि बकाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इसकी वसूली हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) वित्त वर्ष 2000-2001 के लिए भारत में उपग्रह चैनलों द्वारा अदा किए गए आय-कर के संबंध में उपलब्ध सूचना के रूप में राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित किए अनुसार विदेशी टेलीविजन चैनल कम्पनियों ने औसतन उनकी भारतीय साथी कम्पनियों की अपेक्षा अधिक आयकर राशि का भुगतान किया है।

(ङ) से (छ) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित किए अनुसार विदेशी टेलीविजन चैनल कम्पनियों की ओर बकाया प्रत्यक्ष करों के आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। जब कभी किसी व्यक्ति (विदेशी टेलीविजन चैनल कम्पनियों सहित) द्वारा आय को छिपाने का कोई मामला सरकार की जानकारी में आता है, तो सरकार को राजस्व हानि से बचाने के लिए कानूनी प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

जामनगर, पोरबंदर गुजरात से चलाई जा रही रेलगाड़ियां

4728. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के जामनगर, पोरबंदर, राजकोट और भावनगर से इस समय कौन-कौन सी रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक स्टेशन पर इन रेलगाड़ियों के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में आवंटित आरक्षण कोटा कितना है;

(ग) क्या संसद सदस्यों, वाणिज्य और उद्योग परिसंघ, रेलयात्री संघों और अन्य संघों ने रेल आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2003 के दौरान इन रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटा बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (च) आरक्षण कोटा आबंटन करने/बढ़ाने के लिए विभिन्न स्रोतों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। समय-समय पर कोटे की आवधिक समीक्षा की जाती है तथा विभिन्न स्टेशनों पर औचित्यपूर्ण तथा व्यावहारिक पाए जाने पर आरक्षण कोटे में समायोजन किये जाते हैं।

विवरण

जामनगर, पोरबंदर, राजकोट तथा भावनगर को सेवित करने वाली गाड़ियों तथा ऊपर उल्लिखित स्टेशनों पर इन गाड़ियों में पहले दर्जे तथा शयनयान दर्जे में आरक्षण कोटे का ब्यौरा नीचे दिया गया है। नीचे उल्लिखित आरक्षण कोटा एक दिशा के लिए है। गाड़ी सं. 9263 तथा 9216 में आरक्षण कोटा राजकोट, जामनगर तथा पोरबंदर से पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। गाड़ी सं. 9018, 8402, 2477, 6337, 9265 तथा 5045 में आरक्षण कोटा राजकोट तथा जामनगर दोनों में पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है।

	गाड़ी सं. तथा नाम	आरक्षण कोटा	
		पहले दर्जे में	शयनयान दर्जे में
	1	2	3
	जामनगर		
1.	9263/9264 दिल्ली सराय रोहिल्ला-पोरबंदर एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)	–	633
2.	207/208 वीरमगाम-ओखा फास्ट पैसेंजर	–	–
3.	9017/9018 बांद्रा (ट.) जामनगर सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस	–	535
4.	8401/8402 पुरी-ओखा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)	–	179
5.	9005/906 मुम्बई सैन्ट्रल-ओखा सौराष्ट्र मेल	–	82
6.	203/204 वीरमगाम-ओखा मिक्स्ड फास्ट पैसेंजर	–	–
7.	237/248 अहमदाबाद-ओखा फास्ट पैसेंजर	–	–
8.	2477/2478 जम्मू तवी-जामनगर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)	–	358
9.	6337/6338 एर्णाकुलम-ओखा एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)	–	548

1		2	3
10.	9503/9504 अहमदाबाद-जामनगर/राजकोट एक्सप्रेस	–	–
11.	9215/9216 मुम्बई सैन्ट्रल-पोरबंदर सौराष्ट एक्सप्रेस	–	331
12.	9265/9266 देहरादून-ओखा उत्तरांचल एक्सप्रेस (साप्ताहिक)	–	265
13.	5045/5046 गोरखपुर-ओखा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)	–	509
14.	211/212 राजकोट-पोरबंदर एक्सप्रेस	–	–
	पोरबंदर		
1.	9267/9268 ओखा-पोरबंदर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)	–	469
2.	9215/9216 मुम्बई सेन्ट्रल-पोरबंदर सौराष्ट्र एक्सप्रेस	–	331
3.	213/214 भानवड़-पोरबंदर पैसेन्जर	–	–
4.	9263/9264 दिल्ली सराय रोहिल्ला-पोरबंदर एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)	–	633
5.	205/206 कनालूस-पोरबंदर पैसेंजर	–	–
6.	211/212 राजकोट-पोरबंदर फास्ट पैसेंजर	–	–
7.	215/216 भानवड़-पोरबंदर पैसेंजर	–	–
	राजकोट ब.ला. गाड़ियां		
1.	9263/9264 दिल्ली सराय रोहिल्ला-पोरबदर एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)	–	633
2.	207/208 वीरमगाम-ओखा फास्ट पैसेंजर	–	–
3.	9017/9018 बांद्रा (टी)-जामनगर सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस	–	535
4.	8401/8402 पुरी-ओखा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)	–	179
5.	9005/9006 मुम्बई सैन्ट्रल-ओखा सौराष्ट्र मेल	–	290
6.	1465/1466 जबलपुर-राजकोट एक्सप्रेस बरास्ता बीना-कटनी (सप्ताह में दो दिन)	–	245
7.	203/204 वीरमगाम-ओखा मिक्स्ड फास्ट पैसेंजर	–	–
8.	247/248 अहमदाबाद-ओखा फास्ट पैसेंजर	–	60
9.	2475/2476 जम्मू तवी-हापा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)	–	255

1		2	3
10.	2477/2478 जम्मू तवी-जामनगर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)	-	358
11.	1463/1464 जबलपुर-राजकोट एक्सप्रेस (सप्ताह में पांच दिन) बरास्ता इटारसी	-	150
12.	6333/6334 त्रिवेन्द्रम-हापा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)	-	572
13.	6337/6338 एर्णाकुलम-ओखा एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)	-	532
14.	9503/9504 अहमदाबाद-जामनगर/राजकोट एक्सप्रेस	-	-
15.	9215/9216 मुम्बई सैन्ट्रल-पोरबंदर सौराष्ट्र एक्सप्रेस	-	331
16.	6613/6614 कोयम्बटूर-राजकोट एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)	-	290
17.	7017/7018 सिकंदराबाद-राजकोट एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)	-	302
18.	9265/966 देहरादून-ओखा उत्तरांचल एक्सप्रेस (साप्ताहिक)	-	265
19.	2905/2906 हावड़ा-हापा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)	-	511
20.	5045/5046 गोरखपुर-ओखा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)	-	509
21.	9505/9506 अहमदाबाद-राजकोट एक्सप्रेस	-	-
22.	9501/9502 न्यू भुज-राजकोट आणंद एक्सप्रेस	-	-
23.	211/212 राजकोट-पोरबंदर फास्ट पैसेंजर	-	-
	मी.ला. गाड़ियां		
1.	321/322 राजकोट-वांसाजलिया फास्ट पैसेंजर	-	-
2.	349/350 राजकोट-विसावदार फास्ट पैसेंजर	-	-
3.	9837/9838 राजकोट-वे रावल मेल (फिलहाल रद्द)	12	-
4.	347/348 राजकोट-वोरावल फास्ट पैसेंजर	-	-
5.	341/342 राजकोट-वेरावल फास्ट पैसेंजर	-	-
6.	329/330 राजकोट-भावनगर फास्ट पैसेंजर	8	-
	भावनगर		
1.	9225/9226 सुरेन्द्रनगर-भावनगर मेल (आमान परिवर्तन के कारण रद्द)	-	-

1		2	3
2.	9947/9948 धोला-भावनगर गिरनार लिंक एक्सप्रेस	12	76
3.	329/330 राजकोट-भावनगर फास्ट पैसेंजर	8	–
4.	375/376 बोटाद-भावनगर फास्ट पैसेंजर	–	–
5.	381/382 पालीताना-भावनगर फास्ट पैसेंजर	–	–
6.	9935/9936 अहमदाबाद-भावनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस	11	38
7.	301/302 अहमदाबाद-भावनगर फास्ट पैसेंजर	–	–
8.	385/386 पालीताना-भावनगर फास्ट पैसेंजर	–	–
9.	9909/9910 अहमदाबाद-भावनगर शेतरंजी एक्सप्रेस	48	32
10.	383/384 पालीताना-भावनगर फास्ट पैसेंजर	–	–

[अनुवाद]

ओ.एन.जी.सी. आन्ध्र प्रदेश में ठेका श्रमिक

4729. श्री रामविलास पासवान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पन्द्रह वर्षों से भी अधिक समय से आन्ध्र प्रदेश में ओ.एन.जी.सी. को कृष्णा गोदावरी, राजमुन्दरी परियोजनाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त लोग कुशल/अर्द्धकुशल ठेका/सोसायटी श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. समुदाय के लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या श्रम मंत्रालय ने ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड के प्रतिष्ठानों में विभिन्न कार्यों में ठेका श्रमिकों को रोजगार में लगाये जाने पर प्रतिबंधात्मक अधिसूचना जारी की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या माननीय हैदराबाद उच्च न्यायालय ने इन कामगारों की सेवाओं को नियमित किये जाने हेतु फैसला सुनाया है; और

(ङ) यदि हां, तो ओ.एन.जी.सी. में ठेका/सोसायटी कामगारों को नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सेना भर्ती में अनियमिततायें

4730. श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
प्रो. रासासिंह रावत :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सेना भर्ती अधिकारियों के विरुद्ध भर्ती में घूस/अनियमितताओं के संबंध में अनेक आरोप लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार को इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई विशेष शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने भर्ती के लिए कोई विशेष दिशा-निर्देश जारी किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या अनेक पात्र उम्मीदवारों को भी भर्ती का अवसर नहीं मिल रहा है; और

(ज) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) विभिन्न राज्यों में सेना की भर्ती में जोनल भर्ती कार्यालयों/शाखा भर्ती कार्यालयों द्वारा बरती गई अनियमितताओं के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें काफी शिकायतें गुमनाम/छद्म-नाम से होती हैं। तथापि, सभी शिकायतों की जांच-पड़ताल की जाती है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है। कुछ मामलों में अधिकारियों के विरुद्ध विशिष्ट शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं जिनकी विधिवत् जांच-पड़ताल की गई है और अपराध के अनुरूप दंड दिए गए हैं।

प्राप्त शिकायतों और दिए गए दंड का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	1998	1999	2000	2001	2002 (सितंबर 2002 तक)
रिपोर्ट किए गए कुल मामले	92	82	102	100	70
जिन मामलों में दंड दिया गया	6	4	5	2	3
व्यक्तियों को दिया गया दंड	8	4	5	2	7

(ङ) जी, हां।

(च) भर्ती के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सेना के लिए सभी भर्ती खुले मेले के माध्यम से की जाती है। ये मेले अलग-अलग शाखा भर्ती कार्यालयों से लिए गए सदस्यों द्वारा आयोजित किए जाते हैं ताकि कोई पक्षपात न हो। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और शारीरिक तथा चिकित्सा जांच शामिल है। समस्त प्रक्रिया जनता के समक्ष खुले में चलती है। यह व्यवस्था खुली, पारदर्शी, निष्पक्ष और उम्मीदवार के अनुकूल बनाई गई है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

बकरीद के अवसर पर गौवध रोकने हेतु कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय

4731. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 28 अगस्त, 2002 को रिट याचिका सं. 709 पर निर्णय सुनाते समय यह विनिर्णय दिया है कि बकरीद के दिन गायों और गौवंशों का वध नहीं किया जाएगा;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1983 के दौरान उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील दायर की है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने नवंबर, 1994 के दौरान अपील पर निर्णय देते समय बकरीद के दिन गाय और इसके गौवंशों के वध को गैर-कानूनी घोषित किया है;

(घ) क्या गौवध इत्यादि पर उच्चतम न्यायालय के दिये गए फैसले जिसका प्रकाशन ए.आई.आर. 1995 में उच्चतम न्यायालय के पृष्ठ सं. 464 पर प्रकाशित हुआ था के बावजूद लाखों गायों का वध किया जा रहा है और इससे उच्चतम न्यायालय की घोर अवमानना हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) श्री आशुतोष लाहिरी और अन्य ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष, पश्चिमी बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 के प्रवर्तन से बकरीद के दिन अनुसूचित पशु अर्थात्, गाय के वध को दी गई छूट की विधि मान्यता को चुनौती देते हुए 1971 की रिट याचिका सं. 709 फाइल की थी। उच्च न्यायालय के खंड पीठ ने तारीख 20.8.1982 के अपने निर्णय द्वारा याचिका को मंजूर किया और पश्चिमी बंगाल राज्य और इसके प्रत्यायोजित अधिकारियों को, उनसे इसके पश्चात् बकरीद दिवस के अवसर पर गौवध की बाबत पश्चिमी बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 की धारा 12 के अधीन कोई छूट न देने की मांग करते हुए एक परमादेश जारी किया था। प्रत्यर्थियों (पश्चिमी बंगाल राज्य और 27 अन्य) ने वर्ष 1983 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत याचिकाएं

फाइल की थीं और माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 16.11.1994 के अपने निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की थी और अपीलों को नामंजूर कर दिया था।

(घ) और (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4732. श्री अनन्त नायक : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या कितनी है;

(ख) उन सरकारी उपक्रमों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितना निवेश किया गया;

(ग) क्या उनमें से कुछ सरकारी उपक्रम घाटे में चल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो ये कब से घाटे में चल रहे हैं और इन सरकारी उपक्रमों को उपक्रमवार कुल कितना घाटा हुआ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र का कोई भी उपक्रम उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

बहादुरगढ़ और सोनीपत में रेलवे औषधालय

4733. श्री किशन सिंह सागंवान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहादुरगढ़ और सोनीपत में रेलवे औषधालय खोले जाने के लिए जनता की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे को इस संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) सोनीपत में रेलवे डिस्पेंसरी खोलने की मांग थी। सोनीपत में एक डिस्पेंसरी खोल दी गई है, जो प्रभावी ढंग से काम कर रही है। बहादुरगढ़ में रेलवे डिस्पेंसरी खोलने के लिए कोई मांग/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

इदीचक्कप्लमूदु में वैकल्पिक व्यवस्था

4734. श्री वी.एस. शिवकुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तिरूअनन्तपुरम-नागर कोइल रेल मार्ग में भूस्खलन के बाद इदीचक्कप्लमूदु में असुरक्षित उपरिपुल के वर्तमान ढांचे को गिराकर वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) यह कार्य 2484.27 लाख रु. की लागत पर पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है। सामान्य प्रबंधन आरेखण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है और अनुमोदित कर दिया गया है। नींव रखने के लिए मिट्टी परीक्षण का कार्य प्रगति पर है। इसका इदीचक्कप्लमूदु पर किमी. 246/16-17 पर उपरि सड़क पुल सं. 116 के स्थान पर पुन: निर्माण किया जाएगा।

(ग) उपरि सड़क पुल को 18 महीनों के अन्तर्गत पूरा करने की आशा है।

[हिन्दी]

चिकित्सकों को नियमित किया जाना

4735. श्री ब्रज मोहन राम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न मंडलों और रेल कार्यशालाओं में कुछ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सक 10-15 वर्षों से अंशकालिक आधार पर कार्य कर रहे हैं और उनकी सेवाएं नियमित किये जाने संबंधी प्रस्ताव गत पांच वर्षों से लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अंशकालिक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सकों की सेवाओं को 1 मई, 2000 से एलोपैथिक पैटर्न पर नियमित करना आवश्यक है;

(घ) यदि हां, तो 1 मई, 2000 से ऐसे चिकित्सकों की सेवाओं को नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न संसद सदस्यों/विधायकों से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (च) कुल 154 आयुर्वेद/होम्योपैथिक चिकित्सक अवैतनिक आधार पर लगाए गए हैं तथा, प्रतिदिन 2 से 4 घंटों के लिए उनकी सेवाएं ली जाती हैं इन चिकित्सकों को प्रतिमाह 2,500 रु. से 3,000 रु. के बीच निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि ये चिकित्सक रेल कर्मचारी नहीं हैं, अत: उनके नियमितीकरण के लिए बोर्ड के समक्ष कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि उनकी सेवाओं को एलोपैथिक डाक्टरों के पैटर्न पर 1 मई, 2000 से नियमित करना आवश्यक नहीं है। कुछ माननीय संसद सदस्यों तथा विधायकों ने उनकी ओर से उनके नियमितिकरण के लिए अभ्यावेदन भेजे हैं तथा बोर्ड द्वारा दिए गए उत्तरों में माननीय संसद सदस्यों तथा विधायकों को विधिवत रूप से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

इसी मामले पर कतिपय होमियोपैथिक चिकित्सकों से माननीय लोक सभा याचिका समिति को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है तथा माननीय लोक सभा याचिका समिति ने रेलवे बोर्ड द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के पक्ष में उत्तर मांगे हैं, जिन्हें अनुपालन में प्रस्तुत कर दिया गया था।

[अनुवाद]

ई.आई.एल. में अनुबंध के आधार पर नियुक्त इंजीनियर

4736. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में अनुबंध के आधार पर रखे गये इंजीनियरों की पुन: नियुक्ति की सिफारिश के कार्यान्वयन के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या ई.आई.एल. ने उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के बावजूद गत तीन वर्षों के दौरान अनुबंध के आधार पर किसी इंजीनियर को नहीं लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ई.आई.एल. के प्रबंधन द्वारा हुई चूकों की जांच करेगी और समिति की सिफारिशों को स्वीकार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई.आई.एल.) के ठेके पर कर्मचारियों के बारे में अधीनस्थ विधायन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (ङ) ई.आई.एल. ने जून, 2000 में ठेके के इंजीनियरों से वार्षिक आधार पर प्रबंधन प्रशिक्षुओं की 50% रिक्तियां/आवश्यकता भरने का निर्णय लिया था। इस प्रकार की रिक्तियां, उन ठेके के इंजीनियरों से भरी जानी थीं जो कंपनी में कार्यरत थे अथवा जो संविदा अवधि पूरी होने पर संविदा के मोचन-निषेध पर कंपनी की सेवा छोड़ चुके हैं और चयन मापदण्ड को पूरा करते हैं। लेकिन, विद्यमान कार्य भार/कारोबार की मात्रा की कमी की वजह से वर्ष 2000 से ई.आई.एल. ने कोई भी प्रबंध प्रशिक्षु नियुक्त नहीं किया है।

अधीनस्थ विधायन समिति की सिफारिशों की जांच सरकार द्वारा की गयी है। तथापि, इन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया जा सका है।

[हिन्दी]

इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना

4737. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय वायु सेना कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु कितने इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं;

(ख) प्रतिवर्ष कितने कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ग) क्या ये कॉलेज वायु सेना को पर्याप्त संख्या में इंजीनियर, विमान तकनीशियन, मकैनिक और इलेक्ट्रानिक इंजीनियर उपलब्ध कराने में पर्याप्त नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्वतंत्र इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) इस समय देश में ऐसा कोई इंजीनियरी कालेज नहीं चलाया जा रहा है जिसमें केवल वायुसेना के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाता हो।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) वायुसेना इंजीनियरी कालेज स्थापित किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

पेट्रोल पंपों पर सीएनजी सुविधायें

4738. डा. बलिराम :
श्री रामरती बिन्द :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में अपने पेट्रोल पंपों पर सीएनजी भराई सुविधा के लिये आवेदन करने वाले पेट्रोल पंप मालिकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ उन्होंने किस-किस तिथि को आवेदन किया और प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई;

(ग) दिल्ली में तेल कंपनियों के परामर्श से इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चयनित किये गये 50 खुदरा बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और क्या सीएनजी सुविधाओं के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों से, उनके खुदरा बिक्री केन्द्रों पर सीएनजी सुविधाओं की स्थापना हेतु, समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर उनके खुदरा बिक्री केन्द्रों पर चरणबद्ध तरीके से सीएनजी सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। अब तक तेल विपणन कंपनियों के 35 खुदरा बिक्री केन्द्रों पर सीएनजी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। आगे, तकनीकी रूप से व्यवहार्य 40 और खुदरा बिक्री केन्द्रों की, चरणबद्ध तरीके से सीएनजी सुविधाएं प्रदान करने हेतु पहचान कर ली गई है। 40 चुने गए खुदरा बिक्री केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सीएनजी सह-स्थापन सुविधा हेतु 40 खुदरा बिक्री केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	स्थान	खुदरा बिक्री केन्द्र
1	2	3	4
1.	आटो सेन्टर	डिफेन्स कालोनी	बीपीसीएल
2.	आटो रिंक	बदरपुर मथुरा रोड	बीपीसीएल
3.	नेमचन्द ताराचन्द	जीटी करनाल रोड	बीपीसीएल
4.	सक्षम मोटर्स	हरि नगर, नजदीक डीडीयू होस्पीटल	बीपीसीएल
5.	सीद्धू सर्विस स्टेशन	जीटी करनाल रोड	बीपीसीएल
6.	एसोसिएटेड सर्विस स्टेशन	शाम नाथ मार्ग	एचपीसीएल

1	2	3	4
7.	बात्रा कार केयर	हुमायुं रोड	एचपीसीएल
8.	भाई आयल	निजामुद्दीन पश्चिम	एचपीसीएल
9.	चाढ़ा आयल कंपनी	शिवाजी पार्क	एचपीसीएल
10.	चाढ़ा सर्विस स्टेशन	दिल्ली गेट	एचपीसीएल
11.	धौला कुआं सर्विस स्टेशन	धौला कुआं	एचपीसीएल
12.	कौशल्या आटोमोबाईल	फ्रेन्ड्स कालोनी	एचपीसीएल
13.	कुन्दनलाल सर्विस स्टेशन	वजीरपुर	एचपीसीएल
14.	नारायण	तिमारपुर	एचपीसीएल
15.	पंचशील सर्विस स्टेशन	अंडयूरुजगंज	एचपीसीएल
16.	सर्वि सर्कल	मथुरा रोड	एचपीसीएल
17.	दीप फ्यूल सेन्टर	विकास मार्ग एक्सटेंशन कडकड़डुमा	एचपीसीएल
18.	वालिया सर्विस स्टेशन	ओखला	एचपीसीएल
19.	अमीश इंटरप्राइजेज	लीबासपुर	आईबीपी
20.	फोर्ड सर्विस सेन्टर	रंगपुरी	आईबीपी
21.	गंगाआटो एड्स	एनएच-8	आईबीपी
22.	पौल	मायापुरी	आईबीपी
23.	राकेश एफएस	वरूण निकेतन	आईबीपी
24.	एसडी सायन एंड सन्स	कुडसिया रोड	आईबीपी
25.	सतबीर एफएस	आईजीआई मोड़	आईबीपी
26.	श्रीआयल	नोएडा टीपीटी	आईबीपी
27.	भारत सर्विस स्टेशन	सिंधो बार्डर	आईबीपी
28.	अर्जीत मोटर	दिल्ली कैन्ट	आईओसी
29.	अरोड़ा सर्विस स्टेशन	पीतमपुरा	आईओसी
30.	आटो सर्विस	पंजाबी बाग	आईओसी
31.	बात्रा एस एस	नारायणा	आईओसी
32.	दिल्ली आटोमोबाइल	जसोला	आईओसी

1	2	3	4
33.	फोर्चून सर्विस स्टेशन	रोहिणी	आईओसी
34.	गुप्ता सर्विस स्टेशन	राव तुला राम मार्ग	आईओसी
35.	कैलाश सर्विस स्टेशन	अमर कालोनी	आईओसी
36.	रमेश सर्विस स्टेशन	मायापुरी	आईओसी
37.	सरिता सर्विस स्टेशन	सरिता विहार	आईओसी
38.	शिवा सर्विस स्टेशन	पीतमपुरा	आईओसी
39.	स्पीडवे एससी	जेल रोड	आईओसी
40.	तुली	पंजाबी बाग	आईओसी

[अनुवाद]

अ.जा./अ.ज.जा. को पेट्रोल पंपों/रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन

4739. श्री जार्ज ईडन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये पेट्रोल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों के आवंटन के संबंध में कोई अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उस अधिसूचना को लागू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले कैलेंडर वर्ष के अंत तक अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों को आवंटित किये गये कुल पेट्रोल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों की राज्यवार संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपों के चयन हेतु सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन में 25 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान है।

देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1.4.2002 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को 1881 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें और 1269 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित थे।

मध्य प्रदेश में तेल कंपनियों द्वारा विपणन

4740. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में विपणन का कार्य जिन तेल कंपनियों को सौंपा गया है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक तेल कंपनी द्वारा उत्पादों के विपणन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसमें क्या उपलब्धि हासिल की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) इस समय मध्य प्रदेश में चार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) नामत: इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और आईबीपी कं. लिमिटेड पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन कर रही हैं।

(ख) ओएमसीज, देश के विभिन्न राज्यों की मांग के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों मुख्यत: पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बिक्री कर रही है। मिट्टी तेल एक निर्धारित उत्पाद है।

पारादीप में तेल शोधक कारखाना

4741. श्री प्रभात सामन्तराय :
श्री प्रसन्न आचार्य :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा पारादीप में तेल शोधक कारखाने की स्थापना हेतु कुल कितनी लागत का आकलन किया गया है;

(ख) अब तक इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और इसके कब तक चालू हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या तेल शोधक कारखाने को कच्चे तेल के डिपो में बदलने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) यह परियोजना, अगस्त 1999 के मूल्यों के आधार पर 8,312 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अनुमोदित की गई थी।

(ख) इस परियोजना पर आज तक कुल 599 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। परियोजना के पूरा होने का कार्यक्रम आईओसीएल द्वारा दुबारा निर्धारित किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एनटीपीसी द्वारा स्वरोजगार योजना

4742. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने विभिन्न आय उपार्जन और स्वरोजगार योजनाएं बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में इन योजनाओं से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) एनटीपीसी द्वारा स्वरोजगार हेतु लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने और रोजगार सृजन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों (पीएपीज) के हित के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने मई, 1993 के दौरान एक वृहद पुन: विस्थापन तथा पुनर्वास (आर. एंड आर.) नीति तैयार की है जिसमें निम्न विकल्प शामिल थे:

(1) स्व-रोजगार योजनाओं के लिए, नीति में इच्छुक परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार स्वरोजगार योजनाओं को प्रारंभ करने में समर्थ बनाने हेतु 15,000 रु. के अनुदान की परिकल्पना की गई है। एन.टी.पी.सी. संबंधित सरकारी एजेंसियों या गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओज.) के समन्वय में प्रक्रिया को आसान बनाता है। उन्हें अपनी क्षमता एवं योग्यता में सुधार लाने हेतु सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाता है।

(2) अन्यों के लिए, दुकानों का आबंटन, फुटकार संविदाओं को मंजूरी देना आदि जैसे प्रावधान भी किए गए हैं।

उपर्युक्त आर एंड आर नीति को तैयार करने के पूर्व, स्व रोजगार योजनाओं हेतु कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था। तथापि, ऐसे मामलों में दुकान आबंटन तथा फुटकार संविदाओं के दिए जाने को वरीयता दी गई थी।

महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में उपर्युक्त से संबंधित कोई विशेष योजना नहीं बनायी गयी है।

सी.बी.आई. का जांच कार्य पूरा होना

4743. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 8.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3213 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने अपना जांच कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) सी.बी.आई. ने खेल गतिविधियों के प्रसारण व विपणन अधिकारों को निजी फर्मों को दिये जाने के संबंध में पांच मामले को पंजीकृत किए थे। उनकी वर्तमान स्थिति नीचे दी गयी है:

क्र.सं.	मामले की सं. तथा पंजीकरण की तिथि	आरोप का सार	की गई कार्रवाई/15.11.2002 के अनुसार
1.	आर.सी.1(ए) 2000-एसीयू. VIII/न.दि. दिनांक 8.11.02	फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 1997 के विपणन अधिकार हेतु समझौते में तथाकथित अनियमितताएं	केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दो अधिकारियों नामश: दूरदर्शन के तत्कालीन महानिदशक, तथा दूरदर्शन के तत्कालीन उप महानिदेशक (सी एंड एस) के विरुद्ध मामले को बंद करने की सलाह दी है। के.स.आ. ने स्ट्रेकॉन उत्कीर्णित सोने के सिक्कों की जब्ती के लिए तत्कालीन उपमहानिदेशक (खेल) तथा तत्कालीन महानिदेशक (वित्त) के विरुद्ध के.सि. सेवा (आचरण) के अंतर्गत यथा उपयुक्त समझी जाने वाली कार्रवाई करने की भी सलाह दी है। महानिदेशक, दूरदर्शन के साथ परामर्श करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
2.	आर.सी.2(ए) 2000-एसीयू. VIII/न.दि. दिनांक 8.11.00	विंबल्डन टेनिस टूर्नामेंट, 1997 के विपणन अधिकार हेतु ठेका देने में तथाकथित अनियमितता।	सी.बी.आई. की सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं तथा इस मामले को प्रथम स्तर के परामर्श हेतु दिनांक 14.3.2002 को के.स.आ. को भेज दिया गया है।
3.	आर.सी.3(ए) 2000-एसीयू. VIII/न.दि. दिनांक 8.11.02	इंडिपेंडेंस कप क्रिकेट टूर्नामेंट, 1997 को प्रसारण अधिकार को खरीदने में तथाकथित अनियमितता।	क्योंकि आरोपों को सिद्ध नहीं किया जा सका, इसलिए के.स.आ. के परामर्श तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इस मामले को बंद कर दिया गया है।
4.	आर.सी.4(ए) 2000-एसीयू. VIII/न.दि. दिनांक 8.11.00	ईसीसी नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट, 1998 के प्रसारण अधिकार को खरीदने में तथाकथित अनियमितता।	सी.बी.आई. की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं तथा मामले को परामर्श के लिए सितंबर, 2002 में के.स.आ. के पास भेजा गया है।
5.	आर.सी.5(ए) 2000-एसीयू. VIII/न.दि. दिनांक 8.11.00	विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 1999 के प्रसारण अधिकार को खरीदने में तथाकथित अनियमितता।	क्योंकि आरोपों को सिद्ध नहीं किया जा सका, इसलिए के.स.आ. के परामर्श तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इस मामले को बंद कर दिया गया है।

जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रोत्साहन

4744. श्री ए. नरेन्द्र : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के लिए कोई प्रोत्साहन पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 3 से 25 मेवा. तक की लघु जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु कोई योजना शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना में निजी क्षेत्र की पार्टियों को भी शामिल किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो परियोजनाओं की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र की कितनी पार्टियां सामने आई हैं; और

(छ) कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है और इन परियोजनाओं से कुल विद्युत क्षमता से कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) सरकार द्वारा देश की पन बिजली संभाव्यता के दोहन को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इस कार्यनीति में पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादनकर्त्ताओं की भागीदारी शामिल है। निवेश नीति को अधिक आकर्षिक बनाया गया है और इसमें 4:1 तक ऋण साम्या अनुपात; 100% विदेशी इक्विटी की भागीदारी; परिसम्पत्तियों के मामले में उदारीकृत अवमूल्यन दर; रियायती सीमा शुल्क पर विद्युत परियोजनाओं के लिए उपकरण का आयात; इक्विटी पर 16% रिटर्न दर तथा अनुकूल ढांचे के अंतर्गत द्विपक्षीय प्रभारों पर बिजली की बिक्री शामिल है। कुछ अन्य प्रोत्साहनों के लिए नए मानदंडों को भी अधिसूचित किया गया है।

(ग) और (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने 25 मेवा. स्टेशन क्षमता तक की लघु पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादनकर्त्ताओं को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें विस्तृत सर्वेक्षण एवं जांच पड़ताल के लिए प्रोत्साहन; विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना और वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी शामिल है। इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहनों का विवरण संलग्न है।

(ङ) से (छ) जी हां। अब तक निजी विकासकर्त्ताओं द्वारा समग्र रूप से 226 मेवा. क्षमता की 70 लघु पनबिजली परियोजनाएं स्थापित की गई हैं; और समग्र रूप से 177 मेवा. क्षमता की 47 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं।

विवरण

लघु पनबिजली कार्यक्रम के अंतर्गत स्वतंत्र विद्युत उत्पादनकर्त्ताओं को प्रोत्साहन

योजनाएं	क्षेत्र	500 किवा. से कम	500 किवा. से 1 मेवा. तक	1 मेवा. से अधिक और 5 मेवा. तक	5 मेवा. से अधिक और 15 मेवा. तक	15 मेवा. से अधिक और 25 मेवा. तक
सर्वेक्षण एवं जांच पड़ताल	मैदानी	0.75 लाख रु. तक		1.00 लाख रु. तक	1.50 लाख रु. तक	
	पहाड़ी	1.00 लाख रु. तक		2.00 लाख रु. तक	3.00 लाख रु. तक	
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	मैदानी	0.75 लाख रु. तक		1.00 लाख रु. तक	1.50 लाख रु. तक	
	पहाड़ी	0.75 लाख रु. तक		1.00 लाख रु. तक	2.00 लाख रु. तक	
वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी	मैदानी		5.00%	2.50%	2.00%	1.50%
	पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र		7.50%	5.00%	3.00%	2.00%

यूटीपीएल कंपनी द्वारा मेजिया ताप विद्युत केन्द्र का रख-रखाव संबंधी कार्य

4745. श्री सुनील खां : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूटीपीएल कंपनी को पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के अंतर्गत मेजिया ताप विद्युत केन्द्र में निविदा आमंत्रित किये बिना पिछले दस वर्षों से रख-रखाव संबंधी ठेका प्राप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुमानित लागत का अतिरिक्त दस प्रतिशत यूटीपीएल कंपनी को दिये जाने की संभावना है;

(ग) निविदा आमंत्रित नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दस प्रतिशत धनराशि रख-रखाव संबंधी कार्यों के लिए यूटीपीएल कंपनी को दी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) मैसर्स यूटिलिटी पावरटेक लि. (यू.पी.एल.) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) एवं बम्बई उप नगरीय विद्युत आपूर्ति कंपनी (बी.एस.ई.एस.) की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी है। वर्तमान में, मैसर्स यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड को पश्चिमी बंगाल में बांकुरा जिले में मेजिया थर्मल पावर स्टेशन के अनुरक्षण का 10 वर्षों तक की अवधि हेतु कोई भी संविदा (ठेका) प्रदान नहीं की गई है। तथापि डी.वी.सी. बोर्ड के संकल्प की अनुपालना में मैसर्स यू.पी.एल. को भिन्न विद्युत स्टेशनों की अनुरक्षण कार्य हेतु दिनांक 3.1.2002 को डी.वी.सी. और मैसर्स यूटिलिटी पावरटेक लि. के मध्य उन्हीं वाणिज्यिक शर्तों पर, जिन पर एन.टी.पी.सी. ने प्रदान किया था, सर्वसम्मत समझौता हस्ताक्षर कर संविदा कार्य प्रदान किया गया। समझौते में तापीय विद्युत स्टेशनों के अनुरक्षण कार्यों हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए है। मैसर्स यू.पी.एल. किसी ठेकेदार को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से यह कार्य प्रदान करेगा जो कि डी.वी.सी. को स्वीकार्य होगी, उक्त वर्णित कार्य के लिए मैसर्स यू.पी.एल. को प्रबंधकीय कार्मिकों की लागत और नियत कार्य हेतु ठेकेदार की कीमत पर 10% की दर से लाभ प्राप्त होगा। इसमें अतिरिक्त कार्यस्थल उपरिशीर्ष प्रभारों हेतु भी प्रावधान है। डी.वी.सी. और मैसर्स यू.पी.एल. के मध्य हस्ताक्षरित यह सर्वसम्मत समझौता एन.टी.पी.सी. द्वारा मैसर्स यू.पी.एल. के साथ हुए समझौते के ही समान है। इस सर्वसम्मत समझौते के ढांचे के भीतर रहते हुए परियोजना प्रधान/संयंत्र प्रमुख इस प्रकार के संविदा कार्य को मैसर्स यू.पी.एल. को प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं।

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर निबंधन

4746. श्रीमती प्रभा राव : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नौकरी, पद और नियुक्ति स्वीकार करने पर निबंधन लगाने का विचार है जिससे कि शीर्षस्थ न्यायपालिका की विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता पर धब्बा न लगे; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) जी नहीं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(7)उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय या किसी प्राधिकरण के समक्ष अभिवाक या कार्य करने से प्रतिषिद्ध करता है। इसी प्रकार, संविधान का अनुच्छेद 220 किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत में किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के समक्ष अभिवाक या कार्य करने से प्रतिषिद्ध करता है। ये निर्बंधन विधिक आचार पर आधारित हैं, अर्थात् ऐसा कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारित किया हो, किसी ऐसे प्राधिकरण के समक्ष अभिवाक या कार्य नहीं करेगा, जहां वह विनिश्चयों को प्रभावित करने में समर्थ है।

तथापि, संविधान के अनुच्छेद 128 और 224(क) में क्रमश: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् अत्यावश्यकताओं के अनुसार संबंधित न्यायालय में आसीन होने के लिए अनुज्ञात करते हुए, उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए उपबंध है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पास अपार कौशल होता है और वे अधिनिर्णयन की कला में पारंगत होते हैं तथा न्यायिक प्रक्रिया से सुभिज्ञ होते हैं। इसलिए, प्राय: संघ और राज्य सरकारों द्वारा उन्हें विभिन्न अधिकरणों, जांच आयोगों, आदि में नियुक्त करके उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है। ऐसी नियुक्तियों के लिए, विभिन्न न्यायालयों में विद्यमान भारी संख्या में लंबित मामलों के कारण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आसीन न्यायाधीशों को विचार में नहीं लिया जा सकता है। वस्तुत:, टी. फैन्न वाल्टर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (वर्ष 2001 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) सं. 7482 से उद्भूत) वर्ष 2002 की सिविल अपील संख्या 3993 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 12.7.2002 के अपने निर्णय में आयोगों, अधिकरणों, आदि में उच्च न्यायालयों के आसीन न्यायाधीशों की प्रायिक नियुक्तियों से असम्मति प्रकट की है, क्योंकि अन्य गैर न्यायिक कार्य के निष्पादन से न्यायाधीशों पर अनावश्यक भार पड़ेगा और इससे न्याय प्रशासन प्रभावित होता है।

एन.टी.पी.सी. द्वारा केरल में ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना

4747. श्री टी. गोविन्दन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से राज्य में एन.टी.पी.सी. अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मौजूदा स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने (सी.ई.ए.) केरल में निम्नांकित परियोजनाओं के मामले में थर्मल पावर संयंत्रों की स्थापना हेतु तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टी.ई.सी.) प्रदान कर दी है-

क्र.सं.	परियोजना/क्रियान्वयक एजेंसी/जिले का नाम	क्षमता (मेगावाट)	टी.ई.सी. पत्र की तारीख	वर्तमान स्थिति
1.	विप्पीन सीसीजीटी मै. सियासिन एनर्जी लि. एर्नाकुलम	679.2	25.9.1998	एस्क्रो करार और वित्तीय समापन अभी प्राप्त किया जाना है।
2.	कन्नूर सीसीजीटी मै. कन्नूर पावर प्रोजेक्ट (प्रा.) लिमिटेड, कन्नूर	513	16.2.2000	-तदैव-

टिप्पणी-सीसीजीटी-कम्बाइंड साइकिल गैस टरबाईन

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी./प्राकृतिक गैस (एन.जी.)/कायमकुलम समेत विभिन्न मौजूदा/विस्तार गैस परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां आमंत्रित की हैं। कायमकुलम कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट का विस्तार उचित कीमत/शर्तों पर तरलीकृत गैस की उपलब्धता और स्टेशन से विद्युत खरीदने वाले लाभार्थियों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है।

परियोजना के लिए एक एकीकृत 1000 मेगावाट विद्युत परियोजना के साथ-साथ एल.एन.जी. टर्मिनल हेतु इसकी सिद्धांत अनापत्ति के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर करते हुए परियोजना कार्यान्वयन के लिए अपना समर्थन दे दिया है। यह परियोजना संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जिसका गठन के.आई.ओ.एल.सी. के भागीदारों द्वारा किया जाना है।

इंडियन आयल कार्पोरेशन के एल.एन.जी. कांसोर्टियम

4748. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ काकीनाडा स्थित इंडियन आयल कार्पोरेशन के एल.एन.जी. कांसोर्टियम (के.आई.ओ.एल.सी.)परियोजना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा परियोजना को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) और (ग) काकीनाडा इंडियन आयल एल.एन.जी. परिसंघ (के.आई.ओ.एल.सी.) ने फरवरी 2001 में काकीनाडा एल.एन.जी.

हिटलर का विमान

4749. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पी.डी.ए. इंजीनियरिंग कालेज, बंगलौर ने बंगलौर के पुरातन वस्तुओं के एक डीलर को एक दुर्लभ विश्व युद्ध-II विंटेज जर्मन मेसर्सस्मिट् बीएफ 109 ई लड़ाकू बमवर्षक विमान की बिक्री की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वायु सेना ने बेचे गये हिटलर के इस दुर्लभ विमान को खरीददार से वापिस करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस ऐतिहासिक महत्व के विमान को पुन: हासिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) यह बताया गया है कि विमान बंगलूर में पुरावस्तु व्यापारी को बेचा गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) रक्षा मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है।

शुष्क गोदी का डूबना

4750. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में एक प्लवनशील शुष्क गोदी अंडमान के समुद्री तट पर डूब गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे बचाने का प्रयास जारी है; और

(ग) प्लवनशील शुष्क गोदी के डूबने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जांच बोर्ड द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

भारत के मुख्य युद्धक टैंक (एम.बी.टी.)

4651. श्री सिमरनजीत सिंह मान : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'अर्जुन' टैंक का निर्माण कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार भारत के मुख्य युद्धक टैंक (एम.बी.टी.) को बदलने जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मुख्य युद्धक टैंक (एम.बी.टी.) के संबंध में टी-90 टैंक की क्या स्थिति है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) पूर्णतया निर्मित आयातित 124 टैंकों को सेना में शामिल करके तथा अंशत: खुले और पूर्णत: खुले किटों को जोड़कर 186 टैंकों का उत्पादन करके और इसके बाद देश में ही 1000 टैंकों का उत्पादन करने पर बारहवीं योजना के अंत तक टी-90 के सेना का मुख्य युद्धक टैंक बन जाने की उम्मीद है। दसवीं एवं ग्यारहवीं योजना अवधियों के दौरान एक-एक रेजिमेंट खड़ी किए जाने के लिए 124 एम.बी.टी. अर्जुन टैंकों के लिए मांग-पत्र दे दिया गया है।

एच.पी.सी.एल. और आई.बी.पी. के खुदरा बिक्री केन्द्र

4752. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच.पी.सी.एल. अपने मौजूदा डीलरों को मात्र तदर्थ आधार पर नये डीलरशिप आवंटित कर रही है और आई.बी.पी. ने मात्र भू-स्वामियों को तदर्थ आधार पर डीलरशिप आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की दोनों कंपनियों द्वारा अलग-अलग मानदंड अपनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की अन्य तेल कंपनियों को ऐसी अनुमति प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा पालन हेतु स्वीकृत मानदंड कौन से हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) ने समाप्त डीलरशिपों और ऐसी डीलरशिपों जिनके लिए डीलर मौजूद नहीं हैं, का प्रचालन करने के लिए वर्तमान डीलरों के माध्यम से तदर्थ आधार पर खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें आबंटित की हैं। आई.बी.पी. ने अब तक तदर्थ आधार पर कोई अनुमोदित विपणन योजना डीलरशिप आबंटित नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) की समाप्ति के बाद तेल विपणन कंपनियां अपने वाणिज्यिक हितों पर अपने डीलर नियुक्त करने के लिए शक्तिप्रदत्त हैं।

आंध्र प्रदेश में सीएनजी स्टेशन

4753. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) ने आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 34 सी.एन.जी. आटो स्टेशनों की स्थापना हेतु कोई सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है;

(ख) यदि हां, तो एच.पी.सी.एल. द्वारा ऐसे आटो स्टेशनों की स्थापना हेतु कुछ क्षेत्रों की व्यवहार्यता निर्धारित करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) सी.एन.जी. की आपूर्ति करने वाले ऐसे प्रत्येक आटो स्टेशन की लागत कितनी है;

(घ) क्या एच.पी.सी.एल. द्वारा डीलरों का चयन कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए डीलरों के चयन संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

व्यवहार्य और अव्यवहार्य परियोजनाएं

4754. श्री चन्द्र नाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी रेल परियोजना को व्यवहार्य अथवा अव्यवहार्य परियोजना के रूप में घोषित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं;

(ख) गत नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वेक्षण कराए जाने के बाद कितनी परियोजनाओं को उपयोगी नहीं पाया गया और इस पर खर्च की गई धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर उपयोगी परियोजनाओं को पुन: चालू करने के संबंध में कोई प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पुन: चालू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) मौजूदा मानदंडों के अनुसार यदि किसी परियोजना पर बट्टागत नकदी प्रवाह प्रद्धति के तहत कम से कम 14% प्रतिफल प्राप्त होता है तो उसे वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण समझा जाता है।

(ख) से (ङ) विभिन्न परियोजना प्रस्तावों के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बहुत से सर्वेक्षण किए गए हैं। बहरहाल, कुछ प्रस्तावों को अलाभप्रद प्रकृति, संसाधनों की तंगी और चल रहे कार्यों के भारी थ्रो फारवर्ड के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका न कि उन्हें अनुपयोगी घोषित किए जाने के कारण किए गए खर्च के साथ सर्वेक्षणों का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन

4755. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन हेतु प्रस्ताव केन्द्रीय विधि मंत्रालय के पास लंबे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा स्थानीय जनता के समक्ष आ रही समस्या के समाधान हेतु प्रशासनिक न्यायाधिकरण की शीघ्र स्थापना हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इसकी स्थापना कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकरण की नियुक्ति के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और न ही ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की न्यायपीठों का गठन किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित मामलों की संख्या को देखते हुए किया जाता है। अन्यथा, अधिकरण की किसी एक न्यायपीठ की मामलों का विनिश्चय करने की अधिकारिता होगी। दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की मुंबई शाखा की अधिकारिता के भीतर आते हैं।

तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता

4756. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में उच्चतम न्यायालय के नवीनतम (अक्तूबर, 2002) के विनिर्णय को ध्यान में रखते हुए पति द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये बिना मात्र "तलाक" कह देने से मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने की उसकी जिम्मेदारी से उसको मुक्ति नहीं मिल जाती;

(ख) क्या सरकार का विचार तलाकशुदा अथवा परित्यकता मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने से संबंधित कानून में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी हां। उच्चतम न्यायालय ने शमीम आरा बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य, (2002) 7 सुप्रीम कोर्ट केसेज 518, के मामले में तारीख 1 अक्तूबर, 2002 को यह अभिनिर्धारित किया है कि लिखित कथन में मात्र यह अभिवाक किये जाने को कि पूर्व में किसी समय तलाक उद्घोषित किया गया है, स्वयं में प्रभावकारी तलाक नहीं माना जा सकता। पति से साक्ष्य देने और तलाक की उद्घोषणा को साबित करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसी स्थिति में, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि न तो पक्षकारों के बीच विवाह विघटित होता है, न ही भरण-पोषण का संदाय करने का पति का दायित्व समाप्त होता है। अत: पति विधि के अनुसार बाध्यता समाप्त होने तक भरण-पोषण के संदाय के लिए दायी बना रहेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सोलहवें विधि आयोग की रिपोर्ट

4757. डा. ए.डी.के. जयशीलन : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोलहवें विधि आयोग की सभी रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर न रखे जाने तक इन्हें गोपनीय माना जाएगा;

(ख) क्या विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों संबंधी विधि आयोग की छह रिपोर्टें इस समय विधि मंत्रालय के पास लंबित हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सोलहवें विधि आयोग ने अब तक नौ रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। इनमें से आठ रिपोर्टें, अर्थात्, रिपोर्ट सं. 175 से 182 संसद में रखी जा चुकी हैं। 183वीं रिपोर्ट, जो तारीख 11.11.2002 को ही प्राप्त हुई है, हिन्दी में इसका अनुवाद किए जाने के पश्चात् संसद में रख दी जाएगी।

एशियाई विकास बैंक से ऋण

4758. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक वर्ष 2002-03 के दौरान भारतीय रेल को 600 मिलियन डालर देने हेतु सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण को स्वीकृत करने हेतु निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा एशियाई विकास बैंक से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् आरम्भ की जाने वाली सम्भावित परियोजना का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं। एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा भारतीय रेल को अभी ऋण की मंजूरी दी जानी है। बहरहाल, रेल मंत्रालय के साथ-साथ वित्त मंत्रालय ने नवम्बर, 2002 में एशियाई विकास बैंक से 313.6 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए बातचीत की है।

(ख) और (ग) यह ऋण भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए करार के ऋण मसौदा के उपबंधों के तहत उपलब्ध होगा। इसमें ऋण के संबंध में ऋण औचित्य, ऋण से प्राप्त आय के उपयोग, विशेष प्रसंविदाएं, उच्चतर, निरस्तीकरण, परिपक्वता में शीघ्रता, ऋण की प्रभावोत्पादकता, प्राधिकार का प्रत्यायोजन से संबंधित ऋण प्रसंविदाएं हैं। इन शर्तों को वित्त

मंत्रालय, रेल मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक के बीच अंतिम रूप दे दिया गया है।

(घ) एशियाई विकास बैंक द्वारा निम्नलिखित 4 अनुमोदित उप-परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है और इनका वित्त पोषण इस ऋण के जरिए किया जाएगा:

(1) क्योंझार-तोमका-नयी बड़ी लाइन रेल संपर्क

(2) महानदी नदी पर दूसरा पुल

(3) भाटपाड़ा तथा उरकुरा के बीच तीसरी लाइन

(4) गुत्ती पुल्लमपेट-कहीं-कहीं दोहरीकरण

इसके अलावा, उन उप-परियोजनाओं, जो कि राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज के सुदृढ़ीकरण के निवेशीय पहल का हिस्सा हैं, का ए.डी.बी. वित्त पोषण के लिए प्रस्ताव किया जाना है।

आकाशवाणी/दूरदर्शन हेतु सलाहकार समितियां

4759. श्री पवन कुमार बंसल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन हेतु विभिन्न सलाहकार समितियां वर्तमान में गैर-सरकारी सदस्यों के बिना कार्य कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों को नामित न किए जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि प्रसार भारती ने हाल ही में कार्यक्रम सलाहकार समितियों के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र जहां भी एक साथ स्थित हैं वहां पर इन दोनों के लिए एक सामूहिक कार्यक्रम सलाहकार समितियों का प्रावधान है। कार्यक्रम सलाहकार समितियों के गठन के प्रयास प्रगति पर हैं।

[हिन्दी]

बोकारो और चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्रों की खाली पड़ी भूमि

4760. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के बोकारो और चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्रों की भूमि खाली पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या झारखण्ड सरकार और अन्य आवेदकों ने उक्त भूमि के जनता द्वारा प्रयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार और दामोदर घाटी निगम द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) दामोदर वैली कारपोरेशन (डी.वी.सी.) ने सूचित किया है कि चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन (सी.टी.पी.एस.) के पास कोई सरप्लस भूमि नहीं है। उनके पास बोकारो थर्मल पावर स्टेशन 'बी' (बी.टी.पी.एस. 'बी') में सरप्लस भूमि है, जिसके लिए डी.वी.सी. ने शेष भूमि के लिए भूमि छोड़ने का प्रस्ताव जिलाभूमि अधिग्रहण अधिकारी, बोकारो को भेजा है।

(ख) जी, हां।

(ग) झारखण्ड सरकार और अन्य के उपयोग हेतु डी.वी.सी. द्वारा प्राप्त आवेदनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) इन सभी मामलों के बारे में डी.वी.सी. ने कुछ सूचना मांगी है, जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

बी.टी.पी.एस.

1. झारखण्ड सरकार से प्राप्त आवेदन

(1) कठारा-बी.टी.पी.एस. (क्षेत्र विनिर्दिष्ट नहीं) के पास यात्री शेड निर्माण हेतु भूमि

(2) निम्नांकित पी.सी.सी. सड़क निर्माण हेतु भूमि

- गोविन्दपुर से नयाखेत तक, शिवमन्दिर से पी.सी.सी. सड़क का निर्माण
- निशान हट से डी.वी.सी. सड़क, मोहम्मद सबीर के घर से 300 फिट पी.सी.सी. सड़क निर्माण
- झोपडपट्टी से रेलवे लाइन तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण

- गोविन्दपुर से डी.वी.सी. कालोनी तक, महतो के घर से पी.सी.सी. सड़क का निर्माण

(3) बोकारो थर्मल पुलिस स्टेशन से स्थायी भवन का निर्माण

2. अन्य आवेदन

श्री ए.के. मिश्रा, सचिव, बोकारो थर्मल डिग्री कालेज ने बोकारो थर्मल डिग्री कालेज के निर्माण हेतु 5 एकड़ भूमि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

[अनुवाद]

सैनिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद पद्धति से इलाज

4761. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है लेकिन इसे किसी भी सैनिक चिकित्सालय में अपनाया नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभी सैनिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज को अपनाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस): (क) से (ग) सेना चिकित्सा कोर सशस्त्र बलों के कार्मिकों तथा उनके परिवारों को युद्ध के समय तथा शांति के समय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराती है। सशस्त्र बलों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति अधिक उपयुक्त है। अत: सैन्य अस्पतालों में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाया जाना संभव नहीं है। तथापि, सशस्त्र बलों ने सशस्त्र बलों के कार्मिकों के परिवारों तथा इस पद्धति का लाभ उठाने के इच्छुक लोगों की सुविधा के लिए सशस्त्र बलों के विभिन्न स्टेशनों के स्टेशन मुख्यालयों जैसे, वायुसेना मुख्यालय, नई दिल्ली, मेरठ तथा सिकंदराबाद के तत्वावधान में डिस्पैंसरियां स्थापित करके स्वदेशी चिकित्सा पद्धति की शुरूआत करने की प्रक्रिया आरंभ की है। इन डिस्पैंसरियों के कार्मिक, दवाईयां तथा दैनिक संचालन स्टेशन के कल्याण प्राधिकारियों के अधीन हैं।

दिल्ली मंडल का पार्सल कार्यालय

4762. श्री रामजी मांझी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलगाड़ियों के एस.एल.आर. को पट्टे पर देने हेतु क्या नियम निर्धारित किए गए हैं;

(ख) जब नाप-तोल मशीन उचित रूप से कार्य कर रही है और दिल्ली मंडल के पार्सल कार्यालय में प्रकाश की उचित व्यवस्था है तो सामान की एस.डब्ल्यू.ए. (सेन्डर वेट एक्सेपटेंस) पर आरंभिक स्थानों में बुकिंग करने के क्या कारण है; और

(ग) एस.एल.आर. पट्टे पर दिए जाने के क्या कारण हैं जबकि रेलवे द्वारा बुक किया गया सामान रेलवे शेड पर पड़ा हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) एस.एल.आर. पट्टा योजना के तहत, सवारी गाड़ी के फ्रंट एस.एल.आर. (ब्रेकवेन) के लगेज कम्पार्टमेंट में स्थान को खुली निविदा के तहत बोली लगाकर पट्टे पर दिया जाता है। नियमानुसार, पार्सलों की लदाई/उतराई पट्टाधारक द्वारा की जाती है और रेलवे इसका पर्यवेक्षण नहीं करती है। पट्टाधारक को पैकेजों की संख्या एवं ब्योरों के बारे में और यह कि पैकेजों का कुल भार अनुमेय लदान सीमा से अधिक नहीं है, घोषणा करनी होती है। पार्सल यातायात की थोक बुकिंग के लिए इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पार्सल को तोलना जरूरी नहीं है और पार्सलों को पट्टाधारक की घोषणा के तहत ही स्वीकार किया जाता है। बहरहाल, गंतव्य स्टेशन पर अचानक जांच की जाती है और ज्यादा लदान का पता चलने पर दंड प्रभार लगाया जाता है। रेलवे के जरिए बुक पार्सलों को पार्सल वैनों के रियर ब्रेक वैनों में (एस.एल.आर.) तथा पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियां चलाकर क्लीयर किया जा रहा है। एस.एल.आर. पट्टा योजना के लागू होने से रेलवे की आमदनी में वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

समपारों को बदलना

4763. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे के अन्तर्गत आने वाले समपारों को बदलने हेतु राज्यवार कितने अनुरोध प्राप्त किए गए हैं;

(ख) इस पर की गई कार्रवाई की राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी को टाल दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान समपारों को स्थानान्तरित करने के 7 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन 7 अनुरोधों में से 5 उत्तर प्रदेश, एक-एक पंजाब और हरियाणा से संबंधित हैं।

(ख) इन 7 प्रस्तावित मामलों में से, अभी तक 4 मामलों में राज्य सरकार से प्रस्ताव/निधि प्राप्त नहीं हुई है। दो मामलों में समपार के स्थानान्तरण का कार्य पूरा हो गया है और एक मामले में समपार के स्थानान्तरण का अनुरोध तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात अदानी पोर्ट लिमिटेड के साथ समझौता

4764. श्री कैलाश मेघवाल :
श्री ए. कृष्णैया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आदीपुर से मुन्द्रा पोर्ट तक लगभग 160 करोड़ रुपये की लागत वाली 57 किलोमीटर की रेल लाइन का संयुक्त रूप से निर्माण करने हेतु गुजरात अदानी पोर्ट लिमिटेड के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रेलमार्ग से अर्जित की जाने वाली/लाभ में रेलवे का हिस्सा कितना होगा और इस समझौते में रेलवे के हिस्से के निर्धारण हेतु क्या मानदंड अपनाया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं। मैं गुजरात अदानी पत्तन लि. (जी.ए.पी.एल.) ने अपनी लागत पर आदीपुर से मुंदरा तक रेल लाइन का निर्माण किया है।

(ख) रेल मंत्रालय ने इस लाइन के निर्माण, स्वामित्व एवं अनुरक्षण के लिए जी.ए.पी.एल. को अनुमति देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस लाइन का परिचालन उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा किया जाएगा।

(ग) रेल मंत्रालय सुचारू परिचालन सुविधा कराने के लिए लाइन का परिचालन करेगा। राजस्व रेलों द्वारा एकत्रित किया जाएगा और जिसे रेलों द्वारा किए गए खर्च की लागत पूरी तरह से पूरा करने के पश्चात् क्षेत्रीय रेलों के बीच बंटवारे की तर्ज पर रेलवे और अदानी पत्तन लि. के बीच बांटा जाएगा। इसके अतिरिक्त जी.ए.पी.एल. वितरित राजस्व का 2% रेल मंत्रालय को अपेक्षित शुल्क के रूप में अदा करेगा।

दिन के समय अलवर के बरास्ते दिल्ली से जयपुर को रेलगाड़ी

4765. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान के अलवर जिले के लोगों के लिए दिन के समय अलवर के बरास्ते दिल्ली से जयपुर की कोई रेलगाड़ी नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस मार्ग पर एक नई रेलगाड़ी चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) जी नहीं। इस समय 10.30 और 19.25 बजे के बीच अलवर होकर जयपुर पहुंचने वाली, दिल्ली क्षेत्र से 5.10 और 13.40 के बीच 2413 दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस, 2015 नई दिल्ली-अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस, 4311 बरेली-न्यू भुज अला हजरत एक्सप्रेस, 9264 दिल्ली सराय रोहिल्ला-पोरबन्दर एक्सप्रेस और 9266 देहरादून-ओखा उत्तरांचल एक्सप्रेस गाड़ी उपलब्ध हैं। फिलहाल, परिचालनिक और संसाधन की तंगियों के कारण अतिरिक्त गाड़ियां चलाना व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में सुधारों हेतु आन्ध्र प्रदेश को निधियां

4766. श्री रामनायडू दग्गुबाटि :
श्री के. येरन्नायडू :
डा. एन. वेंकटस्वामी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से विद्युत क्षेत्र में सुधारों के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह अनुरोध लम्बे समय से लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आन्ध्र प्रदेश पावर ट्रांसमीशन कारपोरेशन ने ए.पी.आर.डी.पी. के अन्तर्गत हाल में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को कितनी राशि का अनुदान और ऋण दिए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्युत क्षेत्र पुनर्गठन संबंधी राज्य सरकार के प्रयासों को समर्थन प्रदान करने के लिए जनवरी, 2000 में केन्द्र सरकार से 1000 करोड़ रुपये (50% अनुदान तथा 50% ऋण के रूप में) प्रदान करने का अनुरोध किया था। भारत सरकार ने उप पारेषण/वितरण में सुधारों के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने और आपूर्ति लागत तथा औसत राजस्व के बीच अंतराल को पाटने की दृष्टि से प्रोत्साहनपरक अनुदान उपलब्ध कराने हेतु त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) आरंभ किया है। वर्ष 2002-03 के दौरान ए.पी.डी.आर.पी. स्कीम के अंतर्गत 3500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

(ङ) से (छ) एपीट्रांस्कों ने आंध्र प्रदेश में ए.पी.डी.आर.पी. के क्रियान्वयन हेतु 29.5.2002 को विद्युत मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के अनुसार लाभार्थी राज्य निष्पादन व आवधिक मॉनीटरिंग के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करेंगे। मौजूदा बेंचमार्क की प्रत्याशित स्तर से तुलना की जाएगी, जिसे निश्चित समयावधि में प्राप्त करना होगा। अन्य बातों के साथ-साथ बेंचमार्क निम्नांकित पैरामीटरों के साथ रा.वि. बोर्ड/यूटिलिटी स्तर तथा सर्किल स्तरों पर लागू होंगी।

* सर्किल को उत्पादन ऊर्जा बनाम उपभोक्ताओं को मीटरीकृत ऊर्जा बिक्री (ऊर्जा की बिलिंग नियत दर पर/मूल्यांकन आधार को शामिल नहीं किया जाना है।)
* मिलियन यूनिट में पारेषण एवं वितरण हानि (नियत दर बिक्री एवं गैर-मीटरीकृत बिक्री शामिल नहीं किए जाने हैं)।
* पूरे राज्य के प्रति यूनिट ऊर्जा के लिए औसत राजस्व प्राप्ति एवं औसत आपूर्ति लागत में अंतर (करोड़ रुपये में सकल राजस्व बिक्री का अनुपात तथा मि.यू. में ऊर्जा उत्पादन), करोड़ रुपये में ए.सी.एस. (आपूर्ति लागत का अनुपात (उत्पादन लागत, क्रय एवं अतिरिक्त लागत समेत) तथा पूरे राज्य के लिए मि.यू. में कुल ऊर्जा उत्पादन।
* उत्पादकता-उपभोक्ताओं को मीटरीकृत ऊर्जा बिक्री का अनुपात एवं सर्किल में कुल कार्मिकों की संख्या (अधिकारी एवं सुपरवाइजर तथा सहायक कर्मचारी)।
* बिलिंग साइकिल टाइम (अवधि)
* फीडर बन्दी (संख्या)
* वितरण ट्रांसफार्मर के खराब होने की दर
* उपभोक्ता शिकायतें (संख्या)
* शिकायत निपटान का समय (अवधि)
* हाई टेंशन/लो टेंशन दर
* वितरण ट्रांसफार्मर का घटक भार अनुपात
* औसत भार घटक

वर्ष 2002-03 के दौरान ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत कुल 98 स्कीमें स्वीकृत की गयी हैं जिनकी लागत 1476.51 करोड़ रुपये (जिसमें से ए.पी.डी.आर.पी. घटक 738.26 करोड़ रुपये है) है। 4 अप्रैल, 2002 को 39.07 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

विद्युत का उत्पादन और खपत

4767. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में वर्तमान में विद्युत की खपत कितनी है और इसमें से राज्य द्वारा अपने संसाधनों से कितनी प्रतिशत विद्युत का उत्पादन किया जाता है;

(ख) राज्य को शेष विद्युत की आपूर्ति किन-किन क्षेत्रों से की जाती है;

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु किए जा रहे प्रयासों में केन्द्र सरकार का योगदान क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ग्रिड कारपोरेशन को वर्षवार कितना वार्षिक घाटा हुआ है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) अप्रैल-नवम्बर, 2002 के दौरान उड़ीसा में

औसत मासिक ऊर्जा खपत 1095 मि. यूनिट थी। इसमें राज्य को पूरी तरह समर्पित एन.टी.पी.सी. के ओल्ड तालचेर टी.पी.एस. समेत उड़ीसा में औसत उत्पादन 688 मि. यूनिट अर्थात् औसत मासिक खपत का 62.83% था। शेष 407 मि. यूनिट (37.17%) की पूर्ति पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय सेक्टर स्टेशनों में इसके हिस्से, साझी मचकुंड परियोजना और उड़ीसा में नाल्को, आईसीसीएल तथा एचपीसीएल कैप्टिव संयंत्रों में सरप्लस उत्पादन के जरिए की जाती है।

(ग) कुल मिलाकर उड़ीसा में विद्युत आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक है। 1095 मि. यूनिट औसत मासिक उपलब्धता की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2002 की अवधि के दौरान जरूरत 1123 मि. यूनिट थी। इस प्रकार 2.4% की आंशिक कमी थी। यह आंशिक कमी ग्रिडको द्वारा देयों की अदायगी न करने के कारण मार्च-मई, 2002 के दौरान एन.टी.पी.सी. द्वारा लागू विद्युत आपूर्ति विनियमन की वजह से है। पूर्वी क्षेत्र में समग्र रूप से बिजली सरप्लस की स्थिति है तथा पर्याप्त विद्युत का क्षेत्र से बाहर निर्यात किया जाता है। इसके अलावा 10वीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में राज्य सेक्टर में 150 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि की योजना है, राज्य को पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय तथा मेगा विद्युत परियोजनाओं में हिस्सा मिलेगा।

(घ) विगत 3 वर्षों के दौरान ग्रिडको को हुई वार्षिक हानियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	रुपये (करोड़ में)
1999-2000 (अनंतिम)	187.00
2000-2001 (संशोधित अनुमान)	216.00
2001-2002 (वार्षिक योजना आंकड़े)	230.00

तेलशोधक शालाओं का उन्नयन

4768. श्री पवन सिंह घाटोवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बीआरपीएल के अलावा सभी तेलशोधन शालाओं ने अप्रैल, 2005 से डीजल गुणता (भारत स्टेज-दो) हेतु अपनी प्रक्रिया संबंधी प्रौद्योगिकी को उन्नत कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास अप्रैल, 2005 और 2010 से क्रमश: भारत स्टेज-दो और भारत स्टेज-तीन विनिर्देशनों की पूर्ति हेतु उनकी प्रक्रिया संबंधी प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) सरकार ने जनवरी, 2002 में, 1.4.2005 से पूरे देश में भारत चरण-2 विनिर्देशों और सात महानगरों में यूरो-3 समकक्ष विनिर्देशों के पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति करने के लिए आटो ईंधन नीति के संबंध में मशेलकर समिति की अंतरिम सिफारिशें स्वीकार कर ली है।

सरकार ने तेल कंपनियों को उपर्युक्त निर्णयों के बारे में सूचित किया है और तेल कंपनियां निर्धारित तारीख तक वांछित विनिर्देशों के पेट्रोल और डीजल का उत्पादन करने के लिए उत्पाद गुणवत्ता सुधार परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही हैं/अंतिम रूप दे रही हैं।

माल डिब्बों की खरीद

4769. श्री रामदास आठवले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने सितम्बर, 1995 में 18400 (एफ.डब्ल्यू.यू.एस.) मालडिब्बों में खरीद को वर्ष 1996-97 के दौरान इस निर्देश के साथ स्वीकृत किया था कि 50 प्रतिशत मात्रा निविदा के माध्यम से और शेष मैसर्स वेगन इंडिया लिटिमेड के माध्यम से खरीदे जाएंगे;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने वर्ष 1996-97 हेतु 9200 एफ.डब्ल्यू.यू.एस. की खरीद हेतु 25.9.1995 को सीमित निविदाएं आमंत्रित की थीं और उन्हें 3.11.1995 को खोला गया था;

(ग) क्या लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणियां किसी एक विशेष निविदा से संबंधित थी जिसको यदि समय पर अन्तिम रूप दिया जाता तो रेलवे को 12.88 करोड़ की बचत भी होती; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) रेलवे ने उस वर्ष में चौपहिया इकाइयों के हिसाब से 22185 माल डिब्बे प्राप्त करके वर्ष 1996-97 के लिए 22000 माल डिब्बों का निर्धारित लक्ष्य हासिल किया था। अत: 1996-97 निविदा के लिए खरीद में विलम्ब के कारण किसी भी प्रकार के अतिरिक्त खर्च का प्रश्न नहीं उठता। निविदा विशेष के लिए आपूर्ति वर्ष 1997-98 में उस समय मौजूदा मूल्यों पर की गई थी और अनुमानित और वास्तविक खर्च के बीच अंतर बीच की अवधि में मूल्यों में वृद्धि के कारण था।

नोटेरी पब्लिक के रिक्त पद

4770. श्री भान सिंह भौरा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब के विभिन्न न्यायालयों में नोटेरी पब्लिक के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रिक्त पदों का जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) नोटेरी अधिनियम, 1952 के अधीन इस प्रकार नोटेरी पब्लिक के पद सृजित नहीं किए गए हैं। उक्त अधिनियम नोटेरियों के व्यवसाय को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है और 'नोटेरी' पद को अधिनियम के अधीन इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। तद्नुसार कहीं भी नोटेरी पब्लिक के किसी पद के रिक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में रसोई गैस/एसकेओ डीलरशिप का पुनर्गठन

4771. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले छह महीनों के दौरान दिल्ली में रसोई गैस/एसकेओ डीलरशिप के पुनर्गठन हेतु संसद सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार/तेल कंपनियों द्वारा ऐसे अभ्यावेदनों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) विभिन्न तेल कंपनियों के पास लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) गत छ: मास के दौरान इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) को संसद सदस्य से दिल्ली के एस.के.ओ./एल.डी.ओ. डीलर मैसर्स एसोसियेटिड ट्रेडिंग कं. के पुनर्गठन के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) से (घ) आई.ओ.सी.एल. ने डीलर को दिनांक 28 अक्तूबर, 2002 को सलाह दी है कि वे पुनर्गठन के लिए संबंधित कागजातों के साथ आवेदन प्रस्तुत करें। डीलर से संबंधित कागजात प्राप्त होने के बाद कंपनी अंतिम निर्णय लेगी।

राजकोट-वेरावल रेल लाइन का आमान परिवर्तन

4772. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजकोट-वेरावल रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के संबंध में वास्तविक और वित्तीय प्रगति कितनी हुई है;

(ख) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या इस कार्य के लिए आवंटन परियोजना को पूरा करने की समय सीमा के अनुरूप है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के सोमनाथ और कोडिनार तक के विस्तार की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) राजकोट-वेरावल रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू हो गया है जहां मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी, गिट्टी आपूर्ति का कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। राजकोट-जूनागढ़ के आमान परिवर्तन का कार्य 2002-2003 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। इस कार्य पर मार्च, 2002 तक 37.32 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं और 2002-03 के दौरान 35 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

संपूर्ण परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किया है। इस परियोजना को आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

(घ) इस लाइन के कोडिनार तक विस्तार के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है। बहरहाल, सरकार ने उस लाइन का सोमनाथ तक विस्तार करने का अनुमोदन कर दिया है।

न्यायालयों में लंबित मामलों में गवाहों का मुकर जाना

4773. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार न्यायालयों में लंबित मामलों में गवाहों के मुकर जाने को रोकने के लिए उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपायों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 162 में यह उपबंध है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन, यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। साक्षी के पक्षद्रोही हो जाने की समस्या को दूर करने के लिए विधि आयोग ने अपनी 178वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के पश्चात् धारा 164-क अंत:स्थापित करने की सिफारिश की है। प्रस्तावित धारा 164-क की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। चूंकि दंड विधि और दंड प्रक्रिया भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में हैं अत:, उन पर राज्य सरकारों के परामर्श से कार्यवाही की जाएगी। तथापि, इसके लिए कोई समय-सीमा नियत करना साध्य नहीं है।

विवरण

विधि आयोग की 178वीं रिपोर्ट की सिफारिशों से उद्धरण

"164क(1) कोई पुलिस अधिकारी, जो दस वर्ष या अधिक की अवधि के कारावास से (जुर्माना सहित या रहित) दंडनीय किसी अपराध का, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई अपराध भी है जो मृत्युदंड से दंडनीय है, अन्वेषण कर रहा है, ऐसे अन्वेषण के दौरान ऐसे सभी व्यक्तियों को, जिनके साक्ष्य मामले के निष्पक्ष विनिश्चय के लिए आवश्यक हों, उनके कथनों को लेखबद्ध करने के लिए निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

(2) मजिस्ट्रेट उपधारा (1) के अधीन उसके पास भेजे गए ऐसे व्यक्तियों के कथनों को शपथ पर लेखबद्ध करेगा और धारा 173 के अधीन आगे की पुलिस रिपोर्ट के आने तक ऐसे कथनों को अपने पास रखेगा।

(3) ऐसे कथनों की प्रतियां अन्वेषण अधिकारी को भेजी जाएंगी।

(4) यदि कथन को लेखबद्ध करने वाले मजिस्ट्रेट उस अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त नहीं है तो वह इस प्रकार लेखबद्ध किए गए कथनों को मामले का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति के साक्षी के रूप में सम्यक् रूप से लेखबद्ध किए गए कथन को तब साक्ष्य समझा जा सकेगा, यदि ऐसे साक्षी को न्यायालय के विवेकानुसार और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबंधों के अधीन न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है और उसकी परीक्षा की जाती है।"

मुम्बई दैनिक यात्रियों से उपकर की वसूली

4774. श्री किरीट सोमैया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने मुम्बई के दैनिक यात्रियों से उपकर वसूली शुरू करने का अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव एम.आर.वी.सी. में प्रगति के पश्चात् उपकर लगाने का है;

(घ) क्या दैनिक यात्री संगठनों और संसद सदस्यों ने अनुरोध किया है कि दैनिक यात्रियों को लाभ उपलब्ध करने के बाद ही उपकर की वसूली की जाए; और

(ङ) यदि हां, तो उपकर का ब्यौरा क्या है, और उस पर सरकार का दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) मुंबई शहरी परिवहन परियोजना का वित्त पोषण विश्व बैंक

द्वारा किया जाता है। मुंबई उपनगरीय दैनिक यात्रियों पर उपकर की वसूली विश्व बैंक की आवश्यकताओं के अन्तर्गत की जाती है और इस पर महाराष्ट्र सरकार तथा रेल मंत्रालय ने अपनी सहमति जताई है जो परियोजना की लागत के बराबर के हिस्सेदार हैं। अगले वित्त वर्ष से पहले अधिभार नहीं लगाया जा सकता है।

14 वर्षों की अवधि में कुल अधिभार 2891 करोड़ रु. होगा। इस प्रकार एकत्रित धनराशि में से 50% महाराष्ट्र सरकार को दी जाएगी और भारतीय रेल का 50% हिस्सा वित्त मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा ताकि विश्व बैंक से लिए गए ऋण की अदायगी की जा सके।

(घ) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्च न्यायालयों को वित्तीय शक्तियां

4775. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने हेतु उच्च न्यायालयों को और वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में केंद्र सरकार से और वित्तीय शक्तियां मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से उच्च न्यायालयों को और अधिक वित्तीय शक्तियां प्रत्योजित करने के लिए आवधिक रूप से अनुरोध करती रही है। अनेक राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालयों को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की स्थिति संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए निधियां उपलब्ध कराना राज्य सरकारों का प्रमुख उत्तरदायित्व है। तथापि, न्यायपालिका के संबंध में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के, जिसके अंतर्गत न्यायालय भवनों और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों, दोनों के अंतर्गत आने वाले न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के निवास स्थानों का निर्माण भी है, विकास के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2001-02 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के लिए आदर्श के रूप में कार्य करने के लिए चार महानगरों, अर्थात्, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में नगर न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग की एक अग्रणी परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का पूर्णतया वित्त पोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और इसकी अनुमानित लागत 14.9 करोड़ रुपए है।

विवरण

न्यायपालिका को वित्तीय शक्तियां प्रदान किए जाने के संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तर

क्र.सं.	राज्य का नाम	की गई कार्रवाई का सार
1	2	3
1.	असम	गुहावाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को और अधिक वित्तीय शक्तियां प्रदत्त करने के लिए वित्त विभाग से अनुरोध किया है।
2.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	कोई अनन्य उच्च न्यायालयन नहीं है।
3.	चेन्नई	तमिलनाडु सरकार ने यह सूचित किया है कि मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को अधिकांश मदों के संबंध में प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक हैं।
4.	गोवा	यह सूचित किया है कि पणजी स्थित उच्च न्यायालय बंबई उच्च न्यायालय की एक विस्तारित न्यायपीठ है।
5.	हरियाणा	रजिस्ट्रार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को आकस्मिक व्यय और

1	2	3
		कार्यालय व्यय, किराया, रिबेट, करों, मोटर यानों, अन्य प्रभारों, वृत्तिक और विशेष सेवाओं की बाबत पुन: समायोजन के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों में वृद्धि की।
6.	हिमाचल प्रदेश	राज्य वित्त सचिव के इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
7.	केरल	उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और रजिस्ट्रार को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां बढ़ाई गई हैं।
8.	कर्नाटक	तारीख 19.9.1993 की अधिसूचना द्वारा कर्नाटक के मुख्य न्यायमूर्ति को वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।
9.	महाराष्ट्र	और अधिक वित्तीय शक्तियां प्रदत्त करने से संबंधित प्रस्ताव बम्बई उच्च न्यायालय के अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है।
10.	मेघालय	तारीख 20.12.2000 की अधिसूचना द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को वित्तीय शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।
11.	मध्य प्रदेश	वित्तीय शक्तियां, जिसके अंतर्गत अवर सचिव के स्तर के और अस्थायी श्रेणी-3 और श्रेणी-4 कर्मचारियों के पद सृजित करने की शक्ति भी है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को प्रत्यायोजित की गई हैं।
12.	नागालैंड	उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को और अधिक वित्तीय शक्तियां प्रदत्त किए जाने पर सरकार विचार कर रही है।
13.	उड़ीसा	सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा उपयोग की जा रही सभी वित्तीय शक्तियां उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को प्रत्यायोजित की गई हैं।
14.	राजस्थान	चूंकि उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार साधारण वित्तीय नियमों के अधीन विभागाध्यक्ष को उपलब्ध शक्तियों का उपयोग करता है अत: किसी और कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय सीमा बढ़ाए जाने के संबंध में यह विनिश्चित किया गया है कि विनिर्दिष्ट अनुरोध पर विचार किया जाएगा।
15.	सिक्किम	तारीख 28.3.2001 के अधिसूचना द्वारा वित्तीय शक्तियां उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति/महारजिस्ट्रार/ रजिस्ट्रार को प्रत्यायोजित की गई है।
16.	त्रिपुरा	मामले पर त्रिपुरा सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।
17.	उत्तरांचल	वित्त विभाग ने इस संबंध में विचार और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
18.	पश्चिमी बंगाल	राज्य सरकार के न्यायिक विभाग के सचिव से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

झारखंड में रेल उपरिपुल/रेल अधोगामी पुल

4776. श्री राम टहल चौधरी :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड में रेल उपरिपुल/रेल अधोगामी पुल की ऐसी कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं, जो लम्बित पड़ी हैं जिन पर काम चल रहा है;

(ख) झारखंड सरकार द्वारा राज्य में रेल उपरिपुल/रेल अधोगामी पुल के निर्माण हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रांची-चईबासा रोड पर चक्रधरपुर में, रांची-खैलारी रोड पर खैलारी में, रांची-टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर नामकुम में और टाटा-पुरूलिया राष्ट्रीय राजमार्ग-32 पर चंदाला में रेल उपरिपुल के निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी हां। खैलारी, चक्रधरपुर और नामकुम में ऊपरि सड़क पुल पहले से ही स्वीकृत हैं और योजना एवं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। चंदाला में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, 2000-2003 के निर्माण कार्यक्रम के दौरान चांडिल और मानेकुई स्टेशनों के बीच किमी. 375/519-521 पर समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

विवरण

प्रारंभिक पूर्व अपेक्षाएं पूरी करते हुए झारखंड राज्य से ऊपरी/निचले सड़क पुल के निर्माण के कुल 19 ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से वर्ष 2002-2003 के निर्माण कार्यक्रम के दौरान 16 कार्य स्वीकार कर दिए थे और तीन को पूर्ववर्ती निर्माण कार्यक्रम में स्वीकृत कर दिया था। इस समय ये सब कार्य योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। ये नीचे दिए गए हैं। बहरहाल, वर्ष 2003-04 के रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए समपार सं. 34/ए/टी के बदले में कोडरमा में ऊपरी सड़क पुल का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसकी जांच की जा रही है।

1. रांची-लोहरदगा (छो.ला.) खंड कि.मी. 422/2-3 पर दिबाडीह के निकट रांची-पिस्का स्टेशनों के बीच ऊपरी सड़क पुल।

2. तेलों-चन्द्रपुर-समपार सं. 12-ए/टी के बदले ऊपरी सड़क पुल।

3. डाल्टनगंज-कजरी, समपार सं. 13-बी/ई के बदले ऊपरी सड़क पुल।

4. धनबाद मंडल-धनबाद-भुली के बीच समपार सं. 1/बीटी के बदले में किमी. 272/24-26 पर ऊपरी सड़क पुल (दो लेन)।

5. धनबाद मंडल-पारसनाथ-चेगरो के बीच समपार सं. 15/ए/टी के बदले में किमी. 320/17-19 पर ऊपरी सड़क पुल (दो लेन)।

6. आसन सोल मंडल-थापरनगर-कालूवाधन के बीच समपार सं. 8ए के बदले में किमी. 243/17-19 पर ऊपरी सड़क पुल (दो लेन)।

7. धनबाद-मंडल धोकारा-धनबाद के बीच समपार सं. 18/बी/टी के बदले में किमी. 269/11-13 पर ऊपरी सड़क पुल (दो लेन)।

8. धनबाद मंडल-रे-खलारी के बीच समपार सं. 6/बी/टी के बदले में किमी. 156/8-9 पर ऊपरी सड़क पुल (दो लेन)।

9. आसनसोल मंडल-सिमुलताला-जसीडीह के बीच जसीडीह स्टेशन में पश्चिम छोर पर समपार सं. 30/बी/के बदले में ऊपरी सड़क पुल (दो लेन)।

10. धनबाद मंडल-भुली-तेतुलमारी के बीच समपार सं. 3/ए/ई के बदले में किमी. 276/12-14 पर ऊपरी सड़क पुल (दो लेन)।

11. हवड़ा मंडल-पाकुर स्टेशन के निकट समपार सं. 38 के बदले में ऊपरी सड़क पुल (दो लेन)।

12. घाटशिला-गालुडीह स्टेशनों के बीच टाटा-केपीजी खंड के समपार के बदले में किमी. 213/21-23 के बीच ऊपरी सड़क पुल।

13. कुनकी-कांद्रा स्टेशनों के बीच टाटा-मूरी खंड के समपार के बदले में कि.मी. 390/57-59 पर ऊपरी सड़क पुल।

14. चांडिल-मनीकुई स्टेशनों के बीच सिनी-चांडिल खंड के समपार के बदले में कि.मी. 378/519-521 पर ऊपरि सड़क पुल।

15. नामकुम-रांची स्टेशनों के बीच रांची-मूरी खंड के समपार के बदले में किमी. 414/12 पर ऊपरी सड़क पुल।

16. रांची-हटिया स्टेशनों के बीच रांची-हटिया खंड के समपार के बदले किमी. 419/13 पर ऊपरी सड़क पुल।

17. कि.मी. 312.240 पर चक्रधरपुर में ऊपरी सड़क पुल।

18. किमी. 249.638 पर टाटानगर में ऊपरी सड़क पुल।

19. किमी. 341/बीजी/6-7 पर खड़खड़ी में ऊपरी सड़क पुल सं. 441ए का पुनर्निर्माण।

इसके अलावा, करकेंद बरवा अड्डा और आईएसआरआई में 3 ऊपरि सड़क पुलों का निर्माण कार्य निक्षेप शर्तों पर शुरू किया गया है जो कि योजना और प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों से बकाया देयों की वसूली

4777. श्रीमती रानी नरह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.ई.ई.पी.सी.ओ. को पूर्वोत्तर राज्यों से बकाया देयों की भारी वसूली करनी है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त राज्यों से देयों की त्वरित वसूली सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां।

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) को चुकता किए जाने वाले बकाया देयों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) मोंटेक सिंह अहलुवालिया की अध्यक्षता में विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों के उच्चस्तरीय शक्ति प्राप्त समूह द्वारा किए गए छोटे-मोटे संशोधनों के बाद भारत सरकार ने बकाया देयों के एकमुश्त निपटान हेतु दिनांक 17.4.2002 को एक योजना की घोषणा की थी। 25.5.2002 को एक आदर्श त्रिपक्षीय करार (टी.पी.ए.) जिस पर राज्य सरकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा हस्ताक्षर किए जाने को सभी राज्यों को परिचालित किया गया था। योजना के भागीदार राज्यों को जो लाभ मिलेंगे वे हैं-

(1) 30.9.2001 के अनुसार विलम्बित भुगतानों पर लगे ब्याज/अधिकार के 60% की छूट।

(2) शेष 40% ब्याज/अधिकार का प्रतिभूतिकरण तथा संबंधित राज्यों द्वारा पूरी मूल राशि के लिए 8.5% प्रति वर्ष करमुक्त बॉण्ड जारी रखा। बॉण्डों की धनराशि की पुन: अदायगी पर 5 वर्षों का प्रतिबंध होगा तथा पूरी मूल राशि को छठे तथा 15वें वर्ष के बीच भुगतान किया जाएगा।

(3) उन राज्यों के बॉण्ड देशों के सांकेतिक मूल्य के 19% की प्रोत्साहन राशि, जो 6 वर्षों के ब्लॉक 2001-02 से 2005-06 के दौरान कोई चूक किए बिना योजना के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

(4) साख-पत्र के समय से खोलने तथा उसके रख-रखाव हेतु बॉण्डों के सांकेतिक मूल्य का 2% की प्रोत्साहन राशि।

(5) वितरण सुधार तथा वाणिज्यिक हानियां कम करने हेतु ए.पी.डी.आर.पी. से सहायता।

(6) केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से विद्युत के विवेकाधिकार कोटे से आवंटन।

योजना के अंतर्गत तीन पूर्वोत्तर राज्यों असम, सिक्किम तथा नागालैंड ने त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा की राज्य सरकारों से योजना में हिस्सा लेने हेतु त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करने को कहा गया है।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा नीपको को भुगतान किए जाने वाले देयों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/एसईबी	30.9.2001 के अनुसार			30.11.2002 के अनुसार		
		मूल	ब्याज	कुल	मूल	ब्याज	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	17.93	4.13	22.06	24.22	3.18	27.40
2.	असम	508.57	284.08	792.65	795.63	198.10	993.73

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	मणिपुर	107.52	41.77	149.29	163.21	25.64	188.85
4.	मेघालय	11.39	2.72	14.11	23.71	2.40	26.11
5.	मिजोरम	32.62	7.93	40.55	54.64	7.25	61.89
6.	नागालैंड	48.37	23.49	71.86	68.84	11.67	80.51
7.	त्रिपुरा	59.07	10.59	69.66	85.15	11.28	96.43
	कुल	785.47	374.71	1160.18	1215.40	259.52	1474.92

31 मार्च, 2001 की स्थितिनुसार
31 मार्च, 2002 की स्थितिनुसार

जागरूकता शिविरों में गैर-सरकारी संगठन की भागीदारी

4778. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सम्पूर्ण देश में जागरुकता शिविरों और अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु गैर-सरकारी संगठनों और अन्य लोगों से अनुरोधों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पुनर्प्रयोजन ऊर्जा के उपयोग की सफलता को देश में सुनिश्चित करने और लोगों की भागीदारी को प्राथमिकता देने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी नहीं अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में बायोगैस, उन्नत चूल्हों, सौर युक्तियों इत्यादि के उपयोग पर जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय ने संबंधित राज्य नोडल एजेंसियों (एस.एन.ए.) को गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में अक्षय ऊर्जा पवेलियन लगाकर उनके भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है जिससे सभी दर्शकों को स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में सभी प्रदर्शनियां दिखाई तथा सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

(ग) मंत्रालय की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के ग्रामीण/शहरी तथा पिछड़े क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा के उपयोग पर प्रचार और जागरूकता अभियानों के लिए प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं, सेमीनारों इत्यादि के आयोजन द्वारा लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है।

[हिन्दी]

हल्के लड़ाकू विमानों के इंजनों का विकास

4779. श्री तूफानी सरोज : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हल्के लड़ाकू विमानों (एल.सी.ए.), जिनका रूसी प्रतिरक्षा प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, के इंजन विकसित कर लिये है;

(ख) यदि हां, तो इन इंजनों का उड़ान परीक्षण कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इन इंजनों में पूरी तरह स्वदेश में विकसित कलपुर्जे फिट किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो स्वदेशी और आयातित कलपुर्जो के बीच का अनुपात क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां। देश में ही विकसित किए गए कावेरी इंजन की 1200 घंटों से भी अधिक की ग्राउंड टैस्टिंग हो गई है। कोर इंजन 'काबिनी' का सी.आई.ए.एम., रूस में सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है और सम्पूर्ण इंजन

को जनवरी, 2003 के दौरान उतुंगता परीक्षण के लिए रूस भेजे जाने की संभावना है।

(ख) कावेरी इंजन का हल्के लड़ाकू विमान के साथ उड़ान परीक्षण जून, 2005 तक किए जाने की योजना है।

(ग) और (घ) कावेरी इंजन का डिजाइन पूर्णतया स्वदेशी है। मुख्य बल सामग्री, उप-प्रणालियों और सामान्य हिस्से-पुर्जों का स्वदेशी विकास करने पर दिया गया है। प्रारंभिक श्रेणी उत्पादन के दौरान कावेरी इंजन में 75% स्वदेशी सामग्री लगाए जाने की योजना है और इसको बढ़ाने के लिए उत्तरोत्तर प्रयास किए जाएंगे।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा कार्य न करना

4780. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के अंतर्गत कुछ ताप विद्युत संयंत्र कोयले की कमी के कारण अपनी पूर्व ईंधन क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन ताप संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड की वितरण कुशलता और विद्युत आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु खराब कैपेसीटरों को बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) कोयले की कमी के कारण महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम.एस.ई.बी.) के किसी थर्मल पावर संयंत्र के पूरी क्षमता से कार्य न करने की सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) किसी राज्य में विद्युत आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के क्षेत्राधिकार में आता है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के अनुसार एम.एस.ई.बी. प्रणाली में कोई खराब गुणवत्ता का कैपेसिटर नहीं है अतएव कैपेसिटरों के प्रतिस्थापन का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ओ.एन.जी.सी. द्वारा आई.सी. नेट सेटेलाइट को ठेका देना

4781. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. ने किसी कंपनी को आई.सी. नेट सेटेलाइट सिस्टम का ठेका दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसी कंपनी को ऐसा ठेका देने हेतु क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(घ) क्या कई संसद सदस्यों ने सरकार से ठेके देने की जांच कराने का आग्रह किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कलपुर्जों का विनिर्माण

4782. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु उन कलपुर्जों का पता लगाने का है जिनका निजी क्षेत्र द्वारा देश में ही विनिर्माण किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) रक्षा उपस्करों का स्वदेशीकरण एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। रक्षा उपस्करों के हिस्से-पुर्जों का स्वदेशीकरण विमानों, युद्धपोतों,

आयुधों, टैंकों, वाहनों तथा इलेक्ट्रानिक एवम इंजीनियरी उपस्करों में शुरू किया गया है। सशस्त्र सेनाओं की नवीनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र के माध्यम से स्वदेशी उत्पादन के लिए मदों/हिस्से-पुर्जों की सूची की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

विद्युत वितरण की निगरानी

4783. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव महाराष्ट्र में विद्युत वितरण की प्रभावी निगरानी हेतु जिला ऊर्जा समितियां गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समिति के सदस्यों को नामित करने हेतु क्या मानदंड अपनाये गये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) महाराष्ट्र में विद्युत वितरण की प्रभावी निगरानी हेतु जिला ऊर्जा समितियां गठित करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर के मद्देनर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

रिलायंस ग्रुप के निदेशकों के विरुद्ध मामलों की समीक्षा

4784. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** 16 मई, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7487 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे सभा पटल पर कब तक रख दिए जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) तारीख 16 मई, 2002 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 7487 की बाबत दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से जानकारी मांगी गई है। अभी तक 31 मंत्रालयों/विभागों से उत्तर प्राप्त हुए हैं और उन सभी ने जानकारी 'कुछ नहीं' भेजी है। तथापि, शेष 24 मंत्रालयों/विभागों से अभी जानकारी प्राप्त होनी है। जैसे ही शेष मंत्रालयों/विभागों से जानकारी प्राप्त होती, तारीख 16 मई, 2002 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 7487 के संबंध में दिए गए आश्वासन को पूरा कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

संथानम समिति की सिफारिशें

4785. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक सुधार संबंधी संथानम समिति ने यह सिफारिश की कि मंत्री परिषद में विधानमंडल के कुल सदस्यों का कतिपय प्रतिशत होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से संविधान अथवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

निजी क्षेत्र की विद्युत इकाइयों को वित्तीय सहायता

4786. श्री के.पी. सिंह देव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ निजी क्षेत्र की विद्युत इकाइयों को अपनी अवसंरचना का उन्नयन करने हेतु अनुदान स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो निजी क्षेत्र की वे विद्युत इकाइयां कौन सी है जिन्हें केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक को इकाई-वार कितनी राशि स्वीकृत की गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दक्षिण पूर्व एशिया में आईओसीएल की गतिविधियों का विस्तार

4787. श्री पी.आर. किन्दिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. अपनी गतिविधियों के विस्तार करने हेतु दक्षिण पूर्व एशिया में नये बाजारों की तलाश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विदेशी बाजारों में प्रवेश करने हेतु क्या क्रियाविधि तैयार की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) ने कार्यनीतिक पहलों की एक श्रृंखला आरंभ की है और क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने तथा अपने उत्पादों एवं सेवाओं के लिए नए उपभोक्ताओं का पता लगाने के लिए बाहर कुआलालंपुर में अपना कार्यालय स्थापित किया है। मलेशिया में कार्पोरेशन द्वारा एक फ्रेंचाइज ब्लेंडर-कम-डिस्ट्रीब्यूटर भी नियुक्त किया गया है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वो लुब्रीकेंट्स को ब्लेंड एवं विपणन करता है। आई.ओ.सी. की थाइलैंड, फिलीप्पींस एवं इंडोनेशिया में बाजार फैलाने की भी योजना है। इसके अलावा, आई.ओ.सी की इन देशों में सहयोग के लिए राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ बात-चीत प्रारंभ करने तथा इन देशों में प्रवेश का तरीका सुझाने, संभावित भागीदारों की पहचान एवं कारोबारी अवसरों का दोहन करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने की भी योजना है।

न्यायिक कार्य में वृद्धि

4788. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाइडे :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डॉकिट कार्य में अत्याधिक वृद्धि के कारण न्यायिक कार्य में भी कई गुणा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विधि दिवस समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए बयान के अनुसार न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी हां। उच्च न्यायालयों के साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक कार्य कई गुणा बढ़ गया है। जहां तक भारत के उच्चतम न्यायालय का संबंध है, तारीख 31.5.2002 को उच्चतम न्यायालय द्वारा मामलों के निपटारे में शीघ्रता लाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों से लंबित मामलों की संख्या, जो 31.12.1991 को 1,04,936 थी, तारीख 31.5.2002 को घटकर 23,012 रह गई है।

(ख) भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने 26 नवम्बर, 2002 को विधि दिवस पर अपने उद्घाटन अभिभाषण में कहा कि न्यायिक अधिकारियों की संख्या में तत्समान वृद्धि नहीं हुई है। भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के अभिभाषण के सुसंगत भाग को नीचे कोट किया गया है-

> ".....यद्यपि, पूर्वकथित कारणों से न्यायिक कार्य में कई गुणा बढ़ोत्तरी हुई है, किन्तु न्यायिक अधिकारियों और उनके कर्मचारिवृंद में तत्समान वृद्धि नहीं हुई है। न्यायपालिका में कर्मचारिवृंद की कमी की इस समस्या को विधि आयोग ने वर्ष 1987 में अपनी 120वीं रिपोर्ट में इंगित किया था। यहां तक कि श्री प्रणव मुखर्जी की हाल की संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी इसे दोहराया गया था। वर्ष 1987 में काफी पहले विधि आयोग ने अपनी 120वीं रिपोर्ट में प्रति दस लाख

की जनसंख्या पर पचास न्यायाधीशों की सिफारिश की थी ....."

उच्चतम न्यायालय ने आल इंडिया जजेज एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में रिट याचिका सं. 1022 में 21 मार्च, 2002 के अपने निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार निदेश दिया है-

".....अत:, हम सर्वप्रथम यह निदेश देते हैं कि सभी राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों में सभी स्तरों पर विद्यमान रिक्तियों को, यदि संभव हो तो अधिकतम 31 मार्च, 2003 तक भरा जाए। न्यायाधीश पद संख्या में प्रति दस लाख की जनसंख्या पर 50 न्यायाधीशों की वृद्धि को, संघ के विधि मंत्रालय द्वारा अवधारित और निदेशित की जाने वाली चरणबद्ध रीति में पदों को भर कर प्रभावी और क्रियान्वित किया जाना चाहिए, किन्तु यह प्रक्रिया आज से पांच वर्ष की अवधि के भीतर बढ़ी हुई रिक्तियां तथा पदों को भर कर पूरा किया जाना चाहिए। प्रत्येक वर्ष प्रति 10 लाख जनसंख्या पर दस न्यायाधीशों की वृद्धि करना शायद एक ऐसा ढंग है जिसे यदि आवश्यक हो तो और वृद्धि नियत करने से पूर्व, पांच वर्ष की अवधि के भीतर पहले चरण को पूरा करके अपनाया जा सकता है....."

(ग) और (घ) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की पद संख्या का प्रत्येक तीन वर्ष में लंबित मामलों की संख्या, ने संस्थित मामलों की संख्या और प्रति न्यायाधीश द्वारा औसत निपटान के आधार पर पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण किया जाता है।

राज्य सरकारों का यह प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वे जजेज एशोशिएशन के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरे और उसकी स्वीकृत पद संख्या में वृद्धि करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से आवश्यक कार्रवाई करे।

पूर्वी क्षेत्र से विद्युत का पारेषण

4789. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र से आंध्र प्रदेश और अन्य दक्षिणी क्षेत्रों को विद्युत का पारेषण सुविधाजनक बनाने हेतु निदादावालु-भीमाडोह और निचले सिलेरू-बोम्मूर के बीच पारेषण लाइनों को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन पारेषण लाइनों के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र से कुल कितनी विद्युत का पारेषण किए जाने की संभावना है;

(ग) पूर्वी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र को पारेषण करने वाली निर्माणाधीन लाइनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूर्वी से दक्षिणी क्षेत्र को पारेषित की जाने वाली विद्युत की अनुमानित लागत कितनी है और अनुमानत: कितनी विद्युत का पारेषण किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) एपीट्रान्सको द्वारा राज्य की पारेखण संबंधी आवश्यकताओं के द्वारा पूरा करने के लिए विद्युत प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से निदादावोलू-लीमादोह एवं लोअर सीलेरू-बोम्मूर पारेषण लाइनों पर काम शुरू किया गया था। निदादावोलू-भीमादोह पारेषण लाइन को एपीट्रान्सको ने फरवरी, 2002 को पूरा किया। लोअर सीलेरू पारेषण लाइन का बोम्मूर से रामपचोधवरम तक का हिस्सा अगस्त, 2002 में अनंतिम रूप से पूरा कर लिया गया है। लाइन के शेष हिस्से पर एपीट्रान्सको द्वारा वन स्वीकृति दिए जाने तथा पुन: अध्ययन आयोजित करने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) और (घ) पावरग्रिड ने पूर्वी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र को विद्युत का अंतरण करने के लिए निम्नलिखित पारेषण प्रणालियों/लाइनों का क्रियान्वयन शुरू किया गया है:

(1) उड़ीसा में 3865.61 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर तलचेर सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-2 से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली: पारेषण प्रणाली के अंतगत तलचेर एनटीपीपी-2 (पूर्वी क्षेत्र में) में दक्षिणी क्षेत्र को 2000 मे.वा. विद्युत के पारेषण के लिए तलचेर से कोलार तक 2000 मे.वा. की एचवीडीसी बाई-पोल। एचवीडीसी टर्मिनल स्टेशन का पहला पोल (1000 मे.वा. की क्षमता) सितंबर, 2002 में चालू कर दिया गया है और दूसरे पोल के जनवरी, 2003 में चालू हो जाने की आशा है। इन लिंकों का उपयोग पूर्वी क्षेत्र के अधिशेष विद्युत को दक्षिणी क्षेत्र को अंतरित करने हेतु भी किया जाएगा।

(2) गजुवाका में 500 मे.वा. के दूसरे एचवीडीसी माड्यूल के साथ-साथ पूर्वी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र को 500 मे.वा. विद्युत के अंतरण के लिए 769.25 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य चल रहे हैं। परियोजना को जनवरी, 2005 तक पूरा किए जाने की आशा है।

राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र की स्थापना

4790. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस केन्द्र को क्या कार्य सौंपे जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस केन्द्र के कब तक पूर्ण होने/कार्य शुरू करने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) दसवीं योजना अवधि में राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र की स्थापना करने के लिए शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा रायसीना रोड पर 1.955 एकड़ का भू-खण्ड आबंटित कर दिया गया है। दसवीं योजना अवधि के दौरान इस परियोजना के लिए 35 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान कर दिया गया है। इस केन्द्र को विडियो कांफ्रेंसिंग, लाइब्रेरी कांफ्रेंस हालों, समिति कक्ष और आधुनिक संचार केन्द्र जैसी नवीनतम सुविधाओं की सहायता से मीडिया को सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए एक मंच उपलब्ध करवाना है।

विद्युत इकाइयों के नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम में निवेश

4791. श्री नरेश पुगलिया: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आगामी कुछ वर्षों में वर्तमान विद्युत इकाईयों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए कई करोड़ रुपये के निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत इकाईयों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए किस प्रकार धनराशि जुटायी जाएगी; और

(ग) इससे देश में विद्युत उत्पादन कितना बढ़ेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों की सहायता से 10वीं योजना के दौरान देश के ताप विद्युत केन्द्रों के लिए नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार कार्यक्रम तैयार किया है। कार्यक्रम के कारगर तरीके से क्रियान्वयन होने से प्रति वर्ष 26700 मिलियन यूनिट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन हो जाने की आशा है।

राज्य/विद्युत युटिलिटी एवं राज्य विद्युत बोर्ड उक्त कार्यक्रम के लिए पावर फाइनैंस कॉरपोरेशन तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण ले सकते हैं।

भारत सरकार त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजीएण्डपी) के अंतर्गत नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए रा.वि. बोर्डों/युटिलिटियों द्वारा पीएफसी एवं आरईसी से ली जाने वाली ऋण के लिए 3% की सीमा तक ब्याजगत सहायता उपलब्ध कराती है। ब्याजगत सहायता उन राज्यों को दी जाती है जो सुधार संबंधी सहमत लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में संतोषजनक ढंग से अपना कार्य-निष्पादन करते हैं।

[हिन्दी]

श्रमजीवी एक्सप्रेस में सुविधाएं

4792. श्री रामरती बिन्द : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली और पटना और नई दिल्ली और मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस और लिच्छवी एक्सप्रेस में खानपान सुविधा संतोषजनक नहीं हैं और रसोईयान के कर्मचारी यात्रियों से खाद्य पदार्थों के लिए बहुत अधिक पैसे वसूलते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा रेल गाड़ियों में दर सूची प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि उक्त दोनों रेलगाड़ियों में घटिया किस्म के खाने की आपूर्ति की जा रही है; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान रसोई यान में कितनी बार खाद्य परीक्षण किया गया और तत्संबंधी क्या परिणाम निकला?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) चलती गाड़ियों में खाना निर्धारित मेनू तथा दरों के अनुसार सप्लाई किया जाता है। रिकार्ड के अनुसार, इन गाड़ियों में अधिक प्रभार वसूलने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, अधिक प्रभार वसूलने को रोकने के लिए दोनों गाड़ियों

के रसोई यान में दर सूची प्रदर्शित की जाती है। मानक मेनू तथा उनकी दरें रेलवे समय सारणी में भी मुहैया कराई जानी है।

(ग) और (घ) इन गाड़ियों में खान-पान सेवाएं आमतौर पर संतोषजनक हैं। भोजन की गुणवत्ता के लिए समय-समय पर जांचे की जाती हैं। प्राप्त की गई शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। विगत दो वर्षों के दौरान भोजन के नमूनों की नौ जांचें की गई थीं। निरीक्षणों के आधार पर जुर्माना वसूल किया जाता है तथा चेतावनियां दी जाती हैं।

महाराष्ट्र में मिट्टी के तेल की कमी

4793. श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 नवंबर, 2002 के 'लोकमत समाचार', हिन्दी, नागपुर, ''महाराष्ट्र में मिट्टी के तेल की किल्लत'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मिट्टी के तेल का कोटा कम करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि महाराष्ट्र एक आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी लोग मिट्टी के तेल पर निर्भर रहते हैं क्योंकि वे गैस कनेक्शन का खर्चा नहीं उठा सकते;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार महाराष्ट्र के लिए मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) सरकार ने वर्ष 2002-03 के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अक्तूबर 2000 से नवंबर, 2001 के दौरान जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों को मिट्टी के तेल के आबंटन में कमी की है।

[अनुवाद]

भेल द्वारा नए मॉडल का उत्पादन

4794. श्री वाई.वी. राव : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भेल ने विद्युत पारेषण संबंधी घाटे को कम करने के लिए किसी नए मॉडल का उत्पादन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नए माडल के लिए पेटेंट प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) बीएचईएल ने ''कन्ट्रोल्ड शन्ट रियेक्टर'' विकसित किया है और इसे पॉवर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लि. (पीजीसीआईएल), इटारसी की इटारसी-जबलपुर 400 के.वी. लाईन पर सामान्य संचालन के लिए लगाया है।

(ग) और (घ)

- दिनांक 27.4.1998 कोएक 1092/डीईएल/98 ट्रान्सफार्मर टाइप का कन्ट्रोल्ड शन्ट रियेक्टर।

- दिनांक 1.6.1998 को 1481/डीईएल/98 ट्रान्समिशन लाईन का सरप्लस रिएक्टिव केपेसिटी वाली रेगूलेटिड कम्पनसेटर के लिए नियंत्रण प्रणाली।

भेल ने भारत में पेटेंट के लिए आवेदन किया है और रूस, ब्राजील, तुर्की तथा ईरान जैसे देशों में ''कन्ट्रोल्ड शन्ट रियेक्टर'' के लिए पेटेंट फाईल करने की प्रक्रिया में है।

पटरियों का रखरखाव

4795. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंक्रीट से निर्मित प्रेस्ट्रेस्ड सुदृढ़ीकृत स्लीपरों का प्रयोग करके 52 किलोग्राम/60 किलोग्राम की आधुनिक रेल पटरियों के रखरखाव के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है जिससे प्रतिदिन 3-4 घंटे रेल सेवाओं का रोकना पड़ता है;

(ख) क्या रखरखाव करने वाले कर्मचारियों को पटरियों के रखरखाव के लिए इतना समय दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो कई मेल, एक्सप्रेस और अन्य प्रकार की ट्रेनों में यह समय का अन्तर कैसे बनाए रखा जाता है;

(घ) क्या कई रेलवे पटरियों के रखरखाव के कार्य को अत्यन्त कठिन समझती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) भारतीय रेलवे के रेलपथ पर शनै: शनै: कंक्रूटी स्लीपर तथा 52/60 किग्रा. पटरियां लगाई जा रही हैं। रेलपथ अवसंरचना काफी भारी है और इसलिए इसका अनुरक्षण रेलपथ मशीनों से करना पड़ता है। आज की तारीख में भारतीय रेल के लगभग 70% रेलपथ पर कंक्रीट स्लीपर तथा लंबी झली हुई पटरियां बिछाई गई हैं।

आमतौर पर रेलपथ मशीनें ट्रैफिक ब्लॉक में कार्य करती हैं। ऐसे ट्रैफिक ब्लॉक्स समय सारिणी में इन-बिल्ट अनुरक्षण गलियारों के तहत उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कभी-कभार इन ब्लॉकों की व्यवस्था माल गाड़ियों को विनियमित करके और/अथवा अन्य उपलब्ध लाइनों पर दोनों दिशाओं की गाड़ियों को गुजार करके की जाती है। यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जाते हैं कि सुनियोजित अनुरक्षण ब्लॉकों से गाड़ियों के समय पालन पर कोई असर न पड़े। परिसंपत्तियों का अनुरक्षण कोई असर न पड़े। परिसंपत्तियों का अनुरक्षण परिचालन का एक अभिन्न अंग है और इसलिए रेलपथ अनुरक्षण क्रिया कलापों के लिए नियमित बारंबारता के आधार पर रेलपथ मशीनों को लगाया जाता है।

(घ) से (ङ) समग्र कठिनाइयों के मद्देनजर सुरक्षित सीमा के अंतर्गत रेलपथ को अनुरक्षित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

चेन्नई में केन्द्रीय चलचित्र संस्थान खोलना

4796. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई के सबसे बड़े फिल्म उत्पादक शहर होने को ध्यान में रखते हुए यहां एक केन्द्रीय चलचित्र संस्थान खोलने की कोई संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) केन्द्र सरकार के पास चेन्नई में एक केन्द्रीय फिल्म संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नवीन अपारंपरिक विद्युत परियोजनाएं

4797. श्री सनत कुमार मंडल : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीन अपारंपरिक विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सौर, पवन, बायोमास और लघु पनबिजली जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से 3075 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता संयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस क्षमता संयोजन की प्राप्ति मुख्य रूप से निजी निवेशों के माध्यम से स्थापित वाणिज्यिक परियोजनाओं से होगी। कोई राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 895 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है।

उत्तरी बिहार में जल विद्युत परियोजनाएं

4798. श्री पी.सी. थामस : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर बिहार के कटैया में जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है;

(ख) क्या यह अब कार्य नहीं कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कोसी नदी के जल का उपयोग करके अधिक क्षमता वाले विद्युत संयंत्र (जल विद्युत) के निर्माण की मांग लम्बे समय से की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) बिहार राज्य में सोपौल जिला. बीरपुर में स्थित कट्टैया जल विद्युत परियोजना की स्थापित क्षमता 4 × 4.8 = 19.2 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त, पूर्णत: गाद से भरा होने के कारण पूरा उत्पादन भी नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में दो यूनिटें ही कार्य कर रही हैं तथा दो यूनिटें अनुरक्षण कार्य के लिए बंद पड़ी हैं।

(घ) और (ङ) नेपाल में कोसी नदी पर कार्यान्वित होने वाली सप्त कोसी हाई डैम प्रोजेक्ट भारत और नेपाल की संयुक्त उद्यम की जल विद्युत परियोजना है। इस बहुउद्देशीय परियोजना और सन कोसी स्टोरेज कम डाइवर्जन स्कीम के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए भारत और नेपाल के विशेषज्ञों के संयुक्त दल ने एक प्रारम्भिक रिपोर्ट पर सहमति हुई है जिसमें फील्ड कार्य के क्षेत्र, अन्वेषण और भारत तथा नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने वाले अध्ययनों का उल्लेख भी है। इस कार्यो के लिए 10वीं योजना में 30 करोड़ रु. के राशि का प्रावधान किया गया है ताकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संयुक्त रूप से तैयार करने का कार्य शुरू करने के लिए ज्वाइंट प्रोजेक्ट आफिस स्थापित की जा सके।

कुरूमकुटी पर हॉल्ट स्टेशन

4799. श्री वी.एस. शिवकुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तिरुवनंतपुरम-नागरकोइल रेल मार्ग पर कुरूमकुटी में हॉल्ट स्टेशन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या निकले; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) तिरुवनंतपुरम-नागरकोइल खंड पर परासला और धानुवाचपुरम के बीच कुरुमकुट्टी में हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई है और इसे परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

दवाओं की खरीद

4800. श्री अधीर चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अस्पतालों में दवाओं की खरीद की वर्तमान प्रणाली पारदर्शी नहीं है और यहां तक कि नकली दवाएं भी खरीदी जाती है;

(ख) क्या जोधपुर रेलवे अस्पताल में अनियमितताओं में कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा रेलवे अस्पतालों के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) दवाइयों एवं औषधियों की खरीद के लिए रेलवे के पास एक पारदर्शी एवं विनियमित प्रणाली है जिसकी नियमित आधार पर जांच की जाती है। दवाइयों/औषधियों की खरीद की प्रक्रिया एवं उससे संबंधित दिशा निर्देश भारतीय औषधि कोष में विस्तारपूर्वक दिए गए हैं। सभी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य इकाइयों के लिए थोक में दवाइयों इनके क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले संबंधित मुख्य चिकित्सा निदेशकों द्वारा खरीदी जाती हैं। बहरहाल, आवश्यकता एवं तात्कालिकता के मद्देनजर कभी-कभार जो दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती हैं, उन्हें स्थानीय तौर पर प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत फर्मों से खरीदा जाता है। दवाइयों के नमूनों की प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं में जांच-परख की जाती है। अत: नकली दवाइयों की खरीद की कोई संभावना नहीं है।

हाल ही में रिपोर्ट मिली है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जोधपुर रेलवे अस्पताल में दवाइयों की स्थानीय खरीद में कुछ कथित अनियमितताओं के लिए कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। मामले की अभी भी केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच-पड़ताल की जा रही है और ब्यौरों की प्रतीक्षा है।

दवाइयों की खरीद तथा वितरण एवं भंडार में अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त जांच तंत्र मौजूद है। इनमें विभागीय जांच, सालाना सत्यापन तथा लेखा-परीक्षा/लेखा निरीक्षण इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा, जहां लाजमी समझा जाता है, केन्द्रीय जांच एजेंसियों द्वारा जांच की जाती है। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासन एवं अपील नियमों और देश के कानून के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

ऋण का उपयोग

4801. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवम्बर, 2002 तक रेलवे ने बाजार से कुल कितना ऋण लिया;

(ख) आज तक रेलवे ने कुल कितनी राशि का पुनर्भुगतान कर दिया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे ने ऋण पर कितना ब्याज दिया है;

(घ) क्या रेलवे ऋण का उपयोग विकास उद्देश्यों के लिए नहीं कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) रेलवे योजना के आंशिक वित्तपोषण के लिए नवम्बर, 2002 के अंत तक भारतीय रेल वित्त निगम लि. (भा.रे.वि.नि.) द्वारा रेलों की ओर से बाजार से 23,832 करोड़ रुपए की निधियां जुटाई गई हैं।

(ख) 30 नवम्बर, 2002 तक भा.रे.वि.नि. द्वारा रेलों की ओर से 10,387 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 के दौरान भा.रे.वि.नि. द्वारा रेलों की ओर से ब्याज के रूप में 1,429 करोड़ रुपए, 1,621 करोड़ रुपए और 1,551 करोड़ रुपए की राशि चुकायी गई थी।

(घ) जी नहीं। उधार ली गई धनराशि का उपयोग रेलों द्वारा विकास कार्यों जैसे उच्च क्षमता के बेहतर अभिकल्प वाले चल स्टॉकों की खरीद के लिए ही किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के माध्यम से विद्युत उत्पादन

4802. श्री ए. नरेन्द्र : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों के लिए कुल विद्युत उत्पादन का कम से कम 10 प्रतिशत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के माध्यम से उत्पादित करना अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा विकास के लिए नई नीति के मसौदे को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए राज्यों को और अधिक धन उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रयास किए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने देश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के त्वरित विकास के लिए एक मसौदा अक्षय ऊर्जा नीति विवरण तैयार किया था। मंत्रालय द्वारा नीति विवरण के प्रारूप को आगे के अनुमोदनों के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रस्ताव को अभी तक अनुमोदन नहीं दिया गया है।

प्रारूप नीति विवरण में अगले दस वर्षों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से नई विद्युत क्षमता संयोजन के 10% अथवा 10,000 मेगावाट के उत्पादन के लक्ष्य की परिकल्पना है।

(ङ) अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना हेतु 4,000 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किए जाते हैं। तथापि, विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के प्रति योग्यता पर निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठन

4803. श्री सुनील खां : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी संगठनों को देश में अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि उपलब्ध कराए जाने के लिए मानदंड क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं जैसे उन्नत चूल्हा, बायोगैस संयंत्र, सौर ऊर्जा और सूचना एवं जनजागरूकता के अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। परियोजनाओं के प्रकार, निधियों की रिलीज के लिए नियमों व शर्तों, और विभिन्न परियोजनाओं के लिए या तो सीधे ही या फिर संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

बीजापुर-उगर रेल लाईन

4804. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीजापुर-उगर रेल संपर्क पर प्रारंभिक सर्वेक्षण/संरेखण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;

(ग) इस पर कितना व्यय आया है;

(घ) क्या बीजापुर को उगर से जोड़ने का कार्य यात्रियों के लिए गोवा से हावड़ा के बीच यात्रा समय और दूरी को कम करेगा; और

(ङ) उक्त परियोजना पर कार्य कब तक शुरू होने और पूर्ण होने की संभावना है और इस पर कितना व्यय आने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। बहरहाल, बीजापुर और शेदबाल के बीच सुझाई गई लाइन के निकट अथानी के रास्ते एक बड़ी लाइन के लिए 2000-2001 में सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 112.40 कि.मी. लम्बी लाइन की लागत मौजूदा कीमत स्तर पर प्रतिफल के 1.03 प्रतिशत की दर से 213.85 करोड़ रु. आंकी गई है। इस परियोजना की समग्र अलाभप्रद प्रकृति होने के दृष्टिगत तथा संसाधनों की अत्यधिक तंगियों के कारण भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका। इस सर्वेक्षण पर 5.40 लाख रु. व्यय किए जा चुके हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. द्वारा ब्रांड वाले ईंधन का विपणन

4805. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आई.ओ.सी.एल.) का विचार ब्रांड वाले ईंधनों का भारतीय बाजार में विपणन करने का है;

(ख) क्या आई.ओ.सी.एल. के हाल में ऐसे ब्रांड वाले ईंधनों का कोई परीक्षण विपणन किया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के बाजार के विषय में आई.ओ.सी.एल. के परिणाम क्या हैं;

(घ) भारी खर्च करके एक ब्रांड बनाने में आई.ओ.सी.एल. को क्या लाभ होने की संभावना है; और

(ङ) इस प्रकार की रणनीति से निवेश और आय की संभावना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) ने ट्रेड मार्क वाले ईंधनों,–''आई.ओ.सी. प्रीमियम'' नामक मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) तथा ''डीजल सुपर'' नामक डीजल, की शुरूआत पहले ही कर दी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) प्रीमियम ग्रेड के ट्रेड मार्क वाले ईंधनों का उत्पादन करने के लिए कोई भारी पूंजीगत निवेश नहीं किए जाते हैं। ट्रेड मार्क वाले ईंधनों से उपभोक्ताओं को माइलेज सुधारने, उत्सर्जन कम करने तथा रखरखाव लागत कम करने का लाभ होता है।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन

4806. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.पी.सी. ने उन राज्यों में विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन का प्रस्ताव किया है जहां निजी क्षेत्र ने अपनी परियोजनाओं को छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों के ऊपर बहुत अधिक बकाया होने के कारण निजी क्षेत्र के लिए उन राज्यों में विद्युत संयंत्रों को चलाना कठिन है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) एन.टी.पी.सी. द्वारा विभिन्न राज्यों में अवस्थित अपनी परियोजनाओं को कार्यरूप दिया जाता है। निजी क्षेत्र द्वारा परित्यक्त विद्युत परियोजनाओं का कार्यरूप देने का एन.टी.पी.सी. का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) परियोजना नियामकों तथा विशेषकर वित्तीय संस्थाओं के लिए एस्क्रो की व्यवस्था निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा पर्याप्त भुगतान सुरक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक होता है जिनके अभाव के कारण ही अधिकांश निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं की वित्तीय समापन सभी मोर्चे पर कार्य की प्रगति अच्छी होने के बावजूद नहीं प्राप्त किया जा सका है। सरकार ने विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की प्रक्रिया शुरू कर की है। राज्यों ने विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्यों की जरूरत को समझा और स्वीकारा है। मार्च, 2001 में आयोजित मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह सहमति हुई थी कि विद्युत क्षेत्र के सुधार कार्यों को राजनीति से दूर रखा जाय और उसके कार्यान्वयन में तेजी लायी जाय। सम्मेलन में यह भी सहमति हुई थी कि आगामी 2 वर्ष में वितरण की बाधा से निजात पायी जाय और सकारात्मक लाभार्जन किया जाए। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को क्रियाशील बनाया जाए, टैरिफ संबंधी मुकदमे दायर किए जाय और सब्सिडी दी जाय किन्तु राज्य सरकारों द्वारा अपने बजट से ही सब्सिडी भुगतान करने की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाय। भारत सरकार ने राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन/करार केन्द्र और राज्यों की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। राज्यों में अभिनिर्धारित सर्किलों में उप-पारेषण/वितरण प्रणाली में सुधार लाए जाने के लिए राज्यों की मदद के लिए तथा प्रति यूनिट विद्युत आपूर्ति की लागत और औसत राजस्व के मध्य के अंतराल को काम करने के लिए अनुदान-प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु त्वरित विकास और सुधार कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया गया है। इस प्रकार सुधार कार्यों को प्रभावी रूप से कार्यरूप देने से विद्यु क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यवहार्यता तो लायी ही जा सकेगी अपितु इस क्षेत्र के निवेशकों के विश्वास में भी वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में रेल नेटवर्क का विकास

4807. श्री रामनायडू दग्गुबाटि :
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :
श्री के. येरननायडू :
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य में रेल नेटवर्क के विकास हेतु परियोजना-वार क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा परियोजना-वार क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र राज्य से राज्य में रेल परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों के आबंटन का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) रेल नेटवर्क के विकास के लिए विगत 3 वर्षों में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए नए कार्यों हेतु प्रस्तावों के ब्यौरे तथा उनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	पांडुरंगापुरम-सारापका नई लाइन	सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन करना शुरू कर दिया गया है।
2.	पाटनचेरू-अकनापेट बरास्ता जोगीपेट नई लाइन	1998-99 में कराए गए सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार 102 किमी. लंबी लाइन के निर्माण की लागत प्रतिफल की (-) 0.34% दर सहित 183.44 करोड़ रु. आकलित की गई थी। अलाभप्रद प्रकृति, चालू कार्यों के भारी थ्रो-फारवर्ड तथा संसाधनों की तंगी के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।
3.	फलकनुमा-शमशाबाद नई लाइन	फलकनुमा-उम्मदानगर तथा उम्दानगर से शादनगर (शमशाबाद के निकट) तक नई लाइन के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया।
4.	हैदराबाद में मल्टी मॉडल उपनगरीय दैनिक यात्री परिवहन प्रणाली	कार्य को पहले ही बजट में शामिल कर लिया गया है तथा प्रगति पर है।
5.	फलकनुमा-उम्मदानगर खण्ड का विद्युतीकरण	संसाधनों की तंगी के कारण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया।

(ग) जी हां।

(घ) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, उन परियोजनाओं के ब्यौरे जिनके लिए विगत 3 वर्षों के दौरान रेल परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों के आवंटन हेतु आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं, निम्नानुसार हैं:

वर्ष	मांग
2001-02	पेदापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद नई लाइन-20 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधियां। सिकंदराबाद-मुदखेड़ तथा जनकमपेट-बोधन आमान परिवर्तन-30 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधियां
2000-2001	काटपाडी-पकाला-तिरुपति आमान परिवर्तन तथा गुडूर-रेणिगुंटा तथा गुन्ती-रेणिगुंटा परियोजनाओं के दोहरीकरण के लिए 2000-2001 के दौरान 100 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि।

उपरोक्त के अलावा, विभिन्न बजटों के दौरान निधियों के आवंटन के लिए राज्य सरकार से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ङ) संसाधनों की उपलब्धता की तुलना में निधियों की व्यवस्था सीमित है। बहरहाल, 2001-02 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था की गई है:

1.	काटपाडी-पकाला-तिरुपति आमान परिवर्तन	65 करोड़ रु.
2.	सिकंदराबाद-मुदखेड तथा जनकमपेट-बोधान आमान परिवर्तन	40 करोड़ रु.
3.	हासपेट-गुंतकल दोहरीकरण	20 करोड़ रु.
4.	गुडूर-रेणिगुंटा दोहरीकरण	25 करोड़ रु.
5.	बालापल्ले-पुल्लामपेट, गुत्ती-रेणिगुंटा दोहरीकरण का चरण-1	15 करोड़ रु.
6.	गुत्ती-रेणिगुंटा कहीं-कहीं दोहरीकरण	23 करोड़ रु.

[हिन्दी]

पार्सल बुकिंग में घोटाला

4808. श्री रामदास आठवले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 1996 से मई, 2000 की अवधि के दौरान दिल्ली में कंप्यूटर के माध्यम से पार्सल की बुकिंग में लाखों रुपयों का घोटाला हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या पट्टा के अंतर्गत प्रतिबंधित पार्सल की लोडिंग रेल कर्मचारियों की मिलीभगत से की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें संलिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों से जबरन धन वसूली

4809. श्री भान सिंह भौरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लम्बी दूरी की, विशेषकर कानपुर और मुगलसराय के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में तथाकथित हिजड़े यात्रियों से जबरन धन वसूलते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) चलती गाड़ियों और रेल परिसरों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा यात्रियों एवं उनके सामान की सुरक्षा करना संबंधित राज्य सरकारों की संवैधानिक जिम्मेवारी है। रेलों पर अपराध के मामले राजकीय रेलवे पुलिस के ध्यान में लाए जाते हैं, उनके द्वारा दर्ज किए जाते हैं और छानबीन की जाती है। बहरहाल, श्रम मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कानपुर और मुगलसराय के बीच गाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों से पैसा ऐंठने के कुछ मामले ध्यान में आए हैं जिसके लिए रेल अधिनियम की धारा 144 के उपबंध के अंतर्गत रा.रे.पु. द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई है।

(ग) "पुलिस व्यवस्था" राज्य सरकार का विषय होने के नाते यात्रियों सुरक्षा करना, रा.रे.पु. और स्थानीय पुलिस की जिम्मेवारी होती है। रेल प्रशासन सहायता करता है। इसके अलावा, भेद्य खंडों के स्टेशनों पर चौकसी के अलावा रेल प्रशासन राजकीय रेलवे पुलिस की यात्री गाड़ियों के मार्गरक्षण में मदद करता है।

दिल्ली में बी.पी.सी.एल. द्वारा रसोई गैस के विपणन का पुनर्गठन

4810. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** 18 जुलाई, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 656 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.पी.सी.एल. ने दिल्ली में रसोई गैस बाजार के पुनर्गठन का कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन वितरकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अतिरिक्त उपभोक्ता दिए गए हैं;

(ग) क्या उपभोक्ताओं का स्थानान्तरण वस्तुत: प्रभावी कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा बी.पी.सी.एल. के अधिकारियों/वितरकों की लापरवाही के लिए उनके विरुद्ध क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल. ने यह सूचित किया है कि उसने सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के मध्य दिल्ली एल.पी.जी. विपणन के पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ की है। तदनुसार बी.पी.सी.एल. ने एक कार्रवाई योजना तैयार की है जिसके तहत 22 डिस्ट्रीब्यूटरों को व्यवहार्य बनाए जाने के लिए अतिरिक्त ग्राहक देने का प्रस्ताव है और ग्राहकों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया कार्यान्वित की जा रही है।

कोल बेड मीथेन

4811. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया :
श्री दिलीप संघाणी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार के केन्द्र सरकार को कोल बेड मीथेन (सी.बी.एम.) के अंतर्गत उत्पादन स्तर भुगतान (पी.एल.पी.) में 50:50 के आधार पर हिस्सेदारी के लिए अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) गुजरात सरकार ने कोल बेड मीथेन (सी.बी.एम.) पालिसी के अंतर्गत उत्पादन स्तर भुगतान (पी.एल.पी.) तथा कॉमर्शियल डिसकवरी बोनस को 50:50 में के अनुपात में बांटने के लिए अनुरोध किया है। उक्त अनुरोध सरकार के विचाराधीन है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

एन.ई.एल.पी.-3 ब्लाकों को प्रोत्साहन

4812. श्री किरीट सोमैया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एन.ई.एल.पी.-1 और एन.ई.एल.पी.-2 की क्या स्थिति है;

(ख) ओ.एन.जी.सी. द्वारा एन.ई.एल.पी.-1 एवं 2 से अभी तक परिणाम प्राप्त न कर पाने के क्या कारण है;

(ग) एन.ई.एल.पी.-3, 2 और 1 के लाभ ग्राही कौन-कौन हैं; और

(घ) तेल संसाधन और आवश्यकता से निपटने के लिए विभाग की क्या योजना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):
(क) भारत सरकार ने एन.ई.एल.पी.-1 के तहत 24 ब्लाकों और एन.ई.एल.पी.-2 के तहत 23 ब्लाकों हेतु विभिन्न कंपनियों/परिसंघों के साथ उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी.एस.सीज.) पर हस्ताक्षर किए हैं। पी.एस.सी. की शर्तों के अनुसार इन ब्लाकों का अन्वेषण कार्य प्रगति पर है।

(ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.), पी.एस.सीज. में कार्य की वचनबद्धता के अनुसार, उसे प्रदत्त ब्लाकों में अन्वेषण कार्य कर रही है। अन्वेषण कार्यकलापों के परिणाम भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण परिणामों के आधार पर ओ.एन.जी.सी. द्वारा अन्वेषणीय वेधन करने के उपरांत ही मालूम होंगे।

(ग) एन.ई.एल.पी.-1, 2 और 3 के तहत निम्नलिखित कंपनियों के अकेले या परिसंघ सदस्य के रूप में अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए गए हैं:

* आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि.
* आयल इंडिया लि.
* इंडियन आयल कार्पोरेशन लि.
* गैस अथारिटी आफ इंडिया लि.
* रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.
* हार्डी एक्सपलोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक.
* नीको रिसोर्सिज लि.
* गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कंपनी लि.
* जोशी टेक्नोलोजी इंक.
* कैर्न एनर्जी इंडिया (प्रा.) लि.
* ओ.ए.ओ. गाजप्राम
* हिन्दुस्तान आयल एक्सपलोरेशन कं.लि.
* मोसबान्वर इंडिया एल.एल.सी.
* इनर्जी इक्विटी (इंडिया) प्रा.लि.
* जीओ ग्लोबल रिसोर्सिज इंक.
* जुबिलीएंट एनप्रो (इंडिया) लि.

(घ) सरकार ने देश में तेल और गैस के अन्वेषणों को बढ़ाने और उनका विस्तार करने के प्रयास जारी रखे हैं। सरकार ने एन.ई.एल.पी.-1 और एन.ई.एल.पी.-2 में विभिन्न कंपनियों/परिसंघों के साथ 47 पी.एस.सीज. पर हस्ताक्षर किए हैं। एन.ई.एल.पी.-3 के तहत और 23 ब्लाक प्रदान किए गए हैं। अन्वेषण बढ़ाने की दृष्टि से तेल और गैस का अन्वेषण करने हेतु पहचाने गए और प्रदत्त क्षेत्रों की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है। वर्धित तेल निकासी (ई.ओ.आर.) और परिशोधित तेल निकासी (आई.ओ.आर.) योजनाएं लागू करते हुए तेल का उत्पादन बढ़ाने हेतु भी कदम उठाए गए हैं। घरेलू कमी को पूरा करने के क्रम में विदेशों से तेल और गैस इक्विटी प्राप्त करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

रेल-टेल

4813. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक रेल-टेल द्वारा सृजित क्षमता का, राज्यवार, ब्यौरा क्या है;

(ख) आप्टीकल फाइबर केबल को बिछाने में रेलवे द्वारा, राज्य-वार कुल कितना खर्च किया गया;

(ग) रेलवे द्वारा स्वयं उपयोग की गई क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(घ) रेल-टेल द्वारा अतिरिक्त क्षमता के विपणन का राज्य-वार, ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे रेल-टेल ने कितना लाभ अर्जित किया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) रेल-टेल सहित रेलों द्वारा अभी तक 9526 मार्ग कि.मी. पर आप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क शुरू किया गया है। उसके संबंध में ब्यौरे क्षेत्रीय रेलवे-वार रखे जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	रेलवे	मार्ग किमी.
1	2	3
1.	मध्य रेल	1444
2.	पूर्व रेल	888
3.	उत्तर रेल	906
4.	पूर्वोत्तर रेल	23
5.	पूर्वोत्तर सीमा रेल	492
6.	दक्षिण रेल	980
7.	दक्षिण पूर्व रेल	3024
8.	पश्चिम रेल	849
9.	कोंकण रेल	920
	जोड़	9526

(ख) भारतीय रेलों के विभिन्न खण्डों में ओ.एफ.सी. नेटवर्क काफी लम्बे समय से शुरू किया गया है जिसके शुरू होने के समय पर लागत लागू होती है। अन्य कार्यों के भाग के रूप में तथा अन्य मदों संबंधी कार्य जैसे क्वाड केबल आदि को बिछाने के साथ ओ.एफ.सी. नेटवर्क बिछाया गया है। अकेले ओ.एफ.सी. नेटवर्क संबंधी खर्च को अलग से नहीं रखा जाता है।

(ग) आमतौर पर रेलें अपने इस्तेमाल के लिए 4 फाइबरों में आंशिक क्षमता का इस्तेमाल कर रही हैं।

(घ) रेल-टेल द्वारा विपणित फालतू क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	विपणित क्षमता	
		टावरों पर स्थान (अदद में)	बैंडविड्थ (2 एमबीपीएस)*
1.	आंध्र प्रदेश	16	6
2.	तमिलनाडु	–	11
3.	महाराष्ट्र	5	20
4.	गुजरात	–	11
	जोड़	21	48

*एम.बी.पी.एस. : प्रति सेकेण्ड मेगा बिट

(ङ) वित्त वर्ष 2001-02 के दौरान, रेल टेल ने ओ.एफ.सी. नेटवर्क में सरप्लस बैंडविड्थ के विपणन से तथा ऐंटिना लगाने के

लिए माइक्रो वेव टावर पर फालतू क्षमता को पट्टे पर देने से 45 लाख रु. अर्जित किए हैं। बहरहाल, रेल टेल को इस अवधि के दौरान कोई मुनाफा नहीं हुआ।

कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमला

4814. श्री जे.एस. बराड़ : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले बढ़े हैं;

(ख) सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों और उग्रवादियों के हमलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों और उग्रवादियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बलों को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) यद्यपि पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों पर कई हमले हुए हैं तथापि इतने कम समय में पाकिस्तान में नई सरकार बनने और आतंकवादी गतिविधियों के रूझान के बीच संबंध के बारे में कोई राय बनाया जाना कठिन है। निश्चित आकलन पर पहुंचने के लिए रूझानों की और लंबे समय तक मॉनीटरी किए जाने की जरूरत है।

(ग) जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी समूहों द्वारा उत्पन्न खतरों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा प्रौद्योगिकीय उन्नयन और संचालन तकनीकों में लगातार सुधार करते हुए पर्याप्त उपाय किए जाते रहे हैं। इन उपायों में समुचित स्थान पर शिविर लगाना, क्षेत्र आधिपत्य गश्तें लगाना तथा सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले संभावित मार्गों पर रोक के उपाय शामिल हैं।

आर.आई.एल. के गैस भंडार

4815. श्री सुशील कुमार शिन्दे :
श्री वाई.वी. राव :
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पूर्वी तट और कृष्णा गोदावरी बेसिन में खोजे गए गैस के भंडार से देशी मांग के पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो एल.एन.जी. की उस परियोजना का हाल क्या होगा जिसके अगले पांच वर्षों में साकार होने की संभावना है और उन परियोजनाओं की क्या स्थिति होगी जो कि विचाराधीन है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन सभी परियोजनाओं पर आगे कार्य करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) हाइड्रोकार्बन झलक 2025 के अनुसार वर्ष 2006-07 में प्राकृतिक गैस की अनुमानित मांग 231 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) होने का अनुमान है। वर्तमान आपूर्ति केवल लगभग 65 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नीको रिसोर्सेस लिमिटेड, कनाडा के परिसंघ द्वारा पूर्वी तट में कृष्णा-गोदावरी अपतटीय बेसिन में केजी-डब्ल्यूएन-98/3 ब्लाक के प्रमुख गैस खोज से प्रारंभिक अनुमानों के आधार पर 25-35 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस के उत्पादन की आशा है। गैस आपूर्ति में इस अतिरिक्तता के बावजूद, मांग और आपूर्ति में भारी अंतर रहेगा। इसकी पूर्ति पाइपलाइन द्वारा गैस के आयात और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) द्वारा हो सकती है। तथापि, एल.एन.जी. खुली सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) सूची के तहत आता है और संबंधित परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता द्वारा आयात पहलें आगे बढ़ाई जाएगी।

कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भरता

4816. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अगले पांच वर्षों में अन्वेषित बेसिनों का दोहन करके कच्चे तेल के संबंध में वर्तमान आत्म-निर्भरता को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन अन्वेषित बेसिनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें लक्षित किया जा रहा है;

(ग) क्या इस प्रकार के बेसिनों का कोई प्रारंभिक सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसमें अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो आगामी तीन वर्षों में इस उद्देश्य के लिए आवश्यक नये निवेश का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए निकट भविष्य में कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भर होना संभव प्रतीत नहीं होता। तथापि देश में तेल एवं गैस के अन्वेषण एवं उत्पादन पर अधिक बल देने के लिए सरकार ने नवीन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) तैयार की है। एन.ई.एल.पी. के तीन दौर के अंतर्गत अब तक अनन्वेषित अथवा अपर्याप्त रूप से अन्वेषित बेसिनों सहित जमीनी, अपतट और गहरे जल में स्थित अन्वेषण ब्लाकों को प्रदान किया गया है।

(ख) निम्नलिखित अपर्याप्त अन्वेषित अथवा अनन्वेषित बेसिनों से ब्लाकों की न्यूनतम भू-वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर एन.ई.एल.पी. के आगामी दौरों में शामिल करने के लिए विचार किया जा सकता है:

(1) गहरा जल पश्चिमी तट

(2) भारत का गहरा जल दक्षिणी तट

(3) उत्तर-पूर्वी तट

(4) पश्चिम बंगाल तटीय और अपतटीय

(5) कच्छ-सौराष्ट्र तटीय और अपतटीय

(6) महानदी बेसिन तटीय और अपतटीय

(7) गंगा घाटी

(8) हिमालय की तलहटी

(9) विंध्य बेसिन

(10) प्राणहिता गोदावरी बेसिन

(11) गोंडवाना

(12) पूर्णियां बेसिन

(13) पलार

(ग) से (ङ) बेसिनों से अन्वेषण ब्लाक आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.), आयल इंडिया लि. (ओ.आई.एल.) तथा डायरेक्टोरेट जनरल आफ हाइड्रोकार्बन्स (डी.जी.एच.) द्वारा अन्वेषण पूर्व सर्वेक्षण पर आधारित होने पर बनाये जाते हैं। इसके लिए वार्षिक रूप से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, एन.ई.एल.पी. के अंतर्गत प्रदान किए गए अन्वेषण ब्लाकों में निवेश एवार्डीज द्वारा कार्य के कार्यक्रम बोली पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. के उत्पादों की बिक्री में गिरावट

4817. श्री तूफानी सरोज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के उत्पादों की बिक्री में लगातार गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में उक्त कार्पोरेशन द्वारा दर्ज की गई बिक्री का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्पोरेशन की बिक्री में गिरावट आने के बावजूद उसके लाभ में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, हां। इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) के उत्पादों की समग्र घरेलू बिक्री में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार मामूली कमी रही है:

मात्रा मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) में

	1999-2000	2000-01	2001-02	अप्रैल-सितंबर, 2002
बिक्री	48.79	47.80	47.17	23.13

(ग) जी, हां।

(घ) आई.ओ.सी.एल. द्वारा पिछले तीन वर्षों में अर्जित लाभ का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

	1999-2000	2000-01	2001-02	अप्रैल-सितंबर, 2002
कर पूर्व लाभ	2970	2962	4599	4859
कर पश्चात लाभ	2443	2720	2885	3139

[अनुवाद]

संसद के प्राधिकार को कम करने वाला अदालती फैसला

4818. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार के मूल नीतिगत मामलों में जरूरत से ज्यादा अदालती दखलंदाजी से संसद के प्राधिकार और सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की गरिमा कम हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है कि संसदीय प्रणाली के प्राधिकार और लोकतांत्रिक सरकार के कार्यकरण की मंत्रिमंडलीय प्रणाली में अदालती-दखलंदाजी को प्रोत्साहन न मिले?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि न्यायिक निर्णयों की अति सक्रियता राज्य के अन्य अंगों के अधिकार-क्षेत्र का अधिक्रमण कर रही है। तथापि, लोक हित मुकदमे, जो न्यायिक सक्रियता का परिणाम हैं, दबे-कुचले लोगों की शिकायतों को दूर करने, लोक हानि, लोक कर्तव्यों के प्रवर्तन, सामाजिक अधिकारों के संरक्षण और लोक हित के समर्थन के प्रयोजनों के लिए लाभदायक सिद्ध हुए हैं। इसने कुछ हद तक निर्धन और शोषित व्यक्तियों को न्याय दिलाने के प्रयोजन में सहायता की है।

लोक हित मुकदमों का दुरूपयोग रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में रौनक इंटरनैशनल लिमिटेड बनाम आई.वी.आर. कंस्ट्रक्शन लि. (ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 393) तथा मलिक ब्रदर्स बनाम नरेन्द्र दधीच और अन्य (1999(5) स्केल 212) और बाल्को एम्प्लाइज यूनियन रजि. बनाम भारत संघ और अन्य (2001(8) स्कैल 541) के माललों में कतिपय मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

(1) लोक हित मुकदमा, किसी तीसरे पक्षकार या याचिका करने वाले पक्षकार के निजी स्वार्थों की तुष्टि के लिए ओट मात्र नहीं होना चाहिए।

(2) न्यायालय को लोक हित मुकदमा दायर करने वाले संगठन द्वारा की गई लोक सेवा के पूर्ववर्ती अभिलेख की जांच करनी चाहिए।

(3) न्यायालय को, कोई रिट याचिका स्वीकार करने और ऐसी याचिका में कोई अंतरिम आदेश पारित करने से पूर्व विरोधी लोक हितों पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिका स्वीकार करने में भारी लोक हित है, केवल तभी न्यायालयों को हस्तक्षेप करना चाहिए। लोक हित को लोक कुतूहल से पृथक रखा जाना चाहिए।

(4) जब लोक हित मुकदमे को स्वीकार किया जाता है, तब भी न्यायालय को हस्तक्षेप करने से पूर्व विरोधी लोक हितों पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए।

(5) उस पक्षकार को, जिसके अनुरोध पर अंतरिम आदेश प्राप्त किए जाते हैं, अंतरिम आदेश के परिणामों के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। समुचित मामलों में, अंतरिम आदेश का अनुरोध करने वाले याची से, किसी अंतरिम आदेश के परिणामस्वरूप विलंब के कारण खर्चों में होने वाली किसी वृद्धि या विरोधी पक्षकार को हुए किसी नुकसान के लिए प्रतिभूति देने के लिए कहा जाना चाहिए। स्थगन आदेश या अंतरिम आदेश की विरचना, यदि उन्हें पारित किया जाता है तो प्रत्यास्थापन उपलब्ध कराने वाली होनी चाहिए। यदि लोक हित मुकदमा असफल रहता है तो लोगों को अंतरिम आदेश के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में हुए विलंब और ऐसे विलंब के परिणामस्वरूप होने वाली लागत वृद्धि के लिए प्रतिपूरित किया जाना चाहिए।

(6) यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वास्तव में लोक हित मुकदमे की आड़ में किसी व्यष्टि के हित को बढ़ावा या संरक्षण दिया जा रहा है तो ऐसी याचिका को स्वीकार न करना न्यायालय का बाध्यकारी कर्तव्य होगा।

(7) न्यायालय को लोक हित मुकदमों के नाम पर मामलों की अधिक संख्या को निर्बंधित करना चाहिए, अन्यथा पारम्परिक मुकदमेबाजी पर बुरा असर पड़ेगा और विधि के न्यायालयों को न्याय प्रदान करने की बजाय प्रशासनिक और कार्यपालिका कृत्यों का निर्वहन करना होगा।

लोक हित मुकदमों के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों को देखते हुए, इस समय लोक हित मुकदमों के दुरूपयोग को रोकने के लिए कोई उपाय किया जाना आशयित नहीं है। वस्तुत: न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना है कि निहित हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा लोक हित मुकदमों के नाम पर तुच्छ मुकदमों को स्वीकार न किया जाए।

[हिन्दी]

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी

4819. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा पूर्वी रेलवे में वर्ष 1985 से 1987 के दौरान कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है:

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उच्च न्यायालय, कोलकाता और उच्चतम न्यायालय ने उक्त कर्मचारियों को बहाल करने का आदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त कर्मचारियों को सेवा में बहाल करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आई.ओ.सी.एल. की सामाजिक गतिविधियां

4820. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड देश में सामाजिक गतिविधियां चलाता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आई.ओ.सी.एल. द्वारा विभिन्न राज्यों में, राज्य-वार, कितनी गतिविधियां चलाई गई/चलाई जा रही है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन गतिविधियों पर आई.ओ.सी.एल. द्वारा राज्य-वार, कुल कितना खर्च किया गया; और

(ङ) इस समय कितनी गतिविधियां चलाई जा रही है और उन पर कुल कितना खर्च किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) जी हां। इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के तहत, अपनी स्थापनाओं के निकट, पड़ोसी समुदाय के प्रति कार्पोरेशन के सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के उपाय के रूप में मुख्यतया पीने के पानी, शिक्षा प्रसार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी देखरेख आदि के क्षेत्रों में विभिन्न समाज कल्याण क्रियाकलाप चलाती रही है। आई.ओ.सी. द्वारा ये कार्यक्रम ऐसे अधिकांश राज्यों में चलाए जाते हैं जहां कार्पोरेशन की अपनी स्थापनाएं हैं।

विगत तीन वर्षों, अर्थात् वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2001-2002 के दौरान आई.ओ.सी. ने पृथक-पृथक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे क्रियाकलापों पर लगभग 14.30 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया है तथा चालू वर्ष अर्थात् वर्ष 2002-2003 के दौरान इस प्रयोजनार्थ व्यय लगभग 2.77 करोड़ रुपए है।

अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन

4821. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने का है जिससे कि उसमें भारतीय विधि आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल किया जा सके;

(ख) क्या बार काउंसिल आफ इंडिया ने भी इस संबंध में कोई सुझाव दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ङ) इस समय अधिवक्ता अधिनियम, 1961 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधि आयोग ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का अध्ययन आरंभ किया है और इसके पुनर्विलोकन के संबंध में विभिन्न संस्थाओं को, जिनके अंतर्गत भारतीय विधि परिषद भी है, एक कार्य पत्र, टीका-टिप्पणियों के लिए परिचालित किया है। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है। अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन की बाबत भारतीय विधि परिषद के सुझावों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

कामालंगा थर्मल पावर स्टेशन की स्थिति

4822. श्री के.पी. सिंह देव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में प्रस्तावित कामालंगा थर्मल पावर स्टेशन की अनुमानित लागत और क्षमता कितनी है;

(ख) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) परियोजना के कब तक पूरा हो जाने और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) उड़ीसा में ढेकनाल जिले की 2×250 मेगावाट क्षमता की कामलंग ताप विद्युत परियोजना उड़ीसा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के माध्यम से स्थापित किया जाना प्रस्तावित था। इस परियोजना के विकास का प्रस्ताव करने वाले मैसर्स लार्सन एंड टब्रो द्वारा दिसंबर, 1994 में उड़ीसा सरकार को प्रस्तुत की गयी विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 2400 करोड़ रु. बतायी गयी है। लागत और इसके फलस्वरूप निर्धारित शुल्क अधिक होने के कारण उड़ीसा सरकार ने कम्पनी से इस शुल्क में कमी लाने के लिए कहा है। मैसर्स लार्सन एंड टब्रो द्वारा शुल्क में कमी लाकर संशोधित प्रस्ताव उड़ीसा सरकार को प्रस्तुत न किए जाने के कारण परियोजना का कार्य शुरू नहीं हो सका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पवन ऊर्जा का उत्पादन

4823. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मेघालय में पवन ऊर्जा उत्पादन केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) मेघालय में किए गए प्रारंभिक पवन संसाधन अध्ययनों के अंतर्गत विस्तृत पवन सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने हेतु तीन स्थलों की पहचान की गई है। तकनीकी संभाव्यता सिद्ध हो जाने पर पवन विद्युत परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नाफ्था आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए कर माफी वाली नीति

4824. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नाफ्था स्थित विद्युत परियोजनाओं और राज्य द्वारा चलाई जा रही इकाइयों हेतु कर माफी वाली नीति में विस्तार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ नई निजी विद्युत परियोजनाओं को कर देयताओं से छूट देने के बाद, अब सरकार ने एन.टी.पी.सी. के पांच नाफ्था आधारित कंबाइन साइकल प्लांट को उत्पादन और सीमाशुल्कों की देयताओं से छूट देने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या जहां तक कर देयताओं का संबंध है इन कर छूटों से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की निजी विद्युत संयंत्रों के समकक्ष लाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो यह राज्य द्वारा चलाई जा रही इकाइयों के लिए किस सीमा तक सहायक रहा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) कतिपय शर्तों के आधार पर, नाफ्था का उपयोग करने वाली सात चालू कंबाइंड साइकल पावर प्लांट (सी.सी.पी.पी.) जिनमें 6 निजी क्षेत्रों तथा एक तमिलनाडु इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड (टी.एन.ई.बी.) की 120 मेगावाट बेसिन ब्रिज सी.सी.पी.पी. की उत्पाद शुल्क/काऊंटर वेलिंग ड्यूटी को कम करने के लिए दिनांक 30 जनवरी, 2002 को वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने दो अधिसूचनाएं जारी कीं। उक्त सभी मौजूदा विद्युत स्टेशन मुख्यत: नेप्था संचालित हैं।

(ग) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) की पांच चालू सी.सी.पी.पी. को कम करने के लिए दो अधिसूचनाएं दिनांक 18 जून, 2002 को जारी की गईं। इनमें से केरल में एन.टी.पी.सी. का कायमकुलम पावर प्लांट पूर्णत: नाफ्था संचालित

है, जबकि शेष 4 प्राकृतिक गैस पर आधारित हैं तथा गैस की आपूर्ति न होने/कमी के दौरान नाफ्था का प्रयोग किया जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त उल्लिखित 12 सी.सी.पी.पी. के लिए नाफ्था को उत्पाद शुल्क/काउंटर वेलिंग शुल्क से एक समान मुक्त रखा गया है।

(ङ) तमिलनाडु इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड की 120 मेगावाट क्षमता बेसिन परियोजना इस कर मुक्ति से सीधे लाभान्वित हुई है, जोकि ईंधन लागत में कमी के द्वारा नाफ्था पर आधारित चालू परियोजना है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय या निजी क्षेत्र के पावर प्लांट जहां नाफ्था का उपयोग किया जाता है, से कम लागत पर विद्युत की खरीद द्वारा विद्युत निकाय भी लाभान्वित हुए हैं, चाहे यह प्लांट राज्य क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या किसी क्षेत्र से हों। सामान्यत: ईंधन की लागत टैरिफ का ही एक भाग होती है, जिसे राज्य निकायों द्वारा वहन किया जाता है।

न्यायपालिका के लिए उच्च वेतन हेतु शेट्टी आयोग

4825. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाइडे :
श्री ए. कृष्णास्वामी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायपालिका के लिए उच्च वेतन हेतु न्यायमूर्ति जगमनाथा शेट्टी आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में इसके कार्यान्वयन के लिए आदेश दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार ने, उन संघ राज्य क्षेत्रों की बाबत, जिनके लिए यह प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है, न्यायमूर्ति के.जे. शेट्टी आयोग (प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग) की सिफारिशों को भागत: स्वीकार कर लिया है। केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय तारीख 11.10.2001 और 11.3.2002 के कार्यान्वयन आदेशों द्वारा लागू किया गया है। आयोग ने व्यापक विस्तार की सिफारिशें की हैं, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारियों के लिए उच्चतम वेतन सहित देश भर में न्यायिक अधिकारियों के वेतन ढांचा, परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तें भी हैं।

आल इंडिया जजेज एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में तारीख 21 मार्च, 2002 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकार द्वारा किए गए विनिश्चय को परिवर्तित करने वाले निर्देश अंतर्विष्ट हैं। जहां तक प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के तारीख 21 मार्च, 2002 के निर्णय में अंतर्विष्ट निर्देशों के कार्यान्वयन का संबंध है, राज्य सरकारों ने निर्णय का अनुपालन करने में वित्तीय और सांविधानिक कठिनाइयां व्यक्त की हैं और केन्द्रीय सरकार ने इन कठिनाइयों से न्यायालय को अवगत कराते हुए कतिपय निर्देशों के संबंध में उपांतरणों और समुचित समय विस्तारण की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने तारीख 25.11.2002 के अपने आदेश में यह निदेश दिया है कि जहां तक अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों के उच्चतम वेतनमानों को लागू करने का संबंध है, उसे तारीख 1 अप्रैल, 2003 को या उससे पूर्व प्रभावी किया जाना चाहिए और उस प्रयोजन के लिए संबंधित राज्यों के साथ ही संघ के बजट में आवश्यक बजट संबंधी प्रावधान किया जा सकता है। मामले को अगले निर्देशों के लिए मई, 2003 के दूसरे सप्ताह में अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

एफ.एम. रेडियों की नीलामी

4826. श्री एन. वेंकटस्वामी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 नवंबर, 2002 की स्थिति के अनुसार कुल कितने एफ.एम. रेडियो स्टेशनों को नीलाम किया गया;

(ख) कितने शहरों में नीलामी की गई थी; और

(ग) नीलामी से कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) 1 मार्च से 15 मार्च, 2000 के बीच 101 चैनलों की नीलामी की गई थी।

(ख) नीलामी 40 शहरों में की गई थी।

(ग) एफ.एम. रेडियो स्टेशनों की खुली नीलामी से अब तक अर्जित कुल राजस्व 15512.10 लाख रुपये है (जिसमें बयाना राशि

शामिल है लेकिन सरकार के पास रखी बैंक गारंटी शामिल नहीं है)।

बायोमास और सह-उत्पादन परियोजनाएं

4827. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 100 मेगावाट वाली बायोमास और सह-उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोग के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा तमिलनाडु में बायो-मास परियोजनाओ को स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बायोमास विद्युत और खोई सहउत्पादन परियोजनाओं हेतु 700 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) से (घ) नौ राज्यों में 450 मेगावाट की समग्र क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है, और आठ राज्यों में 518 मेगावाट की क्षमता कार्यान्वयनाधीन है। आगे और परियोजनाओं की स्थापना हेतु संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान करने के लिए 23 राज्यों में बायोमास संसाधन मूल्यांकन अध्ययन किए जा रहे हैं।

(ङ) तमिलनाडु में 106 मेगावाट की क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है और 124 मेगावाट की क्षमता कार्यान्वयनाधीन है। संभाव्यता का आकलन करने और राज्य में बायोमास विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करने हेतु 45 तालुकाओं में बायोमास संसाधन मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं। तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में बायोमास विद्युत और खोई सहउत्पादन परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी, जागरूकता सृजन और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। त्वरित अवमूल्यन और करों व शुल्कों में राहत सहित राजकोषीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) से उदार ऋण उपलब्ध हैं। ग्रिड संबद्धता उपलब्ध कराने और इन परियोजनाओं से बिजली खरीद के लिए राज्य नीतियां भी घोषित की गई हैं।

कर्नाटक में पेट्रोल पंपों का आबंटन

4828. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आबंटित पेट्रोल पंपों की संख्या क्या है;

(ख) राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों द्वारा उनमें से कितने पेट्रोल पंप चलाए जा रहे हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आबंटित पेट्रोल पंपों में से कुछ पेट्रोल पंप वास्तव में गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आबंटित 86 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें कर्नाटक राज्य के अंतर्गत प्रचालन में थीं।

(ग) और (घ) ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं दी गई है।

जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

4829. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक और चालू वर्ष 2002 के दौरान देश में सरकार द्वारा कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है;

(ख) क्या जल विद्युत परियोजना हेतु प्रस्ताव झारखंड राज्य में लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या झारखंड में कोनार बांध जल विद्युत परियोजना के प्रावधान हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा सर्वेक्षण किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत जल-विद्युत परियोजनाओं के परियोजना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) झारखण्ड में जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में विचाराधीन नहीं है। बहरहाल, झारखण्ड में स्थापना हेतु प्रस्तावित निम्नांकित जल-विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डी.पी.आर.) परियोजना : अधिकारियों को वापस कर दी गई हैं ताकि सी.ई.ए. तथा सी.डब्ल्यू.सी. की टिप्पणियों का अनुपालन करने के पश्चात् उन्हें पुन: प्रस्तुत किया जा सके।

1. शंख एचईपी चरण-2 (2×90 + 2×3 = 186 मे.वा.)

2. कन्हार पी.एस.एस. (3×100 = 300 मे.वा.)

कोयल कारो एच.ई. परियोजना (710 मे.वा.), मूल रूप से जून, 1981 में अनुमोदित एक अभिनिर्धारित परियोजना है तथा एन.एच.पी.सी. द्वारा इसका निष्पादन किया जाना है। आर. एण्ड आर. योजना क्रियान्वयन के लिए लाभार्थियों का पता लगाने हेतु परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का नए सिरे से सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाना है ताकि एन.एच.पी.सी. पर्यावरण प्रबन्धन योजना (इ.एम.पी.) तैयार कर सके। विद्युत खरीद हेतु झारखण्ड राज्य को अभी विद्युत खरीद करार (पी.पी.ए.) पर हस्ताक्षर करने हैं। 3223.68 करोड़ रु. की पूर्णता लागत पर अनंतिम टैरिफ अनुमानत: 7.99 रु. प्रति यूनिट होगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1999-2000 के दौरान स्वीकृत जल विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता	लागत अनुमान (करोड़ रुपये)	स्वीकृति की तारीख
1	2	3	4	5	6
			वर्ष 1999		
1.	तीस्ता चरण-5	सिक्किम	3×170 = 510	2568.09 (पूर्ण)	26.2.1999
2.	लोकतक डी./एम. (एन.एच.पी.सी.)	मणिपुर	3×30	667.46 (पूर्ण)	26.2.99
3.	तुइवइं (नीपको)	मिजोरम	3×70 = 210	1258.84 (पूर्ण)	19.2.99
4.	मिन्दू	मेघालय	2×42 = 84	285.36 (1/99 पीएल)	20.9.99
			वर्ष 2000		
1.	लारजी	हि.प्र.	3×42 = 126	796.98 (पूर्ण)	14.1.2000
2.	मनेरी भाली चरण-2	उत्तरांचल	4×76 = 304	1249.18 (पूर्ण)	21.2.2000
3.	श्रीनगर (निजी)	उत्तरांचल	4×82.5 = 330	1699.12 (पूर्ण)	14.6.2000
4.	बैराबी बांध	मिजोरम	2×40 = 80	549.43 (पूर्ण)	9.11.2000

1	2	3	4	5	6
			वर्ष 2001		
1.	पार्बती चरण-2	हि.प्र.	4×220 = 800	4478.24 (पूर्ण)	3.1.2001
2.	बालीमेला विस्तार	उड़ीसा	2×75 = 150	200.09 (पूर्ण)	5.1.2001
3.	धामवाड़ी सुण्डा (निजी)	हि.प्र.	2×35 = 70	439.96 (पूर्ण)	6.7.2001
			वर्ष 2002		
1.	अलमाटी बांध	कर्नाटक	5×55+12×15 = 90	674.38 (पूर्ण)	28.2.2002
2.	कोल बांध (एन.टी.पी.सी.)	हि.प्र.	4×200 = 800	5299.52 (पूर्ण)	30.6.2002
3.	अलियान दुहंगन (निजी)	हि.प्र.	2×96 = 192	922.35 (पूर्ण)	20.8.2002
4.	उहल चरण-3	हि.प्र.	2×50 = 100	431.56 (9/2002 पी.एल.)	19.9.2002
5.	सेवा चरण-2 (एन.एच.पी.सी.)	जम्मू व कश्मीर	3×40 = 120	675.25 (9/2002 पी.एल.)	18.10.2002
6.	तीस्ता लो डैम चरण-3 (एन.एच.पी.सी.)	पश्चिम बंगाल	4×33 = 132	782.22 (4/2002 पी.एल.)	28.11.2002

[हिन्दी]

सीमावर्ती क्षेत्र का नियंत्रण

4830. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 नवंबर, 2002 के 'लोकमत समाचार' (हिंदी) में 'कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों का नियंत्रण मांग रही है सेना' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों का नियंत्रण सेना को सौंपने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) सरकार को इस समाचार की जानकारी है जो वास्तव में गलत और काल्पनिक है। सेना ने जम्मू-कश्मीर में सीमा-क्षेत्रों का प्रशासनिक नियंत्रण अपने अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट

4831. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1998 में पंजाब और 2000 में साधूगढ़ में हुई रेल दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट आयोगों द्वारा अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन आयोगों द्वारा जांच पूरी न किए जाने के लिए क्या कारण/अड़चनें हैं; और

(ङ) इन आयोगों पर सरकारी राजकोष की कितनी धनराशि खर्च की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जांच की जा रही है। जांच शीघ्र पूरी करने के लिए अनुरोध किए गए हैं।

(ङ) जब से दोनों आयोग स्थापित किए गए हैं, उन पर लगभग 110.8 लाख रु. खर्च किए गए हैं।

धानुवाचपुरम रेलवे स्टेशन

4832. श्री वी.एस. शिवकुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार त्रिवेंद्रम मंडल के धानुवाचपुरम ठेका आधारित रेलवे स्टेशन का पूर्ण रेलवे स्टेशन के रूप में उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कैंटीन सुविधाएं

4833. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जथ, जिला सांगली में भूतपूर्व सैनिक संघ के लिए स्थायी कैंटीन सुविधाओं में विस्तार करने हेतु अब तक कोई प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पहले से चलाई जा रही चल कैंटीन को विस्तार काउंटर की अनुमति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। जथ के भूतपूर्व सैनिकों को कवते मंहकल के विस्तार काउंटर से कैंटीन स्टोर विभाग का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जथ में भूतपूर्व सैनिकों के लिए सी.एस.डी. कैंटीन खोलना मितव्ययिता की दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होगा।

न्यायिक आधारभूत ढांचे में सुधार

4834. श्री नरेश पुगलिया :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में न्यायिक आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना की समीक्षा करने हेतु सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि राज्य सरकारों ने इन निधियों का उचित उपयोग नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) न्यायिक अवसंरचना के सुधार के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम का विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों के अनुसार योजना आयोग के परामर्श से आवधिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाता है। न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम का, जो वर्ष 1993-94 से प्रवर्तन में है, न्याय विभाग द्वारा वर्ष में दो बार पुनर्विलोकन किया जा रहा है। ऐसा

अंतिम पुनर्विलोकन तारीख 13 नवम्बर, 2002 को न्याय विभाग द्वारा आयोजित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विधि/गृह सचिवों के सम्मेलन में किया गया था।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जारी की गई राशि दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) वर्ष 1993-94 से 2001-2002 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 478.05 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य के बराबर अंश सहित 884.28 रुपए की राशि खर्च करने की अपेक्षा की जाती है। इसमें से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अब तक 1024.53 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। ऐसी राज्य सरकारों से, जिन्होंने पूर्णतय: निधियों का उपयोग नहीं किया है, पूर्णतय: निधियों का उपयोग करने के लिए आवधिक रूप से अनुरोध किया जाता है, ऐसा न करने पर निधियों की पश्चातवर्ती किस्तें उनको जारी नहीं की जाती हैं। वर्ष 2002-2003 के दौरान, मणिपुर, मेघालय राज्यों और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र को इस कारण से केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन निधियों की पहली किस्त जारी नहीं की गई थी।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई रकम

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999-2000 के दौरान	2000-2001 के दौरान	2001-2002 के दौरान
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	405.05	547.71	533.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.30	15.89	85.00
3.	असम	280.00	330.00	365.00
4.	बिहार	314.93	377.77	309.86
5.	छत्तीसगढ़	–	57.08	113.53
6.	गोवा	39.00	58.00	58.63
7.	गुजरात	181.78	246.29	239.39
8.	हरियाणा	86.70	118.52	114.17
9.	हिमाचल प्रदेश	39.00	58.00	58.00
10.	जम्मू-कश्मीर	39.00	59.00	59.00
11.	झारखंड	–	51.75	104.89
12.	कर्नाटक	263.96	368.01	347.62
13.	केरल	175.90	243.26	231.66
14.	मध्य प्रदेश	323.82	381.09	312.93
15.	महाराष्ट्र	347.43	474.95	457.55
16.	मणिपुर	45.00	0.00	85.00

1	2	3	4	5
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	45.00	60.00	85.00
19.	नागालैंड	45.00	60.00	85.00
20.	उड़ीसा	284.17	282.34	272.00
21.	पंजाब	92.87	126.95	122.30
22.	राजस्थान	249.47	341.03	328.54
23.	सिक्किम	39.00	60.00	85.00
24.	तमिलनाडु	349.39	477.62	460.13
25.	त्रिपुरा	45.00	60.00	85.00
26.	उत्तरांचल	–	25.82	51.33
27.	उत्तर प्रदेश	774.54	1033.00	968.71
28.	पश्चिमी बंगाल	521.63	705.81	685.96
	संघ राज्य क्षेत्र			
29.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	30.00	50.00	50.00
30.	चंडीगढ़	29.00	50.00	50.00
31.	दादरा और नागर हवेली	19.00	40.00	40.00
32.	दमन और दीव	18.00	40.00	40.00
33.	दिल्ली	175.00	425.00	425.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	19.06	0.00	60.00
	कुल योग	5303.00**	7225.89@	7369.73*

*इसमें असमाप्य केन्द्रीय पूल मदद अंतरित 120.37 लाख रुपए की राशि सम्मिलित नहीं है।

**इसमें असमाप्य केन्द्रीय पूल मदद अंतरित 197.00 लाख रुपए की राशि सम्मिलित नहीं है।

@इसमें पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए असमाप्य केन्द्रीय पूल मदें 269.11 लाख रुपए के अंतरण का (प्रस्तुत किया गया) प्रस्ताव सम्मिलित नहीं है।

पेटेंट से संबंधित मुकदमे

4835. श्री विनय कुमार सोराके : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञों ने टिप्पणी की है कि भारत की पेटेंट संबंधी मुकदमों से निपटने और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में पेटेंट की अनुमति देने हेतु अपनी विधिक प्रणाली में उन्नयन करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या इन विशेषज्ञों के अनुसार जापान, जहां कमजोर पेटेंट प्रणाली थी, ने भी पेटेंट संबंधी मामलों से निपटने हेतु विधिक शिक्षा, वकीलों की प्रशिक्षण और न्यायाधीशों का विशेष पूल बनाने के कार्य का पुनर्गठन किया है;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन के दोहा दौर के संकल्प विशेष सुरक्षा और रियायत के मामले में तकनीकी आधार रहित गरीब देशों के लिए कारगर हो सकते हैं परन्तु भारत के लिए नहीं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) सरकार को अन्तरराष्ट्रीय विधि विशेषज्ञों की ऐसी किसी टिप्पणी की जानकारी नहीं है। पेटेन्ट (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा यथासंशोधित पेटेन्ट अधिनियम, 1970 ने विश्व व्यापार संगठन करार के ट्रिप्स (टी.आर.आई.पी.एस.) करारों में अंतर्विष्ट भारत की अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यता को पूरा किया है। पेटेन्ट नियंत्रक के विनिश्चयों के विरुद्ध अपीलों का, जो इस समय उच्च न्यायालय में हैं, शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए व्यापार-चिह्न अधिनियम, 1999 में अंतर्विष्ट बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड की स्थापना से संबंधित उपबंधों को, उपयुक्त उपांतरणों सहित पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 (अध्याय 19) द्वारा पेटेंट विधियों को लागू किया गया है। अधिनियम में पेटेंट संबंधी विषयों में अनुभव वाले तकनीकी सदस्य की नियुक्ति के लिए उपबंध है।

दोहा मंत्रालयीय घोषणा ने ट्रिप्स (टी.आर.आई.पी.एस.) करार और सी.बी.डी. के बीच संबंध के मुद्दे और परंपरागत ज्ञान और लोक साहित्य के संरक्षण पर कार्यान्वयन के लिए शेष मुद्दों के रूप में ध्यान देने के लिए आदेश दिया है। लोक स्वास्थ्य पर ट्रिप्स (टी.आर.आई.पी.एस.) करार संबंधी दोहा घोषणा धारा 5 (पेटेंट) और धारा 7 (अप्रकटित सूचना का संरक्षण) के उपबंधों के क्रियान्वयन या उन्हें लागू करने के लिए एल.डी.सी. को तारीख 1.1.2016 तक की छूट के लिए उपबंध करती है। लोक स्वास्थ्य पर ट्रिप्स (टी.आर.आई.पी.एस.) करार संबंधी दोहा घोषणा यह पुष्टि करती है कि ट्रिप्स (टी.आर.आई.पी.एस.) करार का निर्वचन लोक स्वास्थ्य की संरक्षा और सभी के लिए औषधियों तक पहुंच के संवर्धन के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। घोषणा, औषधियों की वहनीयता और उपलब्धता को सार्वभौमिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करती है। मंत्रियों ने स्वीकार किया कि ट्रिप्स (टी.आर.आई.पी.एस.) करार सदस्यों को लोक स्वास्थ्य की संरक्षा के उपाय करने से निवारित नहीं करता है, और न ही इसे करना चाहिए। घोषणा, लोक स्वास्थ्य के प्रयोजन के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति और समानान्तर आयात की नमनीयता का पूर्ण रूप से उपयोग करने के सदस्यों के अधिकार की पुन: पुष्टि करती है। यह इस बात को स्पष्ट करती है कि सरकार को अनिवार्य अनुज्ञप्तियां मंजूर करने के आधार अवधारित करने की स्वतंत्रता है। घोषणा यह भी स्पष्ट करती है कि प्रत्येक सदस्य को यह अवधारित करने का अधिकार है कि शीघ्रता के आधार पर अनिवार्य अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए राष्ट्रीय आपात या तीव्र आवश्यकता की अन्य परिस्थितियां कौन सी हैं। घोषणा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक सदस्य आई.पी.आर. (समानान्तर आयात) के समापन के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है।

केरल एक्सप्रेस ट्रेन में छेड़छाड़ की घटना पर कार्यवाही

4836. श्री एन.एन. कृष्णदास :
प्रो. ए.के. प्रेमाजम :
श्री वरकला राधाकृष्णन :
श्री पी. राजेन्द्रन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 अक्तूबर, 2002 को मथुरा स्टेशन पर केरल एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 2625) में हुई छेड़छाड़ की घटना के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी ने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है;

(ख) क्या पीड़ितों द्वारा ट्रेन सुपरिटेन्डेंट से तत्काल शिकायत किये जाने पर भी असहाय परिवार को कोई राहत नहीं दी गई;

(ग) क्या चलती ट्रेनों में पुलिसवालों द्वारा छेड़छाड़ किये जाने की यात्रियों द्वारा शिकायतें की गई हैं;

(घ) क्या पीड़ित परिवार ने रेलवे पुलिस में कोई शिकायत दर्ज करायी थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) केरल एक्सप्रेस में एक महिला यात्री के साथ दुव्यर्वहार की घटना का एक मामला ध्यान में आया है।

उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पुलिस महानिरीक्षक (रेलवे) ने सूचित किया है कि रा.रे.पु./मथुरा ने एक महिला यात्री के साथ दुर्व्यवहार के लिए दिनांक 19.11.2002 को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और रेल अधिनियम 145 के तहत अपराध सं. 298/02 के अंतर्गत मथुरा के 5 सिविल पुलिस कर्मियों और 3 अभियुक्तों

जिनका उनके द्वारा मार्गरक्षण किया जा रहा था, के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

दिल्ली छावनी में मलिन बस्तियों का विद्युतीकरण

4837. श्री कमल नाथ :
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 9 सितंबर, 2002 को दिल्ली छावनी में किर्बी प्लेस में मलिन बस्ती के समीप हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना, जिसमें रात्रि में तेज गति वाले ट्रक द्वारा खंडजों पर सो रहे आठ लोगों को कुचलकर मार दिया था, की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह लोग सैनिक प्राधिकारियों द्वारा झुग्गी बस्तियों की विद्युत आपूर्ति काट दिए जाने के कारण खुले में सोने के लिए मजबूर हुए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिए दिल्ली छावनी में विद्युतीकरण हेतु जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और सैन्य प्राधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां। दिल्ली छावनी क्षेत्र में 9 सितंबर, 2002 की रात को एक ट्रक, जिसका नं. एम.आर. 38 सी-8852 था, पटरी पर चढ़ गया था जिसके कारण उस दुर्घटना में 8 व्यक्ति मारे गए थे और 4 व्यक्ति घायल हो गए थे।

(ख) से (ङ) जी, नहीं। कथित झुग्गी-बस्ती में, जो दिल्ली छावनी में किर्बी प्लेस में रक्षा भूमि पर अतिक्रमण है, न तो कभी कोई बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं और न ही सैन्य प्राधिकारियों को इन झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में बिजली की सप्लाई का प्रावधान करने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' मंजूर करने का ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अत: सरकार ऐसी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को अनुग्रह मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

ए.एच. व्हीलर एण्ड कंपनी और अन्य बुक स्टाल के ठेकेदारों में भेदभाव

4838. श्री राम सजीवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी भारतीय रेलवे स्टेशनों पर ए.एच. व्हीलर एंड कंपनी और अन्य बुक स्टाल के ठेकेदारों के बीच भेदभाव को दूर करने हेतु कार्रवाई की है; और

(ख) रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टालों के आवंटन में समाज के गरीब तबकों के लिए कितना कोटा निर्धारित है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) चूंकि मै. ए.एच. व्हीलर एंड कं. तथा अन्य बुक स्टालों के ठेकेदारों के बुक स्टाल लाइसेंस की शर्तें भिन्न हैं इसलिए भेदभाव का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) नीति के अनुसार बुक स्टाल लाइसेंस (1) वास्तविक वर्कर्रों/वेंडरों की कापरेटिव सोसायटियों और बेरोजगार स्नातकों की कापरेटिव सोसायटियों, (2) बेरोजगार स्नातकों की भागीदारी और एसोसिएशनों, (3) बेरोजगार स्नातक जो रेल कर्मचारियों (मौजूदा या सेवानिवृत्त) के पुत्र/आश्रित हैं, (4) उपरोक्त, (3) में उल्लिखित से भिन्न बेरोजगार स्नातकों को दिए जाते हैं। बुक स्टालों के आबंटन में समाज के कमजोर वर्ग के लिए कोई विशेष कोटा निर्धारित नहीं किया गया है।

असम के जनजातीय गांवों में बिजली प्रदान किया जाना

4839. श्री सानकुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बोडोलैंड क्षेत्र के विशेष उल्लेख सहित असम के सभी जनजातीय गांवों में पिछड़े देशी जनजातीय लोगों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने हेतु कोई सकारात्मक योजना और कार्य योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती मेहता): (क) से (ग) सरकार को बोडोलैंड क्षेत्र में आदिवासी गांवों के विद्युतीकरण का कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि

असम राज्य विद्युत बोर्ड (ए.एस.ई.बी.) ने सूचित किया है कि 2001-02 के दौरान 20 आदिवासी गांवों के विद्युतीकरण लक्ष्य की तुलना में प्रधानमंत्री के पैकेज (संसाधनों के स्थायी केन्द्रीय पूल) के अन्तर्गत 11 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है, शेष 9 गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो सका है। वर्ष 2002-03 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.) के अन्तर्गत 260 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है, उसी प्रकार ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) के तहत 936 गांवों में गहन कार्य का प्रस्ताव है जिसमें से 145 गांव आदिवासी गांव है और 71 बी.ए.सी. क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

असम भी रूरल इन्स्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड (आर.आई.डी.एफ.), ग्राम विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) तथा मेम्बर आफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम (एम.पी.एल.ए.डी.एस.) से निधियां प्राप्त कर सकता है। राज्यों से न्यायिक ढंग से निधियों को उपयोग में लाने का अनुरोध किया गया है ताकि सन् 2007 तक 100% ग्राम विद्युतीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

मथुरा स्टेशन के निकट केरल एक्सप्रेस का रोका जाना

4840. **प्रो. ए.के. प्रेमाजम :**
श्री जय प्रकाश :
श्री राम जीवन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह तथ्य है कि केरल एक्सप्रेस में बम होने की अफवाह के आधार पर 7 सितंबर, 2002 को मथुरा के निकट स्टेशन पर रोका गया था;

(ख) क्या यह पता चला कि एक आई.ए.एस. अधिकारी के परिवार के सदस्यों को गाड़ी पर चढ़ाने के लिए बम की झूठी अफवाह उड़ाई गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या दोषी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी हां, 7.9.2002 को बम की झूठी अफवाह के आधार पर केरल एक्सप्रेस को मथुरा जंक्शन के निकट छाता रेलवे स्टेशन पर रोका गया था। राजकीय रेलवे पुलिस, उत्तर प्रदेश के जरिए एकत्रित सूचना से पता चला है कि अपर उपायुक्त (प्रशासनिक अधिकारी), हुडा, गुड़गांव (हरियाणा) के परिवार के सदस्यों के चढ़ने के लिए गाड़ी रोकने हेतु कहा गया था।

(घ) और (ङ) दिनांक 7.9.2002 के सामान्य डायरी संख्या 28 के तहत रा.रे.पु. स्टेशन/मथुरा जंक्शन पर एक मामला दर्ज किया गया है। उप महानिरीक्षक, पुलिस (रेलवे), उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है कि मामले की जांच की जा रही है और इसके पूरा होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशन पर कुलियों द्वारा शायिका/सीटों पर कब्जा किया जाना

4841. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल :**
श्री वीर सिंह महतो :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुली रेलवे स्टेशनों पर खड़ी रेलगाड़ियों में शायिका/सीट पर पहले से कब्जा कर लेते हैं और यात्रियों को ये शायिका/सीट तभी देते हैं जब यात्री उन्हें पैसे देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जोनवार ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई है और कितने व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) कुछ स्टेशनों पर कुलियों द्वारा शायिका/सीटें घेरने की कुछ घटनाएं ध्यान में आई हैं। बहरहाल, इसके संबंध में आंकड़े पृथक रूप से नहीं रखे जा रहे हैं। यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी। कुलियों और अन्य असामाजिक तत्त्वों द्वारा सीटें हथियाना रोकने के लिए पुलिस के सहयोग से वाणिज्य और सतर्कता विभागों द्वारा नियमित जांच की जाती हैं। इसके अतिरिक्त,

गाड़ी के आरंभिक स्टेशनों पर अनारक्षित सवारी डिब्बों को यार्डो से प्लेटफार्म तक बंद स्थिति में लाया जाता है और यात्रियों को 'लाइन' में चढ़ने के लिए कहा जाता है ताकि अनारक्षित सवारी डिब्बों में सीटें हथियाना रोका जा सके।

अधीनस्थ न्यायपालिका पर व्यय में केंद्र की हिस्सेदारी

4842. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ न्यायपालिका/निचली अदालतों पर राज्य के खर्च के बोझ में केंद्र की हिस्सेदारी का अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार को अन्य राज्यों से ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायिक अधिकारियों के लिए क्वार्टरों से संबंधित वार्षिक व्यय के आधे का अंशभाजन करना चाहिए।

आंध्र प्रदेश सरकार ने, अपने तारीख 15.3.2002 के हाल ही के पत्र द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों/न्यायपालिका से संबंधित कुल वार्षिक व्यय के आधे का अंश भाजन करने की बाबत केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय की वांछा की है। अधिकांश राज्य सरकारों ने भी अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित वार्षिक व्यय के आधे का अंशभाजन करने की बाबत केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय को जानने की वांछा की है।

राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित व्यय के अंशभाजन के संबंध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश को आल इंडिया जजेज एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 21 मार्च, 2002 के अपने निर्णय में स्वीकार नहीं किया गया है।

महिलाओं के साथ शारीरिक छेड़छाड़ और दुव्यर्वहार

4843. श्री राधा मोहन सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल/सिविल सुरक्षा (जेल) बल कर्मियों द्वारा महिलाओं के साथ शारीरिक छेड़छाड़ और दुव्यर्वहार और अन्य यात्रियों का उत्पीड़न किए जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान चलती रेलगाड़ियों में रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा महिला यात्रियों के साथ शारीरिक छेड़छाड़ की घटना की ओर आकृष्ट कराया गया है, जैसाकि दिनांक 3 नवम्बर, 2002 के हिन्दी दैनिक 'नवभारत टाइम्स' के पृष्ठ संख्या 5 पर समाचार प्रकाशित हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी नहीं। कोई विशिष्ट शिकायत ध्यान में नहीं आई है।

(ग) और (घ) जी नहीं। रे.सु.ब. कार्मिकों के संबंध में कोई घटना ध्यान में नहीं आई है।

बहरहाल, केरल एक्सप्रेस में एक महिला यात्री के साथ दुव्यर्वहार की एक ऐसी घटना ध्यान में आई है।

उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पुलिस महानिरीक्षक (रेलवे) ने सूचित किया है कि रा.रे.पु./मथुरा ने एक महिला यात्री के साथ दुव्यर्वहार के लिए दिनांक 19.11.2002 को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और रेल अधिनियम 145 के तहत अपराध सं. 298/02 के अंतर्गत मथुरा के 5 सिविल पुलिस कर्मियों और 3 अभियुक्तों जिनका उनके द्वारा मार्गरक्षण किया जा रहा था, के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

[अनुवाद]

दिल्ली-रोहतक खंड के दैनिक यात्रियों द्वारा अभ्यावेदन

4844. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर कानूनी ढंग से वसूली गई धनराशि की वापसी के संबंध में दिल्ली रोहतक खंड के दैनिक यात्रियों से प्राप्त उनके अभ्यावेदन उत्तरी रेलवे के कार्यालयों में लंबित है;

(ख) क्या रेलवे ने दिल्ली-रोहतक खंड के स्टेशनों पर एक वर्ष पहले दर्ज की गई शिकायतों के संबंध में जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है; और

(घ) दैनिक यात्रियों को कब तक धन वापस कर दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

तहलका मामले की जांच करने वाले आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा

4845. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तहलका मामले की जांच करने वाले आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अध्यक्ष की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर की गई थी;

(ङ) क्या तहलका मामले की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) अध्यक्ष ने अपनी इच्छा से त्यागपत्र दिया है।

(घ) जी हां।

(ङ) जी नहीं।

(च) उपरोक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(छ) आयोग का वर्तमान कार्यकाल 31 जनवरी, 2003 तक है।

हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय

4846. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 नवंबर, 2002 के राष्ट्रीय सहारा में ''हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय पर दलालों का राज'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय और दलालों की सांठ-गांठ को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां। तथापि, महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन ने यह सूचित किया है कि निदेशालय को हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के अधिकारियों और दलालों के बीच ऐसी किसी सांठगांठ के बारे में पता नहीं है।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विधि सचिव का पद

4847. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में विधि सचिव का कोई पद नहीं है और विधि अधिकारी को विधि सचिव के रूप में पदनामित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण और औचित्य क्या है और वर्तमान पदधारी की स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में एक विधि सचिव नियुक्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कोल बेड मिथेन परियोजनाओं से होने वाले लाभ को बांटने संबंधी अनुपात

4848. श्री वसुदेव आचार्य : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने चालू कोल बेड मिथेन परियोजनाओं से होने वाले लाभ का बंटवारा राज्य सरकार के साथ करने के संबंध में पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले को बारहवें वित्त आयोग को उसके सुझाव के लिए भेज दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) कोल बेड मिथेन नीति (सी.बी.एम.) के प्रति सहमति देते हुए कुछ राज्य सरकारों ने इस नीति के तहत भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित संविदाओं में उत्पादन स्तर भुगतानों और वाणिज्यिक खोज बोनस के लिए अनुरोध किया है। ये अनुरोध सरकार के विचाराधीन हैं।

बन्दरगाह लाइनों पर तीव्र गति की रेलगाड़ियां चलाना

4849. श्री किरीट सोमैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने मध्य रेलवे मुम्बई में बन्दरगाह लाइनों पर यात्रा समय को कम करने और उनके पुनर्संरेखन के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सी.एस.टी. और मस्जिद रेलवे स्टेशनों और रेलवे लाइनों का पुनर्संरेखन किया गया है;

(ग) इससे दैनिक यात्रियों को किस तरह से लाभ होगा;

(घ) क्या बन्दरगाह लाइनों पर कोई तीव्र गति की रेलगाड़ी चलाए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या रेलगाड़ी की कोई बारमबारता बढ़ाई जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) रेलवे ने पहले ही मुंबई में सी.एस.टी. यार्ड में हार्बर लाइन के ढांचे में परिवर्तन का कार्य पूरा कर दिया है जहां लाइनों और क्रास-ओवर प्वाइंटों का पुन: संरेखण हो गया है। टर्न-आउटों पर गाड़ियों की गति 10 कि.मी. प्रति घंटा से बढ़ाकर 30 कि.मी. प्रति घंटा कर दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) हार्बर लाइन पर कुर्ला और वाशी स्टेशनों के पुन: संरेखण का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् मुंबई सी.एस.टी. और पनवेल के बीच यात्रा का समय 5 मिनट घट जाने की संभावना है।

(घ) जी नहीं। इस समय नहीं।

(ङ) और (च) जी नहीं। इस समय नहीं।

मॉड्युलर ट्वायलेट यूनिट

4850. श्री प्रकाश बी. पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी एक्सप्रेस (मुम्बई) के टु टीयर ए.सी. कोच में प्रयोग के तौर पर मॉड्युलर ट्वायलेट यूनिट स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोग का क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या यह परिणाम संतोषप्रद है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन यूनिटों को अन्य रेलगाड़ियों में भी स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी हां। परिणाम उत्साहजनक रहे हैं क्योंकि यह इकाई उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल तथा साफ करने में आसान पाई गई है।

(घ) और (ङ) ऐसी इकाइयां अब कई जनशताब्दी सवारी डिब्बों पर शुरू की गई हैं। उद्योग में विनिर्माण क्षमता के विकास के साथ नए सवारी डिब्बों में इसका विस्तार उत्तरोतर किया जाएगा।

सीताबर्डी किला, नागपुर हेतु प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम

4851. श्रीमती प्रभा राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीताबर्डी किला, नागपुर के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम व्यवस्था प्रदान करने हेतु अनुरोध किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा किले क्षेत्र में इस व्यवस्था प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रेल ट्रैफिक रेगूलेटर

4852. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''रेल ट्रैफिक रेगूलेटर'' नियुक्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे रेल ट्रैफिक रेगूलेटर का क्या कृत्य होंगे;

(ग) विभिन्न जोनों में नयी रेलगाड़ियों में प्रारंभ किये जाने वाले ऐसे रेगूलेटर किस सीमा तक निर्णय लेंगे;

(घ) क्या रेल ट्रैफिक रेगुलेटर वर्तमान सवारी रेलगाड़ियों की व्यावहारिकता के संबंध में भी निर्णय लेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंगलोर के लिए इंटर-मोडल परिवहन प्रणाली का प्रारंभ

4853. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव बैंगलोर शहर के लिए इंटर-मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रारंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और इसमें केन्द्र सरकार का अंश कितना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) बेंगलुरु शहर के लिए 1998-99 में किए गए प्रारंभिक अध्ययन के बाद मैसर्स राइट्स ने उपनगरीय दैनिक यात्री गाड़ियां चलाने के लिए मौजूदा रेल लाइनों के उन्नयन पर आधारित एक अंतर-मॉडल परिवहन प्रणाली की व्यवहार्यता की पहचान की है। परियोजना की राजस्व तथा लागत के विस्तृत अनुमान के लिए मैसर्स राइट्स द्वारा कर्नाटक सरकार को एक अनंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पेश की जानी है। अंतिम रिपोर्ट की पेशगी के बाद ही परियोजना की अनुमानित लागत का पता लग पाएगा। परियोजना की लागत कर्नाटक राज्य सरकार तथा रेल मंत्रालय के बीच 2/3:1/3 के अनुपात में बांटी जाएगी।

रेल टिकट एजेंटों की नियुक्ति

4854. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में रेल टिकट एजेंटों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तरांचल, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, केरल और तमिलनाडु राज्यों में स्थित स्टेशनों पर रेल यात्री सेवा एजेंटों की नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त आवेदनों

पर समय-समय पर यथा संशोधित रेल यात्री सेवा एजेंट नियम 1985 संबंधी प्राधिकार के उपबंधों के अनुसार यथासंभव शीघ्रता से विचार किया जाएगा।

इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण योजना

4855. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके द्वारा इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण योजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभिन्न राज्यों के उत्पाद एवं गन्ना विकास मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने इथेनाल उत्पादन के लिए अवसंरचना स्थापित करने में संतोषजनक कार्य किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) और (ग) संबंधित राज्य सरकारों ने संबंधित चीनी मिलों/आसवनियों द्वारा आवश्यक आधारभूत संरचना की स्थापना हेतु कार्यकलापों को आगे बढ़ने के लिए कदम उठाए हैं। कार्य प्रगति पर है।

शताब्दी/जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की संख्या

4856. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न मार्गों पर कुल कितनी शताब्दी और जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाई जा रही है;

(ख) क्या इन रेलगाड़ियों के चलाये जाने से रेलवे के राजस्व बढ़ा है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी और जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में से प्रत्येक पर सरकार को कुल कितना लाभ या घाटा हुआ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) इस समय, भारतीय रेलवे में 18 जोड़ी शताब्दी और 16 जोड़ी जन शताब्दी एक्सप्रेस चल रही हैं।

(ख) और (ग) लाभ, आमदनी और खर्चों के गाड़ी-वार आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। इसलिए राजधानी, शताब्दी और जनशताब्दी के लाभ अथवा अन्य ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड

4857. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विनिवेश के बाद विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड के गठन में प्रस्तावित परिवर्तन कौन-कौन से हैं;

(ख) बोर्ड स्तर के कितने पद फालतू हो जायेंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार फालतू हो चुके बोर्ड स्तर के पदों पर काम कर रहे लोगों की सेवाओं के उपयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) विनिवेश के जिन मामलों में किसी उपक्रम में सरकारी शेयरधारिता 50% से कम कर दी जाती है, उनमें सम्बन्धित कंपनी सरकारी कम्पनी नहीं रह जाती है और इसलिए नया प्रबन्धन इस सम्बन्ध में निर्णय कर सकता है।

(ग) और (घ) वर्तमानत: ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

भारत को हथियार निर्यात लाइसेंस

4858. श्री चन्द्र भाव सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने भारत को हथियार निर्यात हेतु लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक प्रभावी किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उपर्युक्त निर्णय से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूती मिलने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रिड व्यवधान

4859. श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
श्री के. येरननायडू :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा ग्रिड व्यवधान के कारणों का पता लगाने और इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने हेतु व्यापक जांच कराने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा समिति की सिफारिशें लागू करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में ग्रिड व्यवधान रोकने हेतु कोई अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 11.9.2001 और 23.1.2002 को दक्षिणी ग्रिड गड़बड़ियों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सुधारात्मक उपायों को सुझाने और ग्रिड गड़बड़ियों के कारणों की जांच करके सूचना देने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था समितियों ने काफी संस्तुतियां दी है। इनमें से प्रमुख हैं-(1) बारम्बारता का विनियमन, (2) मांग को नियंत्रित करने हेतु अधिसूचित पावर कट का क्रियान्वयन, (3) अंडर फ्रीक्वेंसी लोड शेडिंग की स्कीम की प्रभावोत्पादकता को सुनिश्चित करना, (4) डी.एफ./डी.टी. (फ्रीक्वेंसी के बदलाव की दर) रिले का प्रावधान, (5) वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार, (6) प्रोटेक्शन प्रणाली सहित पुरानी कर्नाटक पारेषण प्रणाली का आधुनिकीकरण एवं नवीकरण, (7) समस्त महत्वपूर्ण 220 के.वी. के उप स्टेशनों पर इवेंट लॉजर और डिस्टरबेंस रिकॉडरों का प्रावधान, (8) ब्लैक स्टार्ट प्रणालियों की पुनरीक्षण, (9) लोड डिस्पैच पर्सनल एंड सिस्टम ऑपरेटरों को प्रशिक्षण इत्यादि।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से क्रियान्वयन हेतु दक्षिणी क्षेत्र में सभी राज्यों को संस्तुतियां भेजी गयी है। दोनों समितियों की संस्तुतियों के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग का कार्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/एस.आर.ई.बी. द्वारा किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर, 2001 में अनुरोध किया गया था कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और पावरग्रिड को, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में महत्वपूर्ण तापीय स्टेशनों में ग्रिड के बंद होने की संभावनाओं को दूर करने को सुनिश्चित करने के लिए एपीट्रांस्कों द्वारा प्रस्तावित थ्री-टायर डिफेंस मैकेन्जिम की संवीक्षा करने के लिए कहा जाए। थ्री-टायर मैकेनिज्म में सम्मिलित हैं:

(1) प्रचालन फ्रीक्वेंसी 48.0 हर्ट्ज से कम नहीं।

(2) थ्री स्टेज ऑटोमैटिक एंडर फ्रीक्वेंसी रिले ऑपरेशन।

(3) ए.पी. सिस्टम के साथ एन.टी.पी.सी. के रामागुण्डम थर्मल पावर स्टेशन और कर्नाटक के रायचूर थर्मल स्टेशन प्लस कर्नाटक के मैचिंग लोड स्कीम में सम्मिलित करना।

इस प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पावरग्रिड तथा एन.टी.पी.सी. के साथ विचार-विमर्श कर परीक्षित किया गया था और आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि उत्पादन और मांग के मध्य अधिक अंतर के मद्देनजर दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड रेजर्स एज़'' पर प्रचालित अत्यधिक निम्न फ्रीक्वेंसी एवं कम वोल्टेज के साथ अत्यधिक निम्न सुरक्षा स्तर पर प्रचालित हो रही थी। दिनांक 11.9.2001 को हुई ग्रिड खराबी की जांच करने वाली समिति की सिफारिशों के अनुसार यदि फ्रीक्वेंसी लोड शेडिंग की योजना क्रियान्वित की गयी होती तो आइसलैंडिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गयी थी कि दक्षिणी क्षेत्र विद्युत बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार शंट कैपिसिटर्स प्राथमिकता के आधार पर लगाए जाएं ताकि विद्युत भार का उचित प्रबंधन और राज्य में विद्युत की उपलब्धता के अनुसार ही भार को विनियमित किया जा सके और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनिर्धारित फ्रीक्वेंसी बनाए रखी जा सके।

पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए.बी.टी.) का कार्यान्वयन क्रमशः 1 जुलाई, 2002 और 1 दिसम्बर, 2002 से प्रभावी है। दक्षिणी क्षेत्र में भी दिनांक 1 जनवरी, 2003 से ए.बी.टी. को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इससे दक्षिण क्षेत्रीय ग्रिड की फ्रीक्वेंसी की स्थिति में सुधार आएगा।

विदेशों का दौरा और समझौतों पर किए गए हस्ताक्षर

4860. श्री रामदास आठवले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उनके द्वारा कितने देशों का दौरा किया गया और उनके दौरों के समय किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन विदेशी दौरों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई और इससे देश को कितना लाभ हुआ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों अर्थात् 2000-01 और 2001-02 के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी ने पेट्रोलियम क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के प्रस्तुतीकरण, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सम्मेलनों में भाग लेने के संबंध में 12 (बारह) देशों अर्थात् इंग्लैंड, अमरीका, कनाडा, मारीशस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, जापान, सिंगापुर, फ्रांस, रूस, ब्राजील और चीन का दौरा किया। इन दौरों के दौरान किसी भी देश के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। तथापि, मारीशस में पेट्रोलियम क्षेत्र में एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रवेश के लिए मारीशस की सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और पेट्रोल में एथेनोल के मिश्रण से संबंधित तकनीकी जानकारी के लिए ब्राजील सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मंत्री (पे. और प्रा.गै.) के उपर्युक्त विदेशी दौरों पर 21,99,638 रुपए का व्यय किया गया।

पोस्ट संख्या 125 पर चौकीदार रहित समपार

4861. श्री भान सिंह भौरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि भटिण्डा-गंगपुरा लाइन पर ग्राम तहर खाना के निकट पोस्ट सं. 125 पर एक बिना चौकीदार वाला समपार है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि बड़ी संख्या में लोग और विभिन्न प्रकार के वाहन प्रतिदिन इस समपार से गुजरते हैं जिससे दुर्घटनाओं का खतरा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा चौकीदार रहित वर्तमान समपार को बी वर्ग के चौकीदार वाले समपार में बदलने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं। पोस्ट सं. 125 पर कोई समपार नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीर के शहीदों की विधवाओं को पेट्रोल पंप/रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

4862. श्री ए. कृष्णैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 21 नवंबर, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 646 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कश्मीर के शहीदों की विधवाओं को पेट्रोल पंप/रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन के संबंध में कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सीमा सुरक्षा बल और अन्य सेवाओं के शहीदों की विधवाओं को सरकार से किस सीमा तक ऐसी सहायता मिली है;

(घ) सरकार के पास इस प्रकार के लंबित आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन विधवाओं और इनके आश्रितों को नीति समीक्षा द्वारा सहायता देने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के दिशानिर्देशों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन में रक्षा श्रेणी और अर्ध सैनिक/पुलिस/सरकारी कार्मिक (पी.एम.पी.) श्रेणी के लिए प्रदान किए गए 8 प्रतिशत आरक्षण और 'आपरेशन विजय' कारगिल में युद्ध में शहीद हुए रक्षा कार्मिक की विधवाओं/निकटतम संबंधियों को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए विशेष योजना के अलावा निम्न दो श्रेणियों को वास्तविक अनुकंपा आधार पर और योग्य मामलों में डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए सरकार का विवेकाधीन कोटा आरंभ किया गया है:

(1) सैनिक कार्रवाई में शहीद हुई रक्षा/अर्ध सैनिक/पुलिस कार्मिक के आश्रित या अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के दौरान स्थायी रूप से अपंग हुए व्यक्ति जिनका उपयुक्त रूप से पुनर्वास नहीं हुआ है।

(2) अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के दौरान मरने वाले या स्थायी रूप से अपंग होने वाले केन्द्रीय/राज्य सरकार उन कर्मचारियों के आश्रित जिनका उपयुक्त रूप से पुनर्वास नहीं किया गया है।

सीमा सुरक्षा बल कार्मिक सहित रक्षा/अर्ध सैनिक/पुलिस/सरकारी कार्मिक, जो कश्मीर में सैनिक कार्रवाई में/अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए शहीद हो गए, की विधवाएं, और जिनका उपयुक्त रूप से पुनर्वास नहीं हुआ है अन्य बातों के साथ-साथ विवेकाधीन कोटे के तहत आबंटन के लिए विचार किए जाने की पात्र हैं।

सरकार को विवेकाधीन कोटे के तहत डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए अब तक 1515 आवेदन प्राप्त हुए हैं। नौ आवेदकों को विवेकाधीन कोटे के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें आबंटित की गई हैं।

[हिन्दी]

रेलवे में क्वार्टरों का आबंटन

4863. श्री रामजी मांझी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 12 नवम्बर, 2000 के राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित समाचार की अनुसार दिल्ली में लम्बे समय से टाईप-I के 85 क्वार्टर, टाईप-II के 315 क्वार्टर टाइप-III के 35 क्वार्टर और टाइप-IV के 3 क्वार्टर खाली पड़े हैं;

(ख) क्या रेलवे क्वार्टरों के आबंटन में अत्यधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है जिससे रेलवे को मासिक रुप से लाखों रुपयों की हानि हो रही है;

(ग) क्या क्वार्टरों के आबंटन के लिए लम्बे समय से अब तक आवेदन लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो रेलवे कर्मचारियों को इन खाली क्वार्टरों का आबंटन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्र मंडल देशों के विधि मंत्रियों का सम्मेलन

4864. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में राष्ट्र मंडल देशों के विधि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए मुद्दों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लिए गए अंतिम निर्णय यदि कोई हैं तो इसके क्या परिणाम निकले?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी हां। राष्ट्र मंडल देशों के विधि मंत्रियों की एक बैठक किंग्सटाऊन, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइन्स में 18-21 नवम्बर, 2002 के बीच आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री रवि शंकर प्रसाद, कोयला, खान, विधि और न्याय मंत्री द्वारा किया गया था।

(ख) बैठक में मानवाधिकार, अच्छा शासन, साक्ष्य विधि का आधुनिकीकरण, विधि तथा विकास, सूचना स्वातंत्र्य, एकांतता, व्यक्तिगत सूचना का संरक्षण, प्रतिस्पर्धा विधि, ई-वाणिज्य तथा ई-साक्ष्य से संबंधित विधियों, आतंकवाद अपराधियों का प्रत्यर्पण और दांडिक मामलों में परस्पर सहयोग जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। भारत ने आतंकवाद के विषय पर गहन चिंता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रमंडलीय देश अपनी विरोध नीति के अनुसार संयुक्त विधिक कार्रवाई करें।

(ग) चर्चा किए गए अधिकांश विषयों में, भारत के पास विधान पहले से ही विद्यमान हैं या बनाए जाने की प्रक्रिया में हैं। इन मुद्दों पर भारत की स्थिति को स्पष्ट किया गया था। भारत ने यह पक्ष भी रखा था कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है जिसके विरुद्ध संपूर्ण सभ्य संसार को एकजुट होना है; कोई भी राज्य आतंकवाद को संरक्षण देने में राजनीतिक अपवाद का तर्क न दे; आतंक से पीड़ितों को प्रतिकर सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद के आगमों को अधिहृत किया जाना चाहिए।

(घ) बैठक के अंत में एक विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(1) विधि मंत्रियों ने नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के महत्व की पुन: पुष्टि की।

(2) विधि मंत्रियों ने समामेलन, संगन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल राष्ट्रमंडलीय महत्वों के संवर्धन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की।

(3) विधि मंत्रियों ने वरिष्ठ पदधारियों को यह आदेश दिया कि वे अपराध पीड़ितों के लिए मूल न्याय सिद्धान्तों के राष्ट्रमंडलीय कथन पर अपने कार्य को अंतिम रूप दें और अगली बैठक में विचार किए जाने के लिए मंत्रियों को एक प्रारूप प्रस्तुत करें।

(4) विधि मंत्रियों ने सभी रूपों में आतंकवाद की निंदा की और आतंकवाद का सामना करने में साथ मिलकर कार्य करने और एक दूसरे को सहयोग देने तथा अपनी जनता का संरक्षण करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की। विधि मंत्रियों ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि किसी भी राष्ट्रमंडलीय देश को आतंकवादियों के लिए सुरक्षित स्थान के रूप में प्रयोग नहीं किया जाए और कोई आतंकवादी राजनीतिक अपराध छूट का सहारा लेकर प्रत्यर्पण की अपवंचना न कर सके।

(5) विधि मंत्रियों ने प्रत्यर्पण से संबंधित लंदन स्कीम संशोधित की।

(6) विधि मंत्री दांडिक मामलों में पारस्परिक सहयोग संबंधी हरारे स्कीम में तुरंत संशोधन करने के लिए भी सहमत हुए।

(7) विधि मंत्रियों ने सदस्य देशों द्वारा उपयोग के लिए अनेक नमूना विधेयकों पर विचार किया। इनमें कंप्यूटर और कंप्यूटर संबंधी अपराध, साक्ष्य विधि, सूचना स्वातंत्र्य, एकांतता, व्यक्तिगत सूचना का संरक्षण, प्रतिस्पर्धा विधि, भूमि और विकास, आदि जैसे विषय सम्मिलित हैं। यद्यपि उनमें से कुछ अनुमोदित किए गए थे। तथापि, राष्ट्रमंडलीय सचिवालय से कुछ अन्य विषयों पर कुछ और अधिक कार्य करने का अनुरोध किया गया था।

प्रभावित लोगों को अंशदान का भुगतान

4865. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश के विभिन्न भागों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित किये जा रहे किसी संयंत्र/परियोजना इकाई की कुल लागत के लिये अंशदान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना से प्रभावित लोगों को इन संयंत्र/परियोजना इकाइयों में नौकरी नहीं दी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिये केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश क्या हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) परियोजनाओं का निर्माण तथा संयंत्रों की स्थापना कुल मिलाकर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकार क्षेत्र में आती है। तथापि, यदि कोई परियोजना/संयंत्र राष्ट्र स्तरीय योजना का भाग है, तो सरकार प्रत्येक मामले के आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के संबंधित उपक्रम को आवश्यक बजटीय सहायता प्रदान करती है। दिनांक 1.7.2002 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय क्षेत्र में 541 परियोजनाएं थी, जिनमें से प्रत्येक की लागत 20 करोड़ तथा इससे अधिक थी। इन परियोजनाओं की मूल लागत 1,72,790 करोड़ रुपए थी।

(ग) से (ङ) परियोजना प्रभावित लोगों को नौकरियां देने से सम्बन्धित मामलों पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सम्बन्धित उपक्रमों के प्रबन्धनों द्वारा विचार किया जाता है तथा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय रूप से कोई आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं।

नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी का पुनरुद्धार

4866. श्री सुनील खां : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागालैंड सरकार ने बी.आई.एफ.आर. के एन.पी.सी.सी. को बंद करने के आदेश के विरुद्ध औद्योगिक और वित्तीय पुन: संरचना अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर की है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी के लिए प्रचालन एजेंसी का नाम क्या है;

(घ) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड ने एन.पी.सी.सी. के लिए किसी परामर्शदाता की नियुक्ति की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त परामर्शदाता ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(छ) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ज) एन.पी.सी.सी. के पुनरुद्धार के संबंध में रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) खण्डपीठ ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी (एन.पी.पी.सी.) को बन्द करने के आदेश के विरुद्ध आदेश जारी किया है। दिनांक 14.11.2002 को हुई अपनी सुनवाई में, खण्डपीठ ने तीन महीने का समय बढ़ाने की स्वीकृति दी तथा सुनवाई की अगली तिथि 28.2.2003 निर्धारित की।

(ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को आपरेटिंग एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया।

(घ) और (ङ) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. ने नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कंपनी (एन.पी.पी.सी.) के सम्बन्ध में एक विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैसर्स डेवलेपमैन्ट कन्सलटेन्टस प्राईवेट लि. को नियुक्त किया है।

(च) और (छ) मैसर्स डेवलपमैंट कन्सलटेन्टस प्राईवेट लिमिटेड ने नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कंपनी के पुनरुद्धार तथा उन्नयन के सम्बन्ध में एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत कर दिया है जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- वेल्यू एडेड पेपर का 33000 टन प्रति वर्ष (टी.पी.ए.) से 45,000 टन प्रति वर्ष (टी.पी.ए.) के अनुमानित उत्पादन में उन्नयन।

- पुनरुद्धार लागतों को पूरा करने के लिए 2 विकल्प सुझाए गए हैं:

विकल्प-I इस अनुमान के साथ कि भारत सरकार द्वारा परियोजना लागतों का व्यय उठाया जाएगा, 254 करोड़ रुपये की राशि ऋण और इक्विटी के रूप में समान अनुपात में मुहैया कराना।

विकल्प-II इस अनुमान के साथ की भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण परियोजना लागतों का व्यय उठाया जाएगा, 240 करोड़ रुपये की राशि इक्विटी के रूप में मुहैया कराना।

रिपोर्ट में उल्लिखित मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

(1) परियोजना का कार्यान्वयन 24 माह में तथा वाणिज्यिक उत्पादन के बाद पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रमश: 70, 90 तथा 100 प्रतिशत क्षमता उपयोगिता मिल की प्राप्ति।

(2) कच्चे मालों की पर्याप्त आपूर्ति।

(3) नागालैंड सरकार द्वारा परिवहन, ढांचागत पुनर्संरचना और विश्वसनीय संचार नेटवर्क का विकास।

(4) पावर स्टीम जनरेशन में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।

(5) ब्लीचिंग के लिए वातावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी प्रक्रिया अपनाना।

(6) भारत सरकार द्वारा मौजूदा देयताओं (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार 197.4 करोड़ रुपये की संचित हानि) को बट्टे खाते डालना।

(7) बिक्री मूल्य में भिन्नता के लिए परियोजना की वित्तीय क्षमता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जिसे वर्तमान में तैयार उत्पादों को 33800 रुपये प्रति टन का अनुमान लगाया गया है।

(ज) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने सरकार के समक्ष अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

4867. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ख) राज्यों में निवेश का निर्णय करते समय किन मुख्य कारकों को ध्यान में रखा जाता हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विनिवेश के कारण सरकारी क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश कम हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या विनिवेश और राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर कम खर्च के कारण औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र प्रभावित हुये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अधिक धनराशि के निवेश के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं या उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) विभिन्न राज्यों में सकल परिसम्पत्ति के सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में किए गए पूंजीनिवेश का ब्यौरा सम्बद्ध वर्ष के लोक उद्यम सर्वेक्षण, खण्ड-I, जो कि एक प्रकाशित दस्तावेज है, में उपलब्ध है।

(ख) परियोजनाओं में निवेश के बारे में निर्णय तकनीकी आर्थिक पहलुओं, यथा कच्ची सामग्री की उपलब्धता, विद्युत, सड़क, संचार, बाजार से निकटता आदि सहित आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ग) सकल परिसम्पत्ति के सन्दर्भ में किए गए निवेश के सम्बन्ध में नवीनतम सूचना वर्ष 2000-2001 तक की उपलब्ध है और गत तीन वर्षों अर्थात 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-01 के दौरान किए गए कुल पूंजीनिवेश की राशि क्रमश: 354132, 381210 तथा 411869 करोड़ रुपये है, जो वृद्धि दर्शाता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(च) वर्तमान उदारीकृत आर्थिक परिवेश में औद्योगिक क्षेत्र को काफी हद तक लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और इसलिए निजी क्षेत्र देश में कहीं भी पूंजीनिवेश करने के लिए स्वतंत्र है।

दक्षिण मध्य रेलवे में महालक्ष्मी एक्सप्रेस पर हमले का प्रयास

4868. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत में कोल्हापुर-पुणे मार्ग पर पुणे और सतारा के बीच लूट के प्रयास हुए थे;

(ख) क्या गत दीवाली के दौरान पुणे के निकट दक्षिण मध्य रेलवे में महालक्ष्मी एक्सप्रेस पर हमले का प्रयास किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) चलती गाड़ियों में यात्रियों एवं उनके सामान की सुरक्षा करना और रेल परिसरों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना संबंधित राज्य सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। रेलों पर अपराध संबंधी मामले राजकीय रेलवे पुलिस के ध्यान में लाए जाते हैं, उनके द्वारा दर्ज किए जाते हैं और छानबीन की जाती है। अत: प्रश्न में पूछी गई सूचना रेल मंत्रालय के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है।

रेल विभाग द्वारा पंचायतों से सहयोग की मांग

4869. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग का विचार रेल सुरक्षा बढ़ाने में सहायता करने के उद्देश्य से रेल मार्गों के कार्य में पंचायतों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी जोन में इस योजना की परीक्षा की गयी है;

(घ) यदि हां, तो पंचायतों और रेल विभाग के बीच ऐसे सहयोग के लिए चुने गये क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे सहयोग से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) 1994 और 1995 में राज्य सरकारों से अपने राज्य के प्रत्येक गांव के मुखिया को अपने गांववासियों के साथ बैठकें आयोजित करने और उनमें जागरूकता पैदा करने कि बिना चौकीदार वाले समपारों को पैसे पार करें और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरे से बचने हेतु कहने के लिए अनुरोध किया गया था। बिना चौकीदार वाले समपार पार करने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में क्षेत्रीय रेलें समय-समय पर अभियान चलाती है जिसमें विभिन्न नागरिक निकाय, जिला प्रशासन, नगरपालिकाएं, ग्राम पंचायतें और बहुत सी गैर-सरकारी एजेंसियां पूर्णत: शामिल होती हैं। ये सामाजिक अभियान क्षेत्रीय रेलों द्वारा मुख्यत: संरक्षा बढ़ाने में सड़क वाहन उपयोगकर्ताओं की भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए चलाए जाते हैं। दुर्घटनाओं में कमी के संबंध में इन उपायों के परिणामों की मात्रा का आकलन करना व्यावहारिक नहीं है।

जुड़वा परियोजनाओं में भाग लेने की दक्षिण मध्य रेलवे की अनुमति

4870. श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
श्री के. येरननायडू :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से जुड़वां परियोजनाओं में भाग लेने की दक्षिण मध्य रेल की अनुमति देने के लिये रेल बोर्ड को निर्देश देने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या आध्र प्रदेश सरकार ने रेल बजट 2001-2002 में सिकन्दराबाद-लिंगमपल्ली एम.आर.टी.एस. परियोजनाओं को शामिल करने हेतु तत्काल कार्रवाई का निवेदन किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) निकट भविष्य में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 'ई सेवा' जो ट्विन्स परियोजना का विस्तारित रुपांतरण है के ब्रांड मांग के अन्तर्गत स्थापित इंटेग्रेटिड सिटीजन सर्विस सेन्टरों के कंप्यूटरीकृत नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटरीकृत रेलवे टिकटों की बिक्री की अनुमति देने के लिए उनसे एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) इस परियोजना पर अभो तक निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) से (ङ) मल्टी-मॉडल उपनगरीय दैनिक यात्री परिवहन प्रणाली के चरण-I के रूप में फलकनुआ-सिकंदराबाद, सिकंदराबाद-लिंगमपल्ली तथा सिंकदराबाद-नामपल्ली के मार्गों के अपग्रेडेशन की परियोजना को 69.96 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 2001-2002 की रेलवे की अनुदान की पूरक मांगों में रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। परियोजना की लागत रेलवे तथा आंध्र प्रदेश सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में वहन की जानी है। परियोजना पर कार्य प्रगति पर है तथा चालू वित्तीय वर्ष में इसे पूरा किए जाने का लक्ष्य है। बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा समय पर भूमि अधिग्रहण कर लिया जाए।

भटिंडा-जाखल के बीच दोहरी लाईन

4871. श्री भान सिंह भौरा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भटिंडा-जाखल रेल लाइन के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त दोहरी लाइन कब तक बिछाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई रेलगाड़ियों का चलाया जाना

4872. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत की राजधानी को विभिन्न स्थानों से सीधे जोड़ने के लिये नई ट्रेन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुक्तसर और दिल्ली के बीच सीधी रेलगाड़ी शुरू करने हेतु पंजाब सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) दिल्ली/नई दिल्ली से जाने माने तीर्थस्थल मुक्तसर के बीच कब तक नई रेलगाड़ी शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) परिचालनिक व्यावहारिकता, वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्य तथा संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन भारतीय रेलों पर गाड़ियां चलाना एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) से (घ) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं परन्तु परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल, इन्हें कार्यान्वित करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

अपराह्न 12.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

आधे घंटे की चर्चा के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक टिप्पणी करनी है।

माननीय सदस्यों, आधे घंटे की चर्चा आज की कार्य-सूची में क्रम संख्या 30 पर श्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सूचीबद्ध की गयी है।

चूंकि श्री चौहान ने चर्चा करने संबंधी अपनी सूचना को वापस ले लिया है; अतएव, आधे घंटे की चर्चा आज नहीं होगी।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6734/2002]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6735/2002]

(ख) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6736/2002]

(ग) (एक) नेशनल बाईसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल बाईसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महोखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6737/2002]

(घ) (एक) माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6738/2002]

(ङ) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6739/2002]

(च) (एक) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6740/2002]

(छ) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊटी के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊटी का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6741/2002]

(ज) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के संबंध में लेखापरीक्षकों/नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों और इस संबंध में दिये गये उत्तरों की संवीक्षा के बारे में विवरण।

(तीन) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6742/2002]

(झ) (एक) भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6743/2002]

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): महोदय, मैं प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अन्तर्गत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (आकाशवाणी समाचार वाचक -व- अनुवादक पद) सेवा विनियम, 2002 जो 22 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-10/19/2001-पी.पी.सी. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6744/2002]

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6745/2002]

(ख) (एक) एम.एस.टी.सी. लिमिटेड तथा उसकी अनुषंगी कंपनी फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एम.एस.टी.सी. लिमिटेड तथा उसकी अनुषंगी कंपनी फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6746/2002]

(ग) (एक) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6747/2002]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6748/2002]

(ख) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6749/2002]

(ग) (एक) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6750/2002]

(2) दसवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

दसवीं लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 39 दूसरा सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6751/2002]

बारहवीं लोक सभा

(दो) विवरण संख्या 27 दूसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6752/2002]

तेरहवीं लोक सभा

(तीन) विवरण संख्या 19 दूसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6753/2002]

(चार) विवरण संख्या 19 तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6754/2002]

(पांच) विवरण संख्या 15 चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6755/2002]

(छह) विवरण संख्या 13 चौथा, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6756/2002]

(सात) विवरण संख्या 12 छठा सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6757/2002]

(आठ) विवरण संख्या 10 सातवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6758/2002]

(नौ) विवरण संख्या 7 आठवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6759/2002]

(दस) विवरण संख्या 5 नौवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6760/2002]

(ग्यारह) विवरण संख्या 2 दसवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6761/2002]

अपराह्न 12.02 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* **हुए]**

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6762/2002]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6763/2002]

(ग) (एक) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में विवरण।

(दो) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6764/2002]

(घ) (एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित

लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6765/2002]

(ङ) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6766/2002]

(2) (एक) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालघाट के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालघाट के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6767/2002]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नाथपा झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नाथपा झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6768/2002]

(ख) (एक) पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6769/2002]

(ग) (एक) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टेहरी का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6770/2002]

(घ) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6771/2002]

(ङ) (एक) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6772/2002]

(2) (एक) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्ट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6773/2002]

(3) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6774/2002]

(4) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6775/2002]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्री तपन सिकदर की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6776/2002]

अपराह्न 12.03½ बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 17 दिसम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 10 दिसम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 2002 से बिना किसी संशोधन से सहमत हुई।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 17 दिसम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 10 दिसम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे, विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2002 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 दिसम्बर, 2002 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12.04 बजे

लोक लेखा समिति

चालीसवां, इकतालीसवां और बयालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह (जालौर): महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2002-2003) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) "स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोग (2000-2001) से अत्यधिक व्यय" संबंधी चालीसवां प्रतिवेदन।

(2) "निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात कारबार के लिए रखे गए लाभों के संबंध में कटौती" के बारे में लोक लेखा समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी इकतालीसवां प्रतिवेदन।

(3) "आपदा राहत कोष" के बारे में लोक लेखा समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी बयालीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04¼ बजे

याचिका समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं याचिका समिति का तेईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त समिति

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): महोदय, मैं शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): महोदय, मैं शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के अभिलेख की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

पैंतीसवां, छत्तीसवां, सैंतीसवां, अड़तीसवां और उनतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वां प्रतिवेदन।

(3) कृषि मंत्रालय (पशुपालन एवं डेयरी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन।

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

(5) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05½ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

इकत्तीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2002) का ''विद्युत विधेयक, 2001'' संबंधी इकत्तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05¾

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर): महोदय, मैं विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखती हूं:

(एक) ''विदेश मंत्रालय की वर्ष 2000-2001 की अनुदानों की मांगों'' के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी चौथे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण।

(दो) ''विदेश मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की मांगों'' के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी आठवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण।

अपराह्न 12.06 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

तैंतीसवां, चौंतीसवां, पैंतीसवां, छत्तीसवां, सैंतीसवां और अड़तीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

1. रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक, 2001 संबंधी 33वां प्रतिवेदन।
2. वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले एवं व्यय विभागों) की अनुदान मांगों (2002-2003) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 34वां प्रतिवेदन।
3. वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदान मांगों (2002-2003) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 35वां प्रतिवेदन।
4. विनिवेश मंत्रालय की अनुदान मांगों (2002-2003) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 36वां प्रतिवेदन।
5. योजना मंत्रालय की अनुदान मांगों (2002-2003) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 37वां प्रतिवेदन।
6. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2002-2003) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06½ बजे

खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

बीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, मैं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) के संबंध में 'खाद्यान्न की खरीद भण्डारण और वितरण' विषय पर खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

रेल अभिसमय समिति

छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़): महोदय, मैं 'विद्यमान मार्गों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए वैकल्पिक

मार्गों का विकास' विषय पर रेल अभिसमय समिति (1999) के चौथे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.07½ बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

बानवेवां से एक सौ दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. बी.बी. रमैया (एलूरू): महोदय, मैं, उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में समिति के 73वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी 92वां प्रतिवेदन।

(दो) लघु उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में समिति के 75वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 93वां प्रतिवेदन।

(तीन) लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय) के रासायनिक क्षेत्रों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली संबंधी 94वां प्रतिवेदन।

(चार) लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय) की इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्रों में अंतर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहयोग संबंधी 95वां प्रतिवेदन।

(पांच) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में खादी एवं ग्रामीण उद्योग (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय) की स्थिति से संबंधित 96वां प्रतिवेदन।

(छह) कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में समिति के 74वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 97वां प्रतिवेदन।

(सात) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में समिति के 70वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 98वां प्रतिवेदन।

(आठ) खान विभाग (कोयला और खान मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में समिति के 71वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 99वां प्रतिवेदन।

(नौ) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एन.एम.डी.सी.), इस्पात मंत्रालय की निष्पादन समीक्षा संबंधी 100वां प्रतिवेदन।

(दस) भारी उद्योग विभाग (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में समिति के 72वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 101वां प्रतिवेदन।

(ग्यारह) लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय) की उर्वरक क्षेत्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली से संबंधित 102वां प्रतिवेदन।

(बारह) भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड (इस्पात मंत्रालय) को वित्तीय सहायता तथा पुनर्संरचना पैकेज तथा इसके पुनरुद्धार के क्रियान्वयन संबंधी स्थिति के बारे में समिति के 87वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी 103वां प्रतिवेदन।

(तेरह) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, (इस्पात मंत्रालय) को वित्तीय सहायता तथा इसके पुनरुद्धार के क्रियान्वयन संबंधी स्थिति के बारे में समिति के 85वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 104वां प्रतिवेदन।

(चौदह) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, खान विभाग (कोयला और खान मंत्रालय) के आधुनिकीकरण, पुनरुद्धार और विस्तार कार्यक्रमों और विनिवेश के पश्चात् निष्पादन के बारे में समिति के 64वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 105वां प्रतिवेदन।

(पन्द्रह) वैश्वीकरण और पूंजीगत सामान उद्योग के बारे में लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित 106वां प्रतिवेदन।

(सोलह) परिनिर्धारित नुकसानी और संबंधित मुद्दों (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) संबंधी 107वां प्रतिवेदन।

(सत्रह) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित कॉयर बोर्ड—एक निष्पादन समीक्षा के बारे में समिति के 91वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 108वां प्रतिवेदन।

(अठारह) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना (कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय) के कार्यान्वयन के बारे में समिति के 84वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 109वां प्रतिवेदन।

(उन्नीस) मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड (इस्पात मंत्रालय) के कार्य निष्पादन की समीक्षा के बारे में समिति के 86वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 110वां प्रतिवेदन।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, मैंने तहलका पर एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। आप अगली मद पर कार्यवाही आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? स्थगन प्रस्ताव को अन्य मदों के मुकाबले वरीयता मिलनी ही चाहिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद लूंगा।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : आपको पहले स्थगन प्रस्ताव के बारे में निर्णय देना चाहिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमेशा उसके बाद ही लिया जाता है। मेरी सूचना स्थगन प्रस्ताव के संबंध में है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह मामला प्रश्न काल के दौरान उठाया था। उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपको कहा था कि 'शून्य काल' में आपको अपना स्थगन प्रस्ताव रखने का समय दिया जाएगा। मैं आपको आपके स्थगन प्रस्ताव की स्थिति बाद में बताऊंगा।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : आप कैसे मेरे स्थगन प्रस्ताव का फैसला बाद में कर सकते हैं? इसे बाद में कैसे लिया जा सकता है? स्थगन प्रस्ताव को अवश्य वरीयता मिलनी चाहिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मैं सारी बातें बता दूं तो आपको बोलने तक का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, मुझे धमकी मत दीजिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता दूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपको प्रश्न काल के दौरान बताया था कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद आपको 'शून्य काल' में इसका उल्लेख करने का मौका दिया जाएगा। इसका फैसला क्या होगा, मैं आपकी बात सुनने के बाद बता दूंगा।

अपराह्न 12.09 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

[हिन्दी]

भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, मैं गृह राज्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें-

"भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता के बारे में उठाए गए कदम।"

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में 18 भाषाऐं हैं (इनमें से 14 भाषाओं को स्वयं संविधान सभा ने आठवीं अनुसूची में शामिल किया था) ये भाषाऐं हैं: असमी, बंगाली, कन्नड, गुजराती, हिन्दी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलगू और ऊर्दू। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 1967 में आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। 1992 में तीन और भाषाओं-कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाऐं देश की 92.20% जनसंख्या द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषाऐं हैं, जैसा कि 1991 की जनगणना में प्रकाशित किया गया है।

सरकार को आठवीं अनुसूची में अतिरिक्त भाषाओं को शामिल करने के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। इस समय भोजपुरी सहित 32 भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के अनुरोध सरकार के पास लंबित पड़े हैं।

आठवीं अनुसूची का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 में है। अनुच्छेद 344(1) में संविधान के प्रारम्भ होने के बाद पांच साल की अवधि पूरी होने पर और उसके बाद, ऐसे प्रारम्भ से 10 साल की अवधि पूरी होने पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग गठित किए जाने की व्यवस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्य होंगे, जो संघ के सरकारी प्रयोजन के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह व्यवस्था है कि हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए जहां तक आवश्यक हो या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से तथा अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। इस अनुच्छेद से यह प्रतीत होता है कि आठवीं अनुसूची हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने और उस भाषा को समृद्ध और विकसित करने के लिए बनायी गयी थी। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ वर्षों से आठवीं अनुसूची के संबंध में लोक अवधारणा बदल गई है और आठवीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने को कई लोगों द्वारा, उस भाषा को उच्च दर्जा देने के रूप में देखा जाता है।

आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने के लिए वस्तुपरक मानदण्ड के अभाव में सरकार ने सचिव, राजभाषा की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया था। इस समिति ने विभिन्न पहलुओं की जांच की और अपनी रिपोर्ट 1998 में प्रस्तुत की। इस समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उच्चाधिकार प्राप्त निकाय स्थापित करने की सिफारिश की, जिसमें साहित्यिक, शैक्षणिक, सामाजिक और विधि क्षेत्रों के विशेषज्ञ हों, जो आठवीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने हेतु विषयपरक मानदण्ड तैयार करने के विषय पर गहराई से विचार करेगा ताकि यह निकाय विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि संगठनों से बातचीत करके मानदण्ड तैयार करने के बारे में ठोस राय बना सके।

सरकार ने, इस मुद्दे की महत्ता को देखते हुए आठवीं अनुसूची में और भाषाओं में शामिल करने के लिए वस्तुपरक मानदण्ड तैयार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय नियुक्त करने का निर्णय लिया। ऐसे निकाय के गठन पर सरकार इस समय विचार कर रही है। भोजपुरी सहित 32 भाषाओं को शामिल करने के बारे में सरकार को प्राप्त अनुरोधों पर उच्चाधिकार प्राप्त निकाय द्वारा तैयार किए गए ऐसे वस्तुपरक मानदण्ड के आधार पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस पर क्लेरीफिकेशन पूछ सकते हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग भोजपुरी इलाके से आते हैं, इसलिए हमें भी इस पर बोलने का मौका दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, हम भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी सभ्यता और उसकी समृद्धि के विषय में सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश को मिला कर लगभग 19 जिलों में भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग हैं। इतना ही नहीं दिल्ली में यह देखा गया है कि लगभग साढ़े सात लाख, महाराष्ट्र, बंगाल, असम और गुजरात में इस भाषा को बोलने वालों की संख्या सात से लेकर दस लाख के बीच में है। ये काफी तादाद में हैं। इस भाषा की पढ़ाई उत्तर प्रदेश और बिहार के महाविद्यालयों में होती है।

महोदय, हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि बिहार के भोजपुरी भाषी जिलों के सभी इंटर कॉलेजों में इंटर स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाई होती है, जिसकी मान्यता बिहार

इंटरमीडिएट कौंसिल से प्राप्त है। बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय में बी.ए. ऑनर्स तक भोजपुरी की पढ़ाई होती है। वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार) में भोजपुरी की पढ़ाई एम.ए. तक होती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एवं जौनपुर विश्वविद्यालय में भोजपुरी भाषा की एम.ए. स्तर पर एक पेपर के रूप में मान्यता प्राप्त है। साहित्य की हर विधाओं में भोजपुरी भाषा की पर्याप्त प्रकाशित पुस्तकें उपलब्ध हैं।

बिहार में भोजपुरी एकेडमी वर्षों से स्थापित है। दिल्ली सरकार भोजपुरी-मैथली एकेडमी की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर चुकी है। साहित्य एकेडमी ने भी इस वर्ष से भोजपुरी भाषा सम्मान देना प्रारम्भ कर दिया है। देश-विदेश में लगभग 50 से ज्यादा पत्र एवं पत्रिकाएं भोजपुरी भाषा में प्रकाशित होती हैं। भोजपुरी नाट्य के क्षेत्र में पद्मश्री भीखारी ठाकुर जिनकी तुलना ग्रिअरसन ने शेक्सपीयर से की है, उनके द्वारा स्थापित विदेशिया भोजपुरी नाट्य शैली की पढ़ाई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में होती है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं की चर्चित पुस्तकों और यहां तक कि रामायण का अनुवाद भी भोजपुरी भाषा में हुआ है और हो रहा है। देश में लगभग 350 पंजीकृत संस्थाएं भोजपुरी भाषा के उत्थान हेतु कार्यरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व भोजपुरी सम्मेलन नाम से एक मजबूत संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन देश के अंदर और बाहर करता है। भारत में लगभग 16 करोड़ की जनसंख्या द्वारा भोजपुरी भाषा बोली जाती है। पूरे विश्व में लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों द्वारा भोजपुरी भाषा बोली जाती है। पटना, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों से भोजपुरी भाषा के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। सैकड़ों भोजपुरी फिल्में, दूरदर्शन धारावाहिक एवं हजारों आडियो, वीडियो एवं सीडी भोजपुरी भाषा में बन चुके हैं। हिंदी फिल्में, दूरदर्शन एवं विभिन्न चैनलों के लिए बनने वाले धारावाहिकों में आज भोजपुरी भाषा का दबदबा देश जानता है। टेलीफोन पर और कम्प्यूटर पर भी भोजपुरी इलाकों में भोजपुरी भाषा ही बोली जाती है। भारत के अलावा विश्व के अन्य देशों जैसे मॉरिसस, सूरीनाम, ट्रीनीडॉड, फिजि, ब्रिटिश गुयाना, हॉलैंड, नेपाल, दक्षिण अमेरिका के कुछ छोटे-छोटे देश, वैस्ट-इंडीज आदि देशों में 40 से 60 प्रतिशत तक आबादी भोजपुरी भाषा बोलती है। मॉरिसस में भोजपुरी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है।

उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी जो कमीशन बनाने की बात कर रहे थे कि तो किन-किन मानदंडों पर कमीशन विचार करेगा? क्या आबादी के आधार पर, भाषा की समृद्धि के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर या भौगोलिक पृष्ठभूमि के आधार पर विचार करेगा। उसमें सरकार क्या-क्या शामिल करना चाहेगी। हम जानना चाहते हैं कि कमीशन किन-किन बिंदुओं पर विचार करेगा?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बसुदेव आचार्य और श्री रघुनाथ झा को अनुमति दूंगा। अब, श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे। आपको विशिष्ट प्रश्न ही पूछना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, जहां तक संथाली और भोजपुरी भाषाओं का संबंध है, तो लम्बे समय से संथाली भाषा को मान्यता प्रदान करने की मांग होती रही है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी को बोलने का अवसर प्रदान करता किंतु नियम मुझे इसकी अनुमति नहीं देते। विशेष मामले के रूप में माननीय अध्यक्ष महोदय ने केवल इन दो सदस्यों को ही अनुमति दी है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह भाषा झारखण्ड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम के एक करोड़ से भी अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। संथाली भाषा एक समृद्ध और प्राचीन भाषा है। भारतीय भाषाओं में यह तेरहवें स्थान पर हैं। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जैसी भाषाओं को अपेक्षाकृत कम लोगों द्वारा ही बोला जाता है। इन भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई तथा हमने अपना समर्थन भी दिया था किंतु यह भाषा जो कि आदिवासी समुदाय की भाषा है, को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। गृह मंत्रालय से हमें पिछले दो वर्षों से यही उत्तर प्राप्त हो रहा है कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति को नियुक्त किया जाएगा किंतु गृह राज्य मंत्री के वक्तव्य के अनुसार इस समिति का अभी गठन किया जाना है।

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस समिति का गठन कब तक हो जाएगा और क्या यह उच्चाधिकार प्राप्त समिति 25 करोड़ से भी अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भोजपुरी जैसी भाषाओं तथा चार-पांच राज्यों के आदिवासी समुदाय द्वारा बोले जाने वाली प्राचीन संथाली भाषा पर विचार करेगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह समिति इन दोनों भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर भी विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई लम्बा प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं। मैं इतना ही माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बारे में कोई निश्चित तिथि

[श्री रघुनाथ झा]

की घोषणा करेंगे कि कब तक हाई पावर्ड कमेटी बन जाएगी? बहुत अधिक संख्या में इतनी रिच भाषा को जिसे लोग पढ़ते, बोलते और शिक्षा लेते हैं, उस भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने में जो स्थिति भोजपुरी की है, वही स्थिति मैथिली की है। क्या आप इस कमीशन में भोजपुरी इलाके के लोगों को सम्मिलित करेंगे या नहीं? क्या उसमें विद्वान लोगों को भी रखेंगे या नहीं जिससे वे वहां अपनी भाषा की बात को रख सकें। इसी तरह से क्या मैथिली के इलाके से मैथिली वाले लोगों को सम्मिलित करेंगे?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस पर बोलने के लिए एक मिनट का समय दिया जाए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें नियम आड़े आते हैं।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान, विशेष मामले के रूप में मैं केवल एक या दो व्यक्तियों को ही बोलने की अनुमति दे सकता हूं। आप एक मिनट के लिए बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, चन्द्रशेखर जी भोजपुरी इलाके के हैं। इनके भी इस बारे में विचार सुन लेने चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस कंडक्ट करने के लिए आपने नियम बनाए हैं। मैं उन्हें तोड़ कैसे सकता हूं?

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैं भोजपुरी और मैथिली भाषा का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि सरकार एक निश्चित तिथि बताए। इसके साथ-साथ मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी जो भारत की राष्ट्र भाषा है, उसकी दुर्दशा कब तक होती रहेगी और अंग्रेजी कब तक चलती रहेगी?

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज): उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में बहुत से आदिवासी हैं लेकिन आज तक एक भी आदिवासी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। संथाली भाषा बहुत ज्यादा लगभग एक करोड़ लोग बोलते हैं। बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, त्रिपुरा और बिहार के लोग इस भाषा को बोलते हैं। इस भाषा से कम बोली जाने वाली— जैसे मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली और संस्कृत इत्यादि भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया है। पहले भारत सरकार ने बाकी भाषाओं को शामिल करने के मामले में कोई मानदंड नहीं रखा। जब हम लोगों की बारी आई तो कहा जाता है कि क्राइटीरिया फिक्स करना है और कमीशन बनाना है। तरह-तरह की बातें हो रही हैं। वह कमीशन भी दो साल से नहीं बना है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : स्पैसिफिक क्लैरिफिकेटरी सवाल पूछिए।

श्री सालखन मुर्मू : जब पहले कोई क्राइटीरिया नहीं था, अब क्राइटीरिया बनाने की बात क्यों आ रही है? हम उसे स्वीकार करते हैं लेकिन सरकार दो साल से केवल आश्वासन दे रही है। ऐसे हालात में जो आदिवासी भाषाओं का मामला है, जब तक इन भाषाओं से पठन-पाठन नहीं होगा तब तक लिटरेसी रेट भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमारे क्षेत्र में छोटे बच्चों का चाहे बंगला हो, उड़िया हो, हिन्दी हो, उनको ये भाषाएं विदेशी भाषा की तरह पढ़ने-पढ़ाने में कठिन लगती हैं। इतनी बड़ी आबादी के होते हुए संविधान में प्रावधान है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पठाया जाए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपको सवाल पूछना है तो एक ही सवाल पूछिए। आप भाषण मत करिए।

श्री सालखन मुर्मू : संथाली भाषा और अन्य भाषाएं जो आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए डिजर्व करती हैं, उसके बारे में सरकार क्या और कब करने वाली है?

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): 3 दिसम्बर को मैंने नियम 377 के अधीन, केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हुए यह मुद्दा उठाया था कि मैथिली वाले मामले पर विचार किया जाए और उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। उस समय डा. संजय पासवान भी वहां मौजूद थे। यह भाषा केवल बिहार में ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों में भी बोली जाती है। अन्य शहरों के साथ-साथ कलकत्ता में ही भोजपुरी तथा मैथिली बोलने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। श्री आचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में संथाली बोलने वाले लोग भी बहुत हैं।

मिथिला, पूरे देश में अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार इतिहास और प्रगतिशील वर्तमान के लिए प्रसिद्ध है। माननीय मंत्री ने विशेष रूप से यह बताया कि 18 भाषाओं को पहले ही मान्यता प्रदान की जा चुकी है और 32 भाषाएं अभी भी विचाराधीन

हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस लंबित सूची में मैथिली भी है या नहीं।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष इन 32 भाषाओं के संबंध में कोई घोषणा करने और निर्णय लेने के लिए कोई निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम है?

उपाध्यक्ष महोदय : उच्चाधिकार प्राप्त उच्चाधिकार सम्पन्न समिति की नियुक्ति अभी की जानी है। इसकी नियुक्ति अभी नहीं की गई है। इस प्रकार, यह समय-सीमा संबंधी घोषणा कैसे हो सकती है?

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : समय-सीमा तभी हो सकती है जब इसे नियुक्त किया जाए। लेकिन इसकी घोषणा कब होगी?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मैं माननीय मंत्री से केवल एक प्रश्न ही पूछना चाहता हूं।

चूंकि यह गृह मंत्रालय में हैं, क्या ये जानते हैं कि बंगाल के उत्तरी भाग में राजबोंन्शी नामक अनुसूचित जाति समुदाय द्वारा भाषा को लेकर आंदोलन किया जा रहा है? हमें यह स्पष्ट नहीं है कि यह भाषा है अथवा बोली। क्या मंत्री महोदय मामले की जांच करेंगे और यह देखेंगे कि उनकी शिकायतों का समाधान हो और उनका उचित प्रकार से निवारण भी हो। मैं उत्तरी बंगाल के राजबंशी समुदाय की बात कर रहा हूं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): महोदय, भोजपुरी भाषा वाले मामले का समर्थन करने के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार, राजस्थानी भाषा भी कई राज्यों तथा क्षेत्रों में बोली जाती है। क्या इसको भी आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को चर्चा में परिवर्तित किया जा रहा है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : भोजपुरी की ही तरह राजस्थानी भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्थानी और भोजपुरी भाषाओं पर विचार किया जाए और उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। कृपया इन दोनों भाषाओं के बारे में स्पष्ट उत्तर दीजिए।

डा. जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला असम): स्वतंत्रता प्राप्ति के 55 वर्षों के पश्चात् भी, संविधान की आठवीं अनुसूची में ऐसी कोई भी भाषा शामिल नहीं की गई है जो आदिवासी समुदायों द्वारा बोली जाती हो। मेरा मुद्दा यह है कि यदि आदिवासी समुदायों तथा अन्य समुदायों की भाषाओं को लेकर एक ही मानदण्ड का पालन किया जाता है तो आठवीं अनुसूची में तो कोई भी आदिवासी भाषा शामिल नहीं हो पाएगी। यदि आप आबादी को ध्यान में रखते हैं और यदि आप भाषाओं के लिए इस पर दृष्टि डालें तो आप पाएंगे कि विद्यालयों में आदिवासी भाषाएं नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो फिर उनका विकास कैसे होगा? मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या जनजातीय भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करते समय पृथक मानदण्ड अपनाए जाएंगे।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): महोदय, मैं स्वयं को श्री प्रभुनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से सम्बद्ध करता हूं।

अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि हमारे दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी रचनाएं भोजपुरी में लिखीं थी। हम इस प्रस्ताव को स्वीकृत करना चाहेंगे। हमारा सरकार से यह अनुरोध भी है कि पटियाला के पंजाबी विश्वविद्यालय में भोजपुरी पीठ भी स्वीकृत की जाए ताकि हम यह भाषा समझ सकें। हमारे ग्रंथों के लिए यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

दूसरा, हम सरकार से यह भी कहना चाहेंगे कि हमें मलेर कोटला में उर्दू तथा फारसी के अध्ययन के लिए एक स्कूल और एडवांस स्टडीज भी प्रदान किया जाए क्योंकि सिक्ख शास्त्रों को समझने में ये भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे प्रभुनाथ सिंह जी बार-बार मुझ से कह रहे थे कि मैं भी इस विषय पर बोलूं। मुझे आश्चर्य है कि यह सरकार इस देश को कहां तक ले जाएगी। बात यहां तक आ पहुंची है कि 35-36 भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। हिन्दी को एक आल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक भाषा बनाने के लिए हमने वायदा किया था, वह वैकल्पिक भाषा बनी नहीं और हम 35 भाषाओं को और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

महोदय, जगह-जगह से सवाल आ रहा है कि हमारी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आदिवासियों की अलग भाषा है, बंगालियों की अलग भाषा है, उत्तर प्रदेश के भोजपुरी इलाके की अलग भाषा है। मैं भी भोजपुरी बोलता हूं और यहां जो भोजपुरी बोलने वाले हैं उन सबसे अच्छी

[श्री चन्द्रशेखर]

भोजपुरी बोलता हूं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह की मांगों को संसद में उठाना और सरकार का इस तरह से आश्वासन देना ठीक नहीं है। क्योंकि आश्वासन देने में यह सरकार तेज है इसलिए इस प्रकार की मांग की जाती है।

महोदय, मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि बड़ी कृपा होगी अगर मंत्री महोदय आश्वासन देने के बजाय हिन्दी को विकसित करने का काम करें और जो लोग इन भाषाओं और बोलियों को विकसित करना चाहते हैं, वे इनका विकास करें। प्रभुनाथ सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वे भोजपुरी को विकसित करने का काम करते रहें, लेकिन उसे संविधान के आठवें शेड्यूल में लाने की कोशिश न करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अपने उत्तर से पहले मुझे रिकॉर्ड सही करने दें। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में केवल एक ही माननीय सदस्य को अनुमति दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने दोनों माननीय सदस्यों—श्री बसुदेव आचार्य तथा श्री रघुनाथ झा को अपवाद के रूप में अनुमति प्रदान की है। इस अपवाद का विस्तार मैंने अन्य माननीय सदस्यों तक कर दिया है किंतु भविष्य में इसे उदाहरण के रूप में न लिया जाए।

[हिन्दी]

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, जितने सवाल यहां उठाए गए हैं और चन्द्रशेखर जी ने जो बात कही है, दोनों को यदि मिला दिया जाए तो यही रीजन है, यही कारण है कि कांस्टीट्यूशन की हाई पावर्ड कमेटी की ऑफीसर्स कमेटी ने एक बात रिकमेंड की कि वन ऑफीशियल लैंग्वेज स्टेट में अगर कोई आफीशियल लैंग्वेज है, तो उसे एट्थ शेड्यूल में ले लिया जाए। इसी तरह कहा गया कि उस भाषा को आबादी के बड़े भाग द्वारा बोला जाना चाहिए। लेकिन वे इस बात के पक्ष में थे कि जब तक एकेडीमीशियन, लीगल एक्सपर्ट्स और उन लैंग्वेजेज के एक्सपर्ट्स की जब तक राय न ली जाए और एक हाई पावर्ड कमेटी न हो, तो एक आब्जैक्टिव क्राइटीरिया इवॉल्व करने के लिए बड़ी दुश्वारी होगी, दिक्कतें होंगी और उसमें दिक्कतें आएंगी। *..(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : उपाध्यक्ष महोदय, 100 करोड़ लोगों में से यदि 25 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं तो और कैसा क्राइटीरिया चाहिए? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : मैंने कहा था कि इस पर सरकार विचार कर रही है और इस पर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। मैं आपको यही विश्वास दिला सकता हूं *...(व्यवधान)* कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती है किंतु यह भी है कि सरकार इस पर विचार कर रही है और यह अंतिम चरण में है। जल्द ही उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

यह मामला सिर्फ संथाली का नहीं है, यह मामला सिर्फ भोजपुरी का नहीं है, यह मामला सिर्फ राजस्थानी का नहीं है, यह मामला सिर्फ डोगरी का नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा तकरीबन 32 भाषाओं को कांस्टीट्यूशन के एट्थ शेड्यूल में इन्क्लूड करने की मांग डिफरेंट प्लेसेस से आई है और इसीलिए यह क्राइटीरिया, ऑब्जैक्टिव क्राइटीरिया बनाने की बात कही गई है।

महोदय, सरकार ने तो इस मामले को रिव्यू कमीशन के पास भी भेजा था कि वह इस मामले को देख ले, लेकिन उन्होंने भी इसके बारे में कोई रिक्मेंडेशन नहीं की और सिर्फ इतना कहा कि सब्स्टेंश्यल प्रपोर्शन आफ पापुलेशन का सवाल है, वहां इस टर्म को 10 प्रतिशत कर दिया जाए कि 10 प्रतिशत लोग हों, लेकिन जैसा प्रभु नाथ सिंह जी ने कहा कि बहुत अच्छा लिटरेचर भी है, यूनीवर्सिटी में भोजपुरी पढ़ाई जा रही है, बहुत सारे हायर सैकेंड्री स्कूल में पढ़ाई जा रही है, लिटरेचर अवेलेबल है। इसी प्रकार से राजस्थानी में, जोगरी में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसलिए मैं आपके माध्यम से डिप्टी स्पीकर सर, इस हाउस को यह विश्वास जरूर दिला सकता हूं कि जो हाई पॉवर्ड कमेटी बनाने की स्टेज है, वह स्टेज एक्टिव कंसीडरेशन में है, फायनल स्टेजेज में है और ज्यों की वह हाई पावर्ड कमेटी बनती है, यह उनके ऊपर छोड़ा जाएगा कि वे कौन-कौन से एकेडीमीशियन को इसमें शामिल करेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह कमेटी कब तक बनेगी? *...(व्यवधान)*

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : वह कमेटी जल्दी ही बनेगी, जैसा मैंने कहा कि वह फाइनल स्टेज में है। वह इन सब बातों को देखेगी, चाहे वह ट्राइबल हों, *...(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: क्या उन 32 में भोजपुरी भी है? *...(व्यवधान)*

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : इन 32 में भोजपुरी भी है, मैथिली भी है, संथाली भी है, राजस्थानी भी है और डोगरी भी है।

हमारे ऑनरेबल मैम्बर श्री रौंगपी जी ने जिक्र किया है कि ट्रायबल लैंग्वेजेज भी शामिल हों। यह हाइ पावर्ड कमेटी पर डिपेंड करेगा कि वह क्या क्राइटीरिया—रूट स्थापित करती है। इसमें मुख्य चीज यह है कि जो क्राइटीरिया बनाने वाले हैं, वे क्या क्राइटीरिया बनाएंगे उस क्राइटीरिया के हिसाब से जो-जो लैंग्वेजेज क्वालीफाई करेंगी, उसी हिसाब से उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कंसीडर किया जाएगा।

मैं हाउस को इतना विश्वास जरूर दिलाता हूं कि बहुत देर से हाई पावर्ड कमेटी बनाने की बात चल रही है और अब जल्दी ही हाई पावर्ड कमेटी बना दी जाएगी।

अपराह्न 12.35 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

तहलका जांच आयोग के बारे में—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 'शून्यकाल' की कार्यवाही आरम्भ करेंगे। श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (बिदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में लोग भूख से मर रहे हैं। अभी दो लोग भूख से मरे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : हम बोलेंगे, तब कहिये न। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने पहले ही उत्तर दे दिया है। मैं यह नहीं जानता कि क्या वे कुछ और कहना चाहते हैं।

मंत्री जी, क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : मुझे और कुछ नहीं कहना।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे और कुछ कहना नहीं चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल जी, आप सभी लोगों, नामत: श्री बसुदेव आचार्य, श्री प्रबोध पंडा, श्री मोइनुल हसन, श्री जी.एम. बनातवाला, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री सुनील खाँ, डा. रामचन्द्र डोम, श्री ई. अहमद, श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी, श्री रूपचन्द पाल द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव की सूचना के संबंध में श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने भी प्रश्नकाल के स्थगन की सूचना दी है माननीय अध्यक्ष ने आरम्भ में ही कहा था कि मंत्री जी प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में स्थिति को स्पष्ट करेंगे। अत:, वे अब स्पष्टीकरण देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, परन्तु अब मंत्री जी कहां हैं? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु, इसके पहले मैंने आप सभी की बात सुनना उचित समझा।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में लोग भूखे मर रहे हैं। दो आदमी भूख से मर चुके हैं, हमने इस संबंध में नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नोटिस दिया है तो मैं आपको बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

मैं आप सभी को एक साथ मौका नहीं दे सकता। मैं आपको बारी-बारी से बोलने का मौका दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इस मामले को प्रश्न काल के आरम्भ होने से पहले शुरू किया गया था और

माननीय अध्यक्ष ने इस मामले को प्राथमिकता दी है। उनके बाद मैं आपको आमंत्रित करूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज सिंह चौहान, मैंने अब सभा में श्री प्रियरंजन दासमुंशी को बोलने का मौका दिया है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचनाएं दी हैं। कृपया हमें अपनी बात रखने की अनुमति दीजिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब लोग यह विषय उठाना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, हम श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे का समर्थन करते हैं। परन्तु इससे पूर्व मंत्री जी अपना उत्तर दें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री जी उत्तर देंगे अथवा नहीं। यदि वे उत्तर देना चाहते हैं, तो मैं इसका इंतजार करूंगा *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अब उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह जी, अब मंत्री जी उत्तर देने के लिए तैयार हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : इनके बाद आप हमें चांस देंगे? मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत गम्भीर है।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): यहां मूर्ति चोरी का मामला उठाया गया था, उस तरह के मामले *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : स्पीकर महोदय ने इसे सुना है।

श्री लाल मुनी चौबे : लेकिन जिस तरह का मामला सोमनाथ चटर्जी जी द्वारा उठाया गया था, उस तरह के और भी मामले हैं और उस सम्बन्ध में सरकार को जवाब देना था *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उस समय अध्यक्ष महोदय ने आसन से कहा था, जो मामला सोमनाथ चटर्जी जी ने उठाया था कि शून्य काल में हम लोगों को बोलने का अवसर देंगे तो आप हमें सुन लीजिए। यह आसन से आदेश हुआ है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आदेश हुआ है, लेकिन सबको सुनने के बाद इनको बुलाना है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : चूंकि आसन से आदेश हुआ है, इसलिए आप हम लोगों को सुनिये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लालमुनि चोबै जी, मैं यह नहीं जानता कि क्या आप सुबह यहां उपस्थित थे अथवा नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : स्पीकर महोदय ने यह कहा कि शून्यकाल में मिनिस्टर आकर उसका रिप्लाई दे दें। वे तो उसके लिए रेडी हैं।

श्री लाल मुनी चौबे : और भी ऐसे मामले हैं, जिनका जवाब आना चाहिए। इसीलिए शून्य काल को महत्ता दी गई है। उन्होंने कहा था कि मैं शून्यकाल में आपको सुन लूंगा।

इसलिए मंत्री जी हम लोगों की बात भी सुन लें, अगर जवाब देना है तो।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सारी बात सुनकर एक साथ जवाब दे दें।

श्री लाल मुनी चौबे : जो मामला सदन में है, किसी को बड़ा मानकर, किसी को विशेष अधिकार देकर बुलवाया जाए, हम लोग छोटे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे। जब स्थगन प्रस्ताव दिया गया तो माननीय अध्यक्ष ने सरकार को उत्तर देने का निदेश दिया। यदि आप सभी लोग उत्तर सुनना चाहते हैं तो वे उत्तर देंगे, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इसमें एक घंटा लग जाएगा। बोलने वाले 10 सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : हम लोग शून्य काल की बात कर रहे हैं और शून्य काल में बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर है। हमें इसकी स्थिति जाननी होगी। इसमें क्या बात करनी है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम लोगों की भी बात सुन लें, उसके बाद जवाब दें। *...(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : इसी आसन से अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि शून्य काल में सुनेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप उन सभी सदस्यों को अनुमति दीजिए जिन्होंने सूचनाएं दी हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या वे उत्तर देने के लिए तैयार हैं?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : उनका रिप्लाई रेडी है। उसके बाद आप कहना।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आप मेरी बात सुनिए और इसके बाद सभी प्रश्नों का एक साथ उत्तर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि ऐसी बात है तो मुझे आप सभी लोगों को अनुमति देनी होगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): कानून मंत्री जी अस्वस्थ हैं और वे अस्पताल में हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हमारी बात सुन लीजिए। हमें उसी से सम्बन्धित बात कहनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपकी बात सुननी है तो सबकी बात सुननी पड़ेगी। उसमें एक-डेढ़ घंटा लग जाएगा। इनका एडजोर्नमेंट मोशन है। इश्यू एक ही है। सरकार की क्या पोजिशन है, वह बताना है।

श्री लाल मुनी चौबे : अध्यक्ष महोदय की बात हम लोग मानते हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : तहलका के बारे में सरकार की क्या पोजिशन है, यह बताना है। स्पीकर साहब ने बताया था इसलिए उसमें और कुछ नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार तहलका के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करेगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : पहले हम लोगों की बाद सुन लीजिए। उसके बाद उत्तर होगा। बहुत सारी बातें हैं, जो इससे भी गम्भीर हैं। *...(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): आप स्टेटमेंट के लिए मंत्री जी को कहें। *...(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : तहलका से गम्भीर बातें हुई हैं इस सदन में*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बताइए क्या करना है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे अपना वक्तव्य दे सकते हैं *...(व्यवधान)* उन्हें अपना वक्तव्य देने दीजिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : इसीलिए अध्यक्ष महोदय ने शून्य काल के लिए कहा था कि वे हमारी बात सुनेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय का आश्वासन है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको क्या कहना है, बताइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनसे स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप सभी अपने स्थान बैठ जाएंगे?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ जी, आपको कुछ पूछना है, तो स्टेटमेंट के बाद स्पष्टीकरण पूछ लेना।

श्री लाल मुनी चौबे : आपको हम निवेदन करना चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि शून्य काल में आप लोगों को बोलने दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल में वे जवाब देंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : दोनों को सुनकर जवाब दे दें।

श्री लाल मुनी चौबे : सदन के सम्मानित सदस्य सोमनाथ जी बोल रहे थे, उस समय हम लोग चुपचाप बैठे उनकी बात सुन रहे थे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 12.45 बजे

(इस समय श्री सुन्दरलाल तिवारी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.46 बजे

(इस समय श्री सुन्दरलाल तिवारी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, माननीय मंत्री ने आपके निदेशों का उल्लंघन किया है *...(व्यवधान)* महोदय, यह माननीय मंत्री ही हैं, जिन्होंने आपके निदेशों का उल्लंघन किया है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी जी, माननीय मंत्री जी सभा के समक्ष स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। कृपया उन पर कोई आरोप नहीं लगाइए। वे वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं, परन्तु माननीय सदस्य उन्हें अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने नहीं दे रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप पहले श्री शिवराज पाटिल की बात सुनेंगे?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करूंगा। *...(व्यवधान)* हमारी बात पहले सुन ली जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो ज्यादती है।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आप अपने सदस्यों से सभा में इस प्रकार नहीं बोलने के लिए कहेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाटील की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 12.50 बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.51 बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह अपने स्थान पर वापस चले गए।)

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को भी बोलने नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी को आमंत्रित कर रहा हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके बावजूद भी आप मंत्री महोदय के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। यह बहुत अनुचित है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे एक मिनट में स्थिति को स्पष्ट कर देंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इससे सभा की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से चलेगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कई माननीय सदस्यों ने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। उन सभी को अगर मैं बुलाता हूं, तो एक घंटे का समय लगेगा। स्पीकर साहब का आदेश था कि जीरो आवर में मिनिस्टर साहब तहलका कमीशन की पोजीशन बतायेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे बोलने भी नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप मिनिस्टर को भी एलाउ नहीं करते हैं। मैंने श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी से शुरू किया, उनको भी एलाउ नहीं कर रहे हैं। इस तरह किस तरह से हाउस को कन्डक्ट करेंगे।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आज तीन अथवा चार विधेयकों को पारित किया जाना है। मैं सभा के सभी वर्गों का सहयोग चाहता हूं।

दस माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचनाएं दी हैं और चार माननीय सदस्यों ने प्रश्न काल के स्थगन के लिए सूचनाएं दी हैं। यदि मैं उन सभी लोगों को अवसर प्रदान करता हूं तो इसके लिए कम से कम डेढ़ घंटे का समय लगेगा। इसलिए मैंने माननीय मंत्री से तहलका की जांच के संबंध में सरकार की स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था। इसके बाद, हम कार्यवाही को आगे बढ़ा पाते और मैं आपकी बात सुन पाता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : चौबे साहब, आप समझते नहीं हैं, बड़े अफसोस की बात है। आप लोग पीठासीन की मदद नहीं करते, यह बहुत गम्भीर बात है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हमें तीन अथवा चार विधेयक पारित करने हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.59 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, मंत्री द्वारा वक्तव्य के बारे में क्या हुआ? *...(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष महोदय ने विधि मंत्री जी को वक्तव्य देने का निदेश दिया है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने विधि मंत्री जी को वक्तव्य देने का निदेश दिया है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल, 'शून्य काल' समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, यह 'शून्य काल' का मामला नहीं है। स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गयी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने विधि मंत्री जी को वक्तव्य देने का निर्देश दिया है। *...(व्यवधान)* हम अब चाहते हैं कि मंत्री महोदय वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके सूचनार्थ, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि माननीय विधि और न्याय मंत्री ने मुझसे सम्पर्क किया है तथा बताया है कि वह तहलका मामले पर कल वक्तव्य देंगे। वह इसके लिए सहमत हो गए हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : वक्तव्य आज ही दिया जाना था। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : महोदय, कल इस सत्र का अंतिम दिन है। हम इंतजार करते आ रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय ने मुझसे बात की है और मैंने उनकी बात पर सहमति दे दी है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

अपराह्न 2.05 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिन्दी]

(एक) बिहार में झूला (चकिया)-केसरिया-डुमरिया-अरेराज-हरसिद्धि-सुगौली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी): मान्यवर, बनर झूला (चकिया) बिहार, जहां एन.एच. सं. 104 जुड़ती है, इसी स्थान पर बनर झूला (चकिया) से केसरिया, डुमरिया, संग्रामपुर, अरेराज और हरसिद्धि होते हुए सुगौली राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली एक सड़क अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान से होकर गुजरती है। इसी मार्ग में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया में स्थित है और अरेराज का सुमेश्वर मंदिर, जो पूरे देश में प्रसिद्ध है, वह भी यहां स्थित है। इन दोनों के नाम डाक विभाग डाक टिकट जारी करने वाला है। सुगौली की संधी एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग एवं फाहियान इसी मार्ग से भारत आये थे और महात्मा बुद्ध ने भी अपने जीवन की अंतिम यात्रा के लिए यहीं से प्रस्थान किया था।

---

*सभा पटल पर रखे गये।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि इस मार्ग के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की कृपा करें।

(दो) छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इन्दौर-नर्मदा एक्सप्रेस का सल्का रोड पर तथा दुर्गा-भोपाल-अमरकंटक एक्सप्रेस का बेलगहजा में ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): मान्यवर, छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर लोक सभा क्षेत्र के सल्का रोड रेलवे स्टेशन पर बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस फास्ट पैसेंजर 34 अप एवं इंदौर से बिलासपुर फास्ट पैसेंजर 33 डाउन ट्रेन नहीं रुकती है। जबकि कटनी से बिलासपुर तक सभी छोटे-बड़े स्टेशनों पर उक्त दोनों ट्रेन रुकती हैं। इसी तरह दुर्गा भोपाल अमरकंटक एक्स को बेलगहजा रेलवे स्टेशन में स्टापेज होना अनिवार्य है। रेलवे स्टेशन सल्का रोड एवं बेलगहजा के आसपास कई गांव हैं, यहां से यात्रियों को बिलासपुर तथा कटनी की ओर आने-जाने के लिए सुबह 7.30 बजे के बाद कोई ट्रेन सुविधा नहीं है। यह क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं आदिवासी बाहुल्य है।

अत: केन्द्र सरकार से निवेदन है कि यात्रियों की सुविधाओं हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले की उक्त दोनों ट्रेन 34 अप और 33 डाऊन ट्रेन नर्मदा एक्सप्रेस को सल्का रोड में स्टापेज एवं दुर्गा-भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस को बेलगहजा स्टेशन में स्टापेज करने की दया करें ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके।

(तीन) राजस्थान में स्वरूपसर-श्रीगंगानगर के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री निहाल चन्द चौहान (श्रीगंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, स्वरूपसर-श्रीगंगानगर, राजस्थान में वर्तमान में मीटर गेज लाईन है। उक्त लाईन को परिवर्तन करने के लिए 1997-98 के बजट में लिया गया था, परन्तु अपेक्षित स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ब्राड गेज लाईन नहीं बन सकी। मा. प्रधान मंत्री महोदय, ने 1998 में हनुमानगढ़ जन सभा में उक्त लाईन को ब्राडगेज में परिवर्तन करने की घोषणा भी की, परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। महोदय, यह सीमांत क्षेत्र की मात्र एक मीटर गेज रेल लाईन है। रक्षा की दृष्टि से भी यह लाईन अत्यंत जरूरी है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि लाईन को ब्राड गेज करने के लिए अपेक्षित स्वीकृति प्रदान करें।

(चार) हिमाचल प्रदेश में खेलों के विकास के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसाकि आपको विदित है हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एवं पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन खेल प्रतिभाओं की वहां कमी नहीं है। आवश्यकता सिर्फ उनको निखारने हेतु खेल सुविधायें मुहैया कराने की है।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के आयुक्त एवं सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल) विभाग ने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति एवं सहायता प्रदान करने हेतु बिलासपुर-हि.प्र. में 400 मीटर एथलैटिक ट्रेक निर्माण, हमीरपुर में इनडोर स्टेडियम निर्माण, टौणी देवी जिला बिलासपुर में इनडोर स्टेडियम निर्माण, ऊना में तरणताल (स्वीमिंग पूल) निर्माण, हमीरपुर में खेल अकादमी स्थापित करने की परियोजना की स्वीकृति एवं हि.प्र. के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में खेल के मैदानों का विकास करने एवं खेल सामग्री क्रय करने हेतु 67 प्रकरण प्रेषित किए हैं, लेकिन वे अभी तक लंबित हैं। मेरा आग्रह है कि शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाये।

(पांच) हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री महेश्वर सिंह (मण्डी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नागर विमानन मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कुल्लू एयरपोर्ट पर हवाई पट्टी में सुधार कर वहां ए.टी.आर. विमानों की उपलब्धता होने पर ए.टी.आर. की उड़ानें प्रारंभ करने का प्रस्ताव था, वह तो प्रारंभ नहीं हुई उसकी जगह पर जो पहले से डोनियर विमान सेवा इंडियन एयरलाइन्स की चलती थी, वह भी बंद कर दी गयी है।

मुझे जानकारी मिली है कि डोनियर में कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण उसे ग्राउंड कर दिया गया है और जैसे ही तकनीकी खराबी दूर हो जाएगी, वैसे ही इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवाएं प्रारंभ कर दी जायेंगी। लेकिन गत सप्ताह मुझे ज्ञात हुआ है कि इंडियन एयरलाइन्स ने कुल्लू हवाई अड्डे का अपना कार्यालय बंद कर दिया है जिससे आम जनता में बहुत रोष है। मेरा आग्रह है कि कुल्लू हवाई अड्डे के लिए इंडियन एयर लाइन्स की विमान सेवाएं तत्काल प्रारंभ की जायें और जब ए.टी.आर. उपलब्ध हो, तब ए.टी.आर. विमान की सेवाएं उपलब्ध कराई जायें ताकि पर्यटन को होने वाली क्षति से बचा जा सके।

(छह) मेहगांव-सबलगढ़-श्योपुर-सवाई माधोपुर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल (मुरैना): उपाध्यक्ष महोदय, मुरैना संसदीय क्षेत्र में मेहगांव से वाया मुरैना सबलगढ़ श्योपुर-सवाई माधोपुर जाने वाली सड़क की हालत काफी दयनीय हो रही है। उक्त सड़क पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान को जोड़ती है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त सड़क को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया जाये।

(सात) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में गैस टरबाइन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाकिस्तानी सीमा पर स्थित बाड़मेर और जैसलमेर जिलों से आता हूं जो कि अत्यंत पिछड़ेपन और भुखमरी से पीड़ित हैं। बिजली की कमी वहां हमेशा रहती है।

केन्द्र ने जनवरी 1996 में 35.5 मेगावाट की गैस टरबाईन योजना शुरू की थी। फिर एक और गैस टरबाईन का प्रावधान किया गया जिसकी तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 16 फरवरी, 2001 को दे दी थी।

केन्द्र और राज्य सरकार ने काफी धन इस योजना पर लगाया है। अतिरिक्त गैस की जरूरत 15 वर्षों के लिए 5 लाख एस.सी.एम.डी. गैस है लेकिन भारत की गैस अथॉरिटी एस.सी.एम.डी. गैस सिर्फ 10 वर्षों के लिये देने पर राजी हुई है। मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 3525 के उत्तर में 12.12.2002 को कहा गया है कि अतिरिक्त गैस की जरूरत के लिए ऑयल इंडिया को 9 अतिरिक्त कुएं खोदने पड़ेंगे, जिनके लिए 150 करोड़ रुपये लगाने पड़ेंगे।

अत: शीघ्र फैसले की जरूरत है कि अतिरिक्त गैस की पूर्ति के लिए दोनों गैस टरबाईन योजनाओं को चालू किया जाये क्योंकि अत्यधिक रुपया लगाया जा चुका है।

मैं प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की प्रार्थना करता हूं कि गैस की पूरी आपूर्ति की जाये ताकि राजस्थान के इन बिजली पीड़ित जिलों को कुछ राहत मिल सके।

(आठ) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए वहां उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में कोई उद्योग नहीं है। यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। यहां के लोग खेतीबाड़ी के सहारे अपने परिवार का लालन-पालन करते हैं और हर साल उनकी खेती सिंचाई के अभाव में खराब हो जाती है क्योंकि यहां की नहरों में पानी नहीं है। और ट्यूबवैल को चलाने हेतु बिजली नहीं मिल पाती है। खेती-बाड़ी के न होने से लोग अन्य राज्यों में नौकरी की तलाश में पलायन कर रहे हैं। जबकि इस क्षेत्र में अच्छी किस्म का आंवला पैदा होता है, अच्छे किस्म के आम एवं अमरूद बड़ी तादाद में हो रहे हैं। अगर यहां पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित हो जाये तो किसानों को फायदा होगा और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। यहां के किसान गन्ने का उत्पादन भी करते हैं परंतु चीनी मिल के न होने से किसान अपने गन्ने को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में किसी आधारभूत उद्योग की स्थापना की जाये और चीनी मिल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाये, जिससे इस अत्यंत पिछड़े जिले का विकास हो सके।

(नौ) छत्तीसगढ़ में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा धान की दुर्लभ किस्म के जीनों को एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी को सौंपने से रोके जाने की आवश्यकता

डा. चरणदास महंत (जांजगीर): उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी सिंजेंटा को छत्तीसगढ़ की हजारों धान की दुर्लभ किस्में सौंपने का विरोध बढ़ता जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ की धान की किस्मों के 24 हजार प्रजातियों का अनूठा संग्रह है। धान की इन हजारों किस्मों को एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी सिंजेंटा को सौंपने का एक गुपचुप समझौता किया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय और सिंजेंटा के बीच इस संबंध में तीन बैठकें हो चुकी हैं। दोनों पक्षों को एम.ओ.यू. (आपसी समझौते) पर विस्तृत बातचीत हुई। पर इस संबंध में न तो सरकार और न ही संबंधित विभाग और अधिकारियों को कोई जानकारी दी गई। रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस टैक्नोलोजी एंड इकोलॉजी के डा. आर.एच. रिछारिया ने पहले कटक राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में और बाद में रायपुर रिसर्च इंस्टीट्यूट (जो अब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हजारों धान के देसी बीजों का संग्रह किया। कटक में धान के जर्म प्लाज्म को एक विदेशी संस्थान को सौंपने और उच्च उत्पादक किस्म भारत में लाने का डॉ. रिछारिया ने विरोध किया था। अब फिर एक बार धान के जर्म प्लाज्म के सौंपने की कोशिश सिंजेंटा के साथ समझौता कर की जा रही है। सिंजेंटा पहले ही 'गोल्डन

राईस' का पेटेंट ले चुकी है। यह एक जैव चोरी और जीन राबरी है।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि इसे तत्काल रोका जाये।

[अनुवाद]

(दस) पंजाब और देश के अन्य भागों में जल संरक्षण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर): महोदय, कुछ दिन पहले, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने चेतावनी दी थी कि वर्ष 2003 के दौरान राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र के साथ-साथ पंजाब में गंभीर जल संकट पैदा होने वाला है। यह चेतावनी वास्तविक सच्चाई पर आधारित है। अध्ययन के अनुसार, 4.90 मिलियन हेक्टेयर मीटर अच्छे किस्म के जल की आवश्यकता है जबकि इसकी तुलना में सिर्फ 3.12 मिलियन हेक्टेयर मीटर जल ही उपलब्ध है। विगत चार दशकों में, धान जैसी पानी की अधिक खपत वाली फसलों की वजह से कृषि हेतु राज्य की जल आवश्यकता में 76 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आसन्न जल संकट से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाए तथा विद्यमान जल स्रोतों की संरक्षा करे। भूमिगत जल स्तर में हो रही कमी को रोकने हेतु यह आवश्यक है कि वर्षा जल संचित करने के लिए जल संरक्षण उपायों को अपनाया जाए।

(ग्यारह) पश्चिमी बंगाल में आसनसोल और रानीगंज रेलवे स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री विकास चौधरी (आसनसोल): महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय रेल मंत्री आसनसोल और रानीगंज रेलवे स्टेशनों पर निम्नलिखित ट्रेनों का ठहराव उपलब्ध कराये जाने के बारे में तत्काल ध्यान दें। जुलाई, 2002 तक, आसनसोल रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों का छह दिनों का ठहराव था; परन्तु आश्चर्यजनक ढंग से, रेल प्राधिकारी ने आसनसोल में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव छह दिनों से घटाकर चार दिन कर दिया जिससे यात्रियों को राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के दो दिनों के ठहराव से वंचित होना पड़ा है। इससे यात्री दु:खी हुए हैं तथा माननीय मंत्री महोदय से छह दिनों के ठहराव की सुविधा पुन: बहाल करने की अपील की गयी है।

रानीगंज और उसके आसपास के इलाकों के निवासियों ने, जिसमें से अधिकांश राजस्थान के हैं, रानीगंज स्टेशन पर जोधपुर एक्सप्रेस के अप एंड डाउन ठहराव हेतु माननीय रेल मंत्री से पिछले कई महीनों से बार-बार अनुरोध किया है। रानीगंज स्टेशन पर जोधपुर एक्सप्रेस के ठहराव की अत्यंत आवश्यकता है और इसीलिए इसकी मांग की जा रही है ताकि वे सुरक्षा कारणों से आसनसोल के लिए मध्य रात्रि की यात्रा से बचने के लिए जोधपुर एक्सप्रेस की सुविधा का उपयोग कर सकें।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह उपरोक्त स्थानों पर ठहराव बनाए जाने पर विचार करें।

(बारह) आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और तिरुपति के बीच चलने वाली तिरुमाला एक्सप्रेस रेलगाड़ी के मार्ग में परिवर्तन किए जाने के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की आवश्यकता

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): विशाखापत्तनम और तिरुपति के बीच चलने वाली तिरुमाला एक्सप्रेस गाड़ी उस क्षेत्र के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है।

जैसाकि कुछ समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्टों के अनुसार यह पता चला है, रेलवे का प्रस्ताव इसका मार्ग बदलकर बरास्ता भिवामावेरम-गुडिवाडा करना है जो कि एकल रेल मार्ग है।

इसलिए, मैं रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह जनहित में इस गाड़ी के मार्ग में परिवर्तन किए जाने के प्रस्ताव को वापस लें।

[हिन्दी]

(तेरह) महाराष्ट्र में नासिक रोड स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बनाए जाने तथा मुम्बई और मेवाड़ के बीच एक नई ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): उपाध्यक्ष महोदय, नासिक शहर महाराष्ट्र में अगले साल 2003 से 2004 तक साल भर कुंभ मेला लगने जा रहा है। उस कुंभ मेले में लाखों की तादाद में साधु-संत और लाखों के तादाद में यात्रीगण नासिक में आने वाले हैं। इसलिए मैं रेल मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि नासिक रोड और औढा स्टेशन का नवीकरण शीघ्र गति से किया जाये और जितनी भी एक्सप्रेस गाड़ियां नासिक रोड स्टेशन से जाती हैं उन गाड़ियों को नासिक रोड स्टेशन पर थंबा (स्टॉपिज) दिया जाये और एक नयी एक्सप्रेस ट्रेन, जो मुम्बई जल्दी सुबह 10-11 बजे पहुंचे और वापिस नासिक शाम को लौटे। ऐसी एक्सप्रेस नयी गाड़ी मनमाड से मुम्बई और मुम्बई से मनमाड शुरू कर दी जाये।

[अनुवाद]

(चौदह) तमिलनाडु में सेलम में रेलवे मंडल खोले जाने और उसे चालू किए जाने की आवश्यकता

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): जबकि तमिलनाडु के पास 4,100 कि.मी. लम्बी रेल लाइन के प्रबंधन हेतु मात्र तीन रेल मंडल हैं केरल और कर्नाटक के पास क्रमश: मात्र 1000 कि.मी. और 3100 कि.मी. लम्बी रेल लाइन के लिए दो रेल मंडल और तीन रेल मंडल हैं। सेलम में पांच सर्वाधिक व्यस्त रेल लाइनें हैं। सेलम-करूर रेल लाइन के पूरा हो जाने के पश्चात् वहां छह बड़ी रेल लाइनें हो जाएंगी। इसके परिणामस्वरूप तूतीकोरिन पत्तन का देश के बड़े शहरों के साथ सीधा संबंध स्थापित हो जाएगा। सेलम-मेट्टुर, सेलम-विरूधाचलम, सेलम-होसुर, जोलारपेट-इरोड, एरोड-त्रिची ने अपेक्षाकृत अधिक माल की ढुलाई शुरू कर दी है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस लाभकारी रेलवे सेक्शन का सीधा प्रबंधन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सेलम पालघाट मंडल के अंतर्गत आता है, इस क्षेत्र के समुचित प्रबंधन व आधुनिकीकरण पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसकी वजह से जोलारपेट और सेलम के बीच दुर्घटनाएं बढ़ गयी हैं। अत: मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मार्च, 1999 में किए गए अपने उस वादे को पूरा करें जिसमें उन्होंने कहा था कि वह सेलम रेल मंडल शुरू करेंगे तथा वैश्वीकरण से निपटने के लिए इस क्षेत्र में वाणिज्यिक कार्यकलापों में गति लाएंगे।

(पन्द्रह) पश्चिमी बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री सन्त कुमार मंडल (जयनगर): पश्चिमी बंगाल में सुन्दरवन में पर्यटन के विकास हेतु व्यापक क्षमता है। इसके पास साठ उष्णक्षेत्रीय वन हैं और अनेक छोटे-छोटे टापू हैं। सुन्दरवन रायल बंगाल टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है। सुन्दरवन में अनेक छोटी नदियां और एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक सुन्दरवन आते हैं। इसलिए और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुन्दरवन का सर्वांगीण विकास करना जरूरी है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक पश्चिमी बंगाल सरकार ने सुन्दरवन के विकास के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव भेजा है। चूंकि राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन हैं, अत: केन्द्र सरकार को इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सुन्दरवन के लिए वित्तीय पैकेज का आवंटन करे। इसके साथ ही, उस क्षेत्र के विकास हेतु राज्य सरकार के तत्संबंधी प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी दी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग): स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना के बारे में क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जैसाकि आप जानते हैं कि स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचनाएं स्वीकृत नहीं हुई हैं, बल्कि मैं यह कहूं कि ये 'अस्वीकृत' हैं।

...(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : महोदय, कृपया हमें अपनी बात कहने दीजिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया है। मैं आपकी बात सुनना चाहता था किन्तु दुर्भाग्यवश अपराह्न एक बजे तक सभा में किसी की भी बात सुनी नहीं जा सकेगी।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): यह जानबूझकर किया गया था ताकि इस मुद्दे को उठाया न जा सके। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब एक वक्तव्य पढ़ा जाना था...

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि इस घटना से पूरा देश आंदोलित है। *...(व्यवधान)* भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा है कि वे आयोग के लिए किसी न्यायाधीश की सिफारिश करने के लिए इच्छुक थे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल जी, आपने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी थी। दस माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं दी हैं। चार सदस्यों ने प्रश्न काल के स्थगन की सूचना दी है। माननीय अध्यक्ष ने अपने विवेक से आरम्भ में ही सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है। प्रश्न काल के आरम्भ में ही। उन्होंने कहा था कि मंत्री जी तहलका जांच की स्थिति के

संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। 'शून्यकाल' के दौरान यह नहीं हो सकता।

इसी दौरान अपराह्न 1.30 बजे अथवा इसके आसपास विधि मंत्री ने मुझसे सम्पर्क किया था। उन्होंने यह कहा कि वे अस्वस्थ होने के कारण अभी-अभी अस्पताल से लौटे हैं। उन्होंने यह अनुरोध किया है कि वे कल वक्तव्य देंगे। मैंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया है। तहलका जांच की स्थिति के बारे में कल वक्तव्य दिया जाएगा।

अब, मैं सूचीबद्ध मदों पर कार्यवाही आगे बढ़ाता हूं।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : हमने इसे इन बातों के अनुसार प्रस्तुत किया है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री, श्री बालू बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव की सूचना समय पर दी थी। माननीय अध्यक्ष *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपने विवेक से इसे स्वीकृत किया है।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : ठीक है महोदय, परन्तु माननीय अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को आज उत्तर देने का निदेश दिया है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हां, आज ही यह 'शून्य काल' के दौरान दिया जाना था। अब 'शून्य काल' पूरा हो चुका है। यह 'शून्य काल' नहीं है। इसके बाद आपको कल 'शून्य काल' तक प्रतीक्षा करनी होगी।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : मंत्री जी ने उत्तर देना शुरू कर दिया था *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वे वक्तव्य देने के लिए तैयार थे, परन्तु सभा इसे सुनने के लिए तैयार नहीं थी।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : उन्होंने अपना वक्तव्य आरम्भ कर दिया था। इसे बीच में ही कैसे रोका जा सकता है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, आपका विनिर्णय क्या है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यही विनिर्णय है।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मंत्री जी ने अपना वक्तव्य आरम्भ कर दिया है। उन्हें बीच में सत्तापक्ष के सदस्यों ने ही रोका था। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैंने स्थिति के बारे में बता दिया है।

...(व्यवधान)

श्री समीक लाहिड़ी (डायमंड हार्बर): वे वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने अपना वक्तव्य देना शुरू कर दिया था। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : उन्होंने वक्तव्य देना आरम्भ कर दिया था। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रश्न को मत उठाइए। मैंने तो विनिर्णय दे दिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब स्थिति यह है कि आप मंत्री जी का वक्तव्य कल सुन पाएंगे। अब, श्री बालू बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल जी जब श्री बनातवाला स्थगन प्रस्ताव के बारे में अपनी सूचना की स्थिति के बारे में जानना चाहते थे तो मैंने कहा कि मैं आप सभी लोगों की बात सुनूंगा। उस समय मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए आपकी सूचना की

स्थिति के बारे में नहीं बताया। मैंने यह नहीं बताया क्योंकि मैंने यह सोचा कि मैं आपकी बात सुनूंगा और इसके बाद यह कहना कि माननीय अध्यक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया है, परन्तु ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि आप तो जानते हैं कि यहां कैसी स्थिति है। अत:, 'प्रश्न काल' समाप्त हो गया और 'शून्य काल' भी बीत गया।

..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनिल बसु, मैं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सेठ, यह क्या है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह स्थिति स्पष्ट है। कल आप वक्तव्य सुनेंगे।

...(व्यवधान)

श्री सर्मीक लाहिड़ी : जी नहीं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बातों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा। अब कृपया परेशान मत कीजिए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उस समय मैं कार्यवाही का संचालन कर रहा था। आप मुझे इस तरह से बता रहे हैं जैसाकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सभी लोग चुप रहते तो मंत्री जी अपना वक्तव्य दे देते।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह जी, मैं आपको बता रहा हूं कि मंत्री जी वक्तव्य देने के लिए तैयार थे, परन्तु, वे अब वक्तव्य नहीं देंगे। मैंने यह विनिर्णय दिया है कि अब यह वक्तव्य नहीं दिया जाएगा। यह 'शून्य काल' नहीं है। मैंने पहले ही विनिर्णय दे दिया है कि विधि मंत्री कल वक्तव्य देंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपा करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे? आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। हमें दो अथवा तीन विधेयकों के मामले में कार्यवाही करनी है। कृपया कार्यवाही में व्यवधान नहीं डालिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल जी, आपका स्थगन प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया था और आप यह जानते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं चाहता कि मामले पर चर्चा पुन: हो क्योंकि फिर प्रत्येक सदस्य इस पर बोलना शुरू कर देगा और यह जारी रहेगा। मंत्री जी वक्तव्य देने के लिए तैयार थे परन्तु सदस्य उनका वक्तव्य सुनने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि सभा में बहुत शोर-शराबा हो रहा था।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी वक्तव्य देने के लिए तैयार थे। वह खड़े हो गए थे और वह वक्तव्य देना चाहते थे। दुर्भाग्यवश स्थिति कुछ ऐसी थी कि वह वक्तव्य नहीं दे सके। हमें उनके साथ न्याय करना चाहिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। श्री रूपचन्द पाल जी आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं और आपको इस प्रकार व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यहां पहले ही बता दिया है कि विधि मंत्री ने मुझसे सम्पर्क किया था और मैंने उन्हें कल वक्तव्य

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

देने की अनुमति प्रदान की है। यह मैंने पहले ही बता दिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। अब माननीय मंत्री श्री टी.आर. बालू वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2002 पर विचार करने का प्रस्ताव रखेंगे।

अपराह्न 2.14 बजे

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए।"

महोदय, भारत प्रजातियों के मामले में एक सम्पन्न देश है और यहां विश्व जैव विविधता का 8 प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है। वन्य जीवन और उनके आवास की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न मुख्य उपाय किए गए हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ ने आपको अच्छी सुरक्षा प्रदान की है। मैं आपको बता रहा हूं कि यह वक्तव्य कल दिया जाएगा। मैंने विधि मंत्री को कल यह वक्तव्य देने की अनुमति दी। दी है।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, यह वक्तव्य किस समय दिया जाएगा? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए तैयार हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में किसी भी विषय पर हम लोगों ने चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए कभी मना नहीं किया है। आज भी मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय विधि मंत्री जी अस्वस्थ हैं, उनसे पूछकर मैं बताऊंगा। वे भी इस बारे में जानना चाहते हैं। अब चूंकि आसन की तरफ से निर्देश हो गया है इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कल उनका वक्तव्य होगा। कृपया आप उसे सुन लें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, कल इस सत्र का अंतिम दिन है। अत: वक्तव्य किस समय दिया जाएगा? *...(व्यवधान)*

श्री संतोष कुमार गंगवार : मध्याह्न भोजन के पश्चात् *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : क्या यह मध्याह्न भोजन के तुरंत बाद होगा? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कल कब होगा? *...(व्यवधान)*

श्री संतोष कुमार गंगवार : कल आफ्टर लंच होगा। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : आफ्टर लंच तो रात हो जाएगी। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रूपचन्द पाल जी, कल दिन में दो बजे उनका स्टेटमेंट हो जाएगा और दिन के दो बजे रात नहीं होती है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री जी विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): महोदय, माननीय मंत्री जी विधेयक प्रस्तुत कर चुके हैं, अत: हम अपने संशोधन कब प्रस्तुत करेंगे? *...(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मुझे प्रक्रिया के संबंध में एक स्पष्टीकरण चाहिए। 'एक घंटा' 'आधे घंटे' में कैसे समाप्त हो सकता है। यह अपराह्न 12.30 बजे आरंभ हुआ था परन्तु अपराह्न 1.00 बजे समाप्त हो गया। यह केवल आधे घंटे चला न कि एक घंटे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्थिति स्पष्ट करूंगा एक घंटे के दौरान किसी भी समय अवधि, चाहे वह पांच मिनट हो या दस मिनट का अर्थ है 'शून्य काल'।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मेरे विचार से माननीय मंत्री जी एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, माननीय मंत्री जी को अपना वक्तव्य देने दें।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, इससे पहले कि मैं अपनी बात आरंभ करूं, मैं आपके माध्यम से उस ओर बैठे अपने साथियों को अब शांत रहने के लिए धन्यवाद दूंगा और आपका भी मुझे इस विधेयक पर अपनी आरम्भिक टिप्पणियां करने का अवसर देने हेतु धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभी शांत हैं।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, प्रजातियों के संबंध में भारत सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देशों में से एक है और बना रहेगा तथा जैव विविधता का 8 प्रतिशत भाग यहां पाया जाता है। वन्य-जीवन और उनके आवास की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पिछले कई वर्षों के दौरान वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को लागू करने, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना जैसी प्रजाति संरक्षण परियोजनाओं को कार्यान्वित करने, वन्य जीवों के आयात और निर्यात को विनियमित करने, राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों को विकसित करने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं शुरू करने सहित विभिन्न उपाय किए गए हैं। भारत ने आगे बढ़कर वन्य-जीवन से संबंधित प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संधियों, जैसे कि, लुप्तप्राय प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित संधि, जिसे सी.आई.टी.ई.एल. के नाम से भी जाना जाता है, विश्व धरोहर संधि (वर्ल्ड हैरीटेज कन्वेंशन) प्रवासी प्रजातियों से संबंधित संधि आदि प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन्हीं सतत् प्रयासों के कारण हम विगत सदी के उत्तरार्द्ध में देश में हुई तीव्र जनसंख्या वृद्धि के बावजूद भी अपनी बहुमूल्य जैव विविधता को संरक्षित रखने में सक्षम रहे हैं।

महोदय, वनों और जंगल के क्षेत्रों के संरक्षण में ही भविष्य में लाखों भारतीयों के लिए जल और खाद्य की सुरक्षा की कुंजी है। 600 मिलियन से अधिक लोग और उनका पशुधन अपनी खाद्य और अन्य आवश्यकताओं के लिए वनों, आर्द्र क्षेत्रों, घास के मैदानों और तटीय क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं। इस बात का उल्लेख संदर्भ से हटकर नहीं होगा कि बोरीवली के नाम से जाना जाने वाला 104 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा मरुउद्यान मुंबई शहर को प्रतिदिन 120 मिलियन लीटर पानी उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार, गुजरात में गीर राष्ट्रीय उद्यान में न केवल एशियाई शेर की एकमात्र आबादी सुरक्षित है अपितु इससे स्थानीय मलधारियों और अन्य लोगों को वार्षिक रूप से 10 करोड़ रुपये मूल्य का चारा भी मिलता है।

यद्यपि, हमारे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 4.7 प्रतिशत भाग ही हैं तथापि वे 300 नदियों और एशियाई शेर, बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कस्तूरी मृग और ऑर्किड जैसे अमूल्य पशु और पेड़ों को संरक्षण प्रदान करते हैं। भारत को इस बात पर गर्व है कि यहां बाघों और एशियाई हाथी की विश्व भर में संख्या का 50 प्रतिशत पाया जाता है एक सींग वाले गैंडे का 65 प्रतिशत और एशियाई शेर की एकमात्र आबादी इसी देश में पाई जाती है।

70 के दशक के 65 संरक्षित क्षेत्रों से बढ़कर हम वनस्पति और जीव-जगत के संरक्षण हेतु 587 राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य स्थापित कर चुके हैं। केन्द्र और राज्यों के सतत् प्रयासों के कारण बाघ, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, शेर और अन्य की संख्या में संतोषजनक वृद्धि हुई है। फिर भी यह महसूस किया गया है कि हमारे भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए संरक्षण उपायों को और सुदृढ़ किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस पृष्ठभूमि में, अब मैं इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं को इस सदन के सामने ला रहा हूं। इस विधेयक के अनुसार संरक्षित क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, नामत: 'संरक्षित रिजर्व' (कंजरवेशन रिजर्व) और 'समुदाय रिजर्व' (कम्युनिटी रिजर्व)। इन रिजर्वों को विशेषकर राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के साथ जोड़ा जाएगा। तथापि, उनका प्रबन्धन, ग्राम पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों और अन्य विशेषज्ञों को शामिल कर पारदर्शी और सहयोगपूर्ण रवैया अपनाकर स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाएगा। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि वर्तमान वन्य-जीव अभ्यारण्यों का प्रबन्धन पंचायती राज संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों और अन्य विशेषज्ञों को शामिल कर सहयोगपूर्ण तरीके से किया जाएगा।

वर्तमान प्रावधानों में राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के संबंध में इस आशय की अधिसूचना जारी होने के बाद लोगों के दावे निपटाने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके

परिणामस्वरूप संरक्षण के उद्देश्यों को धक्का लगा है और विभिन्न अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का दुरुपयोग और अतिक्रमण हुआ है। अब इसमें दावे निपटाने हेतु दो वर्ष की समय-सीमा का प्रस्ताव किया गया है।

1972 में मूल अधिनियम को अधिनियमित किए जाने के समक्ष ऐसे बहुत से व्यक्ति थे, जिनके पास ऐसे जंगली पशु और उनसे प्राप्त वस्तुएं थीं जिनका अनुसूची-1 और अनुसूची-2 के भाग 2 में उल्लेख था, जो 30 दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर उनकी घोषणा नहीं कर सके थे। उन्हें एक और अवसर देने का प्रावधान भी इस विधेयक में किया गया है। वर्तमान में जिन व्यक्तियों के पास अनुसूची-1 और अनुसूची-2 के भाग 2 में उल्लिखित चीजों के संबंध में स्वामित्व प्रमाणपत्र हैं वे ऐसी वस्तुओं का विक्रय और स्थानान्तरण कर सकते हैं। इससे वन्य जीव उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा मिलता है। ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु विरासत में प्राप्त वस्तुओं के अतिरिक्त ऐसे लेन-देन पर रोक लगाने हेतु एक संशोधन का प्रस्ताव है।

हमें अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर रोक लगानी है अन्यथा वन्य-जीव संरक्षण के क्षेत्र में हमने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं वे सब शून्य हो जाएंगी। अत: ऐसे अपराधियों की संपत्ति जब्त करने हेतु कड़े प्रावधान किए गए हैं जिन्हें विगत में वन्य-जीव संबंधी गंभीर अपराधों के लिए दोषी पाया गया था। ये प्रावधान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रावधानों जैसे ही हैं।

महोदय, वर्तमान में वन्य-जीव अपराधों के लिए दिए जाने वाले दण्ड कड़े नहीं हैं। अत: यह प्रस्ताव किया गया है कि इसे न्यूनतम एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया जाए जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने की राशि को भी वर्तमान में 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।

अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में अतिक्रमण की समस्या जैव-विविधता, उस क्षेत्र के संरक्षण और एकता के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए अधिकारियों के ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए सक्षम बनाने का प्रस्ताव है। इसके साथ-साथ, इस विधेयक में आनुषंगिक और आकस्मिक प्रकृति के कुछ अन्य परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया है।

मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक जो देश में वन्य-जीवन के संरक्षण हेतु लाया गया है, गैर-विवादित उपाय है और अत: इसे सदन का समर्थन मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं वन्य-जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2002 इस सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, किसी-किसी राज्य के मुख्य मंत्री आवास में बिना अनुमति के हाथी वगैरह जानवर लाए जाते हैं। उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। बिहार में ऐसा ही हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, तब आप पूछना, वह जवाब देंगे।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह जैविक पर्यावरण और पारिस्थितिकी क्षेत्र को संरक्षण देने का प्रयास है।

वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं की विविधता हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। भारत के पास इस राष्ट्रीय सम्पत्ति की अनेकों किस्में हैं। पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के विधान की अत्यंत आवश्यकता है। मूल निवासियों जो कि वन्य जीवों के वास्तविक संरक्षक हैं, के हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए। हम इस बात से प्रसन्न हैं कि मंत्री महोदय ने मूल निवासियों, जो वन्य जीवों के वास्तविक संरक्षक और पालक हैं, का संरक्षण करने संबंधी एक संशोधन सम्मिलित किया है।

हालांकि, यह एक स्वागत योग्य कदम है, हमें इस प्रकार के संशोधन के लिए सात साल लंबा इंतजार करना पड़ा। वन्य जीव (संरक्षण) विधेयक 1972 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियमन के प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए तदनंतर 1982, 1986, 1991 और 1993 में संशोधन किया गया। 1986 और 1991 में विशेषकर वन्य जीवों और पौधों की लुप्तप्राय किस्मों के गैर-कानूनी व्यापार और चिड़ियाघरों के प्रबंधन से संबंधित बड़े संशोधनों को सम्मिलित किया गया। तथापि, इन बीच की अवधि के दौरान, अनेकों नए मामले उभर आए और मंत्रालय ने इससे संबंधित और अधिक संशोधन लाने के समन्वित प्रयास किया है। हालांकि, शायद विभिन्न कारणों से इसमें सात वर्ष लग गये—मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता यह एक स्वागत योग्य कदम है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसके द्वारा हमारे देश के पारिस्थितिकी क्षेत्र और पर्यावरण के संरक्षण हेतु मूलभूत परिवर्तन किए जा रहे हैं।

[श्री रमेश चेन्नितला]

600 मिलियन से भी अधिक लोग जीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं। इसके इसकी महत्ता का पता चलता है। इसलिए हमें हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकीय संरक्षण में अधिक रुचि लेनी चाहिए। मेरे विचार से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधन संरक्षित क्षेत्र के सहभागिता प्रबंधन से संबंधित है। इस सच को स्वीकार करते हुए कि जैव-विविधता को इन सबसे अलग नहीं किया जा सकता, संरक्षित क्षेत्र की दो श्रेणियों को इसमें शामिल करने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है एक है आरक्षित वन क्षेत्र का संरक्षण और दूसरा है समुदाय के लिए आरक्षित वन क्षेत्र का संरक्षण।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि मूल निवासियों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि वे वनों और परिस्थितिकी के वास्तविक संरक्षक हैं। आजकल उन्हें पूर्णत: अलग-थलग किया जा रहा है। वे धीरे-धीरे लुप्त हो रहे हैं। यदि आप अंडमान और निकोबार जाएं तो आप पाएंगे कि वनों के वास्तविक संरक्षक लुप्त होते जा रहे हैं। इस संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए, अधिक महत्व इन मूल निवासियों को दी जानी चाहिए जो वास्तविक रूप से हमारी पर्यावरण के संरक्षणकर्ता हैं। इन दो आरक्षित वन क्षेत्र का प्रबंधन पारदर्शिता से और भागीदारीपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। अन्यथा ये प्रभावी साबित नहीं होगा।

माननीय मंत्री जी ने सही कहा है कि इसमें गैर-सरकारी संगठन, ग्राम पंचायत और संबंधित सरकारी विभागों को इस प्रक्रिया में शामिल करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि यह स्वागत योग्य कदम है। गैर-सरकारी संगठनों के चुनाव में भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। मैं किसी पर शक नहीं करना चाहता परंतु कुछ गैर-सरकारी संगठन केवल कागजों पर ही कार्य करते हैं।

दुर्भाग्य से ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वास्तव में अनेक समर्पित लोग और संगठन हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्हें अधिक महत्व मिलना चाहिए।

महोदय, खंड 17 में कहा गया है:

> "पंचायती राज संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के सदस्यों को शामिल करके अभ्यारण्य के प्रबंधन को अधिक सहभागिता वाला और प्रभावी बनाये जाने का भी प्रस्ताव है।"

इसमें संगठनों द्वारा अधिक प्रभावी भागीदारी की बात कही गई है। मैं माननीय मंत्री से इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं कि व्यवहार में हम देखते हैं कि ऐसे निकायों पर अधिकारियों का वर्चस्व होता है। उन्हें अपना योगदान देना चाहिए क्योंकि निश्चित ही वे अनुभवी लोग हैं और उनका योगदान आवश्यक है। परंतु इसी के साथ, वो लोग जो इस क्षेत्र के वास्तविक जानकार हैं और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन्हें अधिक वरीयता मिलनी चाहिए ताकि उनको प्रभावी भागीदारी मिल सके।

जहां तक वन्य जीवों के राष्ट्रीय बोर्ड के गठन का प्रश्न है यह केन्द्र और राज्य सरकारों को परामर्श हेतु सर्वोच्च संवैधानिक निकाय होगा। यह वन्य जीवों को बचाने और संरक्षण हेतु उपाय सुझाएगा। निश्चित ही इस निकाय को अधिक से अधिक शास्तियां मिलेंगी और यह वर्तमान स्थिति के सुधार के लिए अधिक सुझाव देगा। यह संशोधन इस क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहित करेगा। मैं माननीय मंत्री को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वन्य जीव सलाहकार बोर्ड का गठन सावधानी से किया जाना चाहिए। राज्य स्तर पर इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जानी चाहिए। यदि आप इस प्रकार के निकायों का गठन कर रहे हैं, तो उन व्यक्तियों को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो वास्तव में इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हम इन लोगों को हमेशा भूलते रहे हैं और हम केवल अन्य लोगों को प्रतिनिधि बना रहे हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं हैं। इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि यह संशोधन बोर्ड के कारगर कार्यकरण के लिए है। यदि बोर्ड प्रभावी ढंग से कार्य करता है तभी यह संशोधन अधिक प्रभावी होगा। अन्यथा इस प्रकार के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको वास्तव में इस संशोधन को लागू करना है तो इसे अधिक शक्तियां देनी होंगी। इसे अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

हाल ही में माननीय मंत्री ने मोरों से संबंधित प्रश्न संख्या 367 के उत्तर में यह उल्लेख किया था कि वन्य जीव अधिनियम, 1972 की धारा 43 में मोर पालने वालों को और मोर और मोर-पंखों से बनी वस्तुओं को बेचने या हस्तांतरित करने पर सजा से छूट का प्रावधान है। इस अधिनियम की धारा 44 में मोरपंखों और उससे बनी वस्तुओं के विक्रेता को इस कार्य के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से छूट का प्रावधान है। अब वास्तव में क्या हो रहा है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी मोर हैं और मेरे अनुभवों के आधार पर मैं एक गंभीर बात बताना चाहता हूं कि इन लोगों के हाथों मोर मारे जा रहे हैं। यह बहुत गंभीर मामला है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रश्न काल के दौरान एक अनुपूरक का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि इस पर ध्यान दिया जाएगा। परंतु इसे गंभीरता से लागू और सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

जहां तक वन्य जीवों को मारने से बचाने का प्रश्न है, मेरे विचार से इस संशोधन की सहायता से हम इसे कठोरता से निपटने की स्थिति में होंगे। वर्तमान में, उन व्यक्ति के पास अनुसूची-एक और अनुसूची-दो के भाग दो में आने वाले जानवरों के स्वामित्व बाबत प्रमाणपत्र होगा वह ऐसे जानवरों से बनी वस्तुओं को बेच या उपहार में दे सकता है।

इससे वन्यजीवों से बनी वस्तुओं के गैर-कानूनी व्यापार को प्रोत्साहन मिल रहा है। ऐसे गैर-कानूनी कार्यों पर अंकुश लगाने के लिए यह संशोधन लाया गया है। इस संशोधन को लागू करने के बाद मेरे विचार से इस प्रकार के गैर-कानूनी कार्यों पर पाबंदी लगायी जा सकती है।

इसी प्रकार, वन और उसके साथ लगे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अपराध हो रहे हैं। जैसा कि सही कहा गया है हाथी और अन्य पशुओं की हत्या रोजमर्रा की बात बन गयी है। इस प्रकार की गतिविधियों पर इस विधेयक के पारित होने के बाद सरकार रोक लगा पाएगी।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं अपने राज्य केरल से सीधे जुड़े एक या दो मामलों तक ही सीमित रहूंगा। टेकड़ी का बाघ अभ्यारण्य हमारे देश का महत्वपूर्ण बाघ अभ्यारण्य है। वास्तव में देखा जाए तो इस बाघ अभ्यारण्य की उचित देखभाल नहीं हो पा रही है। कई शिकायतें आ रही हैं। जहां तक पारिस्थितिकी विकास समिति के कार्यकरण का संबंध है, हमने इसे माननीय मंत्री के ध्यान में लाया है। पारिस्थितिकी विकास समिति का वास्तविक कार्य मूल निवासियों को वन्य आदानों को बाहर बाजार में बेच सके ताकि उनकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। परंतु दुर्भाग्य से इस वैध कार्य पर पारिस्थितिकी विकास समिति और इससे संबंधित अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे इस क्षेत्र के लिये न तो उचित कार्यक्रम बनाते हैं और न ही उसे कार्यान्वित करते हैं। हमें उनके स्थानीय हुनर और निपुणता को बढ़ाना देना होगा। दुर्भाग्य से हम इस कार्य में असफल रहे हैं। इसलिए इस पहलू पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

सायलेंट वैली संपूर्ण देश की एक प्रतिष्ठित जगहों में से एक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय व्यक्तिगत रूप से इस वेली को जानते हैं। जब वहां बांध बनाने का प्रयास किया गया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि उस क्षेत्र में कोई जल-विद्युत परियोजना नहीं बनायी जाएगी और उनके हस्तक्षेप से सायलेंट वैली की जल-विद्युत परियोजना रोक दी गयी। परंतु मुझे शंका है कि क्या सायलेंट वेली को आज सभी प्रकार से वह प्राथमिकता मिल रही है या उसका उचित प्रबंधन हो रहा है जिसकी वह हकदार है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सायलेंट वेली के कार्यकरण और वहां चल रही गतिविधियों की पुनरीक्षा करें। मैं माननीय मंत्री से उस घाटी का, जो कि एक बहुत बड़ी वन संपदा है, दौरा करने का निवेदन करता हूं।

कुमाराकोरम का पक्षी अभ्यारण्य जहां माननीय प्रधान मंत्री ने कुछ सालों पहले कुछ समय बिताया था, दुर्लभ पक्षी अभ्यारण्यों में एक है। कुमाराकोम को अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। पक्षी अभ्यारण्य का उचित प्रबंधन नहीं हो रहा है और उसके विरुद्ध कई शिकायतें आ रही हैं। जब हम चिड़ियाघरों और अभ्यारण्यों के संरक्षण पर सारा ध्यान केन्द्रीत कर रहे हैं, पक्षी अभ्यारण्यों को भी वरीयता मिलनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा प्रबंधन और उचित संरक्षण के विरुद्ध आवाज उठायी जा रही है। मैं माननीय मंत्री से इस अभ्यारण्य के मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य कदम है जब हमारा देश उन्नति कर रहा है तो इस पहलू को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए अन्यथा यह हमारे भविष्य के पर्यावरण के लिए बड़ा अहितकर बनेगा। मैं आशा करता हूं कि इस संशोधित विधेयक को पारित करने के बाद सरकार वन्यजीव संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देगी। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अन्य वक्ता भी विभिन्न मामलों पर बोलना चाहते हैं। मुझे आशा है कि यह संशोधन लोगों में जागरूकता पैदा करेगा ताकि पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए बड़ा एजेन्डा बन सके।

श्रीमती मेनका गांधी (पीलीभीत): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान किया है।

मैं इस अवसर पर विधेयक का समर्थन करते हुए कुछ मुद्दों पर बोलना चाहती हूं। इसमें कई बातों को छोड़ दिया गया है जोकि नितांत आवश्यक हैं और मैं इन्हें इंगित करना चाहती हूं।

पहली बात, माननीय वक्ता के बारे में है जिन्होंने मुझसे पहले अपनी बात प्रस्तुत की है और वे मोर के बारे में उल्लेख कर रहे थे। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह बड़े शर्म की बात है कि जबकि किसी प्रकार भी अपवाद न रखते हुए सभी अन्य वन्य पशुओं और पक्षियों से बनी अन्य सभी वस्तुओं का कारबार करने की अनुमति नहीं है। मोर ही एक ऐसा पक्षी है जिसके अंगों से बनी वस्तुओं के कारबार की अनुमति है।

समय बीतने के साथ ही प्रकृति के प्रति मनुष्य की समझ बढ़ रही है। कुछ वर्षों पूर्व तक, यह मान्यता थी कि शहतूश शाल

[श्रीमती मेनका गांधी]

बकरी के खाल से सड़ने वाले बाल से बनती है। केवल अभी हमें यह पता चला है कि एक शाल के लिए आठ बारह सिंगे को मार दिया जाता है जो कि केवल तिब्बत के शान्तून पठार में ही पाए जाते हैं। इसी प्रकार, जब मूल अधिनियम बना तो उस समय यह माना जाता था कि मोर के पंख के कारबार की अनुमति 1972 में दी जा सकती थी क्योंकि मोर के पंख तो उससे झड़ते हैं। परन्तु मोर इतने पंख नहीं झाड़ते हैं कि इनका कारबार जारी रह सके। उदाहरण के लिए दो वर्ष पूर्व तक, 20 लाख पंखों के निर्यात का लाइसेंस दिया गया जिसे दो वर्ष होने पर रोक दिया गया। हालांकि मोर के पंख केवल अगस्त से सितंबर की शुरूआत तक झड़ते हैं।

किसी भी मामले में, मोर ही एक ऐसा पक्षी है जो अकेला रहता है अथवा दो अथवा तीन के छोटे समूहों में रहता है। जब इसके पंख झड़ते हैं, तो कोई इसके गिरे हुए पंखों को उठाने के लिए किसी को तैनात नहीं किया जाता करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोर पकड़े जाते हैं, मार दिए जाते हैं और इसके बाद इसके पंख निकालकर बोरियों और ट्रकों में भरकर दुकानों और व्यापार केन्द्रों को भेजे जाते हैं। यदि यह मुश्किल हो जाता है तो बड़े पैमाने इन्हें जहर दे दिया जाता है। जैसाकि आप जानते हैं कि समाचार-पत्रों में प्रतिदिन समाचार प्रकाशित होते हैं और इनमें मोरेना के बारे में कोई न कोई खबर अवश्य रहती है। राजस्थान और गुजरात में भी 'मोर' जहर देकर मारे जा रहे हैं। किसी भी तरह से ये या तो सूखे का करण लुप्त हो रहे हैं अथवा बड़े पैमाने पर जहर देकर समाप्त किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये प्रतिदिन मारे जा रहे हैं।

अब, हमें यह कैसे पता चलता है कि मोर के शरीर के अंग बाजार में बिकते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग इसका प्रतिवाद करेंगे। कोई व्यापारी गिरे हुए पंख नहीं बेचता है। यह पता करने का बहुत ही सरल तरीका है कि मोर का पंख स्वत: गिरा हुआ है अथवा इसे मारे गए मोर से निकाला गया है। यदि मोर का पंख स्वत: गिरा हुआ होगा उसका डंठल स्पष्ट और पारदर्शी होगा। यदि यह पंख मारे गए मोर से निकाला गया है, चाहे मोर जैसे भी मारा गया हो या तो जहर देकर अथवा गला दबाकर अथवा गोली के द्वारा मारा गया हो, तो उसके पंख की डंडी में निचले भाग में खून लगा होगा। अब व्यापारी डंडी के निचले 10 मिमी. हिस्से को काट देता है ताकि आपको डंठल में खून न दिखाई दे। आप आज बाजार में प्रत्येक मोर के पंख को देख सकते हैं। आप इसे भारत के किसी भी हिस्से से चुनकर देख सकते हैं। यदि मोर का पंख स्वत: गिरा हुआ होगा तो इसका डंडी कहीं से भी कटी नहीं होगा जबकि अन्य सभी पंखों की डंडी कटी हुई होती है।

सरकार ने दो वर्ष पूर्व विदेश व्यापार पर रोक लगा दी थी जोकि बहुत अच्छा हुआ है। तथापि, इसका 80 प्रतिशत व्यापार अभी भी यहां आने वाले विदेशी लोगों के लिए किया जाता है। सभी दुकानों, होटलों में, प्रत्येक पर्यटक दुकान में, प्रत्येक तथाकथित प्राचीन वस्तुओं और दुर्लभ कलाकृतियों की दुकानों में, प्रत्येक स्मारक से संबंधित दुकानों में मोर के पंख पाए जाते हैं। विदेशी लोग यहां आकर मोर के पंख से बनी कुछ अन्य वस्तुएं और पंखे ले जाते हैं।

अब विचित्र बात यह है कि वन्य जीव अधिनियम की अनुसूची-एक में ही मोर को रखा गया है जिसका तात्पर्य यह है कि यदि आप इसे मार देते हैं तो आपको जेल जाना होगा। यह गैर-जमानती अपराध है। तथापि, मोर के पंख बेचने वाले एक भी व्यक्ति पर कभी-भी न तो कोई आरोप लगाया गया अथवा न ही उसे गिरफ्तार किया गया। अत: यह बड़ी अजीब बात है कि यदि मैं उसे मार देती हूं और मेरे पास उसका शरीर उपलब्ध है तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। परन्तु यदि मेरे पास पंख हैं तो मैं छूट जाऊंगी। अत:, हम यह चाहते हैं कि सरकार धारा 43 और 44 को भी हटाए जो कि इस प्रकार हैं:

> "परन्तु यह और कि उस उपधारा की कोई बात मोर के पंख और उससे बनने वाली वस्तुओं के डीलरों और ऐसी वस्तुओं के विनिर्माताओं पर लागू नहीं होंगी....."

और तदनुसार धारा 49क(ख) में संशोधन किया जाये।

मेरी दूसरी बात चिड़ियाघरों के बारे में है। मैं चिड़ियाघरों के बारे में क्यों कह रही हूं? क्योंकि आज चिड़ियाघरों में ही भारी संख्या में जंगली पशु मारे जाते हैं। देश में 193 बड़े चिड़ियाघर हैं और एक सौ से भी अधिक अवैध नगरपालिका चिड़ियाघर हैं।

केवल गत माह में ही, सूरत चिड़ियाघर में कमी को पूरा करने के लिए शिकारी से पक्षियों की अवैध खरीददारी का मामला प्रकाश में आया था। प्रत्येक वर्ष चिड़ियाघरों में लगभग 20,000 से भी अधिक पशु-पक्षी मरते हैं। आज देश में चिड़ियाघरों के बारे में संकल्पना यह बन कर रह गई है कि इन्हें मनोरंजन पार्क माना जाता है। चिड़ियाघरों को वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र अथवा प्रजनन के पहलु पर बल देते हुए वन्य जीव का परीक्षण केन्द्र नहीं माना जा रहा है। चिड़ियाघर प्रशासन को विशेषज्ञता के नजरिए से देखना चाहिए जोकि समुचित प्रशिक्षण और क्षेत्र में अनुभव के बिना प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों और चिड़ियाघर प्रबंधन के उद्देश्यों पर स्पष्ट विचार बिन्दु के अभाव में प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में पशु चिड़ियाघरों में मर रहे हैं।

वर्ष 1998 में संसद में प्रस्तुत चिड़ियाघर नीति एक उत्कृष्ट दस्तावेज था। तथापि, उस समय और बाद में कई बार यह उल्लेख किया गया था कि यह नीति कार्यान्वयन योग्य नहीं थी क्योंकि किसी भी कार्य के निष्पादन हेतु चिड़ियाघरों में कोई समर्पित संवर्ग नहीं था। आज तक, भारत में हजारों की संख्या में विद्यमान चिड़ियाघरों को अपने कृत्यों का कोई ज्ञान नहीं है कि वे पशुओं अथवा प्रजातियों के वैज्ञानिक पुनर्प्रजनन जैसे कृत्य के लिए बनाए गए हैं अथवा उनके प्रदर्शनार्थ पशुओं को आर्थिक दृष्टि से महत्व नहीं दिया जा रहा है। अत:, इनके प्रशासन को गैर-पेशेवर रूप में जाना जाता है और इनकी दवाइयों और खाद्य पदार्थों में घपलेबाजी और चोरी की छोटी घटनाएं मान लिया जाता है। जैसाकि सभी जानते हैं कि हैदराबाद में पिंजरे में बाद बाघ का चमड़ा निकाल लिया गया। आज तक चिड़ियाघर में किसी पशु के मारे जाने के लिए एक भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया गया है। चिड़ियाघर में मरने वाले 95 प्रतिशत जानवरों के मरने का कारण गैसट्रिक गड़बड़ी बतायी जाती है जिसका यह मतलब है कि या तो खाद्य पदार्थ खराब है अथवा अखाद्य है अथवा बासी है। इस वजह से देश में चिड़ियाघरों के प्रबंधन के लिए चिड़ियाघर संवर्ग का गठित किया जाना नितांत महत्वपूर्ण है और इस पर समुचित विचार किए जाने की आवश्यकता है।

चिड़ियाघरों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसका डिजाइन भी बहुत खराब है, यहां की प्रकाश व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। जानवरों को कम भोजन दिया जाता है और वे असंतुष्ट रहते हैं। हम अपनी खुशी अथवा अपने स्वास्थ्य अथवा जान के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। चिड़ियाघरों में आमतौर पर दंड स्वरूप तैनात अधिकारी, जो विशेषकर भारतीय वन सेवा के होते हैं, ही जानवरों की देखरेख करते हैं जिनकी रक्षित प्रबंधन अथवा जानवरों के मामले में कोई विशेषज्ञता अथवा अनुभव नहीं होता है। अधिकांश चिड़ियाघरों में कोई चिकित्सक नहीं है और यदि कहीं हैं तो भी वे जानवरों की आवश्यकताओं को पूरी नहीं करते हैं क्योंकि किसी भी चिड़ियाघर में ऐसा कोई चिकित्सक नहीं है जो वन्य जीव के लिए प्राशिक्षित हो। वस्तुत:, ये चिड़ियाघर सफाई कर्मचारियों द्वारा चलाए जा रहे हैं जो चिड़ियाघरों के पिंजड़ों को साफ करते हैं, जानवरों को सहारा देते हैं, इनकी रखवाली करते हैं और इन्हीं का उपयोग दवाई पिलाने और जानवरों के रखरखाव के लिए भी किया जाता है। वे प्रशिक्षित अथवा शिक्षित नहीं होते हैं और न ही उन्हें पिंजरे में बंद जानवरों के संबंध में कोई अनुभव होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि प्रत्येक वर्ष हजारों की सख्या में जानवर मरते हैं।

ये सभी जानवर चिड़ियाघरों में जन्म नहीं लेते। ये जंगलों से लाए जाते हैं। अत:, इन चिड़ियाघरों में ही पशुओं का सर्वाधिक अवैध शिकार होता है। जब कभी भी कोई जानवर मर जाता है तो पिंजड़े को भरने के लिए जंगल से जानवर पकड़कर लाया जाता है। कई चिड़ियाघरों में जब कोई दुर्लभ जानवर मरता है तो उसके स्थान पर कोई साधारण जानवर रख दिया जाता है। गुवाहाटी स्थित चिड़ियाघर में कौए और मोर हैं। तिरुअनंतपुरम चिड़ियाघर में भी ऊंट और लवबर्डस पाए जाते हैं। बोंड्ला चिड़ियाघर में ग्रास स्नेक्स हैं। वहां बतख हैं। वहां सब कुछ है जो दिखाई देता हो। चिड़ियाघरों में भारी संख्या में जानवर कैद करके रखे गए हैं। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगी कि वे विशेष संवर्ग बनाएं जो कि लम्बे समय से प्रतीक्षित है और जिसकी पूरे विश्व में मांग की गई है। वस्तुत:, यह पूरे विश्व में हुआ है। पूरे विश्व में प्रशिक्षित चिड़ियाघर संवर्ग है। वह कैसे कार्य करता है? उदाहरणार्थ चिड़ियाघर में कार्यरत लोगों को पुन: प्रशिक्षण और शिक्षा हेतु भेजा जा सकता है। सरकार चिड़ियाघर से बाहर के लोगों को भी ला सकती है। परन्तु एक विशेषज्ञ संवर्ग बनाने हेतु देश में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो वन्य जीव प्रबंधन में प्रशिक्षित हों और ऐसे कुछ चिकित्सक भी हैं जिन्होंने वन्य जीव की विदेशी डिग्रियां प्राप्त की हैं। वे जानवरों के हित में अपने कौशल का उपयोग नहीं कर पाए हैं क्योंकि सरकार के वर्तमान ढांचे में उनके लिए रोजगार का कोई अवसर नहीं है। पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में वन्यजीव चिकित्सा की कोई डिग्री आरम्भ नहीं की गई है क्योंकि इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद रोजगार के कोई अवसर नहीं हैं। यदि ऐसा कोई संवर्ग गठित किया जायेगा, तो संगत पाठ्यक्रम बनायें और शुरू भी किए जा सकेंगे क्योंकि ये पूरे विश्व में विद्यमान हैं। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगी कि प्रत्येक चिड़ियाघर में कम से कम 20 सहायकों (हेंडलर्स) की आवश्यकता पड़ती है अत:, इनके एक विशिष्ट वर्ग का गठन अपेक्षित है और इनकी भर्ती परीक्षण के आधार पर की जाये। प्रत्येक बड़े चिड़ियाघर में विभिन्न स्तर के सहायक (हेंडलर्स) रखे जायें। ऐसे सहायक (हैंडलर) का स्तर सफाईकर्मी (क्लीनर) अथवा फीडरों आदि से थोड़ा ऊंचा रखा जाये और वह जानवरों के विभिन्न प्रकारों अथवा समूहों का प्रभारी होगा। इनमें से प्रत्येक वन्य जीव प्रबंधन का पाठ्यक्रम पूरा किया हुआ हो। सभी पद पदोन्नति से जुड़े हुए होने चाहिएं।

उपनिदेशकों की भी समय पर निदेशक के पद पर पदोन्नति की व्यवस्था हो। जानवरों की देखभाल के लिए संवर्ग की एक जिस अन्य शाखा बनाए जाने की आवश्यकता है, वह है, चिड़ियाघर पशुचिकित्सकों की। जिनमें कम से कम दो वरिष्ठ और दो कनिष्ठ अधिकारियों की व्यवस्था भी हो। इनकी सहायतार्थ, वन्यजीव कम्पाउंडर और कर्मचारी भी तैनात किए जाएं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, जो पहले से ही मौजूद है, के अधीन भर्ती, प्रशिक्षण

[श्रीमती मनका गांधी]

और पदोन्नतियों तैनाती आदि से संबंधित सेवा के सभी मामले रखे जाएं। चिड़ियाघर व्यावसायिकों के समर्पित संवर्ग की नितांत आवश्यकता है। यदि सरकार इस सुझाव को मान लेती है तो उसका अत्यंत आभारी रहूंगी क्योंकि यह 1998 से लम्बित है जब इसका पहली बार प्रस्ताव किया गया था।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं, वह वन्य जीव अपराधों के लिए एक विशेष कार्य बल के गठन के बारे में है। आज, यह कई बार साबित हो गया है कि हथियारों और नशीले दवाओं की तस्करी करने वाले लोग वन्य जीव के अवैध व्यापार में भी संलिप्त हैं। यदि हमारा ही एकमात्र ऐसा देश बचा है जहां हाथी, बाघ और शेर पाए जाते हैं तो हमारे पड़ोसी देशों की नजर इस पर अवश्य रहेगी। उदाहरणार्थ, प्रतिदिन नेपाल में भालू ले जाकर उनके बाल बेचे जा रहे हैं। बाघ ही हड्डियों को तिब्बत की सीमा तक ले जाकर इसके बदले में बारहसिंगे का चमड़ा प्राप्त किया जाता है जिससे शाल बनते हैं। इस प्रकार सभी जगह हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है वह चाहे हमारे बड़े भालुओं को लेकर हो अथवा हमारे अन्य जानवरों को लेकर हो। आज यह पूरे विश्व में आंका गया है कि वन्य जीव की तस्करी अथवा वन्य जीव अपराध भी नशीली दवाइयों के अवैध कारबार की भांति बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसलिए यह अति आवश्यक हो जाता है कि हमें एक विशेष कार्यबल का गठन करना चाहिए जो वन्य जीव अपराधों से संबंधित मामलों का निपटारा करेगा। वर्तमान में, कोई कार्यबल नहीं है और शिकारी पकड़े नहीं जाते हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि इस देश में अवैध शिकार के मामले में कितने लोगों को दोषी ठहराया गया है। यह संख्या एक प्रतिशत भी नहीं है। संसार चंद नामक एक व्यक्ति है जिसे 53 बाघ-खालों के साथ 53 बार पकड़ा गया है, परन्तु इसके बावजूद वह जमानत पर खुलेआम घूम रहा है। उसके जैसे अनेक लोग हैं जिन्हें तुरन्त जमानत मिल जाती है तथा मामले अंतहीन रूप से चलते रहते हैं। यदि हमारे पास विशेष कार्यबल हो तो हम उन्हें शीघ्र पकड़ पाने में सक्षम हो सकेंगे। इस प्रकार, हम अपने स्वयं के गुप्तचर स्कंध और समुचित सुरक्षा प्रणाली के अभाव में ऐसे लोगों को नहीं पकड़ सके। हमने चेन्नई विमानपत्तन पर देखा है कि किस प्रकार से 24,000 कछुओं को एक ही खेप में बाहर भेज दिया गया। कोई व्यक्ति एक अथवा दो कछुओं का पता लगाने में चूक कर सकता है, परन्तु वे एक ही खेप में सिंगापुर भेजे गए 24,000 कछुओं का पता नहीं लगाने की चूक कैसे कर सकते हैं? ऐसी घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। लोग तितलियों से भरे सूटकेस ले जाते है। फ्रैंकफर्ट में प्रतिवर्ष लगने वाले कीट मेले में 1,000 डालर से ऊपर की कीमत पर बिकने वाले 20 प्रतिशत कीट भारत से आते है। ये कीट मुख्यत: तितलियां होती हैं तथा इनकी तीन अथवा चार प्रजातियां जो कि रोहतांग दर्रे के निकट पायी जाती हैं, लुप्तप्राय हो गयी हैं क्योंकि इन सभी को सीमा-शुल्क विभाग के माध्यम से गैर-कानूनी रूप से विदेशों में निर्यात किया जाता रहा है। अनेक रूसी व जर्मन नागरिकों को इन कीटों का अवैध व्यापार करते पकड़ा गया है, परन्तु उनका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यह व्यापार जारी है क्योंकि हम कभी भी ऐसे लोगों को समय पर पकड़ पाने में सक्षम नहीं रहे हैं। इसलिए, गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष कार्यबल का गठन किए जाने की आवश्यकता है जो कि इस समस्या से ठीक उसी प्रकार निपटेगा जिस प्रकार से वे आतंकवाद, नशीली दवाओं की तस्करी अथवा इस देश के समक्ष पैदा होने वाली किसी भी अन्य बड़ी चुनौती से निपटते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस सुझाव पर विचार करे।

अगली बात जो मैं कहना चाहती हूं वह यहां हाथियों के आने-जाने (एलीफेंट कॉरीडोर्स) के रास्ते के बारे में है। प्रतिदिन यह रिपोर्ट आती है कि हाथी गांवों में घुस आए हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जिस रास्ते से हाथी आना-जाना करते थे उन रास्तों को गांव वालों ने अतिक्रमण कर लिया है। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेना ने हाथियों के आने-जाने के सभी रास्तों पर कब्जा जमा लिया है। इस प्रकार, आखिर ये हाथी कहां जाएंगे? ये छोटे जीव नहीं हैं कि चुपके से निकल जाएं। उन्हें खाने के लिए अधिक मात्रा में भोजन की जरूरत होती है। जब तक हम हाथियों के आने-जाने के रास्तों को खाली नहीं करते तब तक हम उनको संरक्षण देने में असमर्थ रहेंगे। वर्ष 1990 में इस प्रयोजनार्थ एक प्रस्ताव पर चर्चा की गयी थी और धन मुहैया कराया गया था, परन्तु हाथियों के आने-जाने के रास्तों को खाली कराने हेतु अभी तक एक एकड़ भूमि भी खाली नहीं करायी जा सकी है। वस्तुत: और अधिक अतिक्रमण होते रहे हैं। वास्तविकता यह है कि हमने इस वर्ष 'साइट्स' में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मत गवां दिया है जिससे विश्व बाजार में हाथीदांत उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति मिल गयी है। पिछले वर्ष हमने अफ्रीका में यह मत जीत लिया था। हमने यह कहते हुए जीत हासिल की थी कि विश्व बाजार हाथीदांत की बिक्री हेतु छूट नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से भारत को अपने हाथी गंवाने पड़ेंगे। अफ्रीका में हाथियों के आने-जाने के रास्ते काफी नियंत्रित हैं परन्तु भारत में वे स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। यहां किसी प्रकार का विनियमन नहीं है और कोई भी उनकी आवाजाही पर ध्यान नहीं देता। वीरप्पन जैसा व्यक्ति अनेकानेक हाथियों की हत्या कर सकता है। इसलिए हमने पिछले वर्ष इसके लिए लड़ाई लड़ी तथा जीत गए, परन्तु इस वर्ष हम इस मुद्दे पर हार गए। चूंकि हम इस मुद्दे को हार चुके हैं, अतएव, जब तक हम हाथियों के आने-जाने के रास्तों पर अतिक्रमण बंद नहीं करेंगे तब तक इस देश में हाथीदांत की

तस्करी जारी रहेगी। बारह वर्षों से इस पर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया गया है, अब मैं मंत्री महोदय और सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि इस कार्य को आरंभ किया जाए।

अब आपने एक विशेष अधिनियम बनाया है जो आपको राजमार्ग के निर्माण हेतु तुरंत भूमि अधिगृहीत करने का अधिकार प्रदान करता है। क्या सरकार इसी प्रकार से हाथियों के आने-जाने के रास्ते का अधिग्रहण नहीं कर सकती जो कि भूटान से लेकर कर्नाटक तक फैला है। ऐसा करने से हाथी उसी रास्ते से आ जा सकते हैं तथा ग्रामीणों पर हमला करने के बजाय सुरक्षित रह सकते हैं।

अंत में, मैं मदारियों या कलन्दरों का जिक्र करना चाहूंगी। यह हमारा भ्रम है कि ये लोग गरीब वर्ग के होते हैं और यह उनका परम्परागत व्यापार है। हमने इस संबंध में दो वर्ष तक सर्वेक्षण किया है। यह सर्वेक्षण पांच वर्ष पहले किया गया था और इसके परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाये गए हैं। उदाहरणार्थ, हमने सिर्फ भालू व्यापार में पाया है कि एक व्यक्ति 29-30 भालुओं का स्वामी होता है। वह 150 रु. प्रति भालू प्रतिदिन की दर से भालुओं को किराये पर देता है। भालू का खेल दिखाने वाला प्रत्येक मदारी 1,000 रु. से लेकर 1,500 रु. तक कमाता है। यह व्यापार अपराधी तत्वों के हाथ में चला गया है। यह परम्परागत व्यापार नहीं है। जब ये भालू तीन-चार वर्ष के हो जाते हैं तो उनको पालने व खिलाने के तरीकों और उनकी दी गयी यातनाओं की वजह से वे नाचने व तमाशा दिखाने के लिए सक्षम नहीं रह जाते। इस प्रकार, उनका तमाशा दिखाते हुए उन्हें नेपाल की सीमा तक ले जाया जाता है जहां उनकी शीघ्र हत्या कर दी जाती है तथा उनके चमड़ों को बेच दिया जाता है।

अब सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए एक बचाव केन्द्र बनाया है और इस संबंध में पहला बचाव केन्द्र आगरा में बनाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इन मुद्दों पर और गंभीरतापूर्वक विचार करे। इस देश में भालुओं की संख्या बाघों से भी कम रह गयी है। यदि हम इस प्रजाति को लुप्त होने से बचाना चाहते हैं तो हमें इन मदारियों से पहले निपटना होगा। बचे हुए 2,000 भालुओं में से 1,200 भालू सड़कों पर अर्थात् इन मदारियों के पास हैं। इन्हें पकड़कर अभ्यारण्य में छोड़े जाने की आवश्यकता है। मैं आपको मुझे बोलने का मौका प्रदान करने हेतु पुन: धन्यवाद देती हूं।

[हिन्दी]

श्री महबूब जाहेदी (कटवा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इसके साथ ही साथ मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय पर सात साल के बाद चर्चा का अवसर प्रदान किया है। इस बिल के ऊपर दोनों तरफ से चर्चा हुई है। इस तरफ से भी चर्चा हुई है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोले हैं। अभी मेनका जी बोल रही थीं। वे इस विषय की एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बहुत लम्बी चर्चा की। मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं।

महोदय, मैं सिर्फ चार-पांच चीजों की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वन्य जीव प्राणियों के दृष्टिकोण से अभी तक मेरे ख्याल में हमारे देश में विशेष चिन्तन नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि वाइल्ड लाइफ भी एक लाइफ है। दूसरी प्रकार की लाइफ भी हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए आप देखें कि हमने वाइल्ड लाइफ की रक्षा के लिए उसके उपाय करने के लिए बजटरी प्रॉवीजन कितना किया है। हम यहां कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ की प्रोटैक्शन के लिए यह करेंगे, वह करेंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा के कामों पर जो व्यय होगा, उसके लिए हमने कितना प्रॉवीजन किया है, वह देखने की बात है।

महोदय, 1972 में वाइल्ड लाइफ के बारे में एक नैशनल बोर्ड बना, जिसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री को बनाया गया, लेकिन उसकी तब से अब तक कितनी मीटिंग हुई है, यह मंत्री जी बताएं। मेरे ख्याल में अंगुलियों पर गिनने लायक ही मीटिंग तब से अब तक हुई होंगी। यदि इसी प्रकार के काम किए जाएंगे, तो यहां चाहे हम जितनी भी चर्चा कर लें, उसका कोई परिणाम आने वाला नहीं है। मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर कैलेमेटिक अटैक बहुत ज्यादा हुए हैं। बहुत सी सैंक्चुअरीज पानी में डूब गईं और राजस्थान में बहुत सैंक्चुअरीज में सूखे के कारण बहुत से वाइल्ड एनीमल मर गए। वहां सूखे के कारण बहुत सारे डॉमैस्टिक एनीमल भी मरे हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

लेकिन आपने कितने एनीमल पूरे किये? उड़ीसा में सेंचुरी एकदम खत्म हो गई थी। वहां खाने के बगैर भी जन्तु मर गये थे। सब कुछ हो गया था। आप सदन को बतायें कि आपने इसमें से कितना पूरा किया है?

दूसरी बात संरक्षण के बारे में है, प्रीजर्वेशन के बारे में मेनका जी बोली हैं। उन्होंने मैनटेनैंस, फूड, इम्पलाइज स्ट्रैंथ आदि के बारे में कहा है कि आपका ये सब कहां है? मेरी इस संबंध में बंगाल में थोड़ी सी जिम्मेदारी थी। मेनका जी उस समय मंत्री थी और

[श्री महबूब जाहेदी]

वह वाइल्ड एनीमल डिपार्टमैंट को ही देखती थीं। वहां हमने यह सब देखा था। खाली नेपाल के बारे में बोलना बेकार है। इसके साथ नेपाल है, बांग्लादेश है वहां टाइगर्स, एलीफेंट्स ट्रेड के जरिये चले जाते हैं। अभी तक उनके बारे में ऐसा कोई निर्णय केन्द्र सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। सब स्पीशिस चले गये। इसमें वाइल्ड एनीमल 34 हैं और इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। यहां के जो स्पीशिस हैं, वे लुप्त हो गये हैं। वे हमें अब नहीं मिल सकते। आपने उसके बारे में क्या कुछ किया है? हम एक बात कहना चाहता हूं कि आखिर ये देशी हैं। बूढ़े जानवर दो-चार हैं। वे सब अब बर्बाद हो रहे है। हम खासकर उन्हें रखने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे कि बक्से में बटरफ्लाइ आदि चले आ रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि उन्हें रखने के लिए हमने क्या किया है? हमें इन पर स्पेशली अटैंशन देना चाहिए। अभी इन्वायरमैंट के बारे में बोला गया है। हमने खुद देखा है। मैंने इस मामले में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। उस दिन. विशेषकर, मैं कलकत्ता चिड़ियाखाना में था। हमने देखा है कि वे मौंकी के ऊपर रिएक्सन कैसे होता है। यह किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। आप हैदराबाद जाइये, कोलकाता जाइये। हम तो दिल्ली में कभी नहीं गये हैं, मगर आप दिल्ली में भी जाइये। आज सभी चिड़ियाघर शोरगुल भरे माहौल से घिरे हुए हैं। इससे वाइल्ड एनीमल सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जंगल तो साउंडलैस जगह है मगर यहां साउंड है। सभी भयानक शोर शराबे से घिरे हुए हैं। मेरा कहना है कि साउंड में ही जू रखा गया है। वहां आप उनको क्या फूड देते हैं? उनको ज्यादा फूड नहीं मिलता है। मेनका जी ने जानवरों के लिए आने-जाने के रास्ते (एनीमल कॉरीडार्स) के बारे में भी कहा है। यह नहीं सोचा कि एनीमल के लिए खाने की जगह कहां है? इन जानवरों की संख्या क्यों घट रही हैं?

वे उड़ीसा में आ रहे हैं, बंगाल में आ रहे हैं। सभी हाथी पहाड़ों से उतर कर नीचे आ रहे हैं। वे पहाड़ से उतरकर आ रहे हैं क्योंकि वहां उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। उनके लिए कोई जगह नहीं है इसलिए उनको नीचे आना पड़ रहा है। वे खेत में घुस रहे हैं। यह भी सोचने की बात है कि वे जंगल को भी बर्बाद कर रहे हैं, जो हकीकत है। उसके बारे में मिनिस्टर से पूछना बेकार है। जब फारेस्ट मिनिस्टर आयेंगे तो हम उनसे यह पूछेंगे। ...*(व्यवधान)* अगर यहीं है तो बहुत अच्छा है। आप जंगल के मिनिस्टर भी हैं और जंगल के प्राणी के भी मिनिस्टर हैं। मेरा कहना है कि जंगल बर्बाद हो रहा है। हाथी के खाने का क्या होगा? सब चले जा रहे हैं।

[अनुवाद]

जो भी हो, मैं माननीय मंत्री जी को यह सूचित करना चाहता हूं कि केवल यही संशोधन ही काफी नहीं है। इसका क्रियान्वयन ज्यादा महत्व रखता है। यदि वह इसका क्रियान्वयन राज्यों में सही ढंग से करवा पाते हैं जो निस्संदेह यह एक बहुत ही सफल संशोधन होगा। इस कारण से मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण के लिए सन् 1972 में कानून बना था। वह ठीक ढंग से लागू नहीं हो रहा है, हालांकि हमने वह विभाग मेनका गांधी जी को दे रखा है कि वे ही कुत्ते, बंदरों की रक्षा का इंतजाम करे। प्रधान मंत्री नेशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो कहा, उसे मैं एक पंक्ति में बताता हूं कि क्या कानून बन रहा है। लोग कहते हैं-ताला लागलवा कानून और पल्ला खुलल्वा, कानून भी बना हुआ है और वन्य जीवों की हत्या और मारा जाना रुक नहीं रहा है। वन्य प्राणियों की तीन तरह से हत्याएं हो रही हैं-एक, बड़े लोग जिनको शिकार का नशा होता है, वे अवैध शिकार करते हैं, एक तरह से वहां हत्या हो रही है, दूसरी हत्या, व्यापारी लोग हाथी के दांतों और खाल का अवैध व्यापार करते हैं, लोग कहते हैं कि बाघ की खाल पर बैठने से, पुराने जमाने में साधू-महात्मा पूजा करते थे और बड़े-बड़े लोग खाल का इस्तेमाल करते थे। 1972 में जो कानून बना, उसके अनुसार यह प्रतिबंध लगाया गया था कि कोई व्यक्ति जानवरों को मार नहीं सकता लेकिन उसके बावजूद मंत्री जी ने बताया कि तीन सालों की तुलना में वर्ष 2000 के दौरान 49 बार, 201 तेंदुओं की खालें अथवा उनके शव बरामद किए गए। तेंदुआ और बाघ की हड्डियों के रूप में 176 किलो अस्थियां बरामद की गई। ब्लैक बक स्किम की संख्या 221, शाहतूस की 63 शालें पाई गईं। शाहतूस का रोयां बहुत गरम होता है। मंत्री मंडल में कई ऐसे सदस्य हैं जो शाहतूस की खाल ओढ़कर घूमते हैं। उनको पकड़ा जाना चाहिए या नहीं। ...*(व्यवधान)* आप लोगों को मालूम नहीं है। ...*(व्यवधान)* एक मुख्य मंत्री के पास में रंग-बिरंगे जन्तु हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। आज हमें दो और विधेयक पारित करने हैं।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): वन्य प्राणियों को बंद रखना भी पाप है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : वन्य प्राणियों क संरक्षण है। चिड़ियाघर और बड़े-बड़े राष्ट्रीय वन्य प्राणी उद्यान जैसे रणथमभौर, सरकार के राष्ट्रीय वन्य प्राणी उद्यान में भी जानवर मर रहे हैं। हाथी, बाघ, चीता, हिरण आदि को वहां भोजन नहीं मिलता, पीने का पानी नहीं मिलता, उनके रख-रखाव का इंतजाम नहीं है सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को बार-बार निर्देश दिया कि वन्य प्राणियों का संरक्षण होना चाहिए। मैं एक बात की सूचना सरकार को देना चाहता हूं। गिद्ध जो आसमान में उड़ता है, कहा जाता है कि जलचर, थलचर, नभचर जग नाना, जे जन चेतन जीव जहाना। कुछ जन्तु आसमान में उड़ने वाले हैं, कुछ जमीन पर चलने वाले हैं और कुछ जल में रहने वाले हैं जैसे मछली। *...(व्यवधान)* मगरमच्छ अलग है, घड़ियाल अलग है। *...(व्यवधान)*

महोदय, डालफिन मछली के बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि वह है तो जन्तु, लेकिन उसे ज्ञान होता है। वह आदमी के साथ बहुत फ्रेण्डली है, बहुत मेल रखने वाली है, उसका भी संरक्षण नहीं है। माननीय मंत्री ने बताया कि हमने उसमें कानून को सख्त बनाया है और जुर्माने को बढ़ाकर दो हजार से 25 हजार रुपये कर दिया। इन्होंने दावा किया है कि हम कानून को सख्त बना रहे हैं, लेकिन यह सब कानून से नहीं होगा। आज वर्ल्ड लाइफ खतरे में है, इनका जीवन हर जगह खतरे में है, चाहे हाथी हो, बाघ हो।

एक तो बड़े आदमी शिकार करते हैं और दूसरे जो अवैध व्यापार करने वाले हैं, क्योंकि कहीं सांप की खाल की मांग है, इसी कारण अपने देश का मेंढ़क दूसरे देश में भेज दिया। जब वर्षा होती थी तो कहते थे कि पीला-पीला मेंढक टर्र-टर्र टर्राता है, मेंढक उच्चारण करता था, आवाज लगाता था, लेकिन अब हम लोग मेंढक नहीं देख रहे हैं, सबको बाहर भेज दिया, क्योंकि उसका मांस अच्छा होता है। सारे मेंढक बाहर सप्लाई हो गये, यह सभी खतरा है। गिद्ध जो आसमान में उड़ता था, जो मरे हुए जानवर को देखकर नीचे उतर जाता था, अब गिद्ध भी हम लोग नहीं देख रहे हैं। उसे विभिन्न बीमारियां हो गईं, यह टी.वी. पर भी आया कि गिद्ध मारे जा रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि गिद्ध जैसा वन्य प्राणी भी कहां गया। चील, गिद्ध सब लोगों को नहीं दिख रहे हैं। जो सब फ्री आसमान में उड़ने वाले वन्य प्राणी हैं, उनकी न देखभाल है, न कोई इन्तजाम है, इसलिए हमारा सुझाव है कि इसमें कानून बनाने से काम नहीं होगा।

इसे ग्रामीण जीवन से जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कहीं-कहीं खतरनाक जानवर सब बाहर निकल जाते हैं, उन्हें गांव के लोग मार देते हैं। राजो बाबू के यहां सैदपुर जिले में बाघ निकला, वह अभी तक नहीं मारा गया, लेकिन उसने तीन आदमियों को मार दिया। अगर इस तरह वह आदमियों को मारता चला जायेगा तो गांव के लोग अथवा पुलिस प्रशासन मुस्तैद होकर उस तरह के जानवर को, चूंकि उनका जनता को बचाने का काम है या वन्य अधिकारी लोग, जो विशेषज्ञ हैं, जाकर उसे कोई गैस छोड़कर, उसे मदहोश कर देते, उसे पकड़ लेते। गांव के लोग गीदड़ या जो छोटा-छोटा सियार होता है, गांव में जब निकलता है तो उसे खदेड़कर मार देते हैं।

चूंकि पुराने जमाने में जंगल अधिक थे, जंगल की कटाई हो गई, ज्यादा जंगल खत्म हो रहा है। बिहार में सन् 1947 में 37 परसेंट जंगल था, वह घटकर 15 प्रतिशत हो गया। सरकार ने कुछ प्रगति की, कुछ प्रगति पर्यावरण आदि के बहाने हुई, वनरोपण का काम, वन संरक्षण का काम हुआ तो अब 17-18 प्रतिशत जंगल हुआ है। कहां 37 परसेंट था, अब वह घट गया। वैज्ञानिक और पर्यावरण के विशेषज्ञ कहते हैं कि एक तिहाई भूमि में जंगल होना चाहिए, जिससे पर्यावरण भी दुरुस्त रहेगा और वन्य प्राणी भी बचेंगे। जंगल कट जायेगा तो वन्य प्राणी कैसे रहेगा। कहीं-कहीं यह काम राज्य सरकार के जिम्मे है और कहीं भारत सरकार के जिम्मे है, उत्तरांचल में कार्बेट पार्क और झारखंड में बेतला फोरैस्ट में बाघ, सिंह रहते हैं। बाघों की गणना होती है, उसके पैर का छापा लेते हैं, जब बाघ नदी किनारे टहलता है, उस पर फर्मा लगाकर लोग उसकी गणना करते हैं, वह बड़ा साइंटिफिक सिस्टम है। बाघों की गणना में बराबर आता है कि बाघों की संख्या घट रही है। सर्कस वाले बाघ, सिंह दिखाकर कुछ जीवन-यापन करते थे, वे अब अलग मर रहे हैं। गरीब लोग सुग्गा दिखाकर कुछ कमाते थे, उन पर अलग खतरा है, उसमें चिल्लाहट है। इसलिए इन सभी बातों को देखते हुए इस पर बहुत संतुलन रखने की जरूरत है। जंगल कटने के चलते वन्य प्राणी घट रहे हैं। रंग-बिरंगे जीव-जन्तु कभी-कभी हम लोग डिस्कवरी चैनल पर देखते हैं। उस चैनल में दुनिया भर के जन्तुओं के बारे में बताते हैं, उसमें एक से एक अजूबा प्राणी है।

सचमुच में 84 लाख योनियां हैं-ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। अभी तक वैज्ञानिकों को इसके बारे में बहुत कम पता चला है और वे करीब 74,000 तक ही पहुंच गए हैं। रंग-बिरंगें पशु-पक्षी हैं। मृग होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है।

[डा. रघुवंश सिंह]

कस्तूरी के लोभ में आदमी उसको मार देता है। कुछ खास समय में लोग उसकी खाल उतारने के लिए उसको मार देते हैं। कस्तूरी पाने वाले और हिरण का मांस खाने वाले लोग उसको मार देते हैं। इससे उनकी संख्या में काफी कमी हो रही है। इसी तरह से गैंडे का मामला है। वह भी एक अद्भुत बनावट वाला जंतु है। उसके शरीर से विभिन्न तत्व निकलते हैं, जिससे दवा बनती है। इसलिए उसको भी मारा जाता है। इसलिए वन्य प्राणियों को आज बहुत खतरा हो गया है। उसके संरक्षण के लिए यह कानून लाया गया है। जो एडवाइजरी बोर्ड है, प्रधान मंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं। स्टेट के एडवाइजरी बोर्ड्स में सुधार करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। लेकिन हम वन्य प्राणियों की संख्या देखते हैं, तो लगता है कि लोग उन्हें मार रहे हैं और उस संख्या में निरंतर कमी हो रही है। प्रधान मंत्री जी ने वन्य जीवों की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राज्य और सम्बद्ध संस्थाओं से वन्यजीवों के शिकार और अवैध व्यापार रोकने तथा उनको वांछित संरक्षण प्रदान करने के लिए समुचित कदम उठाने का आग्रह किया है। 1994 से 1998 के बीच चार वर्ष में शिकार अथवा अप्राकृतिक परिस्थितियां पैदा होने से करीब 245 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। एक हजार तेंदुए हर साल मारे जा रहे हैं। उस वक्त यह कानून क्यों लागू नहीं किया जाता है।

श्री हन्नान मोल्लाह : इन्सान भी मर रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इन्सानों का भी संरक्षण होना चाहिए। यह सब चिंता की बात है। सदन को इस मामले में संवेदनशील होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस कानून का सरकार सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करे और आम आदमी को सहभागी बनाए। ग्राम्य जीवन को भी इसमें जोड़ने का काम किया जाना चाहिए, तभी यह सफल होगा। कंजर्वेशन वाला रिजर्व और कम्युनिटी वाला रिजर्व दोनों का प्रावधान होना चाहिए, तभी वन्य जीवों का संरक्षण हो सकता है। जो जानवर पुराने जमाने से अभी तक चल रहे हैं और उनका नाश होता जा रहा है, उनके संरक्षण के लिए सरकार को विचार करना चाहिए।

श्री अनंत गुडे (अमरावती): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी लाख-लाख धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में विचार के लिए रखा है। 1972 में जब यह कानून बना, उस कानून के पहले इस देश में अंग्रेजों से लेकर वन्य जीवों की हत्या होती रही। उसके बाद देश में राजा-महाराजा आए। उन्होंने अपने महलों को सजाने के लिए वन्य जीवों की हत्या की और शेर तथा हिरणों को मारा जाने लगा। हत्या करना, शिकार करना उनके लिए बहुत बड़ा शौक बन गया था। उस समय से वन्य जीव धीरे-धीरे खत्म होने शुरू हो गए।

अपराह्न 3.19 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

1972 के इस कानून में काफी खामियां थीं। इस कानून में सजा का प्रावधान बहुत कम था। इसीलिए हम वन्य जीवों को बचा नहीं पा रहे हैं। इन सब बातों को रोकने के लिए जो यह संशोधन विधेयक लाया गया है, यह बहुत जरूरी हो गया था। वन्य जीवों के क्षेत्र में से मैं बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र अमरावती है। वहां अभी मेघघाट करके एक एरिया है, जहां नया टाइगर प्रोजेक्ट बन रहा है।

कई सालों से मैं इस क्षेत्र में घूमता रहा हूं। मैंने देखा है, वहां जो सरकारी रिकार्ड है, कि 75 टाइगर वहां हैं लेकिन मुझे राजनीति में दस-बीस साल हो गये और मैं इन पार्कों में घूमा हूं, इतने साल के बाद भी मेघघाट के रिया में जहां टाइगर प्रोजेक्ट बन रहा है, वहा शेर तथा अन्य वन्य जीव नहीं दिखाई देते हैं। शेर मारा गया, ऐसा सुनने में आया लेकिन कोई पकड़ा नहीं जाता था। कोई शेर मारा जाता था तो गांव में दो-चार लोगों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई हो जाती थी लेकिन सही में जो हत्यारे थे, वे नहीं मिल रहे थे। आज वहां पर टाइगर प्रोजेक्ट एरिया बन रहा है। मैं कई जगह पर कई नेशनल पार्क में घूमा हूं। नंदकानन नेशनल पार्क में भी हम माननीय मंत्री जी के साथ वहां पर गये थे। वहां जहां सारी सुविधाएं हैं, हम अफ्रीका से शेर वहां पर लाए हैं, हम करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। वहां पर पूरे अधिकारीगण हैं लेकिन वहां जो शेर मारे जाते हैं, बीमारी से मरते हैं। लेकिन हमारी कोशिशे कम पड़ रही है और हम उनको नहीं बचा पा रहे हैं। इसलिए इस कानून को सख्त करना जरूरी है। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कई मुद्दों को बताया। वन्य जीव को बचाना तो हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य है लेकिन उनको बचाते वक्त इन वन्य जीवों से बाकी जिन लोगों का नुकसान होता है क्योंकि ये जितने भी टाइगर प्रोजेक्ट हैं, ये पहाड़ी एरिया में हैं और जब वहां पर इन वन्य जीवों को खाने को नहीं मिलता, पीने को पानी नहीं मिलता तो ये उस एरिया के आसपास के जो गांव होते हैं, शहर होते हैं, ये वहां आ जाते हैं और इससे गांव के लोगों को तकलीफ शुरू होती है। उनकी इतनी तकलीफ बढ़ती है कि ये वन्य जीव कभी किसी आदमी को मार डालते हैं। हिरण और जंगली डुक्कर ऐसे प्राणी हैं और जिस मेघघाट की मैं बात कर रहा हूं और मेघघाट क्षेत्र के नीचे अगर आ गये हैं तो परतवाड़ा, तेंदुबाजार और अनजन ऐसे बड़े-बड़े गांव हैं तथा इन बड़े देहातों में हिरण वगैरह को जब खाने को नहीं मिला तो वे शहरों में आ गए और खेतों में बस गए हैं तथा वे खेती का नुकसान करते हैं। किसान ने अपनी जमीन में बोया हुआ है और थोड़ी सी खेती

ऊपर आई है लेकिन तभी हिरण और जंगली डुक्कर उस खेती को खा डालते हैं और किसानों का नुकसान करते हैं। इसलिए उनको बचाते वक्त इस कानून में इस बात का प्रवधान करना जरूरी है कि जो वन्य जीव लोगों के खेतों में आ जाते हैं खेती का नुकसान करते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनसे हम किसानों का बचाव कैसे कर सकते हैं? वहां के एन.जी.ओ., पंचायत के जो लोग हैं, मैं यह भी कहूंगा कि जो समितियां बना रहे हैं और जिन क्षेत्रों में अभ्यारण्य हैं, वहां के एमपीज और एमएलएज को इसमें सम्मिलित करना चाहिए क्योंकि जो खेती का नुकसान होता है, वह बहुत ज्यादा होता है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। महाराष्ट्र के किसानों की बात चल रही है कि इन वन्य जीवों की खेती को नुकसान होने से बचाया जाए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब अपनी बात समाप्त करिए। आपकी पार्टी का टाइम तीन मिनट है और आप 6 मिनट बोल चुके हैं।

श्री अनंत गुढे : मैं अकेला अपनी पार्टी की तरफ से बोलने वाला हूं। मैं कह रहा था कि इन वन्य जीवों से किसानों को बचाना जरूरी है और यदि ऐसा नहीं किया गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका कानून कुछ नहीं कर पाएगा। लोग सड़कों पर आ जायेंगे।

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): जंगली सूअरों के कारण किसानों को बहुत समस्या है।

श्री अनंत गुढे : किसानों को बचाना बहुत जरूरी है। इस सदन में किसानों के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। जंगली सूअरों से किसानों को तकलीफ है और हिरनों से भी तकलीफ है। इस बारे में मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वन्य अधिकारी अपने ए.सी. कमरों में ही बैठे रहते हैं। वे पैट्रोलिंग का काम नहीं करते हैं। इस संबंध में कई सुझाव माननीय मंत्री जी को दिए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी उन सुझावों पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही जहां-जहां भी टाइगर प्रोजैक्ट्स हैं, वहां वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। एक बार वन्य जीव खाने के बगैर रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता है। वर्षा न होने की वजह से पानी की उपलब्धता नही होती है। इस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि वन्य विभाग से साधारण बजट में काफी राशि जमा होती है, लेकिन उस राशि का उपयोग वन्य क्षेत्रों के विकास के लिए नहीं किया जाता है, मेरा सुझाव है कि जितनी राशि इस मद से सरकार को प्राप्त होती है, उसका 60 प्रतिशत पैसा इन क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट): सभापति महोदय, मैं वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2002 का समर्थन करता हूं। यह संशोधन विधेयक अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है और यह संरक्षण की कुछ उन समस्याओं का गहराई से विवेचन करता है जो हमारे रोजमर्रा की जिन्दगी में दिखती रहती हैं। मैं आपका वन्य पक्षियों के खाने में विष मिलाकर उनका शिकार किया जाने के संबंध में एक उदाहरण देता हूं। खाने में विष मिलाने का कार्य सिर्फ संरक्षित क्षेत्रों अथवा पक्षी विहारों में ही नहीं किया जाता बल्कि इन पक्षी विहारों और संरक्षित वनों के बाहर भी किया जाता है। कीटनाशक मिश्रित पका चावल खिलाकर पक्षियों की हत्या करना एक निर्मम कार्य है। सिर्फ यही नहीं, विष खिलाकर मारे गए इन पक्षियों को ट्रक में लादकर विभिन्न बाजारों में भेजा जाता है जिससे मनुष्य इस विषायण का शिकार बनते है।

हमारी मांग है कि सभी महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं इस विधेयक का भरपूर समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी ने शुरू में उद्देश्यों और कारणों के कथन संबंधी अपने वक्तव्य में जो कुछ भी कहा है उसका उल्लेख करना चाहता हूं। मैं उनके वक्तव्य को उद्धृत करता हूं:

> "वन्य जीव अपराधों में हो रही बढ़ोतरी और वन्य जीव संरक्षण प्रक्रियाओं से स्थानीय समुदायों की घटती अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए....."

यह बात काफी महत्वपूर्ण है। संयुक्त वन प्रबंधन नीति के अनुसरण में मैं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु जनसाधारण की भागीदारी का पक्षधर हूं। परन्तु सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि इस कानून को लोगों के अनुकूल नहीं बनाया जाता है तो जनता इसमें अपना सहयोग नहीं देगी और वन्य जीवों का संरक्षण करना कठिन हो जाएगा।

महोदय, मैं इन टिप्पणियों के साथ माननीय मंत्री जी का ध्यान असम और अन्य राज्यों में मानव-हाथी संघर्ष की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसने इतना गंभीर रूप धारण कर लिया है कि

[श्री विजय हान्दिक]

यह स्वयं संरक्षण के लिए एक खतरा बन गया है। मैं जानता हूं कि यह काफी नाजुक मामला है। हमारे सामने यह समस्या कई दशकों से बनी हुई है। परन्तु हम इसे सुलझाने में विफल रहे तथा हमने इसे भीषण आकार लेने दिया। इस संबंध में सरकार का एक ही जवाब है कि मनुष्यों ने हाथियों के प्राकृतिक आवास पर अतिक्रमण कर लिया है। इस प्रकार, परिणाम यह निकाला गया है कि मनुष्य दोषी है। हां, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य दोषी है। परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि विगत कई वर्षों से अब तक परिस्थिति से निपटने के लिए कोई दीर्घकालिक प्रयास नहीं किए गए हैं। आप इसे पसंद करें अथवा नहीं, आज की वास्तविकता यही है तथा विलंब से ही सही परन्तु इस पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। सबसे तर्कसंगत प्रश्न यह उठता है कि हाथियों के प्राकृतिक आवासों में इस प्रकार के अतिक्रमण को रोकने के लिए शुरू में ही कुछ क्यों नहीं किया गया। अतिक्रमण रातोंरात नहीं हो गए।

उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब जंगली हाथी लोगों, उनके घरों और गांव की खड़ी फसलों को बरबाद कर देते हैं। सरकार असहाय होकर देखती रह जाती है और हम लोगों से इसे बर्दाश्त करने और संयम बरतने की आशा रखते हैं। जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है तो ऐसी दुखद स्थिति में यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग बदले की भावना से हाथियों को मार डालते हैं। यह भी हमारी विफलता ही है। यहां, संरक्षण संबंधी हमारे प्रयास विफल हो जाते हैं तथा प्रभावी उपाय नहीं ढूंढ पाने के लिए एकमात्र सरकार को ही दोषी ठहराया जा सकता है।

असम में 5,000 जंगली हाथी हैं। असम में हाथीदांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार के काफी कम उदाहरण मिलते हैं। तथापि, विगत कुछ वर्षों में मानव-हाथी संघर्ष ने अचानक जोर पकड़ लिया है जो गहरी चिन्ता का विषय है। जंगली हाथी प्रतिवर्ष औसतन लगभग 50 लोगों की जान ले लेते हैं और राज्य में प्रतिवर्ष फसल बर्बाद करने की पचास घटनाएं होती हैं।

वर्षों से हाथियों द्वारा किए जाने वाले ऐसे उत्पात की निरंतरता की वजह से, लोगों ने बदले की भावना से कुछ जंगली हाथियों को मार डाला है। यह भयावह स्थिति है। वर्ष 2001 की अंतिम अवधि के दौरान एक घटना में, सोनितपुर जिले में ग्रामीणों ने करीब 17 जंगली हाथियों को मार डाला। यह बहुत ही भयावह बात है।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि हम किस प्रकार से इस स्थिति से निपट सकते हैं। सर्वप्रथम, सरकार को हाथियों के आवाजाही हेतु रास्ते (कॉरीडोर्स) की व्यवस्था करने के साथ-साथ प्राकृतिक आवास विकास कार्यक्रम को प्रभावी बनाने जैसे प्रभावपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार को अंतर्राज्यीय हाथी संरक्षित क्षेत्रों का गठन करना चाहिए। आवधिक खेडा आपरेशन पुन: आरंभ किया जाना चाहिए और जीवन की क्षति अथवा हानि की अनुग्रह राशि और फसल बर्बाद होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति तथा फसल बीमा की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए और इसके अतिरिक्त हाथी संरक्षण कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए।

महोदय, असम राज्य सरकार इन कदमों को उठाने के अलावा हाथियों के संरक्षण के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का एक प्रस्ताव भेज रही है। केन्द्र सरकार को उसमें धनराशि और विशेषज्ञों का परामर्श उपलब्ध कराना है और निगरानी करनी है। राज्य सरकार सीमित संसाधनों के कारण इन सभी कार्यों को करने की स्थिति में नहीं है। हमयह चाहते हैं कि सरकार आगे बढ़कर कुछ प्रोत्साहन दे। और कुछ सतत् उपाय भी करे; अन्यथा हमें यह याद रखना चाहिए कि यह संरक्षण कार्य की असफलता होगी। जब यह मनुष्य और वन्य-जीवन के बीच संघर्ष का मामला होता है तो अन्तत: वन्य-जीवन ही हमेशा पराजित होता है। अत: यह इस सरकार और समाज की जिम्मेदारी है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि हमारी देखभाल और समझदारी से मनुष्य और वन्य-जीवन के बीच अच्छा तालमेल बना रहे।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मैं इस वन्य-जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2002, जो कि माननीय पर्यावरण और वन मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं क्योंकि जब हम वन्य-जीवन की बात करते हैं तो हम हमारे देश में पाई जाने वाली 75,000 प्रजातियों की बात करते हैं जिसमें स्तनपायी प्रजातियों, पक्षियों की 47 प्रजातियां, सरीसृपों की 15 प्रजातियां, उभयचरों की 31 प्रजातियों और तितलियों, कीटों और भृंगों की ऐसी प्रजातियां, भी शामिल है, जो कि लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में आते हैं। इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अलावा चीते जैसी अन्य प्रजातियां भी हैं जो कि पूर्णतया विलुप्त हो चुकी हैं। चीता इस उप-महाद्वीप से पूर्णतया विलुप्त हो चुका है।

यद्यपि वन्य-जीव अधिनियम में 1982, 1986, 1991 और 1993 में संशोधन किया जा चुका है। हमने कभी भी हमारे वन्य-जीवन को बचाने का लक्ष्य हासिल नहीं किया और न ही करने का प्रयास ही किया है। अत: इस विधेयक का, वन्य-जीवन की सुरक्षा को अधिक सक्षम बनाने, जुर्माने में वृद्धि करने, वन्य-जीवन के संरक्षण को जन-सहयोगी बनाने हेतु आवश्यकता थी। जब तक

लोगों में वन्य-जीवन के प्रति जागरुकता पैदा नहीं की जाती तब तक वन्य-जीवन को सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता।

महोदय, अति प्राचीन काल से ही भारत के लोग वन्य-जीवन के साथ सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करते रहे हैं। हमारे धर्मग्रन्थों, जैसे रामायण और महाभारत में, गरुड़, हनुमान और दशावतार का वर्णन है, वराह अवतार, मत्स्य अवतार कच्छप अवतार आदि का वर्णन है। ये सभी अवतार भारतीय जनमानस के वन्य-जीवन के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहने से बहुत अच्छे प्रतीक हैं। यह एक स्पष्ट उदाहरण है और आज भी उसका पालन किया जा रहा है।

तथापि, समय के साथ-साथ जब वन्य-जीवन एक क्रीड़ा बन गया तो यह धीरे-धीरे नष्ट होने लगा। स्वतन्त्रता के पश्चात् भी हमें वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को लाने में लगभग 25 वर्ष लग गए। अर्थात् 1951 से 1972 तक वन्य-जीवों के संरक्षण हेतु कोई अधिनियम या कानून नहीं था। अत: वन्य-जीवन और पर्यावरण सभी के लिए खुला था। विकास के नाम पर हमने पशुओं की बहुत सी प्रजातियों और वनों को नष्ट कर दिया। फिर वन अधिनियम लाया गया और अब हम उस स्थिति से ऊपर उठकर यह जान गए हैं कि मानवता के जीवित रहने के लिए वन्य जीवन को संरक्षित करना ही पड़ेगा।

हम इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करते हैं क्योंकि जुर्माने में वृद्धि की गई है लेकिन एक समस्या है। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि स्वापक और नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने हेतु किए गए निरोधात्मक उपायों की भांति ही एक वन्य-जीव अपराध आसूचना प्रकोष्ठ (वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्टेलीजेन्स सेल) का गठन किया जाना चाहिए। जैसा कि पूर्व वक्ता श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि जो लोग स्वापक और नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल हैं वे वन्य-जीवन के अवैध कारोबार में भी लगे हुए हैं। अत: वन्य-जीव अपराध आसूचना प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए जिससे कि जो लोग हमारे वन्य-जीवन को नष्ट कर रहे हैं उन्हें पकड़ा जा सके और हमारे वन्य जीवन को बचाया जा सके।

फिर हमारे वन्य जीवन को बचाने हेतु, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमें लोगों को प्रसन्न रखना पड़ेगा। जंगल में रहने वाले आदिवासियों को बहुत कम क्षतिपूर्ति दी गई है, मेरे कहने का तात्पर्य है क्षतिपूर्ति की राशि बहुत कम है। आज, यदि एक किसान या आदिवासी किसी जंगली जानवर, बाघ या हाथी के द्वारा मारा जाता है तो उसके लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। जबकि यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारा जाता है तो उसके लिए बीमा कम्पनी से लाखों रुपये मिलते हैं।

इसे बदलना पड़ेगा। यदि वन्य-जीव संरक्षण को जन सहयोगी बनाया जाए तभी वन्य-जीवन बच पाएगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति किसी भालू, बाघ या किसी हाथी के हमले से घायल हो जाता है तो उसे केवल 5,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाते हैं। इस क्षतिपूर्ति की राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 2 लाख रुपये किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय, कृपया मुझे कुछ समय और दीजिए क्योंकि मैं वन्य-जीवन से भरपूर क्षेत्र से संबंधित हूं।

महोदय, अब यह अनिवार्य हो गया है कि यदि कोई व्यक्ति जंगली जानवर के द्वारा मारा जाता है तो उसके बदले पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। क्षतिपूर्ति की राशि लगभग 3 से 4 लाख रुपये होनी चाहिए। कालाहांडी के वनों में यदि किसानों का कोई मवेशी किसी जंगली जानवर द्वारा मारा जाता है तो उसके बदले केवल 500 रुपये की राशि मुआवजे के तौर पर दी जाती है। ऐसी स्थिति में किसान या जनजातीय लोग वन्य-जीवन को बचाने हेतु क्यों आगे आएंगे? यह एक बहुत आम बात है। यदि कोई किसान डेयरी के लिए ई.आर.पी. या आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत ऋण हेतु किसी बैंक में आवेदन करता है तो उसे 40,000 रुपये ऋण दिया जाता है और इसे वह अपने फार्म में वृद्धि करने के लिए प्रयोग करता है। लेकिन जब कोई जंगली जानवर उसके मवेशी या गाय को मारता है तो उसे केवल 500 रुपये का मामूली सा मुआवजा ही क्यों दिया जाता है? इस राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए।

महोदय, यहां मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। नेपाल और केन्या जैसे देशों में सेना को वन्य-जीवन के संरक्षण कार्य में सम्मिलित किया गया है। मेरे विचार से हमें भारत में भी वन्य-जीवन को बचाने हेतु प्रादेशिक सेनाओं में वन्य-जीव और पर्यावरण अंग का गठन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं आगे इस परिप्रेक्ष्य में यह कहना चाहूंगा कि उड़ीसा के खुर्दा जिले में बारबारा वन की सुरक्षा में सी.आर.एफ. की एक टुकड़ी लगी हुई थी। आपको

[श्री बिक्रम केशरी देव]

यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस वन का मूल सौंदर्य लौट आया, वहां की परिस्थितिकी का संरक्षण हुआ और वहां वन्य-जीवों की संख्या में भी वृद्धि हुई। लेकिन अब इस टुकड़ी को स्थानान्तरित कर दिया गया है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि सैन्य बलों को वन्य-जीवन के संरक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं भारतीय प्राणि विज्ञान सोसाइटी ज्यूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का भी उल्लेख करना चाहूंगा। वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रजातियों को एकत्रित करने और उनका संरक्षण करने हेतु उनके बहुत से कार्यक्रम हैं। लेकिन इस संगठन में कर्मचारियों की कमी है। उन्हें पर्याप्त कर्मचारी बल उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे कि वे अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें और उस संगठन को अधिक कार्यशील बनाने हेतु प्रयास किए जाने चाहिएं।

महोदय, अंतत: मैं आपकी बात समाप्त करने से पूर्व एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा अन्यथा एक विशेष मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ भारी अन्याय हो जाएगा। आज भारतीय प्राणिविज्ञान सोसाईटी ने विकास के लिए कुछ वरीयता वाले क्षेत्रों को चुना है। उनकी वरीयता सूची में सबसे ऊपर हैं सम्पन्न निवास स्थली, नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र, हिमालयी पारस्थितिकी-तन्त्र, राजस्थान और गुजरात का मरुस्थलीय-पारिस्थितिकी-तंत्र, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के समुद्रीय द्वीप समूह और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पश्चिमी घाट और उत्तरी क्षेत्र आदि का विकास है। मैं माननीय मंत्री जी से इस सूची में पूर्वी घाट को भी सम्मिलित करने का अनुरोध करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए जो बिल लाया गया है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मंत्री जी ने जो विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है, उसे उन्होंने बहुत व्यापक बनाया है। अब वन्य जीवों की रक्षा कैसे होगी, संरक्षण कैसे होगा, के बारे में मेनका जी और दूसरे माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उसमें मैं अपनी मर्जी भी रखता हूं। मेरा कहना है कि कानून तो बहुत बनते हैं लेकिन मुख्य चीज यह है कि कानून का पालन कैसे होता है और पालन करने वाला कौन है? लॉ मेकर ही लॉ ब्रेकर है। अफसोस की बात यह है कि जो कानून बनाने वाला है, वही अधिकतर कानून को तोड़ता है।

आप देहातों में चले जाइए, वैसे झारखंड बन जाने के बाद बिहार के इलाके में वन का हिस्सा बहुत कम रह गया है, कुछ पश्चिमी चम्पारन, कुछ रोहतास, कुछ मुंगेर के हिस्से, हम अपनी आंख से देखते हैं कि बड़े-बड़े पदाधिकारी, कलैक्टर लैवल, कमिश्नर लैवल, डी.आई.जी. लैवल, एस.पी. लेवल के लोग शिकार के शौक से जाते हैं, वहां रहते हैं, हिरण मारते हैं, दूसरी चीजों का शिकार करते हैं, उनको खाते हैं लेकिन उनके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाता। वे खाते भी हैं, पीते भी हैं, नीला पीते हैं या पीला पीते हैं, इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। आपको ज्ञात होगा, एक बार बिहार के स्पीकर साहब पलामू जिले में गए थे। वहां हिरण का शिकार हुआ था। भोज में उसके साथ सारे पदाधिकारी थे और सबके साथ हिरण के मांस का वितरण हुआ था। वहां के सारे अखबारों और दूसरी जगहों में व्यापक रूप से इस बारे में आया था। आवश्यकता इस बात की है कि लॉ को एनफोर्स करने वाली एजैंसी ताकतवर होनी चाहिए। यदि कलैक्टर, कमिश्मर, एस.पी. जाएगा तो फॉरैस्ट आफिसर डर के मारे क्या बोलेगा, उसकी क्या हिम्मत है कि उनके बारे में कुछ बोले, वह उनकी मदद करता है। इसलिए उसे कानून से प्रोटैक्शन देना चाहिए, उसकी मदद करने का काम करना चाहिए। आप देखेंगे कि बिहार में व्यापक रूप से हाथी, हिरण, नीलगाय, बक्सर के इलाके में सैंकड़ों एकड़ जमीन में दो सौ, चार सौ की संख्या में नीलगाय चरते हुए दिखाई दे जाएंगी, वे किसानों की उपज चर जाती हैं। उसकी भरपाई कोई नहीं करता। हाथी जंगलों से निकलकर किसानों के खेत बर्बाद कर देते हैं, उनकी कोई मदद नहीं करता। सरकार को इस बारे में भी देखना चाहिए जैसे आप फैंसिंग करवाएं ताकि वह बाहर नहीं जा सके। अगर कोई जानवर बाहर जाकर किसानों के खेत को नुकसान पहुंचाता है तो उन किसानों की मदद करनी चाहिए। हम जानते हैं कि बाघ वगैरह को जो खाना दिया जाता है, फारेस्ट के अधिकारी, कर्मचारी उसमें भी कटौती करने का काम करते हैं। इस वजह से वनों में रहने वाले बहुत से जानवर मर जाते हैं। वहां के जानवरों को ठीक से खाना नहीं दिया जाता, पानी नहीं दिया जाता, दवा नहीं दी जाती। हमारे यहां बाल्मीकी नगर में नेपाल से लेकर बिहार, दोनों का पूरा जंगल एक जैसा है। वहां फैंसिंग नहीं है। जंगल का एक हिस्सा नेपाल की तरफ से है। हाथी, बाघ आदि आसानी से उस तरफ बढ़ते जाते हैं। सरकार इसे रोकने का काम करे। हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): महोदय मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

संरक्षण और परिरक्षण भारत के लिए नया नहीं है यह हमारे मानस का भाग रहा है। ईसापूर्व तीसरी सदी में सम्राट अशोक के

जमाने से ही हम वन्य जीवों, पक्षियों और जानवरों का संरक्षण करते रहे हैं। कालिदास के अभिज्ञान शांकुतलम में भी वन्यजीवों के लिए प्रेम दर्शाया गया है।

वर्ष 1972 संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना और महत्त्वपूर्ण मोड़ लेकर आया था। जैसा कि श्री बिक्रम केशरी देव कह रहे थे कि 1972 से पूर्व कोई कानून नहीं बल्कि ब्रिटिश काल से चले आ रहे ऐसे पुराने बहुत सारे राज्य कानून थे। तथापि, ये जानवरों के शिकार से संबंधित कानून थे जो संरक्षण के लिए नहीं थे। 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व के कारण सभी राज्य इसे समवर्ती विषय बनाने पर सहमत हुए। इस प्रकार यह आदर्श विधान अधिनियमित किया गया।

इसी प्रकार की पहल अब प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की है जो कि सही दिशा में एक और कदम है क्योंकि 1972 संरक्षण अधिनियम में कुछ खामियां थी। सबसे बड़ी खामी सामुदायिक भागीदारी का न होना था। समुदाय का कोई अधिकार नहीं था। 1991 आंधनियम ने कानून को और थोड़ा कठोर बनाया। मैं श्री बालू को बधायी देता हूं क्योंकि वे दस वर्ष बाद यह संशोधन लाए है जो कि सही दिशा की ओर एक कदम है फिर भी इसमें अभी और बहुत सारी खामियां हैं। 15 दिन पूर्व ही हमने जैव विविधता विधेयक पारित किया। जल्दबाजी, हड़बड़ी में की गई अस्पष्ट प्रतिक्रिया थी जिससे अनेक प्रश्न अनुत्तरित रह गये। यह जैव-नाशक कानून है क्योंकि हमने जैविक चोरी पर कोई रक्षोपाय नहीं किए है, जहां हमारे मूल निवासियों स्थानीय समुदायों के हितों को आई.पी.आर. ट्रिप्स या डब्ल्यू.टी.ओ. से कम महत्वपूर्ण कर दिया गया है। हाल ही में माननीय मंत्री और सदस्य श्री बी.के. देव ने जोहांसबर्ग मे हुए विश्व वहनीय विकास शिखर सम्मेलन (वर्ल्ड ससटेनेबल डेवलपमेंट साम्मेट कांफ्रेंस) में भी भाग लिया था ...*(व्यवधान)* महोदय, मुझे कुछ समय और चाहिए मैं अपना भाषण मुद्देनुसार दूंगा। मेरे पास 15-16 मुद्दे है जिन पर वहां चर्चा हुई थी। इसलिए इस वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक को इसी पृष्ठभूमि में देखना चाहिए।

एक मुद्दा मौसम और ग्रीन हाउस गैस का था हमारे लिए इसका विशेष महत्व है क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। हमारे कृषि, जीवमंडल, वातावरण, वनों और मौसमों में आए परिवर्तन हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण है। श्री बी.जी. वर्गीस ने सभी संसद सदस्यों को पत्र लिखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा मौसम में परिवर्तन और वार्वमंडल का गर्म होना है। इसका कारण कार्बन-डायआक्साइड और मोनोआक्साइड वातावरण में छोड़ना है। इस पर रोक तभी लगायी जा सकती है जब यह अपने जंगलों को बचाएं जिसके लिए उत्तर के देश अर्थात् विकसित देश हमें हमेशा इससे प्रतिबद्ध रहने को कहते है परन्तु स्वयं इसका पालन नहीं करते हैं। वे आशा करते हैं कि विकासशील दक्षिणी देश सारी आवश्यकताओं से प्रतिबद्ध रहें परंतु उत्तरी देश अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर रहे है।

दूसरा यह है कि जैवविविधता ऐसी है जहां पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और एकता सबका अभाव है।

तीसरा है मरूभूमि का विस्तार और गरीबों की कीमत पर अमीरों को राजसहायता दिया जाना। जोहान्सबर्ग में भी यही हुआ था।

और चौथा है सतत् ऑर्गेनिक प्रदुषक तत्व।

वन संबंधी वैश्विक बिना किसी बहुमत के समझौते।

व्यापार और पर्यावरण, जिसका उल्लेख श्रीमती मेनका गांधी ने किया वह उल्लंघन के रूप में अधिक था। परन्तु यह सही दिशा में एक कदम है।

निवेश पर बहुपक्षीय समझौता एक अभिशाप है। श्रीमती इंदिरा गांधी कहा करती थी, 'पारिस्थितिकी का विनाश गरीब आवश्यकता के लिए और अमीर लालच के लिए करता है। वाणिज्य और व्यापार ने हमारे जंगलों का विनाश किया है। आज आपके सरकार की स्वयं की एजेन्सी राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेन्सी के अध्ययन की विशेष महत्ता है। 1952 में 36% भूमि वनों से घिरी थी परंतु अब वनों का भाग घट कर 11% रह गया है। राजाओं और महाराजाओं द्वारा किए गये विनाश के बाद जहां 1947 में 40,000 बाघ थे आज केवल 4000 ही बचे हैं। पिछले 60 सालों से राजा और महाराजा नहीं है कौन वनों को काट रहा है? कौन वनों और वन्यजीवों को नष्ट कर रहा हैं?

मैं ढेकानाल का रहने वाला हूं। 1927 में एक कानून था जिसके अनुसार यदि आप अपने पिछवाड़े का भी पेड़ काटते है तो आपको तीन पेड़ लगाकर उन्हें तीन साल तक बचा कर रखना पड़ता था तभी आप पेड़ काट सकते थे। अंडमान में भी यही कानून लागू है जहां आप तीन पेड़ लगाने के बाद ही पेड़ को काट सकते हैं। महोदय, सेनाओं में भी जहां हर सप्ताह अग्नि शमन अभ्यास होता है। वहां अग्नि शमन, अग्नि आरक्षी और अग्नि बचाव दल होता है। इसी प्रकार हमारी ग्रामीण जनता को चार आने का शुल्क अदा करने के बाद, ईंधन,चारा और इमारती सामग्री मुफ्त में मिला करती थी। परन्तु कुछ ग्रामीणों को संरक्षण दल कुछ

[श्री के.पी. सिंह देव]

ग्रामीणों को आग बुझाने और कई को रक्षा हेतु तैनात किया जाता था।

इसलिए समाज की भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए। वन और वन्य जीव उनके लिए केवल आर्थिक संसाधन होने चाहिए। जहां तक पर्यावरण से संबंधित संस्थानों का प्रश्न है तो इनकी कमी नहीं है। परन्तु भारत जैसे विकासशील देशों को क्या मिलता है? कुछ नहीं। दूसरा मुद्दा ओजोन परत के कम होने, जहरीला कचरा, प्रथम सूचित करने की अवधारणा और साथ ही सूचना का अधिकार है। यह सभी अपेक्षित हैं एक अन्य विषय वन्य जीवों के संरक्षण में चिड़ियाघरों की भूमिका है। हमारे यहां बहुत सारे चिड़ियाघर हैं। इस सभा में तीस वर्ष पूर्व यह निर्णय लिया गया था कि बंदीवास में प्रजनन के रूप में चिड़ियाघर एक आदर्श संस्था होगी वहां लुप्तप्राय जीवों का बंदीवास में प्रजनन किया जाएगा। अब हमारे पास न तो कोई विशेषज्ञ है न ही कोई नीति या वैज्ञानिक प्रबंधन और न ही कर्मचारी है।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, चार बजे नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू कराएं, क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : एक अन्य बात वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रादेशिक सेना/बटालियन गठित करने के संबंध में है। एक अन्य मुद्दा शिकार के लिए जीवों के पालने के संबंध में है जिससे किसानों के लिए नवीन आर्थिक स्रोत पैदा होंगे। उन्हें शिकार के लिए जीवों को पालने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अंतिम मुद्दा एक ऐसे ट्रस्ट की स्थापना के संबंध में है जिसमें मैं या कोई अन्य किसी विशेष वन या संरक्षित क्षेत्र या किसी चिड़ियाघर के लिए निधि दे सकता है। नंदनकानन चिड़ियाघर में 17 सफेद बाघ मर गये। विश्व में सर्वाधिक बाघ नंदनकानन में हैं। ये बातें हैं जिन पर वे विचार करके उसका उत्तर दे सकते है।

[हिन्दी]

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक, 2002 का मैं समर्थन करती हूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि वन्य जीव अपने आप में एक वृहद शब्द है। इसके पीछे हमारी 84 लाख योनियां समाई हुई हैं। मैं उनकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। जो 84 लाख योनियां बताई गई हैं, उनका वर्णन कुछ इस प्रकार है, स्थारवनम् विनस्ति लक्षम् च: - 20 लाख हमारे पेड़, पौधे और वनस्पतियां आदि हैं। जलजन: नवम् लक्षम च:, यानी नौ लाख हमारे जल के अंदर रहने वाले जीव हैं। कुरमुस्य रुद्र लक्षम् च:, यानि 11 लाख रेंगने वाले जीव हैं। त्रियोदशम पशु लक्षम च:, यानी 30 लाख पशु हैं। दश: लक्षम पक्षीनाम च:, यानि दास लाख पक्षी हैं और चतुर्थ लक्षम वानर: च:, यानी चार लाख वानर हैं। इस प्रकार कुल 84 लाख जीव हैं। इनमें अधिकांश वन्यजीव हैं और एकमात्र मनुष्य इन सब जीवों पर राज करने वाला और इनको प्रभावित करने वाला है। अभी आपने समय की कमी बताई है इसलिए मैं संक्षेप में कहना चाहूंगी कि जंगल क्यों बचे और कैसे बचे। वन्य जीवों को हम क्यों बचाएं और वे क्यों बचें तथा कैसे बचें, यह सोच उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों में जब तक नहीं आएगी, तब हम वन्य जीवों और जंगलों को सुरक्षित नहीं कर सकते।

वन्य जीवों और मनुष्य का आपसी सम्बन्ध है। हमें इस सम्बन्ध को प्रचारित करना होगा। जन-जागरण करके उनको समझाना होगा और एक दूसरे के महत्व को जब तक हम नहीं समझा पाएंगे, तब ये जीव सुरक्षित नहीं होंगे। एक तरफ आबादी बढ़ रही है, गुणात्मक दृष्टि से 100 गुना तक हो गई है। दूसरी तरफ हम वन्य जीवों की आबादी घटा रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। आज जंगलों में टाइगर लुप्त होते जा रहे हैं। लोग इनका शिकार क्यों करते हैं और क्यों इनको मारते हैं, इसके तीन कारण हैं। पहला कारण है शत्रुता, दूसरा कारण है पेट के लिए, क्योंकि लोग इनको खाते हैं और तीसरा कारण है शौक के लिए इनका शिकार करना, जैसे सलमान खां ने शौक के लिए किया। जहां-जहां टाइगर प्रोजेक्ट हैं, उनके सर्राउंडिंग में रहने वाले लोगों को जब तक आप अवेयर नहीं करेंगे, उन लोगों के हाथ में कोई माकूल व्यवस्था नहीं होगी, तब तक वन्य जीव सुरक्षित नहीं रह पाएंगे।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें। जिनको अपना लिखित भाषण सदन के पटल पर रखना है, वे रख सकते हैं। श्री लक्ष्मण सिंह जी का लिखित भाषण, वह टेबल पर लेड माना जाएगा।

[अनुवाद]

*श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): माननीय, सभापति महोदय, कम से कम सरकार गहरी नींद से जागी है और देश के लिए इस महत्वपूर्ण विधेयक को पुर:स्थापित किया है। मैं प्रेस, इस

*भाषण मेज पर रख गया।

विषय से जुड़े लोगों और गैर-सरकारी संगठनों को बधाई दूंगा जिन्होंने सरकार पर इस विधेयक को लाने के लिए दबाव डाला।

सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं थी इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक 4 साल बाद जनवरी, 2002 में हुई। यदि यह बैठक प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में नियमित रूप से हुई होती तो उन हजारों बाघ, हाथी और अन्य वन्य जीवों को बचाया जा सकता था जिनका शिकार उनकी हड्डियों हाथी दांतों और खाल को तस्करी के लिए किया गया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस सहस्राब्दि के आरंभ में 200 बाघों का शिकार किया गया था। 1997 के सर्वेक्षण के अनुसार देश में 3508 बाघ हैं हालांकि बाघ परियोजना के एक अधिकारी इससे असहमत हैं और कहते हैं कि, "बाघ अभयारण्यों के निदेशक अपने वरिष्ठों को खुश रखने और अपने वनों को फलताफूलता दिखाने के लिए फर्जी बाघों की संख्या दर्शाते हैं।"

प्रसिद्ध बाघ विशेषज्ञ वाल्मिक थापर भी इससे सहमत है जो कहते है कि सर्वेक्षण एक घोटाला है और आगे कहते है अधिकतर 'कागजी शेर' वन अधिकारियों की कल्पना में ही जीवित है। एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि वन्य जीव संरक्षण के स्तर में आई गिरावट के कारण वन्य जीवों की हत्याएं बढ़ती जा रही है। वन मंत्रालय और सभी राज्यों और संघ राज्यों के वन विभागों को इसी विषय पर 4 अप्रैल को एक पत्र मिला था जिसमें लिखा था नवम्बर, 1999-2000 के बीच 1100 चीतों और 46 बाघों का शिकार किया गया और बाघ सर्वेक्षण ये संख्या लगभग 1500 बताता है।

शिकार पर रोक लगाने के लिए जो अधिकारी प्रत्यक्ष रुप से जिम्मेदार होता है वह है वनपाल। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 20 वर्षों में कोई नई भर्ती नहीं की गई है और 40% पद अभी भी रिक्त है। वनपाल को बिना हथियारों के वनों की कटाई, चैक पोस्टों का और सामुदायिक वनों पर निगरानी रखनी पड़ती है। अनेक राज्यों में वनपालों के पास सिर्फ एक लाठी होती है और उन्हें 15 वर्ग कि.मी. पैदल चलना पड़ता है। बाघ परियोजना के निदेशक श्री पी.के. सेन कहते हैं कि वन्यजीव शिकारियों पर निगरानी रखने के लिए वनपालों को अत्याधुनिक हथियार, पर्याप्त गतिशीलता और आसूचना एकत्रित करने के लिए प्रभावी तंत्र मुहैया कराया जाना चाहिए। वे ये भी महसूस करते हैं कि पुलिसवालों को जिस प्रकार अपराधियों को पकड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है उसी प्रकार तस्करों और शिकारियों को पकड़ने के लिए वन अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तस्करों और शिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए वन्य जीव विशेष न्यायालय और वकील होने चाहिए।

अनधिकृत कब्जे और पशुओं को वनों की क्षमता से अधिक चराए जाने से अभ्यारण्य क्षेत्र के कम होने संबंधी गंभीर समस्या भी पैदा हो गयी है। बाघ हाथी और अन्य वन्यजीव अपने घटते निवास स्थल के कारण अभ्यारण्यों से जुड़े गांवों में घुसकर ग्रामीणों के लिए गंभीर संकट पैदा कर रहे हैं। 1973 से बाघ निवास का 50% प्रतिशत या 150000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र हमने खो दिया है। छत्तीसगढ़ में इद्रावती के पेंच बाघ अभ्यारण्य नक्सलवादियों का गढ़ है और वहां मत्स्यन माफिया कार्यरत् है। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन क्षेत्र पिपुल वार ग्रुप का गढ़ है। हजारी बाग जिसे एक समय हजार बाघों की भूमि कहा जाता था और बिहार का पलामू क्षेत्र खानों के कारण नष्ट हो गए है जबकि मानस पर बोडो अलगाववादियों का कब्जा है। यह अनुमान है कि यदि इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो 15 वर्षों में लगभग 400 बाघ अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए एक छोटे से वन क्षेत्र में धकेल दिए जाएंगे और बाघ परियोजना असफल हो जाएगी।

राउ सांग जैसे स्वादिष्ट व्यंजन चीन प्रवास के दौरान किसी भी भोजन प्रेमी के लिए अनिवार्य है यह बाघ के सूखे और भूने मांस से बनता है। बाघ के जननेंद्रियों का सूप बहुत कीमती है।

महाराष्ट्र वन्य जीव बोर्ड के सदस्य, किशोर रीथे का कहना है कि बाघ की खाल और हड्डियां नागपुर ले जायी जाती है जो कि वन्य जीव व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन स्थल है जहां से इन्हें नेपाल अथवा बांग्लादेश भेजा जाता है और वहां से दक्षिण एशियाई देशों, यूरोप और अमरीका को भेजा जाता है। पूरे विश्व में हड्डियों का अवैध व्यापार वार्षिक 30 बिलियन डालर का होता है।

खनन (कुंद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क, कर्नाटक), बांधों का निर्माण (दी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश), सड़कें (कलाकड मुंदाथुरई बाघ अभयारण्य, तमिलनाडु) रेल लाइनें (राजाजी राष्ट्रीय पार्क, उत्तर प्रदेश) जलाभयारण्य (मितारकणिका अभ्यारण्य, उड़ीसा), चाय और काफी की खेती (बी.आर.टी. वन्य जीव अभयारण्य, कर्नाटक) तथा कृषि हित साधने वाले लोगों द्वारा किये जाने वाले अतिक्रमण स्थानीय लोगों की आजीविका के लिए सर्वाधिक बड़े खतरे हैं। पर्यावरण समर्थक दल बंगलोर ने कुंद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क में हो रहे खनन कार्य के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

महोदय, यह विधेयक पार्कों और अभ्यारण्यों के लोकतांत्रिक प्रबंधन का समर्थन करेगा। एक समुदाय के रूप में गांववालों और वन विभाग के साथ सहभागिता आदर्श होगी न कि व्यक्ति विशेष के साथ साझेदारी। व्यक्तियों के साथ साझेदारी की व्यवस्था करने पर प्रतिद्वन्द्विता पैदा हो सकती है जो संरक्षण हेतु संयुक्त प्रयास

[श्री लक्ष्मण सिंह]

के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। बोर्ड का गठन लोकप्रिय सहभागिता के आधार पर होना चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि जनता और प्रशासन के बीच समान सदस्यता सुनिश्चित न की जाए। बोर्ड को सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय होना चाहिए जिसके पास कानून लागू करने का बाह्यमूलक अधिकार होना चाहिए। इसे सिर्फ राज्य स्तर का निकाय नहीं होना चाहिए। प्रत्येक अभ्यारण्य और पार्क के लिए एक ऐसा बोर्ड हो सकता है।

"संरक्षण" शब्द को कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। ये सुझाव देते समय हम इस अवधारणा को लेकर चलते हैं कि संरक्षण का अर्थ एक ऐसी स्पष्ट कार्य-योजना से है जो स्थानीय लोगों में पारितंत्र में स्थित पौधों, पशुओं और आनुवांशिक संसाधनों के अनुरक्षण और दीर्घकालिक उपयोग में व्यक्तिगत हिस्सेदारी का भाव पैदा करके उनकी मूलभूत सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।

संरक्षण में इस प्रकार परिभाषित करने में हमारी अवधारणा है कि हमें जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वह पुन:स्थापन का दर्शन नहीं बल्कि नव-सृजन का सिद्धांत है। एक पेंटिंग, स्थापत्य कलाकृति, भवन आदि का पुन:स्थापन किया जा सकता है। परन्तु संस्कृति और प्रकृति के नवीकरण की आवश्यकता होती है। वन्य जीवन के नवीकरण को सार्थक और चिरस्थायी बनाने हेतु संयुक्त संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन योजना बनाए जाने की आवश्यकता है जो वन विभाग और उन समुदायों के बीच समान साझेदारी पर आधारित होगी जो वन संसाधनों पर निर्भर करते है और इसके संरक्षण में जिसकी वृहत भागीदारी होती है।

***श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर** (भीलवाड़ा): महोदय, मैं वन्य जीव (संरक्षण) विधेयक, 2002 का समर्थन करता हूं।

कुछ समय से वन्य जीव खतरे में पड़ते जा रहे हैं। पिछले एक दशक के दौरान बाघों की संख्या घटी है तथा बाघों की संख्या 4000 से घटकर 1000 रह गयी है। बाघों की संख्या घटते जाने का अर्थ है कि पशुओं की संख्या अव्यवस्थित हो रही है क्योंकि बाघ पूरे वन और पारितंत्र का सार हैं। यह सम्पूर्ण पादप व प्राणि-समूह के त्रिकोण का शिखर है तथा जब बाघ का अस्तित्व खतरे में है तो सम्पूर्ण पादप व प्राणि-समूह खतरे से गुजर रहे हैं।

पादप व प्राणि-समूह के लिए खतरा पैदा होने के अनेक कारण हैं। मैं तत्संबंधी विस्तार में नहीं जाना चाहता परन्तु मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक निवारक के रूप में कार्य करेगा।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान में सरिष्का और रणथम्भौर दो बाघ परियोजनाएं (पोजेक्ट टाइगर) तथा कुछ अन्य अभयारण्य हैं। मेरा सुझाव है कि इन दोनों बाघ परियोजनाओं को बाघों के लिए आने-जाने का रास्ता (कॉरीडोर्स) बनाकर आपस में जोड़ देना चाहिए। कॉरीडोर्स और बफर जोन बाघ परियोजनाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि इन दोनों को मजबूत बना दिया जाए तो इससे वस्तुत:, बाघों को बचाया जा सकता है तथा जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं जब हम बाघ की बात करते हैं तो हम सम्पूर्ण वन तंत्र की बात करते हैं।

वन्य जीव संबंधी राष्ट्रीय बोर्ड और राज्य वन्य जीव सलाहकारी निकाय को सांविधिक दर्जा देना अच्छी बात है परन्तु उन्हें प्रत्येक 4/6 महीनों में बैठकें आवश्यक रूप से करते रहना चाहिए तथा यदि वे बैठकें नहीं करते हैं तो आखिर उनका क्या औचित्य है?

मैं यह भी सुझाव देता हूं कि गुजरात में एशियाई सिंह लुप्त हो रहे हैं। खराब प्रजनन और सूखे की स्थिति की वजह से उनका अस्तित्व खतरे में है। उस क्षेत्र में भूकंप का भी बुरा असर रहा है।

मेरा सुझाव है कि गिर वन में जिस प्रकार से व्यवस्था की गई है ठीक उसी प्रकार एशियाई सिंहों के लिए अवसंरचना और खुले वातावरण की व्यवस्था करके उनके स्थानांतरण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे राजस्थान जैसे अन्य राज्य में अपने अस्तित्व को बचाए रख सकें। यदि यह कार्य शीघ्र नहीं किया गया तो जीवित बचे हुए एशियाई सिंह इस पृथ्वी से बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे।

सीता माता अभयारण्य जैसे राजस्थान के कुछ वन क्षेत्रों को एशियाई सिंहों के लिए आदर्श वन के रूप में बदला जा सकता है तथा इस परियोजना को जिस पर विचार किया था, आसानी से स्वीकृति दी जा सकती है और इसे अवश्य स्वीकृति दी जानी चाहिए।

महोदय, मैं यह भी सुझाव देता हूं कि वन्य जीव स्कंध को वन गार्ड कैडर से अलग किया जाना चाहिए तथा विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे यह समझ सकें कि पशुओं के अवैध शिकार को कैसे रोका जा सके। वन्य जीव संबंधी कार्य व उनका संरक्षण दक्ष व विशिष्ट कार्य हैं।

मेरा यह भी सुझाव है कि भारतीय पेड़-पौधों के अत्यधिक उगाने व रोपने का कार्य सिर्फ मरुस्थल तक ही सीमित रखना

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

चाहिए और इन्हें वन क्षेत्रों में नहीं उगाया जाना चाहिए। ये भारतीय पादप अन्य पेड़ों को नहीं बढ़ने देते तथा वन के लिए अनेक प्रकार से अहितकर हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री टी.आर. बालू : सभापति महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2002 की चर्चा में भाग लिया।

हम इस बात पर गर्व महसूस कर सकते हैं कि यदि विश्व जैव-विविधता सम्पत्ति से तुलना की जाए तो भारतीय उप-महाद्वीप में करीब आठ प्रतिशत जैव-विविधता सम्पत्ति विद्यमान है। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य क्या है? हम जानवरों का अवैध शिकार करने वाले, उन दोषियों व अपराधियों, जिनके इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हैं, के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं। इस प्रकार, हम उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं।

दूसरे, जैसा कि मैंने बताया हमारे पास विश्व की आठ प्रतिशत जैव विविधता सम्पत्ति है। परन्तु जहां तक वन्य जीव संरचना का सवाल है, देश में संरक्षित क्षेत्र कितना है? यह सिर्फ 4.7 प्रतिशत है। हम वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र को 10 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहते हैं जो कि विश्व औसत है। जब हम इस संबंध में अपने देश की तुलना पड़ोसी देशों से करते हैं तो भूटान के पास 20 प्रतिशत श्रीलंका के पास 13 प्रतिशत तथा नेपाल के पास ठीक हमारी तरह 8 प्रतिशत सम्पत्ति क्षेत्र है। इसलिए, हम विश्व औसत प्राप्त करने के लिए संरक्षित क्षेत्र 10 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहते हैं।

अपराह्न 4.02 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सरकार का तीसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जहां हमारे पास वनस्पतियों की 48,000 किस्में और प्राणियों की 81,000 प्रजातियां हैं जिनकी सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि हमारे अपने समुदाय के सभी लोग संरक्षण कार्यों में अवश्य भाग लें। हम इन तीनों महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करने के लिए संशोधन करना चाहते हैं और यही कारण है कि यह संशोधन विधेयक सभा के समक्ष लाया गया है।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में मैं सर्वप्रथम डा. रघुवंश प्रसाद सिंह के प्रश्न को लेता हूं जिन्होंने वन्य जीवों की संख्या में कमी होने के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन उनकी यह बात सही नहीं है क्योंकि हमने राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 65 से बढ़ाकर 587 कर दी है। वर्ष 1970 के बाद से राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों का क्षेत्रफल बढ़कर 1.15 लाख वर्ग कि.मी. हो गया है। इसके अलावा प्रधान मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को यह पत्र लिखा है कि वे इस ओर ध्यान दें और राष्ट्रीय पार्कों तथा अभ्यारण्यों के प्रबंधन पर व्यक्तिगत ध्यान दें।

नौवीं योजना में हमने इसके लिए 478 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। अब हमने इसके लिए आवंटित धनराशि बढ़ाकर 828 करोड़ रुपये कर दी है। उन्होंने गिद्ध की संख्या के बारे में भी उल्लेख किया है। गिद्धों की संख्या पर ध्यान रखने तथा उनकी संख्या के बारे में अनुसंधान करने हेतु हमने पहले ही बी.एन.एच.एस., मुम्बई को इस ओर ध्यान देने के लिए कहा है ताकि गिद्धों की वास्तविक संख्या का पता लग सके।

श्री विजय हान्दिक ने मनुष्य-हाथी संघर्ष का उल्लेख किया है। इस बात को देखते हुए हमने क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाकर संघर्ष में हुई मृत्यु की स्थिति में 1 लाख रुपये और घायल होने पर 33,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी है। इस विषय पर सरकार ने इन अधिसूचनाओं को हाल ही में जारी किया है। जहां तक हाथियों के लिए कारीडोर्स का सवाल है, असम में हमारे पास चार हाथी अभ्यारण्य हैं।

नौवीं योजना में हमने 'प्रोजेक्ट एलीफैन्ट' (हाथी परियोजना) के लिए 30 करोड़ रुपये प्रदान किए थे। दसवीं योजना के दौरान हमने इस उद्देश्य हेतु 60 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। इस प्रकार इस धनराशि को दुगुना किया गया है। जहां तक असम का संबंध है चालू वर्ष के दौरान हमने इसके लिए 20 लाख रुपये दिए हैं। शिकार रोकने के लिए 25 लाख रुपये तथा क्षतिपूर्ति हेतु 20 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी हैं। हमने हाथी परियोजना के लिए एक करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): फसल के लिए क्षतिपूर्ति के बारे में क्या है? ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : जहां तक आवंटित समय का सवाल है, मेरे पास कम समय है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा।

श्री बी.के. देव ने एक मुद्दा उठाया है। वस्तुत: मैं इसका जवाब पहले ही दे चुका हूं। इन्हीं मुद्दों को श्री देव और श्री हान्दिक ने उठाया था। जहां तक उड़ीसा का सवाल है, क्षतिपूर्ति

[श्री टी.आर. बालू]

की राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गयी है। विध्वंस/लूट खसोट रोकने के लिए 25 लाख रुपये रखे गए हैं। यह कुल राशि में शामिल है जो कि इस वर्ष के लिए 98 लाख रुपये है।

श्री चेन्नित्तला ने संरक्षण, समुदाय आरक्षित और इन सभी लोगों को दिए जाने वाले महत्व के बारे में कुछ बातें उठायी हैं। संशोधन करते समय इन बातों को ध्यान में रखा गया है। समुदाय के लोगों को महत्व दिया गया है।

जहां तक राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का संबंध है, भारतीय कल्याण बोर्ड का इस प्रकार पुनर्गठन किया गया है। इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है।

महोदय, मैं श्रीमती मेनका गांधी द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे इस मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद बहन मेनका गांधी 21.10.1999 को मेरे पास आयी थीं। उन्होंने, भारत में चिड़ियाघरों की देखभाल के लिए, चिड़ियाघर संवर्ग का गठन करने का सुझाव मुझे दिया। उनके सुझाव को गम्भीरता से लेते हुए मैंने अपने मंत्रालय के और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों को संकल्पना पत्र तैयार करने का सुझाव दिया है ताकि प्राणि उद्यान संवर्ग का गठन किया जा सके। मैंने यह संकल्पना पत्र, प्रस्ताव कृषि पशुपालन, कार्मिक विभाग और विधि मंत्रालय को भी भेजा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने मुझे यह संकल्पना पत्र राज्यों को भेजने के लिए कहा है। मैंने इसे सभी राज्यों को भेजा हैं और सभी राज्यों के सचिवों को यहां बुलाया गया है। हमने बातचीत की है। इस बातचीत में कोई भी राज्य ऐसा प्राणि उद्यान संवर्ग बनाने के लिए आगे नहीं आया है। इसलिए हम प्राणि उद्यान संवर्ग का गठन करने के इच्छुक नहीं है।

जहां तक कलंदरों और सड़कों पर तमाशा दिखाने वाले लोगों का संबंध है, उन्हें अपनी आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने अपनी मर्जी से इस पेशे को नहीं चुना है। उन्होंने तो मजबूरी में रोजी-रोटी कमाने के लिए ऐसा पेशा चुना है। मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ यह कह सकता हूं कि मैं 'कलंदरों' अथवा सड़कों पर तमाशा दिखाने वाले छोटे लोगों के लिए किसी प्रकार का लाइसेंस प्रणाली लागू नहीं कर सकता हूं।

जहां तक मोर के पंखों से संबंधित मुद्दे का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि पक्षियों की कुल संख्या से तुलना करेंगे तो यह प्रत्येक वर्ष में एक मोर से कम से कम 400 से 500 से पंख गिरते हैं *...(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि 400 से 500 पंख गिरते हैं। यह तो केवल 110 है *...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : वस्तुत: यह 1.4.1999 से काली सूची में है। इससे पहले उन्होंने 20 लाख पंखों का निर्यात करने की अनुमति प्रदान की थी। इस पर 1.4.1999 से प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें कोई समस्या नहीं है। यदि इस देश में निर्यात की सुविधा होगी तो लोग अवैध शिकार करेंगे। क्या आपका कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति मोर, जोकि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, को मार डालेगा। प्रत्येक भारतीय के मन में इस विशिष्ट पक्षी के लिए अपार श्रद्धा है। क्या कोई भी व्यक्ति इसे छोटे-मोटे प्रयोजनों के लिए मार डालेगा। ऐसी बात नहीं है।

कोई भी व्यक्ति मोर को नहीं मारेगा। इसका सांस्कृतिक मूल्य है और लोगों को इसके प्रति अपार श्रद्धा है *...(व्यवधान)* यहां तक कि स्कूली बच्चे भी अपनी पुस्तकों में मोर का पंख रखते हैं। अत: मोर के व्यापार में किसी लाइसेंस प्रणाली को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

महोदय, अपनी बात पूरी करने से पहले मैं यूनाइटेड किंगडम स्थित धर्मार्थ संस्था "वर्ल्ड सोसायटी फार प्रोटेक्सन आफ अनिमल्स" द्वारा अगस्त 1997 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का एक उद्धरण देना चाहूंगा। उनकी रिपोर्ट में यह कहा गया है:

> "कलंदरों से बड़े पैमाने पर नाचने वाले भालुओं की बरामदगी से निर्धनता और बीमारी और बढ़ेगी। इससे जंगली भालुओं का अवैध शिकार भी बढ़ेगा क्योंकि 'कलंदरों' के पास आजीविका के लिए इसका कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। यह समुदाय बदलना चाहता है परन्तु पुनर्वास के लिए आवश्यक समर्थन की आवश्यकता है।"

अत:, जब सरकार 'कलंदरों' के पुनर्वास के लिए प्रस्ताव लेकर सामने आएगी तो हम माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। परन्तु अब तक की स्थिति के अनुसार जहां तक कलंदरों के लिए कोई पुनर्वास कार्यक्रम नहीं है। अत:, इस आशय का संशोधन अस्वीकृत किया जाये।

श्रीमती मेनका गांधी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो बातें कहना चाहती हूं। पहली बात तो यह है कि सम्भवत: मंत्री जी इस बात से निश्चित रूप से अवगत नहीं हैं कि मोर का कारबार कैसे किया जा रहा है, क्योंकि उनके अपने वन्य जीव संस्थान ने उनको बताया है कि मोर मार दिए जाते हैं और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वे यह कहते हैं कि ये मारे नहीं जा रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि वह यह कह रहे हैं कि 'कलंदरों' के पुनर्वास के लिए कोई योजना नहीं है। उनके मंत्रालय में ही एक

ऐसी योजना है जिसमें भालू को छोड़ने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए दो करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। मुझे पुन: आश्चर्य है कि मंत्री जी इस योजना के बारे में भी नहीं जानते हैं जो कि उनके मंत्रालय में लागू है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि सरकार देश में प्राणि उद्यानों के प्रबंधन के लिए किसी प्राणि उद्यान संवर्ग के गठन पर विचार नहीं कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि वह इस प्रयोजनार्थ भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के एक वर्ग का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। भारतीय वन सेवा के अधिकारी उनके मंत्रालय के अधीन हैं। आपके अपने मंत्रालय में भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ऊंचे पदों पर भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को कभी-भी आसीन नहीं होने देना चाहते हैं। सभी पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा नियंत्रित है। अत:, माननीय मंत्री हमारे देश में प्राणि उद्यानों के रखरखाव के लिए तो कम से कम भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की सेवाएं ले सकते हैं।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, जहां तक श्रीमती मेनका गांधी द्वारा उठाए गए पहले प्रश्न का संबंध है, मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि हम प्राणि उद्यान संवर्ग गठित नहीं कर रहे हैं। मैं यह भी सूचित करना चाहूंगा कि हमारे पास मोर के कारबार के लिए लाइसेंस प्रणाली का कोई प्रस्ताव नहीं है और हमारे पास कलंदरों अथवा सड़कों में तमाशे दिखाने वालों के पुनर्वास के लिए भी कोई कार्यक्रम नहीं है। उसके साथ ही, मैं उनको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार उनकी भावनाओं, विचारों और सुझावों की जांच करेगी।

यह कानून, जिसका अधिनियमन कर रहे हैं, एक पवित्र दस्तावेज नहीं है। कभी भी आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन करने होंगे। मैंने मोरों की संख्या की गणना अभियान शुरू करने हेतु आदेश पहले ही दे दिया है और यह कार्य सकोनी, कोयम्बतूर द्वारा किया जाना है। यह पता लगने के बाद कि देश में 'मोरों' की संख्या कितनी है, हम इस मामले पर आगे निर्णय करेंगे।

जहां तक प्राणि उद्यान के प्रबंधन के लिए भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की सेवा लेने के संबंध में श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा के सुझाव का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि वे भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को किसी अन्य प्रयोजनार्थ प्रशिक्षित किया जाता है परन्तु प्राणि उद्यानों के प्रबंधन के लिए वन्यजीव विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। पिछले वर्ष तक हमारे चिड़ियाघर प्रबंधन के लिए महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्राणि उद्यान प्रबंधन का कोई विषय नहीं था...*(व्यवधान)* अब, मैंने उनसे पाठ्यक्रम में इस वर्ष से इस विषय को शामिल करने का अनुरोध किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 4

धारा 3 का संशोधन

श्री मेनका गांधी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

पृष्ठ 4,–

पंक्ति 12 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये:

"(*iii*) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत: स्थापित किया जायेगा, अर्थात् "परन्तु यह कि देश में प्राणि उद्यानों और उद्यानों के दक्ष प्रबंध के लिए अधिकारियों का एक पृथक संवर्ग होगा।" (2)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्रीमती मेनका गांधी द्वारा रखा गया संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6

नई धाराओं 5क से 5ग का अंत:स्थापन

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 6.-

पंक्ति 7 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाये-

"(गक) मान्यता प्राप्त ट्रस्टों अथवा किन्हीं संरक्षित क्षेत्रों अथवा किन्हीं संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण में सहायता देने के प्रयोजन के लिए संस्थित निधि को उपयुक्त अनुदान देना।" (1)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री के.पी. सिंह देव द्वारा रखा गया संशोधन सं. 1 मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 से 26 विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): महोदय, यह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को न्यासों की स्थापना के लिए शक्ति प्रदान करने हेतु है ...*(व्यवधान)* इसमें आपत्ति क्या है? ...*(व्यवधान)*

खंड 27

धारा 42 का संशोधन।

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

पृष्ठ 13.-

पंक्ति 13 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाये-

"परन्तु यह और कि सर्कसगृहों में, अथवा कलंदरों और सड़कों पर तमाशा दिखाने वालों द्वारा पशुओं का उपयोग किए जाने के प्रयोजन के लिए कोई अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी।" (3)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्रीमती मेनका गांधी द्वारा रखा गया संशोधन संख्या 3 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 27 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28

धारा 43 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

पृष्ठ 13.-

पंक्ति 27 का लोप किया जाये। (4)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 4 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 28 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 29 से 28 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.20 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में गन्ना किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कार्यसूची की मद संख्या 29 पर विचार करेंगी।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, कल हमने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। मुंडेरवा बस्ती में जो घटना हुई, उसके संबंध में 12 तारीख को माननीय श्री शरद यादव ने जो वक्तव्य दिया। *...(व्यवधान)* उस वक्तव्य का सत्यता से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने कहा कि एक किसान मरा है लेकिन जब मुलायम सिंह जी बोल रहे थे तब उन्होंने तीन किसानों के नाम बताये थे। पुलिस फायरिंग से तीनों किसानों की मौत हुई है जबकि यह सरकार कहती है कि पुलिस फायरिंग नहीं हुई। *...(व्यवधान)* हमारा कहना है कि तथ्यों को छिपाया गया है। यह बहुत गंभीर मामला है। हम आपकी इस विषय पर व्यवस्था चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह गंभीर मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि इस मामले में जब आप पार्टीसिपेट करें तब आप इस मामले को उठाइये।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो तथ्य दिये हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, जब आप इस बहस में भाग लें तब यह मैटर उठाइये। सरकार की तरफ से जब रिप्लाई होगा तब वे इस बारे में बता देंगे।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में हमने नोटिस दिया है। जब हम वहां गये तो हमें गिरफ्तार कर लिया गया। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आप चर्चा तो शुरू करने दीजिए।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस संबंध में नोटिस दिया है। कार्य स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत सूचना दी है तथा नियम 193 के अन्तर्गत भी सूचना दी है। *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): आपको डिसकशन चाहिए या नहीं चाहिए? आपको क्या चाहिए? *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : पूरे सदन को गुमराह किया जा रहा है। राज्य सरकार ने सूचना असत्य दी है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : अगर ऐसा है तो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव जो आपने दिया है, उसे स्पीकर साहब देखेंगे। आप इस चर्चा को रोककर क्या करने वाले हैं? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसमें भाग लेते समय इस मैटर को उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : आप खुद की चर्चा को रोककर क्या करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका रिप्लाई मिनिस्टर साहब दे सकते हैं। आप इस चर्चा को शुरू तो करने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : आप स्पीकर साहब से कहिये।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए

[श्री प्रबोध पण्डा]

लिया गया है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

दिनांक 12 दिसम्बर को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, शरद यादव ने देश के गन्ना किसानों की समस्याओं के बारे में इस सम्माननीय सदन में एक वक्तव्य दिया था। 11 दिसम्बर को पुलिस द्वारा किसानों पर गोली चलाये जाने के विरोध में बस्ती, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों द्वारा किये जा रहे आंदोलन के बारे में उन्होंने एक वक्तव्य दिया। यह वक्तव्य किसानों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटना पर लोक सभा में गर्मा-गर्म चर्चा के बीच आया।

यह समाचार आया था कि पुलिस द्वारा गोली चलाने के कारण तीन गन्ना किसान मारे गये थे। इस रिपोर्ट के कारण सदन में इतनी गर्मा-गर्मी हुयी कि इस शीतकालीन सत्र में पहली बार सभा को स्थगित करना पड़ा। महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्थिति को समझा और इसमें हस्तक्षेप किया तथा सदन को आश्वासन दिया। मैं यहां प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें यह कहा गया है:

> "यदि पुलिस दोषी पायी जाती है तो निश्चित तौर पर उन्हें जिम्मेदार माना जायेगा। यह मामला भेदपूर्ण राजनीति से ऊपर है। किसानों को उनके उत्पाद के लिए उन्हें अवश्य ही उचित मूल्य मिलना चाहिए और मैं समझता हूं कि उन्हें जो मूल्य मिल रहा है वह समुचित नहीं है, तथापि, हमें जानकारी मिली है कि न्यायालय ने मूल्यों पर प्रतिबंध लगा रखा है। यदि यह सत्य है तो हम लोग आमने-सामने बैठ कर न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय ले सकते हैं।"

तथापि, माननीय मंत्री श्री शरद यादव के वक्तव्य में वह आश्वासन परिलक्षित नहीं हो रहा। इससे किसानों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण और गन्ना किसानों के प्रति संबंधित मंत्री जी का दृष्टिकोण परिलक्षित होता है।

अपराह्न 4.27 बजे

[*श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा पीठासीन हुई*]

आज स्थिति ऐसी है कि गन्ना किसान अपनी फसलों को जला रहे है जो उन्हें अपने बच्चों के समान प्रिय है, तथा उचित मूल्य के लिए चक्का जाम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में गन्ना किसान ऐसी गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं क्योंकि वे अपने उत्पादों को नहीं बचा सकें।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में तथा यहां तक कि दक्षिण तथा देश के बड़े हिस्से में लाखों की संख्या में गन्ना किसान ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है अथवा नहीं।

किसानों को अपने उत्पादों के लिए उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं। यह प्रश्न न केवल गन्ना किसानों, बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी बहुत प्रासंगिक है। धान के उत्पादकों, जूट उत्पादकों, टमाटर उत्पादकों, नारियल उत्पादकों तथा अन्य किसानों के लिए उचित मूल्य पाने का प्रश्न उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की गारंटी संबंधी किसी राष्ट्रीय नीति पर विचार कर रही है। सम्माननीय सदन में दिए गए वक्तव्य में ऐसी कोई बात परिलक्षित नहीं होती। सरकार इस पर कोई सकारात्मक निर्णय क्यों नहीं ले रही है?

माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम लोग मिल-बैठ कर उचित मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। क्या सरकार इस दिशा में विचार कर रही है? क्या उन्हें ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? वक्तव्य में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। अत: मैं समझता हूं कि इस सम्माननीय सदन में चर्चा के उत्तर में आप यह बतायेंगे कि क्या इस समस्या के समाधान हेतु आप ऐसी कोई बैठक बुलायेंगे।

दूसरी ओर चीनी उद्योग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। वे न बिके हुए स्टाक के भार को वहन करने में असमर्थ है। प्रैस में इस बात की जानकारी दी गयी है कि गन्ना आधारित उद्योग गन्ने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए तैयार है। यह 65 रुपये से 80 रुपये प्रति क्विंटल है। हम लोगों ने समाचार पत्र में देखा है कि उत्तर प्रदेश में क्या घटित हुआ। माननीय मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के अन्य सांसद हमें यह अच्छी तरह बता सकते हैं। वे इस समस्या से पूरी तरह अवगत हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुशंसित मूल्य 90 रुपये से 95 रुपये प्रति क्विंटल है। दोनों के बीच यही वह अंतर है। राज्य सरकार द्वारा दिया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य 90 से 95 रुपये के बीच है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 65 रुपये से 80 रुपये के बीच है। मुझे नहीं पता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। तथापि, यदि ऐसा है तो यह एक गम्भीर चिंता का विषय है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेवी मूल्य से सह संबद्ध मूल्य है जिस पर किसान इसे सार्वजनिक वितरण हेतु सरकार को बेचता है। तथापि, समस्या यह है कि खुदरा मूल्य लेवी मूल्य से कम है। अत:, इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या विचार कर रही है?

मुझे सूचना मिली है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी गन्ना किसानों को समुचित राजसहायता प्रदान की थी। निर्यात पर राजसहायता देने तथा सीमा शुल्क को कम करने संबंधी प्रस्ताव भी दिया गया था। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी। जहां तक पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटना का प्रश्न है, यह एक गम्भीर मामला है। यह घटना केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी घटी हैं, यहां तक ही दिल्ली में भी ऐसी घटना घटी। किसानों के नेतृत्व में किये जा रहे प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। अत:, यह गम्भीर मामला है। मैं इस विषय को चर्चा हेतु उठाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी। यह मेरा ठोस प्रस्ताव है। आप कृपया सर्वदलीय बैठक का आयोजन करें तथा सभी कृषक संगठनों, चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों को बुलाने और इस समस्या का समाधान करें। समस्या यह है कि गन्ना किसान अपने गन्ने को काटने में असमर्थ हैं।

यदि सप्ताह भर, एक पखवाड़े या एक माह के अंदर परिस्थिति के सुधार नहीं होता है, तो यह समस्या और गम्भीर रूप ले लेगी। यह एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर यहां चर्चा की जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले को एक अतिमहत्वपूर्ण मामला समझे। अत:, गहन चर्चा हेतु मैंने इस मामले को यहां उठाया है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना): सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जिस विषम परिस्थिति में किसान आज है, उस पर हमें अपनी राय देने का आपने मौका दिया। आज जो बहस हो रही है, उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले में मुंडेरवा में शूगर फैक्टरी पर गन्ना किसान अपने बकाये के लिए धरना दे रहे थे, तो उन पर गोलियां चलीं और किसान मरे। अगर यह कांड न हुआ होता, तो शायद आज यहां बहस नहीं होती। मुख्य चीज है कि अगर इसकी दवा नहीं होगी। तो आए दिन गोलियां चलेंगी इसके पूर्व भी गन्ना किसानों पर गोलियां चली हैं। रामकोला में चलीं, पडरौना में चलीं और अब मुंडेरवा में चली। अगर गम्भीरता से विचार करके निर्णय नहीं लिया जाएगा, तो यह समस्या हल नहीं होगी। यह एक दल की बात नहीं है। जब किसान के पेट में अग्नि धधकेगी तो वह किसी नेता की बात नहीं मानेगा। मैं अपनी सरकार से और हर दल के नेताओं से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा भी जगह है जहां पर सामान सप्लाई किया जाए और दाम न मिले, सिवाय गन्ना किसानों को छोड़कर। यह एक-दो करोड़ रुपए की बात नहीं है, पूरे देश की बात तो छोड़ दीजिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का दस अरब रुपया बकाया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक अरब रुपया बकाया है। जहां से मैं चुनकर आय हूं, वहां गोलियां चली हैं।

आज कानपुर शूगर फैक्टरी बंद है। एक मिल के जिम्मे 14 करोड़ रुपए आज तक बाकी हैं, जो किसान को नहीं मिले हैं। जब कानून बना हुआ है कि 15 दिनों के अंदर गन्ने का दाम अगर नहीं मिलेगा तो मैं 15 प्रतिशत ब्याज भी अदा करना होगा। आप ब्याज की तो बात छोड़ दें, मूल भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं सरका को यह मानूम है या नहीं। आपने बीआईएफआर बना दिया है। उसने आज तक कोई फैसला नहीं दिया है। यह एक निकम्मी संस्था है और इसके अधिकारी सिर्फ टी.ए., डी.ए. बनाने में लगे रहते हैं। यह बेकार की संस्था है। हमारे यहां आठ-दस साल हो गए, लेकिन कोई केस फाइनल नहीं हुआ।

हमें जो रिपोर्ट मिली है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में असंतोष है। देश में कुल 520 चीनी मिलें हैं। जिनमें से 12 तारीख तक 305 मिलें चली हैं। उसमें भी सबसे दयनीय दशा उत्तर प्रदेश में हैं। वहां तथाकथित 81 मिलें चली हैं। उत्तरांचल में पांच या दस मिलें चालू हुई हैं। महाराष्ट्र में 117 चालू हैं। गुजरात में 22 मिलें चालू हैं। सबसे बुरी हालत बिहार की है। वहां 28 में से केवल दो मिलें चालू हैं। इसी तरह सब जगह असंतोष है। मंत्री जी बताएं कि गत वर्ष देश की शूगर मिलें कब चलीं और आज क्यों इतनी देर से चली रही हैं? किसान लाखों एकड़ जमीन पर गन्ने की फसल के बाद गेहूं की फसल बोता था। लेकिन मिलें नहीं चलने के कारण उसका गन्ना खेत में खड़ा है और गेहूं नहीं बोया जा सका। पता नहीं अब क्या होगा। आखिर इसका समाधान होगा या नहीं होगा। मुझे खुशी है कि जिस दिन यहां मुलायम सिंह जी ने यह मामला उठाया, तब उसकी महत्ता को समझकर प्रधान मंत्री जी ने दखल दिया था।

मैं समझता हूं कि बहुत दिनों से मैं भी हूं और गन्ने की राजनीति करता हूं किंतु पहला अवसर है कि प्रधान मंत्री जी ने दखल देकर कहा कि गन्ना किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और इसका समाधान होना चाहिए। जिन्होंने गोलिया चलाई है, उनको सजा होनी चाहिए और गन्ना किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए। किसानों को गन्ने का दाम मिले और भविष्य में भी यह बीमारी दूर हो जाए। यह पहला अवसर है और प्रधान मंत्री जी की बात हमारे मंत्री लोगों को भी मालूम होगी। मैं प्रधान मंत्री जी से आशा करता हूं क्योंकि हमें याद है कि जब प्रधान मंत्री जी गोरखपुर गये थे तो वहां के गन्ना किसानों की समस्याओं को देखकर कहा कि किसानों के गन्ने के दाम की पेमेंट होगी और मिलें चलेंगी। संयोग से उत्तर प्रदेश और सेन्टर में दोनों हुकूमतें हमारी हैं और दोनों के बीच में अगर किसानों का भला नहीं हुआ,...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हुकूमत के बीच में किसान मर रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री राम नगीना मिश्र: आपके यहां तो और भी किसान मर रहे हैं। समस्या यह है कि मिलों को भी चलना है। आज कॉरपोरेशन की जितनी मिलें हैं, उनमें दस-पन्द्रह बंद हो चुकी हैं और मैं समझता हूं कि सब्सिडी देकर खजाने से कितने दिन चलाई जाएंगी? भविष्य में डिबेट होगी तो सुन लीजिए की मुडेरवा, देवरिया, बेतालपुर, रामकोला और लक्ष्मीगंज में कोई मिलें नहीं चलने वाली हैं। हर मिल तीन करोड़, ढ़ाई करोड़ घाटे में चल रही है। पांच लाख, छ लाख गन्ना किसानों का दाम तो मिल ही नहीं रहा है। जो सरकारी शुगर फैक्टरीज हैं, उनके दाम तो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। प्राइवेट वाले तो कहते हैं कि इस दाम पर गन्ना लेंगे। जो अन्य रिपोर्ट हमें मिली हैं, बाहर से चीनी

[श्री राम नगीना मिश्र]

आती है, वह हमारे देश में सस्ती पड़ती है और बारह जिस देश में जो चीनी पैदा होती है, बाहर निर्यात करने के लिए वहां की सरकार सब्सिडी देती है और हमारे पास रिपोर्ट है कि 450 रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी देती है। यहां तक मालूम हुआ है कि महाराष्ट्र की सरकार भी सौ रुपया क्विंटल देने जा रही है। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: हरियाणा 110 रुपए के रेट से दे रहा है।

श्री राम नगीना मिश्र: जो चीनी आती है, वहां सस्ती है। कुल मिलाकर केवल 1085 रुपया की दर से यहां पड़ रही है। अपने देश में ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत की हालत देख लीजिए। हम लोगों की तरफ अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो उत्तर भारत का गन्ना किसान समाप्त हो जाएगा। हमारे यहां की चीनी की रिकवरी नौ, साड़े नौ तक है और महाराष्ट्र की ग्यारह, बारह तक है। इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। जब तक राष्ट्रीय चीनी नीति नहीं बनेगी तब तक देश का काम नहीं चलेगा। हमें याद है, आंकड़े होंगे। पहले जो चीनी मिलें 800-1000 टन की थीं, उनको सरकार सब्सिडी देती थी, वह आज बंद हो गई। उस पर कांग्रेस की हूकूमत थी। उस वक्त सब्सिडी मिलती थी, रिकार्ड में होगा लेकिन आज यह सब्सिडी बंद कर दी गई है। हमारे यहां चीनी निगम की 30-35 मिलें बंद हैं, वे कैसे चलेंगी? जिनकी रिकवरी 8 और साढ़े आठ भी नहीं है, वे साढ़े नौ और दस वाली रिकवरी का मुकाबला कैसे कर सकती हैं? हमें अफसोस है कि बहुत पहले 8-10 साल हुए, केवल हमारे यहां बैतालपुर, लक्ष्मीगंज और पिपरोई में तीन मिलों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव पास हुआ था उसमें था कि इन तीनों मिलों की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। वहां का फैक्टिरियों ने जमीन खरीद ली, लेकिन कार्यवाही आज तक नहीं हुई। उनके भविष्य का प्रश्न है, अगर आज इस समस्या का सामना नहीं करेंगे, तो कब करेंगे। चीनी मिलों की कैपेसिटी को नहीं बढ़ायेंगे, गन्ना मिलेगा नहीं और जलाना पड़ेगा, तो मिलें बन्द हो जायेंगी। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भविष्य में जिन चीनी मिलों की कैपेसिटी 800 से 1000 टन तक है उनकी कैपेसिटी बढ़ायें। मिले घाटे में जा रही हैं और कारपोरेशन की मिलों में भी घाटा चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी मिलों की कैपेसिटी को बढ़ायेंगे? अन्य बातों को छोड़ दीजिए, पहले से सरकार ने जो मन्जूर करके रखा हुआ है कि चीनी मिलों की कैपेसिटी को बढ़ायेंगे, अगर इन तीनों मिलों की कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाए, 4000 टन कर दिया जाए, तो किसानों की समस्या का समाधान हो सकता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैं भी एक गन्ना किसान हूं। बहुत कम एमपीज गन्ना बोते हैं और मेरा भी पिछले 8-10 सालों से 50-60 हजार रुपया बकाया है। स्थिति यह है कि 30-35 रुपए क्विंटल का गन्ना कोल्हू को दिया जा रहा है मिलें चल नहीं रही हैं। प्राइवेट मिलें कहती हैं कि इतना दाम नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हिम्मत से काम किया है और कहा है कि 95 रुपए प्रति क्विटंल का दाम देंगे। सरकार ने सोच-समझकर निर्णय लिया है। सरकारी विभाग में एक्सपर्ट्स होंगे और उन्होंने 95 रुपए प्रति क्विटंल का भाव तय किया है, लेकिन प्राइवेट मिलें कह रही हैं कि हम नहीं देंगे। इस कारण यह झगड़ा बढ़ गया है। मंत्री जी बहुत गम्भीर व्यक्ति हैं, वहां कि सरकार ने वायदा किया है और सरकार जो वायदा करती है, उसका पालन करना जरूरी होता है। राज्य सरकार ने 95 रुपए प्रति क्विटंल देने के लिए वायदा किया है, तो वह वायदा पूरा होना चाहिए। वायदा कैसे पूरा होगा और मिले भी कैसे चलेंगी, इस बारे में केन्द्रीय सरकार को सोचना होगा।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। क्या यह सही नहीं है कि शायद ही कोई ऐसी मिल होगी, जो 50 लाख रुपए केन्द्र को टैक्स न देती हों और इसके अलावा 14-15 के करीब राज्य सरकार को टैक्स न देती हों। अभी हाल में हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि राज्य सरकार को यह हक नहीं है कि वह गन्ने का दाम तय करे। केन्द्रीय सरकार को अधिकार है कि वह दाम तय करे। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, पहले 60 परसेंट चीनी फ्री होती थी और 40 परसेंट लैवी की चीनी होती थी। *...(व्यवधान)* मैं विषय में संबंधित बात कर रहा हूं। राज्य सरकार ने मध्यस्थता करके चीनी के दाम बढ़ाए थे। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप अपनी बात जन्दी खत्म करिए।

श्री राम नगीना मिश्र: मैं संबंधित बिन्दू पर ही बात कह रहा हूं।

सभापति महोदया : बोलने वाले सदस्यों की संख्या अधिक है। सब को समय एलाट करना होगा। आप अपनी पार्टी के अकेले स्पीकर होते, तो पार्टी का समय दिया जा सकता था। आप अपनी बात जल्दी समाप्त करिए।

श्री राम नगीना मिश्र: राज्य सरकार ने मध्यस्थता करके चीनी का दाम बढ़ाया था। उस समय केन्द्रीय सरकार लैवी की चीनी के हिसाब से दाम तय करती थी। अब दस परसेंट लैवी की चीनी रह गई है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप टैक्स में छूट देकर, 95 रुपए प्रति क्विंटल का दाम जो तय किया है, वह किसानों को दें, तब जाकर काम चल पाएगा। *...(व्यवधान)* अच्छी क्वालिटी के लिए 100 रुपए प्रति क्विटंल का रेट है और लो क्वालिटी के लिए 95 रुपए प्रति क्विंटल का रेट है, जो स्टेट गर्वनमेंट ने तय किया है। राज्य सरकार के वायदे का समर्थन केन्द्रीय सरकार को करना चाहिए और व्यवस्था करनी चाहिए।

अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सत्तासीन पार्टी के लिए खुशी की बात नहीं होगी। हमें पढ़कर खुशी हुई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अधिकारी दोषी हैं उनकों सस्पेंड किया है, हटाया है और सरकार ने कहा है कि किसानों के खिलाफ बगावट को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर गन्ना-किसान की समस्या का समाधान नहीं हुआ, मिलें नहीं चलीं, पुराना बकाया गन्ना किसानों को नहीं मिला तो सरकार को समझना होगा कि गन्ना किसान के हाथ में उत्तर प्रदेश की हुकूमत है। वह सरकार बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। इस मुद्दे दिल्ली और लखनऊ की सरकारें टूटने लगेंगी। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वह ऐसे उपाय करे जिससे राज्य सरकार ने जो 95 रुपये का भाव तय किया है वह गन्ना किसान को मिले, गन्ना मिलें चलें, किसानों

की बकाया राशि उन्हें मिले। माननीय मंत्री जो को यहां सदन में इसकी घोषणा कर देनी चाहिए। प्रधान मंत्री जी और मंत्री जी किसानों की समस्या पर ध्यान देंगे और आज लम्बी इंतजारी का फायदा उठाकर सदन में गन्ने के दामों के बारे में घोषणा कर देंगे।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): सभापति महोदया, आज आपने नियम 193 के अधीन गन्ना किसानों की समस्या पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इस सेशन के शुरू होने के साथ ही तमाम राजनैतिक दलों के साथियों ने गन्ना किसानों के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह हिंदुस्तान में चीनी उद्योग को जिंदा रखना चाहती है या पूरी तरह से समाप्त करना चाहती है। जब तक सरकार की नीति, दृष्टि और इरादा साफ नहीं होगा, तब तक इसी तरह की समस्याओं को आये दिन झेलना होगा।

गन्ना ऐसी जिन्स है जिसको किसान लम्बे समय तक अपने पास रख नहीं सकता है। यह धान या गेहूं नहीं है जिसको वह साल भर बाद तक बेच सकता है। यदि महीने, आधा महीने में गन्ना नहीं बिका, या तो उसे जलाना पड़ेगा या फैंकना पड़ेगा। यह बात सारे राजनीतिक दलों ने महीना पहले उठायी थी कि हर हालत में नवम्बर के पहले सप्ताह में गन्ने के क्रय मूल्य की घोषणा सरकार को कर देनी चाहिए। मिलों की जो समस्याएं हों, दिक्कतें हो, उनका समाधान कर देना चाहिए, जिससे समय पर चीनी मिलें गन्ने की पिराई शुरू कर दें और किसान मिलों में गन्ना डालना शुरू कर दे।

उत्तर प्रदेश जो गन्ने की खान कहा जाता है और पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि वे मूल रूप से गन्ने की खेती करते हैं। जब सरकार से कहा गया कि गन्ने का मूल्य निर्धारित कीजिए, तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले तो गन्ने का मूल्य ही देर से निर्धारित किया। साथ ही चीनी मिल मालिकों को कह दिया गया कि हाई कोर्ट जाइये और स्टे ले लीजिए। हम तो इसके ज्यादा गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं करेंगे। सभापति जी, जो भी गन्ना किसानों की अनदेखी करेगा, वह उत्तर प्रदेश में राज नहीं कर पायेगा। वह सिद्धांत उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छी तरह से जानती थी। अगर सरकार को छल-प्रपंच करना है तो एक तरफ तो 95 रुपये मूल्य निर्धारित किया गया और दूसरी तरफ मिल-मालिकों को कोर्ट भेज दिया।

महोदया, सरकार भी जानती है और सब जानते हैं कि गन्ने का यह किस्सा केवल दो महीने का होता है और अगर दो महीने भी कोर्ट में केस खिंच जाएगा, तो जैसा मिल मालिक चाहेंगे वैसा रेट निर्धारित कर लेंगे और सरकार यह कह कर बच जाएगी कि इसमें सरकार क्या कर सकती है, हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है, वही स्थिति आज उत्तर प्रदेश में बनी है। एक सप्ताह पहले माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाकर, उ.प्र. सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाकर, गन्ना उत्पादकों के नेताओं और चीनी मिल मालिकों के प्रतिनिधियों को बुलाकर एक मीटिंग करें और यह तय करेंगे कि गन्ना किसानों के गन्ने का जो मूल्य निर्धारित किया गया है, वह उस कीमत पर चीनी मिल मालिक किसानों का गन्ना खरीदना शुरू करें।

महोदया, चीनी मिलों में गन्ने की पिराई तो शुरू हो गई, लेकिन न तो मीटिंग बुलाई गई और न ही किसानों को यह बताया गया कि आप जो गन्ना चीनी मिलों को दे रहे हैं वह अमुक भाव पर दे रहे हैं। किस भाव किसान चीनी मालिकों को गन्ना दे रहे हैं, यह आज तक नहीं बताया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को जो पर्ची मिलती है, उसमें गन्ने का केवल वजन लिखा होता है कि कितना गन्ना आपका आज की तारीख में मिल ने प्राप्त किया। उसमें भाव नहीं मिलेगा, या 75 या फिर 65 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। जो भी समर्थन और खरीद अथवा क्रय मूल्य है वह कोर्ट निर्धारित करेगा। यदि हर काम कोर्ट को ही करना है, तो फिर सरकार किस काम के लिए है। फिर सरकार की जरूरत ही नहीं है। सरकार का काम भी कोर्ट ही कर लेगी।

महोदया, गन्ने का समर्थन मूल्य या क्रय मूल्य कोर्ट निर्धारित कर सकती है, यह बात इस सरकार ने खुद तस्लीम की थी, खुद स्वीकार की थी, लेकिन आज तक गन्ने का क्रय मूल्य निर्धारित करने और बात करने के लिए सरकार ने न मीटिंग बुलाई और न कोई और प्रयास किया और आज नतीजा यह है कि सारे के सारे किसान अपना गन्ना आंख बन्द कर के चीनी मिल में पटक रहे हैं। वे क्या करें, यह किसानों की मजबूरी है। यदि वे गन्ना चीनी मिलों में न पटकें, तो उन्हें गन्ना जलाना पड़ेगा। किसान को आज तक नहीं मालूम कि उसके गन्ने का कितना पैसा मिलेगा।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, हालांकि जब सरकार आश्वासन दिया था तब सत्र चल रहा था और अब सत्र भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए सरकार को यह डर भी अब नहीं रहेगा कि सासंद उसे इस बात पर घेरेंगे, जब चिन्ता थी, तब तो यह मीटिंग कर नहीं पाए और अब कल सत्र समाप्त होने पर क्या करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और दो-तीन दिन में मीटिंग बुलाकर तत्काल इस समस्या का समाधान करे और जैसा मैंने अपनी बात प्रारम्भ करते हुए आग्रह किया था, इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट करे।

महोदया, पिछले साल इस सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट को 900 रुपए प्रति क्विंटल चीनी दी थी कि यह चीनी एक्सपोर्ट के लिए है और इसे केवल एक्सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट के लिए दी गई सारी की सारी चीनी उन्होंने हिन्दुस्तान में ही, 1100, 1150, 1200 और 1250 रुपए प्रति क्विंटल में बेच दी। जो चीनी एक्सपोर्ट के लिए दी गई थी, वह चीनी उन्होंने सभी कायदे-कानूनों का उल्लंघन करते हुए हिन्दुस्तान में ही बेच दी। चीनी व्यवसाय और चीनी के संकट की शुरूआत उसी दिन से, पिछले साल से ही हो गई थी। यह शर्म की बात है कि जिन शर्तों के साथ उन्हें चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए दी गई थी, उन्होंने उन सभी शर्तों को धता बताते हुए एक्सपोर्ट करने की बजाय उस चीनी को हिन्दुस्तान में ही बेच दिया और उनके विरुद्ध आज तक कोई भी जांच और कार्रवाई नहीं की गई। इसका नतीजा यह है कि चीनी मिल वाले रोते हैं कि हमको परता नहीं लगता

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

है और किसान कहता है कि हमको परता नहीं लगता है और सरकार कहती है कि मीटिंग करा के, मिल-बैठ कर, बातचीत कर के समझौता कराएंगे, लेकिन आज तक कोई बातचीत नहीं हो रही है।

महोदया, हरियाणा में गन्ना 110 रुपए प्रति क्विंटल पर चीनी मिलों द्वारा लिया जा रहा है। हरियाणा भी हिन्दुस्तान का ही एक अंग है। वहां के चीनी मिल वाले 110 रुपए प्रति क्विटंल में गन्ना खरीद रहे हैं और उन्हें परता लग जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चीनी मिल वाले 95 रुपए में गन्ना खरीद कर भी परता नहीं लगा पा रहे हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

मुझे पता नहीं कि कहां ढोल में पोल है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में न कोई सेल्स टैक्स का अंतर है और न ही सरकारी कानून में कोई अंतर है। वे 110 रुपये में परता लगा रहे हैं जबकि उत्तर प्रदेश के चीनी मिल वाले 95 रुपये में परता लगा रहे हैं। कहीं न कहीं, कोई मिलीभगत इसके बीच जरूरी है। ऐसा कभी नहीं हुआ, चीनी मिल वाले जरूर कहते थे, मैं आज भी चैलेंज के साथ कहता हूं कि भारत सरकार यहां बैठी हुई है, आप एकाउंट उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको उत्तर प्रदेश की प्राइवेट चीनी मिल वालों को करोड़ों रुपये का मुनाफा प्रति वर्ष दिखाई पड़ेगा। इस साल ऐसी कौन सी बात हो गयी कि चीनी मिल वालों को परता नहीं लग रहा।

अभी उत्तर प्रदेश की विधान सभा के चुनाव छह-आठ महीने पहले हुए हैं। उस समय चीनी मिल वालों ने उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों की बड़ी मद्द की थी। *...(व्यवधान)* आप मुझे दो मिनट और दीजिए। उसका परिणाम यह निकला कि आज चीनी मिल वालों के आगे सरकार ने पूरी तरह से घुटने टेक दिये हैं। केन्द्र सरकार चीनी मिल वालों को मदद करना चाहती है। वह नहीं चाहती कि 95 रुपये क्विटंल में चीनी मिल वाले गन्ना खरीदें जिनके फलस्वरूप चीनी मिल वाले आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी सरकार चाहे वह केन्द्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, उनके आगे असहाय और निरीह खड़ी है।

मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जमाने में जब कभी भी ऐसे संकट उत्तर प्रदेश में चीनी मिल वालों के सामने आये या गन्ना किसानों के सामने आये तब सरकार बीच में पड़कर एक हफ्ते के अंदर कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालती थी जो किसान के हित में भी हो और चीनी मिल वालों को भी नुकसान न हो, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी किसी तरह का कोई रास्ता न निकालने का मतलब क्या है? उसका परिणाम निकला चाहे बस्ती हो या मुंडरवा हो, हमारा कहना है कि वहां *स्वत: किसान आंदोलन उभर रहा है।* इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई बड़ा योगदान नहीं है। किसान खुद गुस्से में है, खुद रोष में है। बजाय उसकी समस्या का समाधान करने के, उसे गोली और लाठी दी जाती है। अगर इस समस्या का समाधान शुरुआत में ही कर दिया जाता तो शायद न मुंडरवा कांड हो पाता और न बस्ती कांड हो पाता। अगर आज किसान अपना गन्ना न बेचें, चीनी मिल वालों को न दें, जो बगैर रेट के पर्ची दे रहे हैं, उनकों न दें या ब्रोशर वालों को न दें, जो 50 रुपये, 45 रुपये का या 40 रुपये क्विटंल का भाव देते हैं, तो उनके खेत खाली नहीं होते। जब तक खेत खाली नहीं होगा तब तक वह गेहूं की बुआई नहीं कर सकता।

आज उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई में लगभग एक महीने की देर गन्ने की वजह से हो रही है। मैं आपको विशेषज्ञ की रिपोर्ट दिखा सकता हूं कि जिस साल गेहूं की बुआई देर से की जाती है, उस साल गेहूं 30 या 35 प्रतिशत कम होता है। गन्ने के कारण अगली फसल में गेहूं की भी संकट पैदा होने वाला है। अगर 30 फीसदी गेहूं की पैदावार कम हुई, इस वजह से की एक महीने बाद गेहूं बोया गया तो निश्चित रूप से गेहूं का भी संकट उत्तर प्रदेश में खड़ा हो जायेगा।

अंत में मैं दो-तीन बिन्दु बताना चाहता हूं। माननीय शरद यादव जी ने घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश को 500 करोड़ रुपये का पैकेज चीनी और गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए दिया जा रहा है। उसमें से ढाई सौ करोड़ रुपये *...(व्यवधान)* सूखे में दिया जा रहा है। पांच हजार करोड़ रुपये करीब गन्ना किसानों का चीनी मिल वालों पर बकाया है। उस पांच हजार करोड़ रुपये के बकाया में से अगर पांच सौ करोड़ रुपये भारत सरकार ने दिए भी तो उसने कितने किसानों का भला होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि किसानों का जितना भी बकाया है, उसका समय निर्धारण किया जाए, टाइम बाउंड एक योजना प्रस्तुत की जाए कि उनका चीनी मिलों पर जितना भी बकाया है, कितने दिन के अंदर सरकार उसका भुगतान दिलाएगी। सारी चीजों में ब्याज की परम्परा है लेकिन क्या किसानों को देने के लिए ब्याज की परम्परा नहीं है। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: उनके लिए कानून है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मैं ब्याज के गन्ना किसानों के बकाया को भुगतान दिलाया जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, तब तक किसानों का आत्मविश्वास नहीं जागेगा, जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, तब तक कम से कम उत्तर प्रदेश का किसान ऐसा नहीं महसूस करेगा कि चीनी उद्योग को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार वास्तव में जिन्दा रखना चाहती है। यह कोई साधारण बात नहीं है। जिस दिन किसानों ने खेती से मुंह मोड़ लिया, उस दिन इस देश की स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जितनी तेजी के साथ विनिवेश किया जा रहा है, जितनी तेजी के साथ उद्योगों का निजीकरण किया जा रहा है, उद्योग बंद होते हैं, उसमें नौजवान बेकार हो जाते हैं। वे अपने खेतों में और गांव में खेती करके अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। लेकिन अगर हिन्दुस्तान से खेती का उद्योग बंद होगा तो उसका कोई भी विकल्प नहीं होगा फिर वह नौजवान, जो खेती से निराश होगा, वह कहां जाएगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं।

इसलिए मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी भयंकर गलती इस सरकार ने की है, अब उस गलती को दोबारा न करे। बस्ती और मुंडरवा में जो हत्याकांड हुआ,

पुलिस की गोली से जो किसान मरे और घायल हुए मैं, उसकी जांच कराई जाए। गन्ना किसानों का बकाया सरकार कितने दिनों में कर पाएगी, इसका समय निर्धारण किया जाए और मय ब्याज, उसका भुगतान करें, भले ही एक साल में करें लेकिन तिथि निर्धारित होनी चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने दिनों में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कर देंगे। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आपके तीन स्पीकर और हैं। आपने पन्द्रह मिनट लिए हैं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: उत्तर प्रदेश की मुख्य समस्या है। उत्तर प्रदेश के सदस्यों को आप पूरा समय दीजिए।

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ): सभापति महोदया, इसका टाइम बढ़ा दीजिए, यह किसानों का मामला है, देश का मामला है।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): सभापति महोदया, थोड़ा समय बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। *...(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सभापति महोदया, मैं आपकी बात का आदर करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे महिला सभापति के समय बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इतनी बार चिल्लाने के बाद भी सरकार नहीं जागी है, शायद आज नियम 193 के अंतर्गत चर्चा के बाद जागेगी, गन्ना किसानों की समस्या का समाधान करेगी और चीनी की एक स्थायी नीति बनाएगी जिससे आने वाले समय में कभी भी चीनी और गन्ने का संकट न उत्पन्न हो और गन्ना किसान उत्साह के साथ गन्ने की खेती करें जिससे देश और प्रदेश का आगे आने वाले समय में कल्याण हो सकेगा।

श्री शरद पवार (बारामती): सभापति महोदया, गन्ना किसानों की समस्या आज पूरे देश के सब लोगों के सामने आई है। इससे पहले भी ऐसी समस्या आई थी मगर आज जो समस्या पैदा हुई है, मेरा इस क्षेत्र का थोड़ा-बहुत जो व्यक्तिगत अनुभव है, पिछले 30-35 सालों में इतनी खराब परिस्थिति मैंने कभी नहीं देखी। जो परिस्थिति पैदा हुई, वह एक साल में पैदा हुई, ऐसा कहना गलत होगा। इसकी प्रक्रिया पिछले दो-तीन सालों से शुरू हुई है।

जब हम आजाद हुए, तब हिन्दुस्तान में 10 लाख टन चीनी का उत्पादन होता था, आज हमारे देश में 180 लाख टन के आस-पास चीनी तैयार होती है। हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट है, देश की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को देखने के बाद कम से कम 90 लाख टन से ऊपर इस देश में हर साल, पिछले दो साल से शक्कर स्टाक में रहती है, जरूरत से ज्यादा पैदा होती है। ऐसी परिस्थिति में कुछ सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसकी कीमत आज हिन्दुस्तान को गन्ना किसानों को देनी पड़ रही है। कई जगह पर चीनी मिलें बन्द हो रही हैं, वहां पर चीनी मिल को मजदूरों की रोजी जाती है। राज्य सरकार और भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण इन्कम एक्साइज की होती है, इस पर और बाकी सब पर भी इसका बुरा असर हो रहा है। जब ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी, तब सख्ती से कोई कदम उठाने की आवश्यकता थी और दीर्घकालीन समस्या छुड़वाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता थी। मुझे याद है कि 1960 के आस-पास इस देश में चीनी के लिए एक नई नीति निर्धारित की गई, जब बाबू जगजीवन राम इस देश के अन्न मंत्री थे। तब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए कुछ चीनी बाहर ओपन मार्केट में बेचने के लिए इजाजत देने का एक डबल सिस्टम, जिसे रिलीज मकेनिज्म बोलते हैं, इसके आधार पर इस देश में बाबू जगजीवन राम जी शुरू किया था। वह पिछले 40 सालों से गन्ना किसानों को मदद कर रहा था और चीनी मिल के क्षेत्रों की भी मदद करने के लिए उसका बड़ा सहयोग होता था। आज परिस्थिति बदली है। यह ठीक बात है कि भारत सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कम कीमतों पर शक्कर लेने की जो नीति है, इसमें सुधार किया। आज बहुत कम स्टेट्स शक्कर लेते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ओपन मार्केट के रेट में कोई अन्तर नहीं रहा। आज यह समस्या ज्यादा गम्भीर हो रही है।

हमें यह देखना होगा कि हम इससे किस तरह से आगे जा सकते हैं और किस तरह से लोगों को छुटकारा दे सकते हैं। गन्ना ऐसा क्षेत्र है कि गन्ना पैदा करने वाले किसान और इस गन्ने की प्रक्रिया करने वाले चीनी मिल मालिक इन दोनों खास तौर पर गन्ना पैदा करने वाले किसानों के हित की रक्षा की बात ध्यान में नहीं रखी तो हमें लगता है कि एक बड़ा संकट देश के सामने आयेगा और वह संकट देश के सामने आया है। आज हमारे पास बहुत बड़े पैमाने पर स्टाक रहा। यह स्टाक पिछले दो सालों से रहा है। एक क्विटंल शक्कर जब हम गोडाउन में रखते हैं, तब साल का इण्टरैस्ट का बोझ 200 रुपये प्रति क्विटंल पड़ता है और वह 200 रुपये क्विंटल की पूरी जिम्मेदारी अल्टीमेटली किसानों पर आती है। इसकी कीमत इस बारे में कम होती है और इसलिए हमें यह देखना होगा कि आज स्टाक की परिस्थिति में कैसे हम दुरुस्ती कर सकते हैं।

मुझे खुशी है कि शरद यादव जी ने इस सदन में एक दिन 20 लाख टन बफर स्टाक बनाने की एनाउंसमेंट की और शायद आज इसका आर्डर निकाला होगा। आज तक इतने बड़े पैमाने पर बफर स्टाक कभी नहीं बना था, मगर जो समस्या का स्वरूप है, उसे देखने के बाद 20 लाख टन के बफर स्टाक का निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं हो सकता। हमें इस बारे में सोचना होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। जब हिन्दुस्तान एक सरप्लस देश बन गया, यहां के लोगों की जरूरत पूरी करने के बाद इस देश में चीनी स्टाक में रहती है, तब हमें इण्टरनेशनल मार्केट में जाने की तैयारी करनी होगी। इण्टरनेशनल मार्केट में जाने की तैयारी करनी होगी तो इण्टरनेशनल मार्केट में जाने के लिए जो-जो सुविधा होगी, वह सुविधा देने की तैयारी राज्य सरकार और भारत सरकार को करनी होगी।

चीनी मिल मालिकों को भी रास्ते पर चलना होगा और किसानों को भी अपनी उत्पादकता के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता होगी, तब ही यह व्यवस्था चलेगा। इस साल इसकी शुरुआत, कैसे खराब हुई। उत्तर प्रदेश में एक चीनी मिल है, वह एक पूंजीपति की है, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन उस चीनी

मिल का नाम शाकम्भरी है। आज तक यह सिस्टम था कि भारत सरकार रिलीज मैकेनिज्म तय करती थी। हर चीनी मिल से कितनी चीनी बाजार में लेंगे हर हफ्ते या हर महीने, इसका निर्णय भारत सरकार लेती थी, शरद यादव जी की मिनिस्ट्री लेती थी। कितनी चीनी पीडीएस में जानी है, इसका निर्णय भारत सरकार लेती थी, शरद यादव जी की मीनिस्ट्री लेती थी। यह शाकम्भरी चीनी मिल के मालिक इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए और रिट एप्लीकेशन दी कि एक बार ओपन मार्केट में जाने वाली चीनी तय करने का अधिकार भारत सरकार को है, यह गलत है। यह बात उन्होंने कोर्ट के सामने कही और कोर्ट ने निर्णय दिया कि आप चाहे कितनी भी चीनी कहीं भी बेच सकते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के सब चीनी मिल मालिकों ने कोर्ट से आर्डर ले लिया और पूरे देश में चीनी का महापूल बन गया। इस वजह से चीनी की कीमत नीचे आ गई। इस समस्या को पैदा करने वाले कुछ पूंजीपति लोग हैं, जिनके हाथ में चीनी मिलें हैं। उन्होंने यह परिस्थिति पैदा की और इसकी कीमत अब हम सबको चुकानी पड़ रही है। आज हमें कोई रास्ता निकालना होगा। वह रास्ता क्या हो सकता है। जब तक हम चीनी का इतना बड़ा स्टाक रखेंगे, तब तक उसकी कीमत नहीं सुधरेगी। जब तक कीमत नहीं सुधरेगी, तब तक किसानों को पैसा देने की परिस्थिति पैदा नहीं होगी। किसानों को पैसा देने की परिस्थिति जब तक पैदा नहीं होगी, तब किसान चुप नहीं बैठेगा या दूसरी क्राप पर जाएगा। अगले दो साल के बाद चीनी की कीमत को लेकर ग्राहकों को गम्भीर परिस्थिति का सामना करना पडेगा।

दुनिया के बाजार में जाने के लिए कम से कम भारत सरकार को 200 रुपये प्रति क्विटंल सब्सिडी देने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र जैसे राज्य ने 100 रुपये प्रति क्विटंल सब्सिडी देकर वहां के किसानों को राहत देने का काम किया है। महाराष्ट्र सरकार ने पर्चेट टैक्स को एक साल के लिए माफ करने का काम भी किया है। मगर यह राहत पूरी नहीं है। यह राहत देनी है तो भारत सरकार को सख्ती से आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। पहला कदम यह उठाने की आवश्यकता है कि हिन्दुस्तान में जब ज्यादा चीनी है और दुनिया के कई देशों में जहां चीनी की कमी है, वहां भेजने के लिए ओशन फ्रेट हो या एक्सपोर्ट सब्सिडी हो, उसमें कम से कम 200-250 रुपए प्रति क्विटंल देने की तैयार रखनी चाहिए। जब यहां का माल दुनिया में जाएगा तो यहां के बाजार की परिस्थिति दुरुस्त होगी। इसलिए यह पहला कदम भारत सरकार को उठाने की आवश्यकता है।

दूसरा कदम यह उठाने की आवश्यकता है कि आज इस पर 80 रुपए या 85 रुपये प्रति क्विटंल एक्साइज है। यह एक्साइज का पैसा भी किसानों तक जाने के लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। वह पैसा रिकवर करने के बाद वापस दिया जाएगा, किसानों को देने के लिए इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे आज किसानों की जो समस्या है, उससे कुछ हद तक छुटकारा मिल सकता है। पिछले कई सालों में किसानों की मेहनत से तैयार होने वाली चीनी से सरकार ने इतनी इनकम बढ़ाई है। आज जब किसान संकट में आया है, तब यह इनकम वापस किसानों के पास भेजने की तैयारी भारत सरकार को रखनी चाहिए। ऐसे समय पर उनको मदद करनी चाहिए। जब हम चीनी तैयार करते हैं तब नीचे काफी बागास और मोलासिस रहता है। यह जो वेस्ट है, इस पर भी भारत सरकार का 500 रुपए प्रति टन टैक्स है। वह भी वापस करके किसानों को अगले दो साल तक देने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। इससे भी किसानों की थोड़ी-बहुत मदद हो सकती है। आज डयूटी एक्जम्पशन पास बुक जो है, जिसमें चार प्रतिशत तक मदद भारत सरकार देती है, यह कम है, इसको बढ़ाकर 8 प्रतिशत तक करने की आवश्यकता है। यह नीति अगले दो साल तक चालू रखने की आवश्यकता है।

मुझे इतना ही कहना है कि एक तरफ से सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ बैंकिंग मिनिस्ट्री से, रिजर्व बैंक और नाबार्ड से भी कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। आज समस्या यह हो गई कि नाबार्ड ने सभी बैंकों को सरकुलर भेजा है कि आप शुगरकेन के लिए जितनी राहत देते हैं, उसकी एक एक्सपोजर लिमिट होती है, आप उसे मत बढ़ाइए। आप इनकी ज्यादा मदद मत करिए। इसका परिणाम यह हो गया कि आज बैंकों में पैसा रहने के बावजूद जिन किसानों ने गन्ना की पैदावारी की क्योंकि जिस गन्ने से चीनी तैयार हो गई, उसको मदद करने के लिए आज बैंक तैयार नहीं हैं। इसका बहुत बड़ा नुकसान किसानों को हो रहा है। इसलिए इसमें एक्सपोजर लिमिट बढ़ाने की आवश्यकता है। हम साथ-साथ चीनी का कहां तक उत्पादन करेंगे, यह इस देश को सोचना पड़ेगा।

आज ब्राजील जैसे देशों में जब गन्ना शुगर मिलों में भेजते हैं और प्रोसैस करने के बाद सत्तर प्रतिशत गन्ने का जूस आता है, उसकी चीनी बनाते हैं और तीस प्रतिशत जूस से एथनाल पैट्रोल बनाते हैं जिसे पैट्रोल में मिक्स करके पर्यावरण को प्रदूषण को दूर करने में जिसकी आवश्यकता हो सकती है और एथनाल के बारे में कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि पांच प्रतिशत एथनाल मिक्स करने का निर्णय सरकार ने अभी-अभी लिया है लेकिन इस पांच प्रतिशत से काम नहीं चलेगा। कम से कम दस प्रतिशत एथनाल मिक्स करने के बारे में एक निर्णय लेने की आवश्यकता है और एथनाल प्लांट बनाने के लिए नाबार्ड और रिजर्व बैंक को सभी बैंकों को सूचना देने की आवश्यकता है। एथनाल प्लांट बनाने के लिए बैंक तैयार हैं। आर्थिक सहायता करने के लिए तैयार हैं और उनको करना चाहिए।

इसके साथ-साथ बैंक के बारे में एक-दो निर्णय पिछले दो-तीन दिनों में रिजर्व बैंक ने लिये जिससे थोड़ी-बहुत मदद हो जाएगी लेकिन एक सुझाव मुझे बैंकों के बारे में देना है कि प्रायोरिटी सैक्टर में आज गन्ना और शुगर नहीं आते हैं। खेती की बाकी सभी क्रॉप्स प्रायोरिटी सैक्टर में आती हैं लेकिन गन्ना इसमें नहीं आता है। रिजर्व बैंक गन्ना को फूड मानने के लिए तैयार नहीं है। गन्ने की पैदावारी जमीन से होती है और यह फसल है और प्रक्रिया करने के बाद चीनी तैयार होती है और इसीलिए बाकी फसल के बारे में जो नीति है, प्रायोरिटी सैक्टर में गन्ना शामिल करने के लिए जो नीति है, उसमें इसको भी लेने की आवश्यकता है। साथ-साथ फूड प्रोसैस सैक्टर के लिए जो बैंकों की नीति है, उस नीति को शुगर के लिए भी लगाने की आवश्यकता है और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

जब मैं बाहर शक्कर भेजने की बात कहता हूं तो भारत सरकार की तरफ से बार्टर ट्रेड की एक नीति तैयार होती है। आज

जब हम मलेशिया के साथ व्यवहार करते हैं तो हम कुछ माल उनको भेजते हैं तो उसके बदले में वे हमें तेल देते हैं। हम रशिया को कुछ माल देते हैं, इसमें सरप्ल आने वाली चीनी को बार्टर ट्रेड में शामिल करने की आवश्यकता है और आज यह काम यहां होगा और इस पर कुछ तय हो जाएगा, ऐसी मैं आशा करती हूं। मैने दो-चार सुझाव दिए हैं। मुझे लगता है कि बाहर की चीनी आने की परिस्थिति जिस दिन से इस देश ने शुरू की, तब से इस नुकसान की शुरूआत हो गई।

तीन साल पहले भारत के प्रधान मंत्री लाहौर के लिए गए और वहां के प्रधान मंत्री श्री नवाज शरीफ साहब जो खुद चीनी मिल के मालिक हैं, उन्होंने सुझाव दे दिया कि हमारे पाकिस्तान में चीनी ज्यादा पैदा हो गई है। आप इसे भारत में भेजने के लिए इजाजत दीजिए। अटल जी ने अपने देश का दरवाजा पाकिस्तान के लिए खुला कर दिया और पाकिस्तान की चीनी की यहां आने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अटल जी मलेशिया गये, वहां के प्रधान मंत्री ने कहा कि हमारे यहां खाद्य तेल की पैदावारी ज्यादा हुई है, आपके देश का रास्ता हमारे खाद्य तेल के लिए खुला कर दीजिए तो अटल जी ने खाद्य तेल के लिए रास्ता खुला किया और फिर इससे सौराष्ट्र के किसानों को किस तरह से नुकसान हुआ, इसका नतीजा भी देखने के लिए मिला है और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बाहर जाते हैं तो भले ही कोई दूसरी बात स्वीकार कर लें मगर हिन्दुस्तान के किसानों को जिस बात से नुकसान होगा, ऐसी बात स्वीकार करना देश के हित में नहीं है।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में चीनी की हालत में लोंग-टर्न नीति जल्दी से जल्दी तैयार करनी चाहिए और संबंधित लोगों को बुलाकर इस बारे में जल्दी-जल्दी निर्णय भारत सरकार को लेना चाहिए।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री श्रीराम चौहान (बस्ती): सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना किसानों की समस्या पर सदन में चल रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

महोदया, किसानों की समस्या पर मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हाल ही में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। गन्ना किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। धरना शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। कहीं पर कोई परेशानी नहीं थी। दो तारीख से धरना शुरु हुआ और चार तारीख को धरने की वजह से राजमार्ग पर जाम लगा। वहां जिला अधिकारी उसको समाप्त करने में सफल रहे। छः तारीख को कांटे नामक स्थान पर चक्का जाम हुआ और एएसपी ने उसको समाप्त करने में सफल रहे। फिर दस तारीख को टिनिच नामक स्थान पर रेल का चक्का जाम हुआ, जिसकी पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और जिला प्रशासन ने 17 किसानों को बन्दी बनाया। वहां से लौटकर जो शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, वहां 50 किसानों को बन्दी बनाया। इस घटना से किसानों में आक्रोश है। इस घटना से प्रशासन ने अपने काम की इतिश्री समझ ली, लेकिन यह सूचना वहां के किसानों में जंगल में आग की तरफ फैल गई। दूसरे दिन, 11 तरीख को, बड़े पैमाने पर किसान एकत्रित हुए। किसान यूनियन के कार्यकताओं ने रात भर दौड़ कर लोगों को इकट्ठा किया और सुबह दस बजे ही भीड़ बड़ी मात्रा में इक्ट्ठी हो गई। धरना, प्रदर्शन और चक्का जाम को हटाने में सफल रहे अधिकारियों को मनोबल ऊंचा था। उस दिन धारा 144 लगाकर कहा कि डंडा-झंडा वापिस करो। उस दिन वहां डंडा और लाठी चली, गोलियां और गोले चले, पत्थर फैंके गए और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। मेरे क्षेत्र के तीन निरीह किसान गोलियां के शिकार हुए। मैं 13 तारीख को उन किसान परिवारों के घर गया था। मरने वालों में मंझरिया से श्री बद्री चौधरी, मेहड़ा मेहड़ा पुरवा से श्री धर्मराज चौधरी और चंगेरा-मंगेरा से श्री तिलकराम चौधरी हैं। श्री बद्री चौधरी के पास छोटे बालक-बालिका और बूढ़ी मां हैं। उनकी दयनीय स्थिति है और जिन्दगी जीने के लिए विवश हैं। वे गरीब किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे। यदि प्रशासन संयम से काम लेता, तो इतनी बड़ी दुर्घटना न होती। इस घटना की जितनी निन्दा की जाए, उतनी कम है और इस घटना पर मैं अपनी संवेदनायें प्रकट करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि मरे हुए लोगों की लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

वहां का किसान शांतिपूर्वक अपना जीवन जीना चाहता है। प्रशासन ने जो गलती की है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां के कमिश्नर, जिलाधिकारी, एसपी और सभी लोगों को वहां से हटा दिया। वहां जो थाना था, वह पूरा थाना लाइन हाजिर कर दिया। प्रशासनिक कार्यवाही तात्कालीक प्रभाव से की गई। वहां शांति का एक माहौल निर्मित हो रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल के लोग उस माहौल को बिगाड़ने के लिए मुद्दा विहीन प्रदेश में एक मुद्दे की तलाश करके वहां अनवरत आवगमन प्रारम्भ किए हुए हैं। वहां की शांति व्यवस्था नष्ट होने की तरफ अग्रसर हो रही है।

महोदया, मैं यहां आग्रह करता हूं कि अगर जाना हो तो वहां के गरीब परिवारों को कुछ देने के लिए जाइए। दुखी, पीड़ित लोगों की चिन्ता के लिए और शोषितों की सेवा के लिए जाइए, वहां राजनीति करने के लिए जाना निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। मैं बड़े दुखी मन से इस बात को कहता हूं। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, भारत सरकार एक संवेदनशील सरकार है। निश्चित रूप से 95 रुपए से सौ रुपए प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलनी चाहिए। जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय से ही लगातार 1996 से लेकर पांच-पांच रुपए की हर वर्ष बढ़ोत्तरी करते हुए 97 रुपए तक गन्ने का का दाम बढ़ा। भारत सरकार मूल्य तय करती है और जो प्रदेश की सरकार है, वह किसान और मिल-मालिकों के साथ बैठ कर परामर्शी मूल्य तय करती है। इस वर्ष उन्होंने 95 रुपए घोषित किया है। निश्चित रूप से यह बड़ा ही गंभीर मुद्दा है और अगर इसमें कहीं खोट है तो वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कहीं न कहीं सरकारें हमेशा प्रदेश की सरकारों के साथ रहती थीं। प्रदेश सरकार जो भी दाम तय कर देती थी, उस दाम को देने के लिए हमारे मिल-मालिक विवश एवं बाध्य होता था और वह देता था, लेकिन अब की बार दुर्भाग्यवश वह संभव नहीं हो पाया।

महोदया, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि मृतक परिवारों को आर्थिक मुआवजे के रूप में कम से कम पांच लाख रुपए दिए

[श्री शरद पवार]

जाएं और घायलों को भी धनराशि दी जाए तथा घायलों की नि:शुल्क सेवा, चिकित्सा की जाए। वहां जो मुकदमें दर्ज किए गए हैं और कुछ छोड़ दिए गए हैं, जो शेष बचे हैं उन्हें भी रिहा किया जाए। हत्या का मुकदमा दर्ज करके जो न्यायपूर्ण कार्यवाही वहां की शांति को बनाने के लिए होनी चाहिए, वह की जाए। मैं आपके माध्यम से बस्ती जिले के गन्ना किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपना गन्ना सूखने न दें, क्योंकि सूखने से निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनेगी। गन्ना सूख जाएगा तो उसमें से रस नहीं निकलेगा और उसका वजन भी घटेगा तथा आने वाली रबी की जो फसल है, जायज मांगों को मान कर, निश्चित रूप से जो शांति का माहौल बन रहा है, उसे बनने देने में सहयोग करे उसे बिगाड़ने में कोई बीच में न आए। ऐसा मैं निवेदन करते हुए और आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 5.34 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में और अफसोस के साथ इस बहस में हिस्सा लेना पड़ रहा है। अगर सरकार की तरफ से सही वक्तव्य आ जाता, प्रशासन और सरकार का दमनकारी चक्र न चलता, जुल्म, ज्यादती और जो हत्याएं हुई, उसके बाद उन हत्याओं को छिपाना और पुलिस को बचाना-अगर यह षडयंत्र न होता, मैं जानबूझ कर षडयंत्र कह रहा हूं, तो इस बहस की आवश्यकता ही नहीं होती। जब यह हो रहा है तो समाजवादी पार्टी मूकदर्शक नहीं रह सकती।

यहां अच्छी बहस चल रही थी और मुझे खुशी है कि माननीय शरद पवार जी और राम नगीना मिश्र जी जिन्हें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का अनुभव है। उन्होंने बहुत अच्छी बहस शुरू की लेकिन आखिर में इसे राजनैतिक मोड़ दे दिया और एक दल विशेष पर आरोप लगा ही दिया। यह सारी बातें मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि माननीय शरद यादव जी से उम्मीद नहीं थी कि वे इतना गलत वक्तव्य देंगे। मैंने उस दिन भी कहा था कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है। हम कह रहे हैं कि तीन किसानों की हत्या हुई है और पुलिस लाशों को छिपा रही है। पुलिस ने तीनों लाशों को अपने कब्जे में ले रखा था। एक लाश को रामकिरण जी आर्य, विधायक और दयानंद चौधरी, जिला परिषद् के अध्यक्ष किसी तरह से पुलिस से छीनकर अस्पताल में लाए, दो लाशों को फिर भी नहीं दिया गया। हत्याएं 11 तारीख को हुई और 12 तारीख को जनता ने ही पुलिस के कब्जे से छीनकर लाशों का पोस्ट-मार्टम कराया-यानी हत्याएं कराना, दमन चक्र चलाना, लाशों को छिपाना और फिर दोषी पुलिस को बचना। सभापति जी, अगर वक्तव्य गलत नहीं आया होता तो बहुत अच्छी बहस होती, इस तरह से राजनैतिक बहस नहीं होती। सुझाव जो दिये गये, बहुत अच्छे दिये गये। मुझे खुशी हुई थी जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया था, लेकिन उसका नतीजा अभी तक नहीं निकला है। माननीय प्रधान मंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं कि यह सब हो क्या रहा है? उपाध्यक्ष जी, हम आपके सामने मजबूर होकर आये हैं क्योंकि जो वक्तव्य दिया गया है उसमें कुछ सवाल उठाये गये हैं। उन्हीं के जवाब में हम भी कुछ सवाल उठाना चाहते है, हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं।

आज गन्ना किसान ही नहीं वरन् पूरे देश के किसान परेशान एवं बरबाद हैं। आलू बोने वाला किसान भी 15 दिन बाद परेशान होने वाला है। गेहूं के किसान को परेशानी हो चुकी है। गेहूं 800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर विदेश से आ रहा है लेकिन अपने देश के किसान को 610 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत भी नहीं दिया जा रहा है। यह केवल दो साल से नहीं है वरन् यह गंभीर स्थिति पिछले तीन सालों से है। गन्ना किसान, आलू बोने वाला किसान, धान बोने वाला किसान, गेहूं बोने वाला किसान, सब परेशान हैं। अब तो फलों, दूध और मक्का पर भी विदेशों से समझौता होने जा रहा है। सभी जानते हैं कि विदेशी अन्न का स्टॉक भरा पड़ा है। मक्का और सब तरह के अनाज और दालें और सब्जी एवं फल भी विदेशों से आने वालें हैं। यह समझौता होने वाला है और हम उस पर भी आयेंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं। अगस्त महीने से लगातार किसानों ने अपना बकाया भुगतान एवं चीनी मिल चलाने की मांग की थी एवं गन्ने की उचित कीमत की मांग की थी। अन्य सूबों के किसानों की हालत भी कमोबेश यही है। उत्तर प्रदेश में लगातार किसानों पर, छात्रों पर गोलियां चल रही हैं। रामकोला में किसान की हत्या हुई थी उसे गोली मार दी गयी थी। माननीय राम नगीना मिश्र के पास मामला है। उन्होंने कहा कि वे रामकोला गये थे लेकिन उनको तो छुआ नहीं गया, फिर आपको पता नहीं है, मुझे तो रात में दो बजे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। हम सिर्फ शोक-सभा करने गये थे। देवरिया से उठाकर बनारस की जेल में रात के दो बजे डाल दिया गया। पूरे हिंदुस्तान की गन्ना नीति के बारे में सवाल उठाया गया है, हम भी उठाना चाहते थे। हम आपको धन्यवाद देते हैं, श्री राम नगीना मिश्र की राय मेरी राय के अनुरूप है इसलिए मुझे अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है।

महोदय, लेकिन अगस्त के महीने से लगातार ज्ञापन के माध्यम से जिला अधिकारी के माध्यम से किसान अपनी तीनों मांगे रखते हैं, परन्तु उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई और न कोई कार्यवाही की गई और न कोई समस्या हल की गई। तब 2 दिसम्बर को, मुंडेरवा में, जहां चीनी मिल स्थित है, वहां चूंकि यह चीनी मिल बन्द पड़ी थी, इसलिए इसे चलने की मामूली सी बात को लेकर उन्होंने मांग की थी कि इसे चलाओं और हमारे गन्ने की कीमत का भुगतान किया जाये। वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि राजनीतिज्ञ समाजवादी पार्टी के थे, यदि समाजवादी पार्टी के थे, तो क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है? क्या समाजवादी पार्टी ने कहा था कि 50 किसानों को जेल में डाल दो और फिर आदेश दिया कि उठाकर फेंक दो। अगर जेल में मिलाई करने जाते हैं तो किसी से मिलने नहीं देते हैं और कहते कि मिलाई करने वालों को उठाकर फेंक दो। पूरे क्षेत्र में वायरलैस पर संदेश गूंज रहा था कि किसानों को उठाकर फेंक दो। क्या वह हमारा हुक्म था या समाजवादी पार्टी के नेताओं का हुक्म था।

महोदय, 2 दिसम्बर को किसान शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और 6 दिसम्बर को किसानों का पूरी रात तक बातचीत के बाद समझौता हुआ। डी.एम. ने वायदा किया कि हम उसका पालन करेंगे, लेकिन पालन करने के बजाय शांतिपूर्ण धरने पर रोक लगा दी। कमिश्नर और जिलाधिकारी ने 7 दिसम्बर को बस्ती के मिल कर्मचारियों से मिलकर बैठक की और निर्णय लिया कि किसानों के जो 4 करोड़ रुपए बकाया हैं, उनका भुगतान 4 दिसम्बर तक कर देंगे। जब 8 दिसम्बर तक भुगतान नहीं हुआ, 9 दिसम्बर को भी भुगतान नहीं हुआ, तो वहां के किसान 10 दिसम्बर को धरने पर बैठ गए और जैसे ही 50 किसानों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा गया उससे किसानों में उत्तेजना फैल गई और किसान और ज्यादा भड़के और फिर 11 दिसम्बर को जब वहां चारों तरफ यह खबर फैल गई, तो पी.ए.सी. ने उन किसानों के हाथ-पैर तोड़ दिए। उन किसानों को गिरफ्तार करने के बजाय, उनके ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया और तीन किसानों, जिनका नाम मैं पहले बता चूका हूं, मैं फिर दोहराना चाहता हूं-बद्री चौधरी, धर्मराज चौधरी और तिलक राज, इन तीनों की हत्या हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए।

महोदय, यदि घायलों के नाम चाहिए, तो मेरे पास यह सूची है, मैं इसमें से नाम पढ़ देता हूं-राम सिंह पुत्र राम करण यादव, श्री मेहता सुपुत्र बलराज, नैनसू यादव, रामशंकर, बलई, राम भुवन चौधरी, अन्तु पुत्र जय, सुभाष चन्द, धनी राम, हरि राम, राम प्यारे, अजीत अहमद, श्री राम, कन्हैया लाल, लक्ष्मी यादव, संजय कुमार, लक्ष्मी यादव का लड़का, गुनाम यादव, सोमनाथ चौधरी, रामनाथ चौधरी, धनई चौधरी, राम सिंह चौधरी, राम उजागर चौधरी संताप प्रजापति और अनेक लोग हैं जिनके नाम लेकर मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। सदन में जो मंत्री जी का वक्तव्य आया था, यह बात सही है और व्यापारियों की दुकानें लूटी गई, पूरी की पूरी दुकानें लूटी गई और फिर उसके बाद 11 तारीख को वहीं पर तीन किसानों की हत्या कर दी गई। 12 दिसम्बर को जब विधायक राम करण जी और श्री राजा राम किसान बद्री चौधरी को, जो मरा था, जिसका पोस्टमार्टम हो रहा था, पुलिस उन्हें उसके पास नहीं जाने दे रही थी तब उन्होंने पुलिस के कब्जे से लेकर उसका पोस्ट मार्टम कराया, क्या यह गलत है? संसदीय दल की कमेटी बैठे, प्रधान मंत्री जी, अपने तरीके से इस मामले को दिखवा लें और अगर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि मुलायम सिंह गलत बोल रहे थे, हम सदन के सामने अपने शब्द वापस लेने के लिए तैयार हैं।

महोदय, वहां हमारे लोग राजनीति नहीं कर रहे थे, हम तो किसानों के साथ खड़े थे। हम हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे और संकट के समय में हमेशा किसानों का साथ देंगे। यह सारा कांड मुंडेरवा स्टेशन के दो किलोमीटर के आपपास हो रहा था मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि सदन के बहुत से मा. सदस्य इस बारे में बोलना चाहते हैं।

महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो किसान साइकल और मोटर साइकल लेकर आए थे, पुलिस ने उनकी मोटर साइकल जला दी। मैं एक मोटर साइकल का नंबर बता रहा हूं जो पुलिस ने जलाई। उसका नंबर 75 7 11 है। आप स्वयं अनुमान लगाइए कि किसान यदि बगावत करने आए थे, तो क्या वे साइकल और मोटर साइकल लेकर आते? यह सही है कि पुलिस ने किसानों की साइकलें और मोटर साइकलें जला दीं। एक मोटर साइकल का नंबर मैंने दिया है।

हमने केवल मोटर साइकिल के बारे में बताया है। इस तरह से 12 तारीख को पूरी तरह से पी.ए.सी. व पुलिस ने, लाठी मारते हुए व गोली चलाते हुए गांव में घुसना शुरू कर दिया। मंत्री जी 12 तारीख को यहां बयान दे रहे थे, माननीय प्रधान मंत्री जी ने बहस में हस्तक्षेप कर रहे थे, गन्ना किसानों को बताया। सहानूभूति दे रहे थे, उस वक्त गांव में ठन पर लाठीचार्ज हो रहा था। 13 तारीख को फिर लाठीचार्ज हुआ। गांव वालों को गांव से खींच-खींचकर निकालकर पीटा गया। क्या यह आदेश हम दे रहे थे या कुंवर अखिलेश सिंह दे रहे थे? यह केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकताओं ने ही नहीं कहा कि अन्याय हो रहा है, कई और दल के लोगों ने भी कहा कि अन्याय व अत्याचार हो रहा है। अकेली हमारी पार्टी ने ही नहीं कहा। क्या यह समाजवादी पार्टी आदेश दे रही थी? प्रधान मंत्री जी, अगर जिला प्रशासन पर ही छोड़ दिया जाता तो यह सच्चाई है कि इतनी गंभीर घटना नहीं हो सकती थी। इसकी वजह क्या है, वह मैं आखिर में बताऊंगा।

ये सारे निर्देश डी.एम.डी., आई.जी., एस.पी. द्वारा दिये गये मुख्यमंत्री के आदेश से अब कमिश्नर का तो ट्रांसफर कर दिया गया है लेकिन उन्हें निर्देश का पालन करना पड़ा। उत्तर प्रदेश की सरकार का तथा मुख्यमंत्री कार्यालय का आदेश था इसलिए वे उसका पालन करने के लिए मजबूर हुए थे। अगर यह स्थिति न होती तो यह घटना नहीं हो सकती थी, गंभीर घटना होने से किसान मारे गये और काफी लोग घायल हुए। पड़रौना में भी किसानों को गोली से मारा गया। *...(व्यवधान)* वह तो लड़की थी। लड़की इसलिए थी कि उसको घर पर फीस नहीं मिली थी। लड़कों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन निकाला तो एक नौजवान को गोली मार दी। अब मुंडरवा और बस्ती के किसानों पर गोली चली थी। आखिर किसानों को गोली क्यों मारी जाती है?

यह देश का दुर्भाग्य है कि जहां 70-72 फीसदी लोग खेती करने वाले हैं और 4 फीसदी खेतीहर मजदूर हैं, उन पर अगर गोली चलेगी तो प्रधान मंत्री जी, चाहे कितने भी समझौते दुनिया में कर लें, देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। देश तभी तरक्की कर सकता है जब हिन्दुस्तान का किसान सुखी होगा, खुश होगा। गांधी जी कहा करते थे कि जब हम अपने हिन्दुस्तान के किसानों की नाली में बहता हुआ पानी और खेती की हरियाली को देखेंगे तो वह हमारे जीवन का सबसे सुखी दिन होगा। ये विचार गांधी जी के थे। किसानों के गन्ने का कितना पैसा बकाया है, पूरे हिन्दुस्तान के आंकडों के बारे में यहां बता दिया गया है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। हम उत्तर प्रदेश का बता देंगे कि किसानों का 1000 करोड़ बकाया है हमारा कहना है कि सरकार किसानों के खून पसीने से बनाए गए पार्क की हरियाली देखने के लिए जाते हैं जबकि आपको किसान के खेत की हरियाली को देखना चाहिए। किसान गोली खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जबकि किसान व गरीबों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई से पार्क बनते हैं और उस पार्क की खूबसूरती व हरियाली से रोशनी में देखने के लिए

[श्री मुलायम सिंह यादव]

प्रधान मंत्री गये थे। क्या सूखे खेतों को देखने गये? मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि यह पार्क अय्याशी का अड्डा है।

यह नीयत का सवाल है–नीति, नेता और नीयत। आप चाहे कितनी भी नीति बढ़ियां बनाये लेकिन अगर नीयत सही नहीं हो तो कभी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। व देश का हित नहीं हो सकता है। अगर एक बार नीति भी खराब हो जाये और नीयत सही हो तो तो भी देश का सुधार हो सकता है लेकिन यदि सरकार की नीयत सही नहीं है तो कुछ नहीं होगा और देश बरबाद होगा। यह सवाल हमारे सामने है। इसलिए हम यह बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि किसानों का उत्पीड़न हो रहा है।

प्रधानमंत्री जी आप अपने तरीके से उत्पीड़न को दिखा लीजिए। आप खुद ही महसूस करेंगे और कह देंगे कि उत्पीड़न है लेकिन उस पर अमल कितना होगा और कौन सी मजबूरी आपके सामने है. कौन आपको मजबूर करता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। बीच-बीच में आप ऐसा वक्तव्य अपनी छवि सुधारने के लिए देते है तब हमें लगता है कि प्रधान मंत्री जी कुछ अच्छा सोच रहे है। इतने गलत काम के बाद और सरकार की असफलता के बाद भी आप खुद की छवि सुधारने में कामयाब हो गये, यह हम स्वीकार करते हैं। यह सही है और हम भी सोचते हैं कि इतने गलत काम तो कभी नहीं हुए, न देश कभी इतने पीछे गया, न देश कभी इतना अपमानित हुआ, न देश में इतनी भुखमरी हुई और न किसान कभी आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। अंग्रेजी हुकूमत के समय भी देश में बराबर अकाल पड़ा है लेकिन किसान ने कभी आत्महत्या नहीं की। वे उस समय भी भूखों मरे थे। लेकिन इन तीन-चार साल के अंदर जितने किसानों ने आत्महत्यायें कीं, उतनी हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी नहीं कीं। अकेले महाराष्ट्र में ही 74-75 किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं।

यदि अध्यक्ष महोदय चाहेगें तो हम 74 लोगों की सूची पढ़कर बता देंगे। अकेले महाराष्ट्र के किसानों ने आत्महत्या नहीं की, पंजाब के किसानों ने आत्महत्या की, आंध्र के किसानों ने आत्महत्या की, उड़ीसा के किसानों ने आत्महत्या की और अब बिहार और उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्याएं करने को विवश हो रहे है। अंग्रेजी हुकुमत में भी भंयकर अकाल पड़ा था, लोग भूख के कारण मरे थे लेकिन किसानों ने कभी आत्महत्याएं नहीं की। आखिर स्वतंत्र भारत में वे आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर हुए सरकार बताएं? 15 दिसम्बर को तो किसानों का खदेड़-खदेड़कर मारा गया। किसानों को किस तरह मौका मिला, वे पुलिस, पी.ए.सी. से जान बचाकर कैसे अस्पताल पहुंचे। बहुत लम्बी सूची है। 11 तारीख को जिन लोगों की पिटाई हुई और जो लोग पुलिस की गोली से घायल हुए, वे पुलिस और पी.एस.सी. के भय के कारण छिपकर बैठे रहे, जिन लोगों की किसी ने सहायता की, वे दूसरें अस्पतालों में चले गए। वह रिपोर्ट में नहीं आया। तब छिपकर 15 दिसम्बर को बृजलाल सिंह, सुभाष विश्वकर्मा, पीर मोहम्मद, उमेश सिंह, बालभीनी वर्मा, रामशंकर सदन का समय बचाने के लिए हम गांव और थाना नहीं बता रहे हैं। 16 तारीख को इंद्रजीत जाकिम, जोगिन्दर जाकिम, यह सोचिए कि लोग 16 तारीख तक छिपे रहे, पी.ए.सी., पुलिस द्वारा मार-पीट गांव-गांव होती रही और अब भी इतना पुलिस का भय एवं आतंक है। अध्यक्ष जी यदि आपने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो यह सभा नहीं हो सकती थी। शाम को चार बजे हमारा मंच पी.ए.सी., पुलिस ने उखाड़कर फेंक दिया था। हमें बोलना था, हमें मौके पर जाना था। अगर हम मौके पर शोक सभा करने नहीं जाते तो राम नगीना मिश्र जी कहते कि क्या आप मौके पर गए थे। हमारी सभा पर रोक लगा दी गई तब अध्यक्ष जी के हस्तक्षेप के ही सभा हो सकी। हो सकता है संसदीय कार्य मंत्री, प्रधानमंत्री जी की जानकारी में यह आया हो तब रात के बारह और दो बजे के बीच हमारा मंच और लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत मिल सकी। क्या वहां जाने से हम किसानों को भड़का आए, क्या हम आग लगा आए, क्या राजनीतिज्ञों ने वहां जाकर हिंसा भड़काई है? अगर वहां शान्ति हुई तो हमारी शोक सभा के बाद हुई। उ.प्र. सरकार पूरे तथ्यों को छिपाना चाहा हमने कहा कि पुलिस और पी.एस.सी. से नहीं, सरकार की नीतियों के कारण आत्महत्याएं हो रही हैं। आत्महत्या हो लेकर किसानों पर गोली चलाने की घटनाएं इस सरकार की नीतियों के कारण हुई हैं।

जहां तक नीतियों का सवाल है, जायसवाल जी, क्या नीति की बात करते हैं। यह सही है कि प्रधान मंत्री जी ने डब्ल्यू.टी.ओ. के सवाल पर सभी नेताओं की मीटिंग बुलाई। हमने प्रधान मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अनुरोध किया, हम वहां कहकर आए थे कि यह अच्छा मौका है, आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार संगठन से मिलकर अनुरोध किया, हम वहां कहकर आए थे कि यह अच्छा मौका है, आप अंतराष्ट्रीय बाजार संगठन से किसानों को बचा लो। अगर किसानों को नहीं बचाएंगे तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, केवल आर्थिक गुलामी ही नहीं, उसके साथ राजनैतिक गुलामी भी आएगी। मेक्सिको ने तीस साल पहले गेहूं की पैदावार का सारे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया था। वह इसी नीति में फंस गया। उसके चलते मेक्सिको उदारीकरण की नीति के कारण ही आज तीस साल से लगातार मेक्सिको अमरीका से गहूं खरीद रहा है। क्या आप इससे सबक नहीं लेंगे? पूरी दुनिया में जितने भी सम्पन्न देश हैं, मंत्री जी, अमरीका का चार, साढ़े चार सौ साल का इतिहास पढ़ लीजिए। कभी-कभी हमारे मित्र कहते हैं कि चाइना की बात हमसे मत करें, माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि चाइना की तुलना मत करें। क्यों नहीं तुलना करें? 1949 में चाइना क्या था और 1947 में आप क्या थे। आप बहुत आगे थे। उसकी जनसंख्या सवाया गुनी है और पैदावार ढाई गुना से भी ज्यादा है। वहां पर आज किसानों के बल पर ही यह सब हुआ है। अमरीका की तो आप पर भी दादागिरी चल रही है। आपकी सरकार कहती है कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे तो किसानों का मामला किसके दबाव में है। आज अमरीका

केवल गेहूं के बल पर पूरी दुनिया में दादा बन गया। आज जितने देश सम्पन्न और शक्तिशाली हैं, वे वही देश हैं जिन्होंने किसानों पर ध्यान तथा खेती के विकास हेतु प्राथमिकता दी। जिन्होंने किसानों को सुविधा दी, पैदावार की उचित कीमत दी। भारत में किसानों पर मूल्य मांगने पर गोली चलायी जा रही है। माननीय खाद्य मंत्री जी ने सब जगह बकाया बता दिया था लेकिन उ.प्र. की बकाया सूची हमारे पास है। यह बहुत गंभीर समस्या है। अगर चाहेंगे तो हम आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी को यह पढ़ने के लिए जरूर दे देंगे। वे संवेदनशील हैं। हो सकता है, हमें विश्वास है कि उस पर कुछ कार्यवाही करेंगे और देखेंगे।

अब सवाल यह उठता है कि ये जो बकायादारी हैं, अकेले हम आज बता रहे हैं तो 2002 से पहले तक की बकायादारी है, 126 करोड़ रुपये निजी मिलों पर है, पुराना दो साल का, इसे अलग छोड़ दीजिए, निजी चीनी मिलों पर दो साल का पुराना है। 138 करोड़ कोआपरेटिव फैडरेशन की जो मिलें चल रही हैं और कारपोरेशन की चीनी मिलों पर 95 करोड़ रुपया बकाया है। इस तरह से 359 करोड़ रुपये दो साल पुराना है। तो क्या ये उद्योगपति जो अपने बैंक किसान का रुपया रखते हैं तो उनको ब्याज मिल रहा है, लेकिन क्या किसान को उसका ब्याज मिल रहा है या किसान पर सरकारी कर्ज है तो उसके ब्याज में छूट है, क्या आपको महसूस नहीं हो रहा है कि आज बहुत से किसान पर अपनी बेटी की शादी करने से वंचित रह गये, आज कड़ाके की सर्दी में अपने बच्चों के लिए जूते कपड़े नहीं बनवा पा रहे हैं, आज दवाई नहीं खरीद पा रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। लड़के की पढ़ाई के लिए तनाव है, फीस नहीं दे पा रहे हैं, इतनी गरीबी और निरक्षरता है। उसके बाद भी हम किसानों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं और आप उच्चतम न्यायालय का सहारा ले रहे हैं। आपने पंजाब के किसानों की मदद की, आन्ध्र प्रदेश की किसानों की मदद की, अच्छा काम किया। फिर आपको उत्तर प्रदेश के किसानों से क्या परेशानी है, क्या दुश्मनी है, क्या नाराजगी है, यह आज साफ होना चाहिए। इसलिए हम ये आंकड़े आपको भिजवा रहे हैं। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं कि कितना पैसा कब का बकाया है।

जहां तक नीति का सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि कम से कम यह तो आपका उदारीकरण है, इसने किसान को बर्बाद किया है और आप जब विपक्ष में बैठते थे, हम सत्तापक्ष में थे तो आप स्वयं इसका विरोध करते थे। *...(व्यवधान)* मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा। प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, इसलिए हमें खुशी है कि बहस में उन्होंने हिस्सा लिया और आज भी वे बातों को गम्भीरता से सुन रहे हैं, इसलिए हम 2-4 मिनट ज्यादा दे दीजिए, हम जल्दी ही समाप्त कर देंगे। बोलने को तो बहुत कुछ था और किसानों पर नहीं बोलेंगे तो किस पर बोलेंगे।

इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि प्राइवेट सैक्टर में जब हजारों करोड़ रुपए किसानों का बकाया है, हम आपको नाम दे रहे हैं, मैजापुर, मझावली, धामपुर, एटा, अगौता, रोजा, कप्तानगंज, शिवहरा, रामकोला और बस्ती में चार चीनी मिलें हैं, जिन पर 13.5 करोड़ का पुराना बकाया है। अब 11-12 चीनी मिलें बन्द हो गई है और 11-12 और बन्द होने जा रही हैं, जिसमें लखीमपुर खीरी की मिल तो बहुत जल्दी बन्द होने जा रही है। सरजू सहकारी चीनी मिल, बेलराया खीरी चीनी मिल और किसान सहकारी चीनी मिल, संपूर्णानन्दनगर खीरी, ये सब बन्द होने जा रही हैं, इसका कारण यह है कि आज आपने उदारीकरण की नीति अपनाई है, उससे सबसे ज्यादा मार किसान पर पड़ी है, 20 लाख किसान बिना खेती के हो गये हैं। केवल चार साल के अन्दर उनके पास खेती नहीं रही है। प्रधानमंत्री जी, चार साल के अन्दर 20 लाख किसान गरीबी के कारण अब खेती उनके पास नहीं है, यह हालत हो गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि 40 प्रतिशत जो राष्ट्रीय आय है, यह किसान दे रहा है। हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय आय में 40 फीसदी किसानों का है, खेती का है। जहां देश के विकास में इतना बड़ा योगदान किसानों का है, फिर भी सरकार के इतने हाथ बंधे हुए हैं कि 800 रुपये प्रति क्विंटल विदेशी गेहूं हिन्दुस्तान के अन्दर आ रहा है और हिन्दुस्तान के किसान को 610 रुपये प्रति क्विंटल आप घोषित मूल्य भी नहीं दे पा रहे हैं।

अपराह्न 600 बजे

इस तरह से किसानों की सम्पत्ति लूटी जा रही है। कर्नाटक में 50 हजार एकड़ जमीन विदेशी कम्पनीज के हाथ में चली गई है, जो किसान की सम्पत्ति थी। देवेगौड़ा जी यहां बैठे हैं, वे जानते हैं। इसी तरह पंजाब में भी 26 हजार एकड़ जमीन चली गई है। इस वजह से उत्पादन घटता जा रहा है। दूसरी तरफ कई और कारण बताए हैं। जैसा अभी शरद पवार जी ने कहा था कि और घाटा होगा। अभी जायसवाल जी कह रहे थे कि किसान गेहूं कहां से बोएगा। गेहूं की बवाई का समय तो चला गया। अब अगर पूरा गन्ना पेर भी दिया जाए तो भी गेहूं की बुवाई नहीं हो सकती। इससे भी पैदावार कम हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आप एक मिनट रुकिए। हाउस का समय बढ़ाने की इजाजत ले लें।

श्री मुलायम सिंह यादव: आप समय बढ़वा लें, कोई दिक्कत नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या सभा नियम 193 के अधीन चर्चा समाप्त होने तक समय बढ़ाने के लिए सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: अत: सभा का समय नियम 193 के अधीन चर्चा समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय आज किसान की हालत खराब होती जा रही है। मैं अब सरकार को तात्कालिक उपाय क्या करने में, यह बता रहा हूं। दीर्घकालीन नीति को मैं नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि आपने कहा है कि मैं जल्दी समाप्त करूं। सबसे पहले जो निजी चीनी मिलें हैं, जिनके बारे में आपने यानी दिल्ली सरकार ने 75 रुपया प्रति क्विटंल गन्ना मूल्य देने का फैसला किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 95 रुपए प्रति क्विंटल देने का फैसला किया है, तो शरद यादव जी चीनी मिल मालिकों से किसान का भुगतान कराइये तथा जो भुगतान नहीं कर रहे हैं उन्हें जेल भेजो तथा चीनी मिलों पर रिसीवर बिठाइए।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको आधा घंटा हो गया है, अब आप समाप्त करें।

श्री मुलायम सिंह यादव: आखिरी बात कहना चाहता हूं। अभी जायसवाल जी ने खुलकर नहीं कहा, इसमें लेनदेन हुआ है। सरकार में बैठे हुए लोगों ने लेनदेन किया है-आठ रुपए बोरी। मैं सदन के अंदर यह जानबूझकर कह रहा हूं कि आठ रुपए प्रति बोली चीनी मिल मालिकों से तय हुई है। 30 करोड़ रुपए की पहली किस्त ली जा चुकी है। 100 करोड़ रुपए लेनदेन का मामला है। प्रधान मंत्री जी आप सीबीआई से जांच कराइए। अगर सीबीआई की जांच में मेरा आरोप गलत साबित हो जाएं, तो मैं तुरंत लोक सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए किसानों की बर्बादी हुई है। हम यह घोषणा सदन में करते हैं और कहते हैं कि आठ रुपए प्रति बोरी तय हुआ है, हम सिद्ध करके बता देंगे। 30 करोड़ रुपए की पहली किस्त पहुंच चुकी है। 100 करोड़ रुपए के लेनदेन का सौदा किसानों की कमाई का हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि 30 करोड़ रुपए लिए जा चुके हैं। इसीलिए किसानों पर गोलियां चल रही हैं। इसीलिए यह सारे निर्देश हैं। अगर एक बात गलत निकले, तो हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए किसानों पर गोली चलाई गई है और उनको बर्बाद किया जा रहा है। एक सदस्य ने कहा कि सभी दल रुपया चीनी मिल मालिकों से लेते हैं। समाजवादी पार्टी कोई रुपया नहीं लेती है और न कभी लिया है। चाहे 1993 का चुनाव हो या 1996 का चुनाव हो, कोई बता दे कि समाजवादी पार्टी चीनी मिल मालिकों से रुपया भी लिया हैं कोई इसको सिद्ध कर दे तो मैं लोकसभा से इस्तीफा देने को तैयार हूं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि रुपया लेने वाले वे हैं। सब को पता है, आज बकायदा रुपया लिया गया है, इसीलिए हमने कहा कि सीबीआई से जांच कराओ, किसानों की हत्या कराएंगे, और हत्या क्यो छिपायेंगे और पुलिस से बचाने का काम मुख्यमंत्री कर रही हैं।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो कुछ कहना है, मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। मैं चर्चा का उत्तर देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। चर्चा का उत्तर मेरे सहयोगी मित्र श्री शरद यादव देंगे। मैं एक-दो का स्पष्टीकरण करने के लिए आपका समय ले रहा हूं।

जैसा कि सदन को विदित है केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य, स्ट्रेटेजिक मिनीमम प्राइस निर्धारित किया जाता है। यह वह न्यूनतम मूल्य है जिससे कम पर कोई भी चीनी मिल गन्ना किसानों से गन्ना नहीं खरीद सकती है। चीनी मिलें परस्पर सहमति से किसानों को इससे अधिक मूल्य दे सकती हैं और देती भी रही हैं। इस वर्ष केन्द्र सरकार ने गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 6.5 प्रतिशत रिकवरी के स्तर पर 64 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। चूंकि सांविधिक न्यूनतम मूल्य मूल रिकवरी से जुड़ा है, इसलिए जिन चीनी मिलों में अच्छी 'रिकवरी' है, वहां के किसानों के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य भी अधिक निर्धारित किया जाता है। वर्तमान, में, उत्तर प्रदेश में औसतन सांविधिक न्यूनतम मूल्य लगभग 74 रुपये प्रति क्विंटल है।

हमने गन्ना किसानों की समस्याओं को देखते हुए उन्हें राहत पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार सांविधिक न्यूनतम मूल्यों में पांच रुपये प्रति क्विटंल की बढ़ोत्तरी करेगी जो सभी प्रदेशों में लागू होगी।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गन्ना किसानों को राहत देने के लिए कुछ उपयुक्त कदम उठाये हैं। वह क्रय कर गन्ना सोसाइटीज के कमीशन एवं चीनी पर प्रवेश कर में कुल चार रुपए प्रति क्विंटल गन्ना के समतुल्य अनुदान व छूट दे रही है। प्रदेश सरकार इस उद्देश्य के साथ चीनी मिलों को यह अनुदान व छूट दे रही है कि वे यह चार रुपए किसानों को दिये जा रहे गन्ना मूल्य में शामिल कर भुगतान करेंगी। इस तरह, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए कुल मिलाकर नौ रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी उपलब्ध होगी।

हम सभी जानते हैं कि गन्ना किसानों की खुशहाली चीनी उद्योग के विकास से जुड़ी है। इस उद्योग के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जरूरतमंद लोगों को रोजगार मिलता है। अत: यह जरूरी है कि हम चीनी उद्योग को स्वस्थ रखें। चूंकि आज चीनी उद्योग कठिनाई में है, हमें ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है कि मौजूदा संकट शीघ्रातिशीघ्र समाप्त हो। हाल के महीनों में चीनी के दामों में काफी कमी आई है जिसका एक कारण यह है कि कई चीनी मिलों ने भारत सरकार द्वारा जारी कोटे के अतिरिक्त, न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से, चीनी 'रिलीज' करने के आदेश प्राप्त किए हैं। इससे बाजार में चीनी की आपूर्ति बढ़ी है और मूल्यों में गिरावट आई है। इन परिस्थितियों में वर्तमान 'रिलीज' प्रणाली को जारी रखने व प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि चीनी

की 'रिलीज' प्रणाली को जारी रखते हुए चीनी के बाजार मूल्यों में पुनः स्थिरता कायम करने के सार्थक प्रयास किए जाएं।

जैसा कि खाद्य मंत्री जी ने बताया है, केन्द्र सरकार ने 20 लाख टन चीनी का 'बफर स्टॉक' बनाने का भी निर्णय लिया है। इससे 786 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था होगी जिसका गन्ना किसानों को उनके गन्ना मूल्य के बकाया की अदायगी करने में उपयोग किया जाएगा।

मैं समझता हूं कि उपरोक्त कार्यवाही के फलस्वरूप गन्ना किसानों को काफी राहत मिलेगी और चीनी उद्योग की परिस्थितियों में सुधार होगा।

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): आपने जैसा ऐलान किया था, कल ही आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि खरीफ की फसल की बकाया को स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन मुजफ्फरनगर में 15 किसान जेल जा चुके हैं। खरीफ की फसल की वसूली आपने स्थगित कर दी। ...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी ने ऐलान किया था और उसके बावजूद किसान जेल जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 15 किसान खरीफ की फसल की बकाया में जेल गये। ...*(व्यवधान)* आपने खरीफ की फसल की बकाया स्थगित की थी। आपके आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

جناب سعید الزماں صاحب (مظفر نگر): آپ نے جیسا اعلان کیا تھا، کل ہی آپ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ کھریف کی فصل کی بقایا کو روک دیا جائیگا۔ لیکن مظفر نگر میں 15 کسان جیل جا چکے ہیں۔ کھریف کی فصل کی وصولی آپ نے روک دی تھی۔...(مداخلت) پردھان منتری جی نے اعلان کیا تھا اور اس کے باوجود کسان جیل جا رہے ہیں۔ مظفر نگر میں 15 کسان کھریف کی فصل کی بقایا میں جیل چلے گئے۔...(مداخلت) آپ نے کھریف کی فصل کی بقایا روک دی تھی۔ آپ کے احکامات کا بھی پالن نہیں ہو رہا ہے۔...(مداخلت)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आपने जो मुद्दा उठाया है, उसको गहराई से देखकर हम फैसला करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: 95 रुपए प्रति क्विंटल उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले से घोषित कर रखा है और प्रधान मंत्री जी ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उसके हिसाब से 81 रुपये क्विंटल ही मिलेंगे, तो भारत सरकार की घोषणा से क्या फायदा हुआ? 14 रुपये क्विंटल तो यू.पी. सरकार ने पहले ही घोषित कर रखा है। ...*(व्यवधान)*

श्री महबूब जाहेदी (कटवा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि कम से कम इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे चर्चा के लिए मौका दिया। मुलायम सिंह जी भी अभी इस विषय पर बोले हैं। मैं मुंडेरवा से अभी-अभी आ रहा हूं और कल पूरे दिन घूमा हूं। कम से कम जोसफ, बद्री प्रसाद, धर्मराज और तिलकराम के घर-घर में हम गये हैं।

सदन में किसानों की समस्या के बारे में चर्चा चल रही है और वहां पुलिस की गोली चली है। यहां सदन में कहा गया कि 15 किलोमीटर की दूरी पर जो लावारिस लाश मिली है, वह पुलिस की गोली से नहीं मरा है। यह बात हम यहां सदन में सुनकर वहां देखने गए। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि गोली जो चली है, वह कोई ऊपर से नहीं आई थी, पुलिस की गोली थी। दुख इस बात का है कि यदि उस किसान को समय पर अस्पताल भेज दिया जाता, तो वह बच सकता था। मगर आधा किलोमीटर उसको घसीटते हुए ले गए हैं और उस दौरान उसका खून बह गया तथा उसकी मृत्यु हो गई। श्री बद्री प्रसाद को जो गोली लगी है, उसके छोटे बच्चे हैं, मैं उस गोली को लेकर आया हूं। इस गोली पर नम्बर लिखा हुआ है और यह देखा जा सकता है कि पुलिस की गोली है या पुलिस की गोली नहीं है। अगर सदन में प्रधान मंत्री जी उपस्थित होते, तो मैं वह गोली उनको नमूने के तौर पर दे देता। इस गोली पर नम्बर है।

अभी प्रधान मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया, लेकिन उन्होंने कोई नई बात नहीं बताई। 95 रुपए का दाम तो पिछले साल भी मिला था और इस साल भी 95 रुपए तय किया गया है। यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात कही गई ...*(व्यवधान)* एसएपी-स्टेट एडवाइजरी प्राइस आब्लीगेटरी नहीं है। उस प्राइस को माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है। मुख्य बात यह है कि एसएपी भी नहीं दे रहे हैं और हरियाणा में 110 रुपए पर खरीद हो रही है और उत्तर प्रदेश में 55-60 पर खरीद कर रहे हैं। यहां सदन में बफर स्टाक के बारे में भी कहा गया है कि 20 लाख टन का बफर स्टाक बनाया जाएगा। मंत्री महोदय ने कहा कि पैसा होगा, तो हम पैसा देंगे। स्थिति है कि 3 हजार करोड़ रुपए आपके पास टैक्स के रूप में जमा है। इस पैसे से मिलों का डवेलपमेंट होना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक नई बात कह दी है, मैं पूछना चाहता हूं कि वह पैसा कहां है?

हमारी और हमारे किसानों की यही मांग है-140 रुपए के हिसाब से तीन हजार करोड़ रुपए कहां गए ...*(व्यवधान)* जो मूल्य है, वह सरकार को देना है। मौजा एक लाख रुपए दिया है-उसके छः बच्चे हैं, बेटी है, यह तमाशा हुआ है। आज कल एक लाख रुपए में क्या होता है। मेरी मांग है कि दस लाख रुपए दिए जाएं और उनके बच्चे को नौकरी दी जाए। उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं और लड़का भी है। उसे सरकार की तरफ से नौकरी दी जाए। किसान पर कर्जा होता है और वह वसूली नहीं देता है तो उसके ऊपर केस चलते हैं और जायदाद तक लूट जाती है, सब कुछ होता है। मगर मिल वाले जो बकाया रखते हैं, इसके लिए कानून है। अगर वह बकाया रखेगा और 15 दिनों के अंदर वसूली नहीं करेगा, किसानों को नहीं देगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसे पकड़ेगा और कानून के हिसाब से उसके साथ करेंगे तथा सूद समेत उसे वापस करेंगे। ...*(व्यवधान)* एक केस हुआ था, जिसमें मिल और मालिक वाले बोल रहे हैं। मिल वाले खाली गन्ने के हिसाब से बोल रहे हैं और जो सब चीजें होती हैं उनके लिए मिल वाले नहीं बोलेंगे। खोई से कई चीजें बनती हैं-थर्मोकोल और शराब भी बनती है। इस बारे में शरद पवार जी ने भी यहां कहा है। उसका भाव क्या होगा, वह उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। आप उसे जोड़ कर देखिए, न नुकसान हो रहा है और न ही लाभ हो रहा है। मिल-मालिक बोल रहे हैं कि नुकसान हो रहा है। वे कोर्ट में चले गए। सरकार

[श्री महबूब जाहेदी]

को यह देखना है। यह कहा गया कि दो किलोमीटर के अंदर सब कुछ हुआ और यहां ये बोले कि 15 किलोमीटर के बाहर हुआ। यहां उसे क्यों छिपाया गया, आप कुछ मत छिपाइए, जो सच्चाई और हकीकत है, उसे सामने लाइए, स्वीकार कीजिए और फिर देखिए इसका कैसे फैसला होता है। इस बारे में सोचा जाए, मगर छिपा रहे हैं।

महोदय, हमने किसानों का खून बहते हुए देखा है। यहां मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप देखिए, बाहर पत्थर में खून के निशान हैं। वह किसान का खून है। ...*(व्यवधान)* हम कहते हैं कि किसान केवल इस जगह के ही नहीं हैं, महाराष्ट्र और दूसरी जगहों के भी हैं। इसके पहले भी खुदकुशी हुई थी और कई चीजों पर हुई थी। अब जो डब्ल्यूटीओ के दरवाजे खोल दिए गए हैं, सब को ले आए हैं, उसके कारण अब मरने के लिए सब किसान खड़े हो गए हैं। अगर इसका कोई फैसला जल्दी नहीं करेंगे तो आपको वहीं जवाब मिलेगा। आप हमारे वोटों पर कमी कर सकते हैं, हम यहां सदन के अंदर हार जाएंगे लेकिन बाहर जो लाखों किसान हैं, वहां आप चलिए, वहां मुकाबला होगा। तब पता चलेगा कि हम सच्चे हैं आप सच्चे हैं। उपाध्यक्ष जी, हम यह बुलैट आपको दे रहे हैं* जो एक बच्चे ने हमें रोते-रोते मौके पर दिया कि यह हमारे पिता की बगल में गिरा हुआ था।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): उपाध्यक्ष जी, आज सदन में गन्ना किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा हो रही है। चाहे गन्ना किसान हो, गेहूं बोने वाला किसान हो, कपास पैदा करने वाला किसान हो, उन सभी की समस्याओं के बारे में चर्चा तो यहां होती ही रहती है। मैं भी एक किसान हूं और मुझे पता है कि पिछले तीन सालों में कितनी ही बार इस सदन में किसानों के ऊपर चर्चा हुई है। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछें कि हम सभी ने अभी तक किसानों की कितनी समस्याओं का समाधान किया है। हम पूरे सदन से पूछ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: हमारे यहां गन्ना पैदा ही नहीं होता है।

श्री सुरेश रामराव जाधव: मैं पूछना चाहता हूं कि इन चर्चाओं के माध्यम से हमने किसानों की कितनी समस्याओं का समाधान किया है। किसानों ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि वे धरने पर बैठते हैं, लाठी-चार्ज का शिकार होते हैं, गोली खाते हैं और उन्हीं किसानों की हत्याएं होती हैं।

हमारे देश में 80 प्रतिशत किसान रहते हैं जो पूरे देश को रोटी खिलाते हैं लेकिन खुद आज वे गोली खा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कैसे हो गयी? देश को आजाद हुए आज 55 साल हो गये हैं लेकिन किसानों की हालत दिन-पर-दिन बदतर होती जा रही है। जब गन्ना किसान का सवाल आता है तो महाराष्ट्र और यूपी के किसानों की खासतौर से ज्यादा बात होती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश का गन्ना किसान परेशान है और उनके हालात बहुत गंभीर हैं। इसका कारण यह है कि अभी तक चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारें, उनके लिए अच्छी नीतियां नहीं बनाई हैं और अच्छे दिशा-निर्देश हमारे नहीं हैं। जब हमारे किसान गन्ना बोते हैं तो उसकी कीमत 600 रुपये प्रति क्विटंल आती है और कई जगह तो यह 800 रुपये प्रति क्विंटल आती है।

महोदय, महाराष्ट्र में गन्ना किसान को 800 रुपये प्रति क्विटंल कॉस्ट पड़ती है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में सरकार किसान को गन्ने का मूल्य 550 रुपए प्रति क्विंटल दे रही है। जहां पूरे देश में गन्ने का भाव 110 रुपए, कहीं 95 रुपए और कहीं 65 रुपए है, वहां महाराष्ट्र में केवल 550 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम सरकार किसानों को दे रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र में किसानों के गन्ने की लागत 850 रुपए प्रति क्विंटल आती है, तो उसे 550 रुपए प्रति क्विंटल के भाव महाराष्ट्र सरकार क्यों दे रही है, क्यों वहां किसान इतने कम भाव पर अपना गन्ना बेचने के लिए विवश हो रहा?

उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में गन्ना किसान को हरियाणा सरकार चीनी मिल मालिक से 110 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दिला रही है और वहां गन्ना किसान का किसी भी चीनी मिल पर एक भी रुपया बकाया नहीं है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव कहीं 65 रुपए और कहीं 95 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में केवल 550 रुपए प्रति क्विटंल का भाव है। ऐसा क्यों है?

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: घंटी बजाई जा रही है।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यों, हमारे नियम के अनुसार, गणपूर्ति के लिए तीन बार घंटी बजाई जा सकती है और उसके बाद भी यदि गणपूर्ति न हो तो अध्यक्षपीठ के पास सभा को स्थगित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए, सभा कल 20 दिसम्बर, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.39 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 20 दिसम्बर, 2002/29 अग्रहायण 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* जैसा कि नियमों/अध्यक्ष के निदेशों में सदस्यों द्वारा वस्तुओं को सभा पटल पर रखने की अनुमति देने का प्रावधान नहीं है इसलिए प्रयुक्त बंदूक की गोली को सभा पटल पर रखा हुआ नहीं माना गया।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।